श माला, खंड 23, अंक 19

NOT TO BE ISSUED

मंगलवार, 16 अप्रैल, 2002
26 चैत्र, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2_53
Date 23/9/20

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 19, मंगलवार, 16 अप्रैल, 2002/26 चैत्र, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 340	2–37
अतारांकित प्रश्न संख्या 3470 से 3694	37–384
सभा पटल पर रखे गए पत्र	385–389
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	390
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	390
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन	390–391
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
छियासीवां, सत्तासीवां और अठासीवां प्रतिवेदन	391
कार्यमंत्रणा समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	391–392
उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गुजरात में साबरमती आश्रम से हिंसा की घटना	392

लोक सभा

मंगलवार, 16 अप्रैल, 2002/26 चैत्र, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं प्रश्न काल के पश्चात् आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में कोई नारेबाजी नहीं होगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर जाइए। मैं शून्य काल में आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी इस तरह बोलेंगे तो मैं किस तरह आपकी बात सुनूंगा? मैं आप सभी से कह रहा हूं कि कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। सभा का कार्य चलने दीजिए। पहले प्रश्न काल होने दीजिए। इसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री के. येरननायडू, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सभी से अपने-अपने स्थान पर बैठने के लिए कह रहा हूं। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाइए। पहले प्रश्न काल चलने दीजिए। मैं शून्य काल में आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु विश्व बैंक/विदेशी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता

***321. श्री नरेश पुगलिया:**
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लिए आंशिक रूप से धन उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी संस्थाओं से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए वार्षिक रूप से अनुमानत: कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या अपर्याप्त धन के कारण योजना संबंधी लक्ष्यों को अगले कुछ वर्षों में प्राप्त नहीं किया जा सकेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के तय लक्ष्यों को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के उद्देश्यों की पूर्ति अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को बेहतर बारहमासी सड़कों के जरिए वर्ष 2007 तक सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए अपेक्षित कुल निवेश का अनुमान इस समय 60,000 करोड़ रुपये लगाया गया है। निधियों के मौजूदा उपलब्ध स्रोत अर्थात् अनुमानत: प्रति वर्ष 2,500 करोड़ रुपये की राशि के हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) पर उपकर के 50 प्रतिशत अंश के अलावा चालू वर्ष से अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के प्रयास (ताकि कार्यक्रम के उद्देश्य पूरा किए जा सकें) किए जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों से उधार लेना शामिल हो सकता है।

इसके लिए, विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक से कार्यक्रम के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए कहा गया है। हालांकि वार्षिक परिव्यय अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की खपत क्षमता पर निर्भर करेगा, तथापि निधियों की वजह से कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा आने की संभावना नहीं है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं

*322. **श्री वैको:**
डा. सी. कृष्णन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से क्षेत्रवार नकल एवं अन्य कदाचारों के कितने मामलों को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है;

(ख) कितने मामलों में कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में देश भर में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल एवं अन्य प्रकार के कदाचारों की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2002 की परीक्षाओं में देश के विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित संख्या में नकल करने के मामले बोर्ड की जानकारी में लाए गए हैं:-

क्षेत्र	कक्षा-10	कक्षा-12
अजमेर	02	02
चंडीगढ़	08	10
दिल्ली	125	107
गुवाहाटी	15	13
चैन्नई	01	03
इलाहाबाद	06	08
कुल	157	143

नकल के उपर्युक्त सभी मामलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

दिल्ली के एक विद्यालय द्वारा प्रश्न-पत्र लीक करने का पयास करने के एक मामले की जानकारी दी गई थी। तथापि, सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पुलिस की सहायता से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की थी। प्रधानाचार्य और दो शिक्षकों को गिरफ्तार' किया गया था और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परीक्षा देने वाले छात्रों को दूसरा प्रश्न-पत्र दिया गया था।

परीक्षाओं में नकल और अन्य कदाचार रोकने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) सामूहिक नकल को रोकने के लिए प्रश्न-पत्रों के अनेक सेटों का उपयोग करना।

(2) जिस शहर में केवल एक ही विद्यालय हो उसे छोड़कर, अन्य स्थानों पर परीक्षा केन्द्र इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि अपने ही विद्यालय में विद्यार्थी का परीक्षा केन्द्र न हो। इस प्रकार अपने शिक्षकों की सहायता से गलत तरीके अपनाने को रोकने में मदद मिलती है।

(3) परीक्षाओं के बेहतर और निष्पक्ष आयोजन की निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए इसी क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों में से विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करना।

(4) परीक्षा केन्द्रों की आकस्मिक जांच करने के लिए उड़नदस्तों का गठन करना।

(5) प्रश्न-पत्रों को बैंकों की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रश्न-पत्र भेजना।

अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्सेंटिव फंड का गठन

***323. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए प्रयासरत राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि का एक "अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्सेंटिव फंड" गठित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें केन्द्र सरकार का अंशदान कितना होगा;

(ङ) राज्यों को इस निधि से कब तक धन मिलने की संभावना है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना के विकास हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ङ) वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2002-2003 के बजट भाषण में राज्यों को सुधार संयुक्त मदद देने के लिए 500 करोड़ रु. के प्रारंभिक परिव्यय से एक शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (अर्बन रिफोर्म इन्सेंटिव फंड—यू.आर.आई.एफ.) की स्थापना की घोषणा की गई थी। योजना आयोग कोष संचालन की क्रियाविधि तैयार कर रहा है।

प्रस्तावित कोष द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार संयुक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(1) राज्य स्तर पर किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार और शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन।

(2) ऊंची स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना।

(3) भवनों के निर्माण, स्थलों के विकास आदि की अनुमोदन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपनियमों में संशोधन।

(4) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तैयार मॉडल कानून के अनुसार म्यूनिसिपल कानूनों का संशोधन।

(5) कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों में बदलने के कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे का सरलीकरण।

(6) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यावहारिक प्रयोक्ता प्रभार लगाना तथा संसाधन जुटाव।

(7) नागरिक सेवाओं की व्यवस्था में सरकारी-गैर-सरकारी भागीदारी की पहल।

(च) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक अन्य के अलावा निम्नलिखित सुधार उपाय शुरू किए गए हैं-

(1) आवास निर्माण हेतु जमीन जुटाने के लिये शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम का निरसन।

(2) (1) अपार्टमेन्ट स्वामित्व और संपत्ति विनियमन; (2) किराया नियंत्रण; (3) स्थावर संपदा विकास विनियमन; और (4) राज्य आवास बोर्डों के पुनर्गठन पर मॉडल विधेयक शहरी आवास निर्माण के प्रोत्साहन में अपनाने के लिये राज्य सरकारों को परिचालित कर दिये गये हैं।

(3) आवास, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों, सैरगारों नगर व क्षेत्र स्तरीय शहरी अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क व पुल, द्रुत परिवहन प्रणाली सहित बड़े उपनगरों के विकास तथा भूमि विकास सहित भवन सामग्रियों के निर्माण के लिए, हाल ही में निर्धारित दिशानिर्देशों की शर्त पर, 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है।

(4) आवास निर्माण में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत/कम करने की सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

गुजरात में दंगे

***324. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में हुए हाल के दंगों के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई जानमाल (धार्मिक स्थलों सहित) की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दंगों में पोटो के अंतर्गत अब तक गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन दंगों के लिए दोषी पाए गए संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का देश में इन दंगों में प्रभावित लोगों विशेषकर विधवाओं एवं अनाथ बच्चों का पुनर्वास करने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के पैनल ने गुजरात के दंगा-प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(झ) यदि हां, तो उसने क्या टिप्पणियां की हैं/उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ञ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ट) सरकार द्वारा देश में दंगों की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) गुजरात में हुए हाल के दंगों के बाद देश के किसी भी भाग से ऐसे किसी बड़े दंगे की सूचना नहीं मिली है जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि हुई हो। जहां तक गुजरात का संबंध है, अब तक उपद्रवों में 635 व्यक्ति मारे गए हैं और इसके अलावा पुलिस फायरिंग में 143 व्यक्ति मारे गए और 2258 व्यक्तियों को चोटें आईं। 10262 मकानों, 13758 दुकानों, 2648 केबिनों और 2995 वाहनों को जला दिया गया था/क्षति पहुंचाई गई थी जिनका मूल्य 233 करोड़ रु. से अधिक था।

(ख) आतंकवाद निवारण अधिनियम को इस दंगे में प्रयुक्त नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए गुजरात को छोड़कर इनका प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक गुजरात का संबंध है, राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी संगठन के शामिल होने और इन घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और यहां जानकारी केवल तभी प्राप्त हो पाएगी जब जांच का कार्य पूरा हो जाएगा और उक्त जांच प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) से (छ) जहां तक राहत कार्यों का संबंध है, गुजरात राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित आपाती राहत उपायों की घोषणा की गई थी:

(1) मृतक के निकट संबंधी को मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा; एक लाख रु. के हिसाब से।

(2) चोट लगने की स्थिति में सहायता, अपंगता की स्थिति के आधार पर दो हजार रु. से पचास हजार रु. तक।

(3) नकद सहायता; 15 दिनों के लिए 15 रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति (अधिक से अधिक 5 व्यक्ति)।

(4) घरेलू उपयोग के सामान के लिए सहायता, 1250/- रु. प्रति परिवार।

(5) हथठेला चलाने वालों, लारी गल्ला वालों आदि को परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए सहायता, 10,000/- रु.।

(6) आवास क्षति पहुंचने के आधार पर 5000/- रु. से 50,000/- रु. तक।

(7) राहत शिविरों को सहायता।

राज्य सरकार ने गैर-सरकारी सगंठनों द्वारा संचालित राहत शिविरों को समर्थन देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है और निम्नलिखित मानकों के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है:-

आटा : 400 ग्राम,

चावल : 100 ग्राम

तेल, चीनी, दाल और दुग्ध चूर्ण, 50 ग्राम प्रत्येक की दर से विविध खर्चों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पांच रु.

प्रधान मंत्री की 4.4.2002 को गुजरात की यात्रा के बाद, उनके द्वारा निम्नलिखित राहत उपायों की घोषणा की गई थी:-

(1) जिन लोगों ने साम्प्रदायिक हिंसा में जान गंवाई थी उनके कानूनी वारिसों को 1.5 लाख रु. (प्रधान मंत्री राहत कोष से 1 लाख रु. के अंशदान सहित) दिया जाएगा।

(2) स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में पचास हजार रु. की वित्तीय सहायता और 40 प्रतिशत से कम अपंग होने की स्थिति में प्रधान मंत्री राहत कोष से पच्चीस हजार रु. तक दिए जाएंगे।

(3) राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को खाद्य और अन्य सामग्रियां भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और इन पर किए जाने वाले सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(4) शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली पांच रु. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की नकद सहायता की राशि को बढ़ाकर सात रु. प्रति व्यक्ति प्रति दिन कर दी गई है।

(5) राज्य सरकार ने ''संत कबीर आवास योजना'' नामक एक नई योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत दंगों के दौरान पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से नष्ट हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 50,000/- रु. तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कुछ और योजनाएं:

(1) राहत शिविरों में विद्यार्थियों को पुस्तकें और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की एक योजना।

(2) राहत शिविरों में विद्यार्थियों को ट्यूशन देने की भी व्यवस्था की जा रही है जिसमें गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है।

(3) राहत शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की दक्षता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ज) से (ञ) जी हां, श्रीमान। गुजरात के दंगों के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अधिकांश सिफारिशें गुजरात सरकार से संबंधित हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सीधे ही गुजरात सरकार को भेज दी गई है। केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ट) ''लोक व्यवस्था'' तथा ''पुलिस'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दंगों को रोकने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर निगरानी रखती है तथा राज्य सरकारों को जानकारी में भागीदारी करके, चेतावनी संदेश भेज कर राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई बल नामक विशेष तौर पर गठित संयुक्त बल सहित केन्द्रीय अर्धसैनिक बल तथा नियमित सैनिक टुकड़ियां उपलब्ध कराके तथा राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करके राज्य सरकारों को अनेक प्रकार से सहायता देती है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए उन दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू करने का अनुरोध किया गया है जिन्हें पहले जारी किया गया था।

जीवन रक्षक औषधियों का मूल्य

***325. श्री मानसिंह पटेल:**
श्री सईदुज्जमा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ जीवन रक्षक औषधियों पर से मूल्य नियंत्रण हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या जीवन रक्षक औषधियों की ऊंची कीमत के कारण ये आम जनता की खरीद क्षमता से बाहर हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित/कम करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों में कोई विभेध नहीं रखा गया है। उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार सरकार इसकी प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करती है। सरकार ने हाल ही में ''भेषज नीति-2002'' की घोषणा की है। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं—अधिकाधिक मात्रा में खपत होने वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक भेषजों की उचित कीमत पर देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना और लागत प्रभावी गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना। इस नीति में राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची (1996) में सम्मिलित मदों तथा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपातकालीन देख-रेख आदि में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझी जाने वाली औषधों में से औषधों की मूल्य विनियमन हेतु पहचान करने का प्रावधान है। अन्य मामलों में मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर नज़र रखी जाएगी।

[अनुवाद]

पेयजल की समस्या

***326. श्री अनंत गुढे:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेयजल समस्या के समाधान में आने वाली बाधाओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं;

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आबंटित धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विशेषकर देश के पेयजल से संबंधित समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत अतिरिक्त धन जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्य सरकारों को कब तक धन जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) वर्ष 1991 में ग्रामीण जल आपूर्ति के कवरेज की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकारों के जरिए एक राष्ट्रव्यापी बसावट सर्वेक्षण किया गया था। परिणामों को 1993-94 के दौरान पुन: अद्यतन बनाया गया था। 1996-97 में इनका सत्यापन किया गया था तथा वर्ष 1999-2000 में इन्हें अद्यतन बनाया गया था। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 1.4.1999 को 14,22,664 ग्रामीण बसावटें थीं जिनमें से 1116103 बसावटें पूर्णतया कवर की गई थीं तथा 268496 बसावटें आंशिक रूप से कवर की गई थीं। शेष 38065 बसावटें कवर नहीं हुई पायी गई थी। सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा में परिकल्पित उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कवर की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई शेष बसावटों को 2004 तक कवर करने के लिए धनराशि की जरूरत का मूल्यांकन किया है और इसे भारत सरकार को भेज दिया है। यह सूचना बृहत कार्य योजना तैयार करने के लिए संकलित की गई थी।

(घ) वर्ष 2002-2003 के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए केन्द्रीय परिव्यय के रूप में 2235.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) से (छ) कुछ राज्य सरकारों ने 2001-2002 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां रिलीज करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। तथापि, चूंकि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम आबंटन आधारित कार्यक्रम है, इसलिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत निधियां वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही आबंटित की जाती हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा काफी अधिक मात्रा में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियां निकाली गई जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत बचत काफी कम थी जिसे बेहतर निष्पादन करने वाले उन राज्यों में वितरित किया गया जिन्होंने अतिरिक्त निधियों की मांग की थी। मांगी गई अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2001-2002 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	त्व. ग्रा.ज.आ. कार्यक्रम की अतिरिक्त निधियों के लिए प्राप्त अनुरोध
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10000.00
2.	गुजरात	4000.00
3.	हरियाणा	1500.00
4.	हिमाचल प्रदेश	2500.00
5.	मध्य प्रदेश	4438.00
6.	महाराष्ट्र	10000.00
7.	मिजोरम	798.00
8.	नागालैंड	615.00
9.	पंजाब	1500.00
10.	सिक्किम	1500.00
11.	तमिलनाडु	2000.00

1	2	3
12.	उत्तरांचल	4500.00
13.	त्रिपुरा	1000.00
	कुल	44351.00

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में ग्रामीणों के लिए पुनर्वास योजना

*327. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर सीमा पर स्थित गांवों के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई पुनर्वास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ग्रामीणों को असुरक्षा एवं सीमा पार से गोलीबारी के कारण अपने गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2000, 2001 एवं 2002 के दौरान आज तक अपने गांवों को छोड़ने वाले ग्रामीणों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन लोगों की सम्पत्ति को हुए नुकसान का अनुमानित ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2000 के दौरान, सीमा-पार से गोलीबारी और उसके परिणामस्वरूप असुरक्षा के कारण किसी भी ग्रामीण को अपना गांव छोड़ने के लिए विवश नहीं होना पड़ा है। तथापि, 2001 में, 13 दिसम्बर को संसद पर हुए हमले और उसके परिणामस्वरूप नियंत्रण रेखा/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना की तैनाती से, सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन हुआ है। राज्य सरकार ने आगे यह सूचित किया है कि आज तक राजौरी, पुच्छ, जम्मू और कठुवा जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों/नियंत्रण रेखा से 63196 व्यक्तियों ने पलायन किया है। इसके अलावा, अखनूर तहसील में लगभग 6040 सीमा प्रवासी परिवार हैं जो सीमा के अत्यधिक नजदीक के गांवों के हैं। ये परिवार, कारगिल में भारत-पाक संघर्ष और मई/जून 1999 में जम्मू और कठुवा में सीमा पार से हुई गोलीबारी के परिणामस्वरूप पलायन कर गए थे और वापस नहीं लौट सके क्योंकि उनकी जमीन, पाक-गोलीबारी की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है और यह पाकिस्तान के पारम्परिक आक्रमण मार्ग में पड़ती है।

राज्य सरकार ने, उपरिलिखित सीमा-प्रवासियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें सम्मिलित हैं:- प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलोग्राम की दर से मुफ्त राशन (जम्मू डिवीजन में 7 किलोग्राम आटा और 2 किलोग्राम चावल) और कश्मीर डिवीजन में 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम आटा, प्रति परिवार प्रति माह 10 लीटर मुफ्त मिट्टी का तेल, प्रति व्यक्ति प्रति माह 200 रु. नगद, सभी विस्थापित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता, उन क्षेत्रों में, जिनकी शिनाख्त संबंधित उप आयुक्तों ने, सुरंगी क्षेत्र के रूप में की है, चारे के लिए 200 रु. प्रति परिवार, प्रति माह, और यदि कोई प्रवासी लौटना चाहता है तो उनके निवास स्थान पर स्वीकृत दर से मुफ्त राशन। इसके अलावा, टेन्टों की खरीद के लिए और विभिन्न स्थानों पर सीमा-प्रवासियों हेतु स्थापित शिविरों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एन.डी.एफ. से 10 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, सीमावर्ती गांवों के लोगों के पुनर्वास के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि उनका प्रवास एक अस्थायी दौर है और यह अपेक्षा की जाती है कि जब कभी स्थिति सुधरेगी ग्रामीण लौट जाएंगे। वास्तव में, ये सीमा-प्रवासी, कुछेक अपवादों को छोड़कर, अपने-अपने गांवों में अपने पशु और अन्य चल सम्पत्ति छोड़कर आए हैं और प्रत्येक परिवार से एक या दो जिम्मेवार व्यक्ति उन पशुओं/सम्पत्ति की देखभाल के लिए वहीं ठहरे हुए हैं। यहां तक कि उन मामलों में भी, जिनमें पूरे के पूरे परिवार पलायन कर गए हैं, पुरुष अपने पशुओं को चारा देने और अपनी अन्य चल सम्पत्ति की देखभाल करने के लिए नियमित रूप से अपने गांव जाते रहते हैं जो शिविरों से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय ने, सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा तैयारियों/सशस्त्र बलों के आवागमन के दौरान खड़ी फसलों, फलदार वृक्षों, बागानों, बाड़-शैड, कृषि सम्पत्ति को हुए नुकसान और सेना प्राधिकारियों द्वारा अधिगृहीत भूमि और जिस भूमि पर सुरंग बिछाई गयी है, को ध्यान में रखते हुए जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों/किसानों को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा देने की एक योजना घोषित की है। जम्मू और कश्मीर सरकार से वास्तविक नुकसान के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की तैनाती और सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समय सर्वेक्षण करना व्यवहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

कट्टरवादी ग्रुपों पर प्रतिबंध

***328. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ धार्मिक एवं अन्य कट्टरवादी ग्रुपों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ अन्य कट्टरवादी ग्रुपों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है जिन्हें उड़ीसा विधान सभा पर हमले का दोषी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अंतर्गत हल ही में निम्नलिखित संगठन प्रतिबंधित किए गए हैं। प्रतिबंध दो वर्ष की अवधि के लिए है बशर्ते कि इसकी पुष्टि अधिनियम के अंतर्गत गठित संबंधित अधिकरण द्वारा की जाती है।

क्र.सं.	संगठन का नाम	प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख
1.	दीनदार अंजुमन	28.04.2001
2.	स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया	27.09.2001
3.	आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.)	03.10.2001
4.	नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)	03.10.2001
5.	पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)	13.11.2001
6.	दि रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आर.पी.एफ.)	13.11.2001
7.	दि यूनाइटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)	13.11.2001
8.	दि पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)	13.11.2001
9.	दि कांग्लेईपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)	13.11.2001
10.	दि कांग्लई याओल कान्बा लुप (के.वाई.के.एल.)	13.11.2001
11.	दि मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)	13.11.2001
	(क्र.सं. 5 से 11 तक दर्शाए गए संगठन सामूहिक रूप से मितई अतिवादी संगठनों के रूप में जाने जाते हैं)	

उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र सरकार ने संबंधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण, यह न्यायनिर्णयन करने हेतु गठित किए हैं कि क्या इन संगठनों को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। संबंधित अधिकरणों ने अपने निर्णय में कहा है कि दीनदार अंजुमन, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (एस.आई.एम.आई.) नेशनल लिब्रेशन, फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.) और आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.) के संबंध में प्रतिबंध की पुष्टि के लिए पर्याप्त कारण हैं। दीनदार अंजुमन और एस.आई.एम.आई. की गतिविधियां देश की सुरक्षा के प्रतिकूल थी और ये देश की शांति और सांप्रदायिक सदभाव को भंग कर सकती है तथा देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बिगाड़ सकती है। एन.एल.एफ.टी. और ए.टी.टी.एफ. की गतिविधि में त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को

भारत से मुक्त करना शामिल है। आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.) के अपने घोषित उद्देश्य में, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी सगंठनों के सहयोग से सात राज्यों त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करके इन राज्यों को मिलाकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना है। उपर्युक्त क्र.सं. (5) से (11) तक दर्शाए गए संगठनों की गतिविधियां ये हैं कि उन्होंने खुलेआम भारत से मणिपुर को अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर के निर्माण को अपने उद्देश्य के रूप में घोषित किया है।

आतंकवाद निवारण अधिनियम (पोटो), 2002 की धारा 18 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित किया है:

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर-ए-तैयबा/पासबान-ए-अहले हदीस
6. जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फुरकान
7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल जेहाद-ए-इस्लामी
8. हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट
9. अल-उमर मुजाहिद्दीन
10. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंड ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)
13. पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
14. यूनाइटिड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
15. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)
16. कांग्लेईपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
17. कांग्लई याओल कान्बा लुप (के.वाई.के.एल.)
18. मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
19. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल.टी.टी.ई.)
22. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इंडिया
23. दीनदार अंजुमन
24. कॉम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-पीपल्स वार, इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
25. माओवादी कॉम्यूनिस्ट सेन्टर (एम.सी.सी.), इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन।
26. अल बदर
27. जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
28. अल-कायदा।

(ग) से (ङ) सरकार को, उन संगठनों, जो उनके विचार से देश में धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने में और/या देश में सांप्रदायिक सदभाव को बिगाड़ने में संलिप्त हैं, पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य स्रोतों से समय-समय पर अनुरोध और सुझाव प्राप्त होते हैं। मामले पर कोई निर्णय लेने से पहले इन सभी अनुरोधों/सुझावों की उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में जांच की जाती है।

भारत के संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं और इसलिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। कोई भी ऐसे संगठन, जिसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और शांति तथा सांप्रदायिक सदभाव को बिगाड़ सकती हैं, के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भारतीय दंड संहिता तथा विभिन्न अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उपबंध हैं। देश में कानून और व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने पर प्रभाव डालने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निरंतर नजर रखी जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है, प्रतिबंध लगाने सहित अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

खेलों के विकास हेतु नई परियोजनाएं

*329. **श्री राजो सिंह:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से खेलों के विकास हेतु नई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु आबंटित धन राज्य-वार एवं परियोजनावार कितना है;

(घ) अब तक मंजूर की गई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (ङ) मंत्रालय की विद्यमान योजना नामत: खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से 688 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 285 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। शेष प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें कमियाँ पाई गई थीं तथा राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया था। प्राप्त/अनुमोदित प्रस्तावों तथा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। योजना के अंतर्गत राज्य-वार धनराशि आबंटित नहीं की जाती है तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करते हुए, स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 से 2001-2002		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	18	870.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	9	824.40
3.	असम	16	3	75.63
4.	बिहार	3	–	0.00
5.	गुजरात	2	1	60.00
6.	हरियाणा	27	4	171.90
7.	हिमाचल प्रदेश	28	16	1235.84
8.	जम्मू व कश्मीर	80	27	251.45
9.	कर्नाटक	30	10	469.03
10.	केरल	18	10	173.99
11.	मध्य प्रदेश	47	30	512.63
12.	महाराष्ट्र	55	15	558.95
13.	मणिपुर	26	8	167.59
14.	मिजोरम	33	14	228.75
15.	नागालैण्ड	68	32	360.81

1	2	3	4	5
16.	उड़ीसा	25	7	26.84
17.	पंजाब	30	24	1338.42
18.	राजस्थान	16	2	19.51
19.	तमिलनाडु	42	38	540.30
20.	त्रिपुरा	6	–	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	29	9	187.88
22.	पश्चिम बंगाल	53	4	106.58
23.	दिल्ली	2	–	0.00
24.	छत्तीसगढ़	6	2	56.96
25.	उत्तरांचल	7	2	509.44
26.	झारखण्ड	1	–	0.00
	कुल जोड़	688	285	8747.43

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

***330. श्री के. येरननायडू:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और मार्च, 2002 तक उनके मंत्रालय द्वारा गरीबी उपशमन के विभिन्न कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) इन योजनाओं का गरीब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या योजनाओं के प्रभाव का पर्यवेक्षण करने हेतु कोई निगरानी तंत्र भी है; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों अर्थात् जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियां नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	रिलीज की गई निधियां (करोड़ रु. में)
1999-2000	7045.80
2000-2001	6165.38
2001-2002	7389.73

गरीबी अनुपात संबंधी (योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए) अनुमानों से पता चलता है कि देश में ग्रामीण गरीबों की प्रतिशतता में कमी आयी है और यह 1993-94 में 37.27 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 27.07 प्रतिशत रह गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए एक व्यापक तंत्र बनाया है जिसमें आवधिक प्रगति रिपोर्ट, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे, राज्य मंत्रियों और ग्रामीण विकास सचिवों तथा परियोजना निदेशकों, डी.आर.डी.ए. के साथ वार्ता तथा राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) की बैठकें और निष्पादन समीक्षा समिति और समवर्ती/तीव्र मूल्यांकन एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/

जिला/ब्लाक स्तरों पर विद्यमान सतर्कता एवं निगरानी समितियों में इनके अलावा निर्वाचित प्रतिनिधि और राजनैतिक दल, राज्य और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि तथा गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।

आई.बी.पी. एवं विदेश संचार निगम लिमिटेड का विनिवेश

***331. श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्री पी.आर. किन्डिया:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड को इंडियन आयल कारपोरेशन को बेचने एवं विदेश संचार निगम लिमिटेड का विनिवेश करने को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड एवं विदेश संचार निगम लिमिटेड के विनिवेश हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य कितना था;

(घ) उनके शेयरों का मूल्यांकन किस तरीके से किया गया है;

(ङ) क्या विभाग ने मंत्रिमंडल द्वारा आई.बी.पी. के विनिवेश से संबंधित निर्णय से ठीक पहले बड़े निवेशकों, निवेशकों के समूह द्वारा आई.बी.पी. के शेयरों की भारी खरीद करने के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 10,000 शेयर से अधिक शेयरों के स्वामित्व वाले आई.बी.पी. के शेयरधारक कौन-कौन हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने, आई.बी.पी. कंपनी लि. की 33.58 प्रतिशत इक्विटी, 1153.68 करोड़ रुपए में अर्थात 10 रुपए (अंकित मूल्य) का शेयर 1551 रुपए प्रति शेयर पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. को बेच दी। सरकार ने विदेश संचार निगम लि. की 25 प्रतिशत इक्विटी भी, 1439.25 करोड़ रुपए में अर्थात् 10 रुपए (अंकित मूल्य) का शेयर 202 रुपए पर पेनाटोन फिन्वेस्ट लि. (टाटा समूह की एक कंपनी) को बेच दी।

(ग) और (घ) आई.बी.पी. कंपनी का आरक्षित मूल्य, कंपनी की 33.58 प्रतिशत इक्विटी के लिए 377 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था जो 10 रुपए (अंकित मूल्य) के शेयर का 507 रुपए प्रति शेयर निकाला गया। विदेश संचार निगम लि. के मामले में, आरक्षित मूल्य, विदेश संचार निगम लि. की 25 प्रतिशत इक्विटी के लिए 1218.375 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था जो 10 रुपए (अंकित मूल्य) के शेयर का 171 रुपए प्रति शेयर निकाला गया। आई.बी.पी. के शेयरों का मूल्यांकन, खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से नियुक्त सरकार के सलाहकार एच.एच.बी.सी. कैपिटल मार्केटस (इण्डिया) प्रा.लि. द्वारा किया गया था। वी.एस.एन.एल. के शेयरों का मूल्य निर्धारण, खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से नियुक्त सरकार के सलाहकार एस.बी.आई. कैपिटल मार्केटस लि. द्वारा किया गया था। दोनों सलाहकारों ने, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पद्धति, तुलन-पत्र पद्धति, परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण पद्धति आदि जैसी व्यापक रूप से स्वीकृत पद्धतियों के अधीन शेयरों का मूल्य निर्धारण किया था। सलाहकारों की रिपोर्टों पर, एक मूल्यांकन समिति, अंतर्मंत्रालय दल आदि के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और अंततः सरकार द्वारा पूर्व कथित आरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए थे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

***332. श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना केन्द्र बिन्दु रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किए गया है या सरकार अभी इन लक्ष्यों से दूर हैं;

(घ) यदि लक्ष्यों से दूर है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। आजादी के बाद से प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है।

संवैधानिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (यथासंशोधित 1992) में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया। संवैधानिक दायित्व तथा नीतिगत लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त नीतियों के अनुसरण में भारत सरकार ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला समाख्या, प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा राज्य विशिष्ट परियोजनाएं यथा राजस्थान में लोक जुंबिश तथा शिक्षाकर्मी परियोजना, बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना और उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की थी।

इसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। 1950-51 से 1999-2000 की अवधि के दौरान प्राथमिक स्कूलों की संख्या में तीन गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 1950-51 में 2.10 लाख थी जो बढ़कर 1999-2000 में 6.42 लाख हो गई है जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 15 गुना वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 1950-51 में 13600 थी जो बढ़कर 1999-2000 में 198000 हो गई है।

प्राथमिक स्तर पर 1950-51 से 1999-2000 की अवधि के दौरान नामांकन में, 5.91 गुना वृद्धि हुई है तथा बलिकाओं के मामले में यह वृद्धि 9.16 गुना रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इस अवधि के दौरान नामांकन में बढ़ोत्तरी 13 गुना से भी ज्यादा रही तथा बालिकाओं के मामले में यह वृद्धि लगभग 33 गुना है। 1950-51 से 1999-2000 की अवधि के दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 1.73 प्रतिशत तथा 2.54 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 1999 यह दर्शाता है कि 6-14 आयु-वर्ग के कमोवेश 79 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं।

हालांकि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है फिर भी प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य अभी भी अप्राप्य बना हुआ है। पहुंच, न्यून सार्वभौमिक नामांकन तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर जैसी समस्याएं अभी भी चुनौती बनी हुई हैं। बालिकाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों, कामकाजी बच्चों, शहरी वंचित बच्चों, विशेष जरूरत वाले बच्चों तथा अन्य ऐसे बच्चों जिन तक पहुँच पाना मुश्किल है, के मामले में यह विशेष रूप से सच है।

प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं। संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001 लोक सभा द्वारा 28.11.2001 को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।

मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए सरकार के नवम्बर, 2000 में सर्व शिक्षा अभियान नामक योजना भी शुरू की है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नवत हैं:-

- वर्ष 2003 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल/शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, 'स्कूल वापसी' शिविर में शामिल करना;
- वर्ष 2007 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना; तथा
- वर्ष 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करवाना।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा पर बल;
- महिला-पुरुष तथा सामाजिक श्रेणी में व्याप्त अंतर को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक समाप्त करना;
- वर्ष 2010 तक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना ताकि कोई विद्यार्थी बीच में पढ़ाई न छोड़ें।

आवश्यक औषधियां

***333. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई आवश्यक औषधियों में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में औषधि नीति में परिवर्तन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या औषधि नीति में किए गए परिवर्तन से देश में आवश्यक औषधियों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस नीति के पहले और बाद में जीवन रक्षक दवाओं की मूल्य-संरचना में हुए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा जीवन रक्षक औषधियों को आम आदमी के लिए सस्ती बनाने और उनकी खरीद क्षमता के भीतर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 1996 में प्रकाशित राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची में सम्मिलित आवश्यक औषधों की संख्या में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ग) से (छ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों में कोई विभेध नहीं रखा गया है। उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार सरकार इसकी प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करती है। सरकार ने हाल ही में "भेषज नीति-2002" की घोषणा की है। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं—जन साधारण की अधिक मात्रा में खपत होने वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक भेषओं की उचित कीमत पर देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना और लागत प्रभावी गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना। इस नीति में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यक औषधों की राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची (1996) की अकारादि सूची में सम्मिलित 279 मदों तथा उन 173 मदों जिनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपातकालीन देखरेख में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है, में से सेरा और वेक्सीन, रक्त उत्पाद, संयोजनों को छोड़कर औषधों की मूल्य विनियमन हेतु पहचान करने का प्रावधान है। अन्य मामलों में मूल्यों में उतार-चढ़ाव पर नजर रखी जाएगी।

विनिवेश हेतु लक्ष्य

*334. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-2003 हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2001-2002 हेतु निर्धारित विनिवेश संबंधी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में नई पहल करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) वर्ष 2002-2003 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) विनिवेश प्रक्रिया, एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक सौदे को निर्णय लेने की विस्तृत प्रक्रिया अर्थात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और शेयर धारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श से होकर गुजरना पड़ता है। बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कम्पनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन, बिक्री की शर्तों, बोलीदाताओं की अभिरुचि, इच्छुक पार्टियों आदि द्वारा विधिवत अध्यवसाय में लिए गए समय जैसे विभिन्न कारणों से विनिवेश प्रक्रिया का पूरा होना लक्षित तारीख को बेअसर कर देता है। इसके अलावा विनिवेश करने का निर्णय, सामरिक और गैर-सामरिक के रूप में उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर लिया जाता है न कि लाभांजन को ध्यान में रखकर। हमेशा यह सुनिश्चित किया जाता है कि विनिवेशित की जा रही भागीदारी के लिए बाजार ताकतों द्वारा तय किया गया सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो। भारत सरकार किसी निश्चित तारीख को ध्यान में रखकर जल्दबाजी में विनिवेश नहीं करती है। ऐसे बाजार से संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए, विनिवेश के लिए किसी निश्चित समय-सीमा का अनुपालन करना संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में पहले के वर्षों में विनिवेश के लिए तय की गई कंपनियों का विनिवेश अगले वर्ष की विनिवेश योजना में ले लाया जाता है और वार्षिक प्राप्तियां, वार्षिक लक्ष्यों से कुछ कम हो सकती हैं। फिर भी यह सुनिश्चित करने के हर प्रयास किये जाते हैं कि देरी से बचा जाए।

(घ) और (ङ) वर्ष 2002-2003 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से 12000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसाकि ऊपर संकेत किया जा चुका है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश के लिए सरकार के निर्णय का सफल क्रियान्वयन बाजार परिस्थितियों, संभावित बोलीदाताओं की अभिरुचि, बोली मूल्य की पर्याप्तता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। अब जब लगभग 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक अच्छी-खासी सूची तैयार कर ली गई है और नीति तथा क्रियाविधि को भी कारगर और

सर्वस्वीकार्य बना दिया गया है, अत: विनिवेश मंत्रालय 2002-2003 के लक्ष्य को पूरा करने के प्रति आशावान है।

छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों का एकीकृत विकास

*335. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1979-80 से 1999-2000 तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों के एकीकृत विकास हेतु योजना के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 802.92 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 2001 तक इन परियोजनाओं पर मात्र 671.42 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए हैं और अभी तक लगभग 2038 परियोजनाएं आरंभ नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत लगभग 4,656 छोटे एवं मध्यम श्रेणी के नगरों को सम्मिलित किए जाने की संभावना थी परन्तु केवल 1058 नगरों को ही सम्मिलित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने योजना के खराब प्रदर्शन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समीक्षा की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) छोटे एवं मझौले कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत वर्ष 1999-2000 तक 444.93 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त 268.88 करोड़ रुपए का राज्य अंश मुहैया कराया गया था एवं वित्तीय संस्थानों से 71.11 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मार्च, 2001 तक 671.42 करोड़ रुपए का खर्च बताया है। आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता कस्बा-वार जारी की जाती है न कि परियोजना-वार। अत: शुरू न की गई परियोजनाओं की सही संख्या इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) इस स्कीम के तहत कस्बों को शामिल किया जाना बजटीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 1991 की जनगणना के अनुसार इस स्कीम के तहत पात्र 4565 छोटे एवं मझौले कस्बों में से 1172 कस्बों को दिनांक 31 मार्च, 2002 तक इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है।

(च) और (छ) आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य शहरी एवं पर्यावरणीय अध्ययन के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ, मुम्बई और हैदराबाद को सौंपा गया है एवं उनसे यह अध्ययन सितम्बर, 2002 तक पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

(ज) स्कीम की प्रगति की मानीटरिंग नियमित रूप से मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें करके तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर नियमित पत्राचार के द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सहायता की बाद की किस्त को जारी करने पर विचार समान राज्य अंश को जारी किए जाने तथा पहले जारी की गई निधियों के उपयोग का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने पर ही किया जाता है।

ट्राइफेड द्वारा जनजातीय उत्पादों की खरीद

*336. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) ने अगले वित्तीय वर्ष से विभिन्न राज्यों से सभी जनजातीय उत्पादों को खरीदने की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ट्राइफेड के क्रय केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जनजातीय लोगों द्वारा सभी प्रकार के वन उत्पादों के बेहतर उत्पादन करने को प्रोत्साहन देने के लिए ट्राइफेड की क्या योजनाएं हैं;

(च) क्या उक्त योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ट्राइफेड की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या ट्राइफेड द्वारा प्रतिवर्ष खरीदी जाने वाली वस्तुओं की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाए गए मानदंड क्या हैं; और

(ञ) जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) ट्राइफेड ने विभिन्न राज्यों से वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए 640.54 लाख रुपए मूल्य के प्रमुख गैर-राष्ट्रीयकृत उत्पादों के प्रापण के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया है। राज्य-वार प्रापण बजट की प्रतिलिपि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रापण केन्द्रों को संबंधित राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों द्वारा अपना बुनियादी संरचना और वन उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। ट्राइफेड प्रापण का कार्य मुख्यत: राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों और उनके प्रापण केन्द्रों के जरिए करता है। ट्राइफेड सीधे भी प्रापण करता है। यह ट्राइफेड द्वारा सुविचारित आकस्मिकताओं पर निर्भर करता है।

(ङ) ट्राइफेड का प्रयास उपज में वृद्धि करना और लाख, गम कराया और औषधीय जड़ी-बूटियों जैसे लघु वन उत्पादों की उपज की गुणवत्ता में सुधार करना रहा है। ट्राइफेड ने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश को ब्रूड लाख मुफ्त वितरित किया है तथा जनजातीय लाभभोगियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए हैं। इसी तरह से ट्राइफेड ने गम कराया टैपिंग, कल्टिविशेन, संरक्षण, प्रसंस्करण और औषधीय जड़ी-बूटियों तथा अन्य लघु वन उत्पाद मदों के विपणन के बारे में प्रशिक्षण दिया है ताकि जनजातियों को लाभ पहुंच सके। ट्राइफेड ने आंध्र प्रदेश और गुजरात में गम कराया के पौधे लगाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

(च) और (छ) जी, हां। ट्राइफेड ने आंध्र प्रदेश को 7.02 लाख रुपए तथा गुजरात को 1.00 लाख रुपए की धनराशि गम कराया पौधे लगाने के लिए पहली ही निर्मुक्त कर दी है। संबंधित राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही आगे धनराशि निर्मुक्त की जाएगी।

(ज) से (ञ) प्रापण, उत्पाद की वाणिज्यिक जीवन क्षमता तथा विपणनता पर निर्भर होगा।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए लघु वन उत्पाद हेतु राज्य-वार प्रापण योजना

राज्य का नाम	प्रापण मूल्य (रुपए लाख में)
गुजरात	74.00
मध्य प्रदेश	17.20
उड़ीसा	95.80
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल	25.00
उत्तर-पूर्वी राज्य	120.00
आंध्र प्रदेश	92.50
छत्तीसगढ़	196.50
झारखंड	19.54
कुल	640.54

एकल खिड़की निपटान प्रणाली को प्रोत्साहन देना

***337. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में आवास विकास से संबंधित योजना के अनुमोदन हेतु एकल खिड़की निपटान प्रणाली को बढ़ावा देने की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि बहु-अभिकरणीय निपटान प्रणाली के परिणामस्वरूप सभी आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्यमान प्रणाली में कौन से अन्य सुधार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्णय लेने की विद्यमान प्रणाली को और लचीला एवं प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ङ) राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति में

भवन नक्शों की मंजूरी की प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा मंजूरी व्यवस्था को प्रयोक्तानुकूल बनाना सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को नक्शों के अनुमोदन के उपयुक्त मानक तय करने तथा जवाबदेही लागू करने की परिकल्पना की गई है।

चूंकि आवास राज्य का विषय है, एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने स्तर पर की जानी है।

[हिन्दी]

देश में शरणार्थियों की जनसंख्या

***338. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में शरणार्थियों की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में है परन्तु देश में परिणामी समस्याओं से निपटने के लिए कानून की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के समक्ष नियमित रूप से आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कोई तंत्र ही नहीं है;

(घ) यदि श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, ईरान और बंग्लादेश से शरणार्थियों का अंतर्वहन कितना है;

(ङ) सरकार द्वारा इन पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि व्यय की जाती है; और

(च) सरकार द्वारा देश में शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत में शरणार्थियों की संख्या सर्वाधिक नहीं है और यद्यपि यहां शरणार्थियों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इस प्रकार के विदेशियों के मामलों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन बिना किसी समस्या के निपटाया जाता है।

(घ) उन विदेशियों के आंकड़े, जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है, नीचे दिए गए हैं। इनमें से केवल श्रीलंकाईयों और तिब्बतियों को शरणार्थियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

श्रीलंकाई	91723
तिब्बती	78321
अफगानी	11833
बंगलादेशी	59074
म्यांमारी	428
सोमालियाई	42
सूडानी	4
ईरानी	347
कुल	2,33,672

(31.12.2002 की स्थिति के अनुसार आंकड़े)

(ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(च) इस प्रकार के विदेशियों से संबंधित मामलों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है। वे किसी भी समय अपनी पसंद के अन्य किसी देश में जाने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन जब कभी उनके अपने देशों में स्थितियों में सुधार होता है उन्हें वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में शांति के बारे में अध्ययन पाठ्यक्रम

***339. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को से विद्यालयों में "शांति के बारे में अध्ययन" पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन की विषय-वस्तु एवं आरंभ करने की प्रक्रिया क्या होगी; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) स्कूलों में "शांति शिक्षा" शुरू करने के लिए यूनेस्को से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, यूनेस्को द्वारा जनवरी, 2000 के दौरान कोलम्बो में शांति शिक्षा देने हेतु पाठ्यचर्या तैयार करने के बारे में आयोजित सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान,

भूटान, मालदीव और श्रीलंका के शिक्षाविदों ने यह सिफारिश की थी कि सभी बच्चों के लिए अपने देश में तथा समग्र रूप से दक्षिण एशिया में 'शांति शिक्षा' सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए। इन सिफारिशों के अनुसरण में यूनेस्को के सहयोग से "शांति शिक्षा" के संबंध में एक शिक्षक गाइड प्रकाशित की गई है। यूनेस्को ने सांसद मंच के सहयोग से इस गाइड का विमोचन भारत में 11 मार्च, 2002 को किया था।

शांति शिक्षा कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देने और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यूनेस्को के सदस्य देशों को अपने यहां नीतियां बनाने हेतु प्रोत्साहित करने का यह एक प्रयास है। इसमें शिक्षा के विषय-क्षेत्र, उसके उद्देश्यों, उसके आधारभूत मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक ऐसे विषयगत मॉडल का सुझाव दिया गया है जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार की जा सकती है, उसे कार्यान्वित किया जा सकता है और उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कार्यक्रम मानवीय, नागरिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यपरक व्यवस्था पर आधारित मूलत: चरित्र निर्माण कार्यक्रम है और इसमें बच्चों में शांतिपूर्ण ढंग से जीवनयापन क्षमताएं विकसित करने पर बल दिया गया है। शांति शिक्षक बनने के लिए आवश्यक विशेषताओं, प्रवृत्तियों और कौशलों को अभिनिर्धारित करने के साथ-साथ इसमें शांति शिक्षा देने के लिए उपयोगी अध्ययन कार्यकलापों का भी उल्लेख है और विद्यालय में सभी प्रकार की हिंसा के उन्मूलन हेतु उपायों के उल्लेख के साथ-साथ शांति की शिक्षा संबंधी मूल्यों, प्रवृत्तियों और कौशलों को कक्षा में औपचारिक शिक्षण तथा अध्ययन में शामिल करने के तौर-तरीकों का भी उल्लेख है।

शांति शिक्षा के घटक हमेशा से ही भारतीय शिक्षा पद्धति के अंग रहे हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार हेतु शिक्षा को सशक्त माध्यम बनाने की आवश्यकता को उजागर करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यपरक शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया गया है। इस नीति में यह उल्लेख भी किया गया है कि हमारे बहु सांस्कृतिक समाज में शिक्षा को हमारी जनता में एकता और अखंडता की भावना के संचार के लिए सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

विद्यालय पाठ्चर्या 1988 में इस उद्देश्य से तैयार की गई थी ताकि छात्र राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय वास्तविकताओं के अनुरूप अवधारणाओं को विकसित करने और मूल्यों को आत्मसात करने हेतु ज्ञानार्जन कर सकें। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य मैत्री, सहयोग, अनुकम्पा, आत्म-अनुशासन, साहस, सामाजिक न्यायप्रियता इत्यादि को प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2000 में यह भी व्यवस्था है कि स्कूलों को चाहिए कि वे जनता में एकता और अखंडता की भावना का संचार करने के उद्देश्य से सार्वभौमिक और शश्वत मूल्यों की बहाली और उन्हें बनाए रखने हेतु प्रयास करें ताकि छात्रों की नैतिक और आत्मिक प्रगति हो सके और वे अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचान सकें। इसमें मूल्य आधारित ऐसी शिक्षा की व्यवस्था है जो सभी प्रकार की कट्टरता, दुर्भावना, हिंसा, भाग्यवादिता, बेइमानी, धनलोलुपता, भ्रष्टाचार, शोषण और मादक द्रव्यों का रोकने में राष्ट्र के संघर्ष में सहायक होगी।

शांति शिक्षा की इस दिग्दर्शिका का उपयोग विद्यालयों में मानवीय मूल्यों की शिक्षा कार्यक्रम के तहत हमारे प्रयासों को तेज करने लिए किया जा सकता है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक मॉडल अध्ययन शिक्षण सामग्री के साथ-साथ भारतीय दशाओं के अनुरूप इस दिग्दर्शिका का संक्षिप्त रूपान्तर, तैयार करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

सीमा पार बाड़ एवं फ्लड लाइट लगाना

*340. **श्री शिवराजसिंह चौहान:***
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए भारत-पाक सीमा पर कंटीले तार एवं फ्लड लाइट लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास सीमा के शेष भागों पर कंटीले तार लगाने और 'फ्लड लाइट' लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कार्य के कब तक क्षेत्रवार आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी करने का कार्य वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था। पंजाब एवं राजस्थान में अव्यवहारिक क्षेत्रों जैसे नदीय क्षेत्र/नाले आदि में कुछेक जगहों को छोड़कर, कार्य पूरा कर लिया गया है। सरकार ने क्रमश: 65.80 करोड़ तथा 380.00 करोड़ रुपये की लागत पर

भारत-पाक सीमा के जम्मू और गुजरात सेक्टरों में बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य भी प्रारंभ किया है। इन सेक्टरों में इस समय कार्य चल रहा है और यह कार्य क्रमशः 2002-2003 तथा 2004-2005 में पूरा किया जाना है। भारत-पाक सीमा पर अब तक किए गए व्यय सहित लगाई गई बाड़ तथा की गई तेज रोशनी की व्यवस्था तथा बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित शेष सीमा की लंबाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	सीमा की लंबाई जहां अब तक बाड़ लगा दी गई है (कि.मी. में)	बाड़ लगाने हेतु प्रस्तावित शेष सीमा की लंबाई (कि.मी. में)	सीमा की लंबाई जिस पर अब तक तेज रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है (कि.मी. में)	तेज रोशनी की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित शेष सीमा की लंबाई (कि.मी. में)	अब तक बाड़ लगाने के कार्य पर किया गया व्यय (करोड़ रु. में)	तेज रोशनी की व्यवस्था पर अब तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
पंजाब	452	–	460	–	82.90	52.26
राजस्थान	1048	–	1022.80	–	192.51	208.24
जम्मू और कश्मीर	15	165	12	183.8	11.19	8.68
गुजरात	24	286	10	300	23.43	1.25

जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्य और व्यापार

3470. **श्री जी.एस. बसवराज:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार और ब्रिटेन ने जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्य और व्यापार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक राज्य में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ दल ने ब्रिटिश सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व वाले ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी;

(ग) क्या यह भी सही है कि जैव प्रौद्योगिकी में व्यापार संबंधों को मजबूत करने और आम आदमी को लाभ पहुंचा सकने वाले इसके प्रभावों के बारे में कर्नाटक और ब्रिटेन के बीच हुई बैठक में विस्तृत चर्चा की गई;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार द्वारा यू.के. के साथ जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्य और व्यापार के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ दल और ब्रिटिश सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. डेविड किंग के नेतृत्व वाले ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई जिसमें सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। यह बैठक जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार संबधों और इसके अनुप्रयोगों को सुदृढ़ करने के लिए कर्नाटक राज्य और ब्रिटेन के बीच विस्तृत चर्चा हेतु नहीं बुलाई गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दस्तकारों को रोजगार प्रदान करने वाली योजनाएं

3471. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में दस्तकारों को रोजगार प्रदान करने हेतु शुरू की गई विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने दस्तकारों को रोजगार प्रदान किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक एक समेकित स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य गरीब परिवारों को सामाजिक जुटाव, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए तथा बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी को मिलाकर उनके लिए आय सृजक परिसंपत्तियों का सृजन करके उन्हें स्व-सहायता समूहों में संगठित करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना को पंचायत समितियों तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, लाईन विभागों और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। योजना के दिशा-निर्देशों में, स्वाभाविक योग्यता वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों जिसमें मुख्यरूप से ग्रामीण कारीगर होंगे, को कवर करने का विशेष रूप से प्रावधान है।

(ख) पिछले वर्ष के प्रत्येक वर्ष अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण-I में है। चालू वर्ष के लिए आबंटन को अभी निर्धारित किया जाना है।

(ग) योजना के अंतर्गत अब तक सहायता प्राप्त कारीगरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

1999-2000 से 2001-2002 तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6219.55	5303.03	3068.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	136.74	276.91	164.76
3.	असम	3553.09	7195.18	4281.13
4.	बिहार	20374.56	12616.76	7300.00
5.	छत्तीसगढ़	–	2800.88	1620.58
6.	गोवा	59.78	50.00	50.00
7.	गुजरात	2341.15	1996.15	1154.96
8.	हरियाणा	1377.36	1174.37	679.48
9.	हिमाचल प्रदेश	580.06	494.67	286.16
10.	जम्मू एवं कश्मीर	717.90	612.10	354.16
11.	झारखंड	–	4755.33	2751.41

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	4696.65	4004.53	2317.00
13.	केरल	2107.37	1796.82	1039.63
14.	मध्य प्रदेश	10327.33	6004.58	3474.22
15.	महाराष्ट्र	9284.11	7915.98	4580.15
16.	मणिपुर	238.19	482.36	287.00
17.	मेघालय	266.87	540.42	321.55
18.	मिजोरम	61.75	125.06	74.41
19.	नागालैंड	183.06	370.70	220.57
20.	उड़ीसा	7113.90	6065.56	3509.50
21.	पंजाब	669.38	570.73	330.22
22.	राजस्थान	3566.34	3040.77	1759.38
23.	सिक्किम	68.38	138.45	82.38
24.	तमिलनाडु	52440.44	4689.03	2713.06
25.	त्रिपुरा	430.08	870.92	518.20
26.	उत्तर प्रदेश	22422.38	18163.60	10509.37
27.	उत्तरांचल	–	954.45	552.30
28.	पश्चिम बंगाल	7905.68	6740.66	3900.11
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	59.78	50.00	50.00
30.	दादर व नगर हवेली	59.78	50.00	50.00
31.	दमन व दीव	59.78	50.00	50.00
32.	लक्षद्वीप	59.78	50.00	50.00
33.	पांडिचेरी	59.78	50.00	50.00
	कुल	110500.00	100000.00	58150.00

विवरण-II

शुरूआत (1.4.99) से फरवरी, 2002 तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कारीगरों (दस्तकारी के अंतर्गत) की संख्या, जिन्हें रोजगार दिए गए थे

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार प्राप्त कारीगरों (दस्तकारी के अंतर्गत) की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	एन.आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश	93
3.	असम	एन.आर.
4.	बिहार	768
5.	छत्तीसगढ़	184
6.	गोवा	एन.आर.
7.	गुजरात	499
8.	हरियाणा	135
9.	हिमाचल प्रदेश	364
10.	जम्मू एवं कश्मीर	724
11.	झारखंड	एन.आर.
12.	कर्नाटक	567
13.	केरल	1002
14.	मध्य प्रदेश	एन.आर.
15.	महाराष्ट्र	663
16.	मणिपुर	एन.आर.
17.	मेघालय	एन.आर.
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	एन.आर.
20.	उड़ीसा	253
21.	पंजाब	109
22.	राजस्थान	600
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	5624
25.	त्रिपुरा	66
26.	उत्तर प्रदेश	एन.आर.
27.	उत्तरांचल	109
28.	पश्चिम बंगाल	944
29.	अ. व नि. द्वीपसमूह	1
30.	दा. न. हवेली	0
31.	दमन व दीव	एन.आर.
32.	लक्षद्वीप	एन.आर.
33.	पांडिचेरी	0
	कुल	12705

एन. आर. : असूचित

[अनुवाद]

विद्यालय विकास निधि

3472. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में विद्यालय विकास निधि की दर में बढ़ोत्तरी की जाने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विभिन्न शैक्षिक और पाठ्येतर कार्यकलापों, विद्यालय परिसर के अनुरक्षण और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के खर्च को पूरा करने में केन्द्रीय विद्यालयों को सक्षम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने 1.4.2002 से विद्यालय विकास निधि को बढ़ाकर कक्षा 1 से 10 के सभी छात्रों और कक्षा 11 एवं 12 के विज्ञानेत्तर छात्रों के लिए 100 रु. से 120 रु. प्रति माह प्रति बच्चे और कक्षा 11 एवं 12 के विज्ञान छात्रों के लिए 125 रु. से 150 रु. प्रति माह प्रति बच्चे करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय परिषद का कार्यनिष्पादन

3473. श्री चन्द्र प्रताप सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राज्यीय परिषद अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य निष्पादन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राज्यीय परिषद् सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार अपने उद्देश्यों पर कायम रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। अंतर्राज्यीय परिषद ने अपने संविधान के निबंधन और शर्तों के अनुसरण में अब तक 7 बैठकें की हैं और मुख्य रूप से सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार करती रही है। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्र-राज्य संबंधों जैसे विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, बिलों का आरक्षण, आपातकालीन प्रावधानों, राज्य में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, अखिल भारतीय सेवाओं, वित्तीय संबंधों, वनों आदि से संबंधित मुद्दों पर कुल मिला कर 247 सिफारिशें की थी। अतंर्राज्यीय परिषद ने अभी तक हुई अपनी सात बैठकों में 230 सिफारिशों पर निर्णय लिया है। इन 230 सिफारिशों में से 35 सिफारिशें अंतर्राज्यीय परिषद/प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकार नहीं की गई हैं, 108 सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं और 87 सिफारिशें प्रशासनिक मंत्रालयों और संबंधित विभागों में कार्यान्वयन के विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए गृह निर्माण

3474. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान से आज तक राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए गृह निर्माण हेतु कितनी राशि आबंटित की गई और व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने विभिन्न अन्य योजनाएं बनाकर इस प्रयोजन के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिनके लिए धनराशियां मांगी गई; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण वाली परियोजनाओं के लिए राज्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता मुहैया करती है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वर्ग (एलआईजी) परिवारों के लिए स्वीकृत ऋणों और मकानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	स्वीकृत ऋण (करोड़ रु. में)	स्वीकृत रिहायशी यूनिट
1998-99	22.29	5037
1999-2000	9.40	1834
2000-2001	6.32	1399
2001-2002	20.82	8780

(ग) से (ङ) चुरू (राजस्थान) में हथकरघा बुनकरों के लिए 98.00 लाख रुपये राशि के हडको ऋण 700 रिहायशी यूनिटों के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. से आवास सह कार्यशाला शैड स्कीम का एक प्रस्ताव हडको को प्राप्त हुआ है। हडको दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम पर विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा निगम कर का भुगतान

3475. श्री रघुनाथ झा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ.आई.सी.सी.) ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा मार्च, 1991 और 1992 में समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार वर्ष 1991-92 और 1996-97 के

बीच वास्तविक भुगतान सुनिश्चित किए बिना निगम कर के रूप में 2731.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का मामले को किस तरह से निपटाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मूल्यनिर्धारण नीति पैरामीटरों के अनुसार 12 प्रतिशत का कर पश्चात् लाभ प्रदान करने के लिए कारपोरेट टैक्स की प्रचलित दर को सम्मिलित करते हुए शुद्ध पूंजी पर लाभ प्रदान किया जाता है। घरेलू यूरिया उत्पादन करने वाली इकाइयों के प्रतिधारण मूल्य के निर्धारण में वैचारिक कर और प्रदत्त वास्तविक कर के बीच अन्तर आने से हुए किसी प्रकार के लाभ का हिसाब-किताब नहीं किया जाता है क्योंकि वर्तमान मूल्य-निर्धारण नीति/पैरामीटरों में उस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मोतिया खान और आराम बाग से झुग्गी-झोपड़ियों का हटाया जाना

3476. श्री भीम दाहाल: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को क्रमश: मोतिया खान और आराम बाग से झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और किन चैनलों से ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त आवेदन किस तिथि को प्राप्त किए गए थे; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) झुग्गी समूहों को स्थानांतरित करने के लिए सरकार को कोई आवेदन भेजने की जरूरत नहीं है। स्लम और झुग्गी झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) भू-स्वामी एजेंसियों से पुनर्स्थापन प्रभार लेने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र झुग्गी वासियों का पुनर्स्थापन करता है। पुनर्स्थापन, भूमि की उपलब्धता इत्यादि से भी जुड़ा है।

डीडीए द्वारा अपनी भूमि पर झुग्गियों के संबंध में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंत्रालय में अपव्यय

3477. श्री अमर राय प्रधान: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत पता लगाए गए अपव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने/रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत मौजूदा अपव्यय को कम करने के लिए कोई व्यय सुधार आयोग गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में किसी भी प्रकार का उल्लिखित अपव्यय नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि

3478. श्री जार्ज ईडन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार वित्तीय वर्ष के अंत में ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत राशि जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अप्रैल, 2001 से दिसम्बर, 2001 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी राशि जारी कर दी गई है; और

(घ) तत्संबंधी माहवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) निधियों की रिलीज के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों को निधियां रिलीज करता है। किसी वर्ष के दौरान जब भी दूसरी किस्त बिना किसी शर्त के जारी की जाती है तो अगले वर्ष के दौरान पहली किस्त राज्य सरकार से बिना किसी प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में तदर्थ आधार पर जारी की जाती है। जहां ऐसी दूसरी किस्त कुछ विशिष्ट शर्तों पर जारी का जाती है तो शर्तों को पूरा करने के बाद राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अगले वर्ष के लिए पहली किस्त जारी की जाती है। जहां विगत वर्ष के दौरान दूसरी किस्त रिलीज नहीं की जाती है, गत वर्ष की दूसरी किस्त की रिलीज के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् राज्य सरकार से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर अगले वर्ष की पहली किस्त रिलीज की जाती है। राज्यों द्वारा उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग होने और निर्धारित दस्तावेज के प्राप्त होने पर उन्हें दूसरी किस्त रिलीज की जाती है।

(ग) और (घ) अप्रैल से दिसम्बर 2001 के दौरान 6347.20 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई। उपर्युक्त अवधि के दौरान महीनेवार निधियों की रिलीज निम्न प्रकार की गई है:

क्रम सं.	माह	रिलीज की गई निधियां (रु. करोड़ में)
1.	अप्रैल	शून्य
2.	मई	2457.56
3.	जून	612.00
4.	जुलाई	314.89
5.	अगस्त	352.95
6.	सितम्बर	301.51
7.	अक्तूबर	322.87
8.	नवम्बर	770.62
9.	दिसम्बर	1214.80
	कुल	6347.20

किसानों के लिए उर्वरक राज सहायता

3479. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि उर्वरक राज-सहायता का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में पुन: ऐसा होने से बचने के लिए की गई जांच के आधार पर कुछ कार्रवाई करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (छ) वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार यूरिया पर सब्सिडी तथा विनियंत्रित पोटाशिक और फास्फेटिक उर्वरकों पर रियायत देती है। सरकार एकमात्र नियंत्रित उर्वरक "यूरिया" के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है और विनियंत्रित "पी" तथा "के" उर्वरकों के मामले अधिकतम खुदरा मूल्य निर्दिष्ट करती है। सिंगल सुपर फास्फेट के अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किये जाते हैं। पूरे देश में कृषकों को उर्वरकों की बिक्री एक समान अधिकतम खुदरा मूल्यों तथा निर्दिष्ट अधिकतम खुदरा मूल्यों, जैसा भी मामला हो, पर की जाती है और ये मूल्य उर्वरकों की उत्पादन लागत से काफी कम होते हैं। सब्सिडी/रियायत उर्वरक उत्पादकों को दी जाती है बाद में जिसका लाभ कृषकों को मिलता है। इस प्रकार एक समान तथा सब्सिडाइज्ड अधिकतम खुदरा मूल्यों के रूप में लाभ कृषकों को दिया जाता है।

सरकार को कुछ उर्वरक उत्पादक कम्पनियों द्वारा अपनी इकाईयों की क्षमता को कम बताकर अधिक सब्सिडी प्राप्त करने के मामले की जानकारी है। सरकार ने की जाने वाली वसूलियों सहित क्षमता के आकलन के संपूर्ण मसले का निवारण करने के लिये डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने दिनांक 29.3.2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अलघ समिति की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय लम्बित

रहने तक दिनांक 1.4.2000 से उच्च क्षमता वाली यूरिया इकाईयों की क्षमता का अन्तरिम पुनर्आकलन कर लिया गया है जिससे लगभग 450 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत हुई है।

इसके अलावा, खपत मानकों में संशोधन न किये जाने के कारण अधिक सब्सिडी लेने की भी सूचना मिली है। वर्ष 1992 में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुये, 30.6.1997 तक बढ़ा दी गई छठी मूल्य निर्धारण अवधि में खपत मानक संशोधित नहीं किये गये थे। तथापि, सातवीं और आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिये नीति मानदण्डों तथा खपत मानकों पर सरकार का निर्णय लम्बित रहने तक सरकार ने 1999-2000 में प्राप्त वास्तविक स्तरों या मौजूदा स्तर, जो भी कम हो, के आधार पर दिनांक 1.4.2000 से खपत मानकों में अन्तरिम संशोधन किया है।

शहरी विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3480. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी विकास के लिए अपनी सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पुणे के यशादा नामक स्थान में प्रशिक्षण और प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के संबंध में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु वर्ष 1998 में महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी, हां। राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए यह मंत्रालय हैदराबाद, लखनऊ तथा मुम्बई स्थित शहरी तथा पर्यावरणीय अध्ययन क्षेत्रीय केन्द्रों, शहरी अध्ययन केन्द्र भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली और मानव बसाव संस्थान-हडको, नई दिल्ली को अनुदान सहायता मुहैया कर रहा है। ये संस्थान शहरी प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रबंधन पहलुओं पर अल्पावधि ओरिएंटेशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

जी, हां। यशादा, पुणे में प्रशिक्षण तथा प्रबंध केन्द्र की स्थापना के बारे में महाराष्ट्र सरकार से 1998 में इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। शहरी मामलों पर नोडल संस्थान के रूप में एक शहरी अकादमी की स्थापना करने के विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है।

दिल्ली की हरियाली पर मेट्रो रेल परियोजना का प्रभाव

3481. श्री जे.एस. बराड़: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन में उखाड़े गए पेड़ों की संख्या और क्षतिग्रस्त हरित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परिस्थितिकी संतुलन के लिए दिल्ली में काटे गए पेड़ों और क्षतिग्रस्त हरियाली की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) किये गये अनुमान के अनुसार 7300 वृक्षों से आच्छादित हरित क्षेत्र दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना से प्रभावित है। इन 7300 वृक्षों में से 2350 वृक्ष अन्यत्र रोपित किये जाने हैं और शेष 4950 वृक्ष काटे जाने हैं।

(ग) और (घ) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष के लिए 10 पेड़ लगाना अपेक्षित है। काटे गये 3060 वृक्षों के लिए अब तक 25000 पेड़ पहले ही लगा दिये गये है और शेष पेड़ों को लगाने का कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

केरल को डी.एफ.आई.डी. सहायता

3482. श्री ए.सी. जोस: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को राज्य के लिए डी.एफ.आई.डी. सहायता की अनुदान के रूप में घोषणा करने के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या उसकी स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डी.एफ.आई.डी.-यू.के. से सहायता प्राप्त स्लम सुधार परियोजनाओं के तहत वित्त मंत्रालय डी.एफ.आई.डी. से धन प्राप्त करता है तथा उसे संबंधित राज्य सरकारों को जारी करता है। इस मंत्रालय ने डी.एफ.आई.डी. की निधियों को शत प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को जारी करने का मुद्दा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया था, जिसने बताया कि अनुदान को "अनुदान" के रूप में पास किये जाने का प्रावधान केवल मार्च, 1999 के बाद अनुमोदित नयी गरीबी उपशमन परियोजनाओं के लिए लागू है, न कि चालू परियोजनाओं के लिए। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि कोचीन शहरी गरीबी न्यूनीकरण परियोजना 1.5.1997 को अनुमोदित की गयी थी, यह एक चालू परियोजना है, अत: इसे डी.एफ.आई.डी. निधि 70 प्रतिशत ऋण एवं केबल 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलती रहेगी।

ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धनराशि का आबंटन

3483. श्री एम.के. सुब्बा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर रोजगार आश्वासन योजना के लिए असम और अन्य उत्तरी राज्यों के मामले में जारी की गई औसत धनराशि पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों के लिए जारी की गई धनराशि का योजना-वार प्रतिशत क्या है; और

(ग) ऐसी योजनाओं पर धनराशि के अन्य उपयोग के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, सुनिश्चित रोजगार योजना और अन्य आबंटन आधारित ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रु. में)

योजना	वर्ष 1999-2000			वर्ष 2000-2001			वर्ष 2001-2002		
	आबंटन	रिलीज	%रिलीज	आबंटन	रिलीज	%रिलीज	आबंटन	रिलीज	%रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ई.ए.एस.	81.69	76.52	93.67	130.00	69.73	53.64	160.00	183.34	114.59
एस.जी.एस.वाई.	49.38	47.16	95.50	100.00	24.94	24.94	70.00	56.27	80.39
डी.आर.डी.ए.	*	–	–	22.00	17.97	81.68	22.00	21.32	96.91
जे.जी.एस.वाई.	73.99	50.84	68.71	165.00	39.88	24.17	165.00	187.56	113.67
एन.एस.ए.पी.	27.86	20.46	73.44	71.50	57.05	79.79	53.50	55.96	88.13
आई.ए.वाई.	206.30	181.40	87.93	174.00	127.84	73.47	175.70	130.03	74.01
अन्नपूर्णा	*	–	–	10.00	9.90	99.00	10.00	2.95	29.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रशिक्षण	1.65	2.84	172.12	1.70	3.35	197.06	1.80	1.80	100.00
आई.ई.सी.	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.5	50.00
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	143.16	118.69	82.91	196.00	134.18	68.46	201.00	169.69	84.42
सी.आर.एस.पी.	10.96	2.10	19.16	14.00	5.06	36.14	15.00	10.10	67.33
कुल	595.99	501.01	84.06	885.20	490.90	55.46	885.00	819.52	92.60

*योजना 1999-2000 के दौरान चालू नहीं थी।

ई.ए.एस. - सुनिश्चित रोजगार योजना

एस.जी.एस.वाई. - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

डी.आर.डी.ए. - डी आर डी ए प्रशासन

जे.जी.एस.वाई. - जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

एन.एस.ए.पी. - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

आई.ए.वाई. - इंदिरा आवास योजना

आई.ई.सी. - सूचना, शिक्षा और संचार

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. - त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

सी.आर.एस.पी. - केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

खेल के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाना

3484. श्री सुबोध मोहिते: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक घरानों के सहयोग से विशेष खेलों और खिलाड़ियों के प्रायोजन के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर औद्योगिक/निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) सरकार तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सक्रिय सहभागिता से खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करने में, निगमित क्षेत्र का समर्थन और सहयोग आमंत्रित करने के विचार से हाल ही में 7 दिसम्बर, 2001 को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि सरकार तथा उद्योग के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्र के संबंध में एक कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए। कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आवासीय योजनाओं के लिए मूल निवासी का दर्जा

3485. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि नागरिकता का मतलब यह नहीं है कि आवासीय योजनाओं में आवेदन करने के लिए नागरिक सभी राज्यों में मूल निवासी के दर्जे का दावा कर सकता है जो कि किसी विशेष राज्य दिल्ली, सिर्फ दिल्ली के मूल निवासियों के लिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त शब्द "अधिवास" (डोमिसाइल) के बारे में कानूनी स्थिति को चंडीगढ़ आवास बोर्ड व अन्य बनाम गुरमीत सिंह, 2002(1) एस.सी.ए.एल.ई. 78 में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले द्वारा बदला नहीं गया है। उच्चतम न्यायालय ने डा. प्रदीप जैन एवं अन्य बनाम भारत संघ 1984(3) एस.सी.सी.

654 में अपने पूर्वअभिमत को दोहराया है। उच्चतम न्यायालय का फैसला, किसी राज्य में आवास के लिए व्यक्ति की अधिवास स्थिति के बारे में एक स्पष्टीकरण मात्र है। राज्य आवास बोर्डों द्वारा लगाया गया अधिवास का प्रतिबंध आवेदकों द्वारा मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मकान का आबंटन जरूरतमंद तथा मूल निवासी व्यक्तियों को ही प्राप्त हो।

(ग) डीडीए फ्लैटों के आबंटन के लिए पात्रता मानदंड यह है कि आवेदक भारत का नागरिक हो और वह वयस्क (बालिग) हो। इसके अलावा, आवेदक के पास दिल्ली, नई दिल्ली तथा दिल्ली छावनी बोर्ड में उसके अपने नाम से या उसकी पत्नी/उसके पति या अवयस्क/आश्रित बच्चों के नाम कोई पूरा या आंशिक रिहायशी मकान या भूखंड लीजहोल्ड या फ्रीहोल्ड आधार पर नहीं हो।

पेयजल और स्वच्छता

3486. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने हेतु वर्ष 1996-97 के दौरान उनके मंत्रालय को 2000 करोड़ रुपए दिये गये थे;

(ख) क्या पहले 11 महीनों में केवल तीन प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनमें से एक कारण यह है कि देश के सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है और स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। यह कहना उचित नहीं है कि पेयजल और स्वच्छता के लिए 1996-97 में 2000 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे और पहले 11 माह के दौरान बजट आबंटन के केवल 3 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। 1996-97 में ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता दोनों के लिए 1170 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे तथा पहले 11 माह के दौरान 1035.63 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई थी। मार्च, 1997 के दौरान 117.90 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार समस्त वर्ष 1996-97 के दौरान 1031.25 करोड़ रु. का खर्च हुआ था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिलशाद गार्डन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय का निर्माण

3487. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिलशाद गार्डन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय (संख्या 87) के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है जिसके लिए फरवरी, 1998 के दौरान ही प्लाट का अधिग्रहण कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी, नहीं। यह कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुमान स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि मूल नक्शा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सी.जी.एच.एस.) द्वारा संशोधित कर दिया गया है। संशोधित नक्शे के अनुसार संशोधित अनुमान तैयार किया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमान की स्वीकृति और स्थानीय निकाय से भवन नक्शे के अनुमोदन के पश्चात् कार्य शुरू किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश में वेलुगु कार्यक्रम

3488. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन सरकार की सहायता से 90.79 करोड़ रुपये वाले वेलुगु कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 16 नगर पालिका शहरों में कार्य शुरू करने को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने छः नगरपालिकाओं जिन्हें डी.एफ.आई.डी. कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, में विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए इटली की सरकार से 42 करोड़ रुपये की सहायता मांगने हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आन्ध्र प्रदेश में 32 श्रेणी-1 कस्बों में गरीबों के लिए आन्ध्र प्रदेश शहरी सेवा (ए.पी.यू.एस.पी.) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ब्रिटिश सरकार डी.एफ.आई.डी. 745.00 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया करा रही है। इसमें से 16 परियोजना कस्बों द्वारा तैयार गरीबी न्यूनीकरण कार्य योजनाओं को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 90.80 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है ताकि विकास कार्य/नगर पालिका सुधार पहल प्रयास/सुधार किये जा सकें।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने छः चुने हुए कस्बों में गरीबी उपशमन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इटेलियन अनुदान सहायता के अंतर्गत 8 मिलियन अमरीकी डालर के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस मंत्रालय ने प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में सिफारिश करके आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया है।

विवरण

32 कस्बों में से 16 के संबंध में ए.पी.यू.एस.पी. परियोजना के सी-1 तथा सी-2 के तहत कार्यों की संख्या तथा निदर्शी राशि का विवरण

क्र.सं.	कस्बा	बेसिक एमएपीपी के लिए नियतन (करोड़ रु. में)	घटकवार नियतन (लाख रु. में)				
			सी-1 के तहत कार्यों की संख्या	निदर्शी राशि	सी-2 के तहत कार्यों की सं.	निदर्शी राशि	कुल राशि
1.	राजामुन्दरी	5.00	12	52.00	21	585.32	637.32
2.	चित्तूर	3.09	12	47.10	25	373.11	420.21
3.	कुतुबुल्लापुर	3.00	8	68.50	18	397.00	[illegible]
4.	वारांगल	6.00	10	226.65	19	599.25	825.90
5.	तिरूपति	4.40	12	155.50	13	440.00	595.50
6.	रामुगुंडम	4.24	13	153.50	17	424.00	577.50
7.	गूंटूर	6.00	20	282.68	14	600.00	882.68
8.	कुकातपल्ली	4.40	11	139.50	19	440.00	579.50
9.	मलकानगिरि	3.30	11	147.25	19	330.00	477.25
10.	एल बी नगर	4.40	8	159.40	16	418.45	577.85
11.	नान्दियाल	3.09	15	176.00	19	309.00	485.00
12.	गुन्टुकल	3.09	12	120.00	15	309.00	429.00
13.	हिन्दूपुर	3.30	13	122.00	19	329.95	451.95
14.	इल्लूरू	4.12	13	181.60	20	411.97	593.57
15.	विजयनगरम	4.24	14	184.00	26	424.00	608.00
16.	तेनाली	3.18	12	155.71	15	318.00	473.71
			196	2371.39	295	6709.05	9080.44

विश्वविद्यालयों में पौरोहित्य पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

3489. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार भारतीय विश्वविद्यालयों में पौरोहित्य (वैदिक अनुष्ठान) पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य धर्मों में भी ऐसे विभाग खोलने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ विश्वविद्यालयों ने भी ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अनुमति मांगने के संबंध में आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों में पौरोहित्य पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया है। इसके अलावा इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य धर्मों में विभाग खोलने पर विचार नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की गणना

3490. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति ने सरकार द्वारा ''गरीबी से नीचे रहने वाली जनसंख्या की गणना'' के संबंध में कड़ी आपत्ति जताई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[अनुवाद]

महिलाओं को हिरासत में दिए जाने वाले न्याय संबंधी राष्ट्रीय नीति

3491. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिला कैदियों के बारे में दी गई रिपोर्ट में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार महिलाओं को हिरासत में दिए जाने वाले न्याय के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, सरकार की नीति है कि हिरासत में महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित की जाए। दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को पृथक जेलों/पुरुष कैदियों की दृष्टि से दूर पृथक अहातों में रखा जाए, महिला कैदियों की पहरेदारी भी महिला कर्मियों द्वारा की जाए, महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों के समुचित व स्वस्थ विकास हेतु आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जाए, इत्यादि। इनमें से कुछ प्रावधानों को जेल नियमावलियों में भी समाविष्ट किया गया है। गृह मंत्रालय उपरोक्त नीति के अनुरूप समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता वाली महिला कैदियों संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाओं का सार विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली महिला कैदियों संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1987 में राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी। उनसे इन अनुशंसाओं की जांच करने व इन पर कार्रवाई हेतु विचार करने का अनुरोध किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यान्वयन संबंधी स्थिति रिपोर्ट मांगता रहा है।

विवरण

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली महिला कैदियों संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में निहित प्रमुख अनुशंसाओं का सार

1. नीति निर्माण एवं प्रबोधन:

(क) महिलाओं को हिरासत में न्याय संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाई व अपनाई जाए। विशेषज्ञ समिति द्वारा नीति का एक प्रारूप भी सुझाया गया।

(ख) इस राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसके प्रबोधन के उद्देश्य से हिरासत में महिलाओं को न्याय संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण गठित किया जाए।

(ग) हिरासत में महिलाओं को न्याय संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण के एक सदस्य को भारतीय महिला अभिरक्षा संस्थान का ओम्बड्स्मेन नियुक्त किया जाए।

2. न्यायिक:

(क) राज्यों के स्तर पर भी हिरासत में महिलाओं को न्याय प्राधिकरण और ओम्बड्स्मेन संस्थाएं गठित की जाएं।

(1) महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए राज्यों की पृथक-पृथक वरीयताओं के आधार पर या तो परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के अंतर्गत गठित परिवार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में विस्तार किया जाए अथवा महिला न्यायालय स्थापित किए जाएं। किंतु, राज्यों के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे महिलाओं हेतु एक पृथक एवं विशिष्ट न्याय व्यवस्था का निर्माण करें।

(ख) हिरासत में महिलाओं को त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु चल न्यायिक शिविरों जैसी नारी बन्दीगृह अदालतें।

3. विधायी:

(क) देश भर में एकसमान व्यापक कारावास व कैदी अधिनियम लाने के लिए दो अथवा दो से अधिक राज्यों की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 का प्रयोग किया जाए।

(ख) सभी अभिरक्षा संस्थानों के संचालन हेतु एक व्यापक संहिता बनाई जाए।

(ग) विधि आयोग द्वारा हिरासत में महिलाओं की स्थिति व उनकी आपराधिकता पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कानूनों की प्रासंगिकता व क्षमता की समीक्षा की जाए।

(घ) अभिरक्षा में महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, कारावास अधिनियम, 1894 तथा पुलिस अधिनियम, 1861 में समुचित संशोधन किए जाएं।

(ङ) मानसिक रूप से विक्षिप्त गैर-अपराधी व अपराधी महिलाओं की अभिरक्षा तथा उपचार संबंधी समिति की विशिष्ट अनुशंसाएं नए मानसिक स्वास्थ्य विधेयक में प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

4. प्रशासनिक:

क. कारावास-

(क) कारावास सेवा का एक संवर्ग गठित किया जाए।

(ख) कारावास संवर्ग में महिलाओं का अधिक व आरक्षित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(ग) महिला कारावासों से सम्बन्धित कार्य की देखरेख के लिए राज्य मुख्यालय में अधिमानत: कारावास सेवा की महिला उप-महानिरीक्षक होनी चाहिए।

(घ) महिला कारावासों की महिला अधीक्षकों को पूर्णत: स्वायत्त बनाया जाए।

(ङ) स्थाई वार्डन एवं मैट्रन होनी चाहिए।

(च) प्रत्येक कारावास में कैदियों की परिषद् गठित की जाए।

(छ) प्रत्येक कारावास में सामाजिक-कानूनी परामर्श प्रकोष्ठ गठित किए जाने चाहिए।

(ज) प्रत्येक जिले में रिहा कैदी सहायता समितियां चलाई जाएं।

(झ) कारावास नियमावली के अधिमानत: पृथक खण्ड में महिलाओं व उनके बच्चों के लिए कारावास सुविधाएं स्पष्टत: अभिनिर्धारित की जानी चाहिए।

ख. पुलिस-

(क) महिला पुलिस का एक संवर्ग गठित किया जाए।

(ख) प्रत्येक पुलिस थाने में महिला कैदियों के लिए पृथक हवालात होनी चाहिए।

(ग) एक आदर्श पुलिस नियमावली संकलित की जाए, जिसमें पुलिस हिरासत में महिलाओं पर लागू प्रक्रियाओं तथा न्यूनतम स्थान व अन्य सुविधाओं का मानक दर्शाया जाना चाहिए।

(घ) महिला सहायता पुलिस एकक बनाया जाए।

ग. समाज कल्याण व मानसिक स्वास्थ्य अभिरक्षा संस्थाएं-

(क) इन संस्थाओं के प्रबन्धन के मार्गदर्शन हेतु एक नियमावली संकलित की जाए।

(ख) ज्यादा लचीलापन प्रदान किया जाए तथा कड़े निरीक्षण व प्रबोधन तंत्र बनाए जाएं।

(ग) एक राष्ट्रीय मूल्यांकन तंत्र बनाने का प्रयास किया जाए ताकि समाज कल्याण अभिरक्षा संस्थाओं की कार्य-प्रणाली को सरल बनाया जा सके।

(घ) इन संस्थाओं में न्यायाकि शिविरों का आयोजन किया जाए।

(ङ) इन संस्थाओं में सामाजिक-कानूनी परामर्श प्रकोष्ठ चलाए जाएं।

(च) इन संस्थाओं में संवासी परिषदें गठित की जाएं।

(छ) आवश्यक पुलिस अधिकार प्राप्त मार्गरक्षी बल का विकास किया जाए, ताकि इन संस्थाओं को मार्गरक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

5. भागीदारी तंत्र:

(क) मान्यताप्राप्त व्यक्तियों व दलों की इन संस्थाओं तक पूरी पहुंच होनी चाहिए व उन्हें संस्थाओं के अभिलेखों के निरीक्षण एवं संवासियों से एकांत साक्षात्कार के अधिकार भी होने चाहिएं।

(ख) प्रत्येक अभिरक्षा केन्द्र अथवा केन्द्रों से विधि-विद्यालयों तथा सामाजिक-कार्य विद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए चलाए जाने वाले सामाजिक-कानूनी परामर्श प्रकोष्ठ जुड़े होना चाहिए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला कोष और महिला एवं बाल कार्यक्रमों के लिए आवंटन

3492. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय महिला कोष से विशेषकर महाराष्ट्र में विभिन्न महिला और बाल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार और संगठनवार कितनी राशि आवंटित/प्रदान की गई और कितने महिला संगठनों को सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार अलग-अलग कितनी महिला/बच्चे लाभान्वित हुए;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार के पास व्यय न की गई राशि पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं एवं ऐसी राज्य सरकारों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) केन्द्र सरकार इन कार्यक्रमों की निगरानी किस तरह से कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ताओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु

3493. श्री आदि शंकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ताओं/रीडरों/प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु बासठ वर्ष से बढ़ाकर पैंसठ वर्ष कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शिक्षण स्टाफ की उक्त श्रेणियों में से कितनों ने वर्ष 2001 में 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति प्राप्त की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि विश्वविद्यालय में लैकचरारों/रीडरों/प्रोफेसरों की सेवा-निवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं पर फिल्म

3494. श्री चुन्नी लाल भाई ठाकुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन.एफ.डी.सी. से स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह के लिए महिलाओं पर फिल्म बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी और इस पर कितनी लागत आएगी और इसे कब दिखाया जाएगा;

(ग) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिवोमा फिल्म आदि से महिला को अधिकार देने पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म बनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह में प्रदर्शन हेतु महिलाओं पर एक वृत्तचित्र 9 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। आधे घण्टे की अवधि की इस फिल्म को वर्ष 1999 के स्त्री शक्ति पुरस्कार वितरण समारोह में नई दिल्ली में दिनांक 4.1.2001 को प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म में उक्त पुरस्कार प्राप्त करने वाले पाँच व्यक्तियों और अपने-अपने क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों का चित्रण किया गया है।

(ग) और (घ) मैसर्ज शिवोमा ने विभाग से अनुरोध किया था कि वह **पंचमराग** नामक एक फीचर फिल्म बनाने के लिए उनके आलेख की राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड से सिफारिश करे। निजी निर्माताओं के प्रस्तावों की राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को सिफारिश करने की विभाग की नीति नहीं है।

[हिन्दी]

शहरों/कस्बों का विकास

3495. श्री शिवाजी माने:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान शहरों और कस्बों के विकास हेतु महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर समेत विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या विश्व बैंक इसके लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान, छोटे और मझोले कस्बों का समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) स्कीम के तहत अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान, आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से 223 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 182 कस्बों को कुल 7570.90 रु. की केन्द्रीय सहायता राशि जारी की गई थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। वर्ष 2001-2002 में शेष 41 कस्बों को केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार नहीं किया गया चूंकि संबंधित राज्य पहले ही अपना पूरा वार्षिक आबंटन प्राप्त कर चुके थे। ऐसे कस्बों के नाम संलग्न विवरण-II में दिये हैं।

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया है। महाराष्ट्र और जम्मू एवं कश्मीर सरकारों ने 2001-2002 के दौरान राज्य स्तरीय चयन समितियों के यथोचित अनुमोदन के साथ तकनीकी अनुमोदन हेतु पात्र कस्बों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की। अत: ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत इन राज्यों के लिए कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की जा सकती है, जो स्कीमें अभी अनुमोदित की जानी हैं उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया है।

सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत सफाई (एल.सी.एस.) स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत की गई स्कीमों और जारी किए गए इमदाद का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया है।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक आई.डी.एस.एम.टी., ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. और एल.सी.एस. स्कीमों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान कर रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 (मार्च, 2002 तक) के दौरान आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

राज्य	क्रम सं.	कस्बा	(लाख रु.) जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1.	तुनी	30.00
	2.	बोबिली	22.94
	3.	नंदयाल	63.00
	4.	सूर्यापेट	75.00
	5.	बापटला	58.00
	6.	कोवयूर	45.00
	7.	नोनीकिडू	45.00
	8.	गिरावेला	41.90
	9.	पडाना	14.20
	10.	अनन्तपुर	57.50
	11.	सदाशिवपेट	37.50
	12.	अंक्तापाले	48.00
	13.	कादिरी	70.00
		उप योग	608.04
अरुणाचल प्रदेश	14.	रोइंग	16.00
		उप योग	16.00
असम	15.	गोलपाड़ा	55.00
	16.	रंगिया	29.30
	17.	डिबरूगढ़	105.00
	18.	हौजाई	45.00
	19.	विश्वनाथ चरयाली	24.00
		उप योग	258.30
बिहार	20.	फारबिसगंज	69.99
	21.	नारकटियागंज	41.00

1	2	3	4
	22.	औरंगाबाद	45.00
	23.	भगवा	44.50
		उप योग	200.49
छत्तीसगढ़	24.	बिकुटपुर	22.20
	25.	कटपोरा	16.00
	26.	धनतारी	50.00
	27.	कोरबा	70.00
		उप योग	158.20
गुजरात	28.	बारदौली	30.00
	29.	डकोर	32.00
	30.	कोडीनार	33.00
	31.	बकानेर	45.00
	32.	लिम्बडी	45.00
	33.	धांधुका	45.00
	34.	खेड	45.00
	35.	परन्टीज	45.00
	36.	खादी	30.00
	37.	बगलसारा	40.00
	38.	खम्बालिया	40.00
		उप योग	430.00
हरियाणा	39.	पेहोवा	10.40
	40.	सिरसा	70.00
	41.	हांसी	50.00
	42.	कुरुक्षेत्र	75.00
		उप योग	205.40
हिमाचल प्रदेश	43.	रामपुर	16.00
	44.	धर्मशाला	32.50
	45.	नालागढ़	32.00

1	2	3	4
	46.	ज्वालामुखी	16.00
	47.	पौंटा साहिब	8.00
		उप योग	104.50
जम्मू एवं कश्मीर	48.	जम्मू	145.00
	49.	अनन्तनाग	175.00
		उप योग	220.00
कर्नाटक	50.	गजेन्द्र गढ़	60.00
	51.	काडुर	31.13
	52.	होलेननर्सीपुर-1	29.50
	53.	चिनचौली	32.00
	54.	मुद्देबिहाल	11.86
	55.	हारापानाहल्ली	60.00
	56.	चेन्नागिरी	32.00
	57.	रॉन	32.00
	58.	हसन	120.00
	59.	चामराजनगर	30.00
	60.	मंडारागी	1230.00
	61.	केरूर	2290.00
	62.	हानागल	45.00
	63.	इन्दी	45.00
	64.	तुमकुर	50.00
		उप योग	613.69
केरल	65.	नेदुमंगद	60.00
	66.	पथनमथीटा	24.50
	67.	मूवत्तुपूझा	24.00
	68.	कुंडगलूर	15.00
	69.	इर्नजलकुडा	45.00

1	2	3	4
	70.	पाला	40.00
	71.	पोनन्नी	50.00
		उप योग	258.50
मध्य प्रदेश	72.	बियोरा	30.00
	73.	बेरसिया	16.00
	74.	उमारिया	60.00
	75.	बरवानी	45.00
	76.	जावद	24.00
	77.	राजपुर	24.00
	78.	छुरई	24.00
	79.	गढ़कोट्टा	45.00
	80.	सिधी	40.00
	81.	रायसेन	45.00
	82.	चुरहट	24.00
	83.	लाहर	24.00
	84.	हट्टा	45.00
		उप योग	446.00
महाराष्ट्र	85.	अमरावती	90.00
	86.	नवापुर	30.00
	87.	गंगाखेड़	50.60
	88.	सिल्लोद	60.00
	89.	रोहा	32.00
	90.	कोल्हापुर	180.00
	91.	जिन्तुर	60.00
	92.	देसाईगंज	16.00
	93.	अंकोला	135.00
		उप योग	653.60

1	2	3	4
मणिपुर	94.	मौयरंग	24.00
	95.	कुम्बी	24.00
		उप योग	48.00
मिजोरम	96.	चम्फाई	60.00
	97.	हथियाल	32.00
	98.	सयहा	32.00
	99.	लिंगपुई	24.00
		उप योग	148.00
उड़ीसा	100.	नीलगिरी	32.00
	101.	अठ्ठामलिक	16.00
	102.	करनजिया	16.00
	103.	केसिंगा	24.00
	104.	बालूगांव	24.00
	105.	राजगंगपुर	45.00
	106.	छिकिति	24.00
	107.	तलचेर	40.00
	108.	गुनुपुर	24.00
	109.	रायरंगपुर	24.00
		उप योग	269.00
पंजाब	110.	फतेहगढ़ साहिब	34.00
	111.	मुक्तसर	100.00
	112.	गढ़शंकर	16.00
		उप योग	150.00
राजस्थान	113.	नौखा	30.00
	114.	शाहपुरा	33.00
	115.	जैसलमेर	32.50
	116.	उदयपुर	5.00

1	2	3	4
	117.	बिकानेर	141.00
	118.	देशनोक	32.00
	119.	नथद्वार	45.00
	120.	भिंडर	24.00
	121.	सूरतगढ़	25.00
		उप योग	387.50
सिक्किम	122.	सिंगटम	36.00
	123.	रंगलीबार	24.00
		उप योग	60.00
तमिलनाडु	124.	सूरमपट्टी	26.04
	125.	उड्डनवतरम	9.92
	126.	पेरयाकुलम	30.00
	127.	थंजावुर	105.00
	128.	राजापलायम	105.00
	129.	पल्लथूर	21.00
	130.	शिवाकाशी	64.00
	131.	उल्लनदरपेट	24.00
	132.	गुडलूर	45.00
	133.	थोंडी	24.00
	134.	आर.एस. मंगलम	24.00
	135.	चिन्नासलाम	24.00
	136.	कल्लकडू	35.97
		उप योग	537.93
त्रिपुरा	137.	कुमारघाट	30.00
	138.	सोनमुरा	16.00
	139.	कमलपुर	16.00
	140.	तेलियामुरा	51.00
		उप योग	113.00

1	2	3	4
उत्तरांचल	141.	देहरादून	105.00
	142.	हल्द्वानी-काठगोदाम	95.00
	143.	पिथौरागढ़	40.00
		उप योग	240.00
उत्तर प्रदेश	144.	दादरी	33.74
	145.	माघर	15.74
	146.	फफूंद	32.00
	147.	पलियाकलां	37.40
	148.	मलिहाबाद	25.53
	149.	सहारनपुर	82.96
	150.	फैजाबाद	41.58
	151.	अयोध्या	60.00
	152.	हरैया	12.00
	153.	अमेठी	24.00
	154.	खतौली	41.20
	155.	सरदना	36.90
	156.	खौखरा	29.10
	157.	बाबरपुर-अजीतमल	24.00
	158.	आल-धकवा	24.00
	159.	गौहांड	19.00
	160.	मिलाक	24.00
	161.	हांडिया	24.00
	162.	झिनझाना	22.30
	163.	झांसी	135.00
	164.	मथुरा	93.70
	165.	बंसगांव	24.00
	166.	बनात	24.00

1	2	3	4
	167.	दोस्तपुर	19.00
	168.	निवाड़ी	19.00
	169.	तिलहर	20.00
	170.	देवबंद	66.10
		उप योग	1010.25
पश्चिम बंगाल	171.	सैंथिया	42.00
	172.	दिनहाटा	16.50
	173.	बदुरिया	14.00
	174.	धुरिया	35.00
	175.	दुबराजपुर	58.50
	176.	टाकी	67.00
	177.	तहेरपुर	13.50
	178.	बेलडंगा	15.00
	179.	जमुरिया	79.00
	180.	जियागंज-अजीमगंज	32.00
	181.	कूपर्सकैम्प	22.00
	182.	नलहाटी	40.00
		उप योग	434.50
		कुल योग	7570.90

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव और राज्य स्तर की अनुमोदन समिति जिनको आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाना है

क्र.सं.	राज्य/कस्बे
1	2
	आन्ध्र प्रदेश
1.	मछेरियल
2.	नरसापुर
	छत्तीसगढ़
3.	दुर्ग
4.	पेंडरा
	गुजरात
5.	मनसा

1	2
6.	बालासिनोर
	हिमाचल प्रदेश
7.	बिलासपुर
8.	सुंदरनगर
9.	कोट्टई
	कर्नाटक
10.	कोनूर
11.	खानापुर
12.	यादगिरी
13.	अराकालगुड
	महाराष्ट्र
14.	खेड
15.	राजापुर
16.	जवाहर
17.	लातूर
18.	तुमसर
19.	वानी
20.	जलगाँव
21.	धुले
22.	सांगली
23.	श्रीरामपुर
24.	श्रीपुर-वारवाडे
25.	गाधिनग्लाज
26.	उदयगिर
27.	नाडेड-वागला
28.	चन्द्रपुर
	मणिपुर
29.	सुगनू
30.	कागचिन-खुनाऊ
31.	क्वाटा
	मिजोरम
32.	ममीत
	राजस्थान
33.	रावतभाटा
34.	टोंक
35.	पोखरण
	तमिलनाडु
36.	त्रिरूपुर
37.	ओराथाननडु
38.	पुडुवायल
	उत्तर प्रदेश
39.	गंगोह
40.	अग्रवाल टाटरी
41.	रानीपुर

विवरण-III

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)
अनुमोदित स्कीमों के ब्यौरे तथा वर्ष 2001-2002 के दौरान जारी केन्द्रीय अंश

स्थिति 31.3.2002
(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2001-2002 के दौरान अनुमोदित स्कीमें		वर्ष 2001-2002 के दौरान जारी केन्द्रीय अंश
		संख्या	अनुमानित लागत	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	1494.40	361.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	0.00

1	2	3	4	5
3.	असम	–	–	0.00
4.	बिहार	4	589.20	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10	1047.27	311.42
6.	गोवा	2	301.22	75.31
7.	गुजरात	6	349.31	464.34
8.	हरियाणा	3	688.73	647.31
9.	हिमाचल प्रदेश	2	995.18	320.78
10.	जम्मू व कश्मीर	–	–	0.00
11.	झारखंड	–	–	0.00
12.	कर्नाटक	4	1091.40	708.09
13.	केरल	–	–	127.67
14.	मध्य प्रदेश	–	–	590.44
15.	महाराष्ट्र	–	–	593.68
16.	मणिपुर	1	141.09	241.26
17.	मेघालय	–	–	96.52
18.	मिजोरम	–	–	120.82
19.	नागालैंड	–	–	0.00
20.	उड़ीसा	–	–	245.73
21.	पंजाब	–	–	0.00
22.	राजस्थान	6	932.82	539.73
23.	सिक्किम	–	–	28.92
24.	तमिलनाडु	2	1280.14	855.58
25.	त्रिपुरा	1	267.25	344.39
26.	उत्तर प्रदेश	36	2974.04	2219.25
27.	उत्तरांचल	–	–	327.03
28.	पश्चिम बंगाल	1	128.84	280.43
	कुल	85	12280.89	9500.00

विवरण-IV

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

31.3.2002 के अनुसार

अब तक अनुमोदित न की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का राज्यवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अब तक अनुमोदित न की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की संख्या	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	548.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	2	1406.04
4.	बिहार	3	461.62
5.	छत्तीसगढ़	–	–
6.	गोवा	2	79.70
7.	गुजरात	11	1483.87
8.	हरियाणा	3	1063.00
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–
11.	झारखंड	–	–
12.	कर्नाटक	4	4192.27
13.	केरल	1	550.80
14.	मध्य प्रदेश	22	3028.37
15.	महाराष्ट्र	–	–
16.	मणिपुर	1	206.23
17.	मेघालय	–	–
18.	मिजोरम	–	–
19.	नागालैंड	–	–
20.	उड़ीसा	2	337.51
21.	पंजाब	3	343.24

1	2	3	4
22.	राजस्थान	9	1758.93
23.	सिक्किम	–	–
24.	तमिलनाडु	3	342.62
25.	त्रिपुरा	1	396.85
26.	उत्तर प्रदेश	22	1549.91
27.	उत्तरांचल	2	1434.91
28.	पश्चिम बंगाल	2	798.96
	कुल	94	19982.83

स्कीमों के अनुमोदित न होने के कारण

1. ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत सीमित नियतन।
2. राज्यों द्वारा सी.पी.एच.ई.ई.ओ. के तकनीकी टिप्पणियों का अनुपालन न किया जाना।
3. उच्च प्राथमिकता वाले स्कीमों को प्रस्तुत न किया जाना।
4. जारी केन्द्रीय अंश का कम उपयोग।

विवरण-V

कम लागत सफाई (एल.सी.एस.) स्कीम

वर्ष 2001-2002 के दौरान स्वीकृत स्कीमों के ब्यौरे और जारी सब्सिडी

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण राशि	स्वीकृत सब्सिडी	जारी सब्सिडी	जारी ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	662.90	331.53	298.32	706.91	1953.73
2.	असम	–	–	–	–	–	–
3.	बिहार	–	–	–	–	–	–
4.	गोवा	1	1298.96	830.00	–	–	590.00
5.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–
6.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–
7.	कर्नाटक	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	केरल	–	–	–	–	–	–
9.	मध्य प्रदेश	16	5387.77	2693.78	2424.42	160.21	–
10.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	16.24	–
11.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
12.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
13.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–
14.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
15.	राजस्थान	–	–	–	–	55.27	–
16.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
17.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–
18.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–
19.	पश्चिम बंगाल	3	395.34	180.39	69.19	–	–
22.	छत्तीसगढ़	2	409.26	204.63	184.19	–	51.15
21.	झारखंड	–	–	–	–	46.04	–
22.	उत्तरांचल	1	1146.43	550.30	495.27	–	–
23.	अंडमान और निकोबार	–	–	–	–	–	–

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना

3496. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना से स्थान-वार कितने छात्र लाभ मिलने के हकदार हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्रति छात्र कितने खर्च की अनुमति है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचनानुसार राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के ग्रामीण तथा स्लम क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है जिसके तहत वर्ष 2001-02 के दौरान शामिल किए गए छात्रों की स्कूलवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन शहरी क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए अपनी निधियों की सहायता से मध्याह्न भोजन योजना भी लागू करता है। वर्ष 2001-02 के दौरान इसमें शामिल किए गए बच्चों के संबंध में स्कूलवार विवरण-II संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम के अनुसार, बच्चों में संवितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी लागत की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को बी.पी.एल. दर से की जाती है। राज्य अभिकरणों को ढुलाई लागतों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

राज्य द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम के तहत वर्ष 2001-02 के दौरान 20,65,209.00 रु. की राशि खर्च की गई।

विवरण I

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2001-2002 के दौरान एन.पी.-एन.एस.पी.ई. (मध्याह्न-भोजन योजना) के अंतर्गत शामिल किए गए विद्यार्थियों की विद्यालय-वार संख्या

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा I से V तक विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	जी पी एस-इंदिरा कालोनी मनीमजरा	612
2.	जी पी एस-किशनगढ़	205
3.	जी पी एस-मौली कम्प्लेक्स	323
4.	जी पी एस-रायपुर कलाँ	163
5.	जी पी एस-रेलवे कालोनी	232
6.	जी पी एस-मखमजरा	79
7.	जी पी एस-झुमरू	84
8.	जी पी एस-कालोनी नं. 5, बुरैल	364
9.	जी पी एस-बुरैल	775
10.	जी पी एस-नेहरू कालोनी केझरी	514
11.	जी पी एस-बढेरी	230
12.	जी पी एस-बटेरला	161
13.	जी पी एस-पालसोरा	538
14.	जी पी एस-पालसोरा कालोनी	804
15.	जी पी एस-हलोया कालोनी	625
16.	जी एम एस-डरिया	345
17.	जी एम एस-रायपुर खुर्द	302
18.	जी एम एस-करसेन	921
19.	जी एम एस-कालोनी नं. 4, इंडस्ट्रीयल एरिया, चण्डीगढ़	563
20.	जी एम एस-कैम्बवाला	231
21.	जी एम एस-मौली कालोनी	1044
22.	जी एच एस-मौली	603
23.	जी एच एस-बेहालान	346
24.	जी एच एस-हल्लोमाजरा	449
25.	जी एच एस-राडुमाजरा	243
26.	जी एच एस-सारंगपुर	141
27.	जी एच एस-खुदा अलीशेर	244
28.	जी एच एस-लाहोरा	362
29.	जी एस एस एस-धनास	567
30.	जी एस एस एस-मालोया	369
31.	जी एस एस एस-38-डब्ल्यू	984
32.	जी एच एस-2 एस	1563
33.	जी एच एस-कझेरी	460
	कुल	15446

विवरण-II

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2001-2002 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा वित्तपोषित योजना के अंतर्गत शामिल किए गए विद्यार्थियों की विद्यालय-वार संख्या

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा I से V तक विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	जी जी-एस एस एस-8	407
2.	जी एस एस एस-15	413
3.	जी एस एस एस-19	160
4.	जी जी एस एस एस-20-बी	198
5.	जी एस एस एस-20-डी	236
6.	जी एस एस एस-27	190
7.	जी एस एस एस-45	579

1	2	3
8.	जी एस एस एस-47	281
9.	जी एस एस एस-एम एम टी	322
10.	जी एच एस-7	224
11.	जी एच एस-11	628
12.	जी एच एस-22	200
13.	जी एच एस-24	666
14.	जी एच एस-26	738
15.	जी एच एस-28	345
16.	जी एच एस-29	378
17.	जी एच एस-30	308
18.	जी एच एस-31	219
19.	जी एच एस-32	450
20.	जी एच एस-35	385
21.	जी एच एस-37-सी	243
22.	जी एच एस-38	409
23.	जी एच एस-40	762
24.	जी एच एस-41	199
25.	जी एच एस-47	288
26.	जी एम एस-26	559
27.	जी एम एस-46	397
28.	जी पी एस-12	155
29.	जी पी एस-18	119
30.	जी पी एस-23	230
31.	जी पी एस-33	290
32.	जी पी एस-एम एम-1	473
33.	जी पी एस-एम एम-2	227
34.	जी पी एस-26	551
35.	जी पी एस-46	644
36.	आई एस देव. समाज-21	154
37.	एसडी. हाई स्कूल-24	219
38.	गुरू नानक स्कूल-30	267
39.	एस.जी.जी.एस.एस.-35	174
40.	वैदिक जी.एच.एस. मनीमाजरा	453
	कुल	14,140

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

3497. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राज्य-सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों की भर्ती पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की भर्ती पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाई है। तथापि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 2001 की रिट याचिका संख्या 488 पर माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 14.12.2001 के आदेश के अनुसार निदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसरण में न्यायालय के अगले आदेशों तक आगे कोई कार्यकारी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित आदेशों के कारण पेश आ रही कठिनाइयों को माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया है और कथित रिट याचिका पर शीघ्र सुनवाई और निपटान के लिए अनुरोध किया है।

सर्व शिक्षा अभियान

3498. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके अंतर्गत राज्य में कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान हेतु राजस्थान के 19 जिलों अर्थात्, अलवर, भीलवाड़ा झालवार, झुनझुनु, कोटा, नागौर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, चुरू, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बुंदी, करौली, सवाईमाधोपुर एवं हनुमानगढ़ के लिए वार्षिक योजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। शेष जिले राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाएंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

3499. श्री रामदास रुपला गावीत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में शुरू किया गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में अच्छे परिणाम प्रदर्शित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मिशन को सफल बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) 1991 की जनगणना तथा 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता दरों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण संलग्न है। यह दर्शाता है कि सभी व्यक्तियों के मामले में साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो आजादी के बाद से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1991 की जनगणना तथा 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दरों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991	2001
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	41.59	54.74
2.	आन्ध्र प्रदेश	44.09	61.11
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	73.02	81.18
4.	असम	52.89	64.28
5.	बिहार	38.48	47.53
6.	चंडीगढ़	77.81	81.76
7.	छत्तीसगढ़	-	65.18
8.	दिल्ली	75.29	81.82
9.	दमन और दीव	71.20	81.09
10.	दादरा और नगर हवेली	40.71	60.03
11.	गुजरात	61.29	69.27
12.	गोवा	75.51	2367.23
13.	हिमाचल प्रदेश	63.86	77.13
14.	हरियाणा	55.85	68.59
15.	झारखंड	-	54.13
16.	जम्मू और कश्मीर*	-	54.46
17.	कर्नाटक	56.04	67.04
18.	केरल	89.81	90.92
19.	लक्षद्वीप	81.78	87.52
20.	मिजोरम	82.27	88.49
21.	महाराष्ट्र	64.87	77.27
22.	मध्य प्रदेश	44.20	64.11
23.	मणिपुर	59.89	68.87

1	2	3	4
24.	मेघालय	49.10	63.31
25.	नागालैंड	61.55	67.11
26.	उड़ीसा	49.09	63.61
27.	पांडिचेरी	74.74	81.49
28.	पंजाब	58.51	69.95
29.	राजस्थान	61.03	38.55
30.	सिक्किम	56.94	69.68
31.	तमिलनाडु	62.66	73.47
32.	त्रिपुरा	60.44	73.66
33.	उत्तर प्रदेश	41.60	57.36
34.	उत्तरांचल	-	72.28
35.	पश्चिम बंगाल	57.70	69.22
	भारत	52.21	65.38

*1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

मंदिरों पर हमले

3500. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू में मंदिर पर हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक राज्यवार धार्मिक स्थलों पर आतंकवादी हमलों की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक हमले में हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन हमलों के लिए कौन-कौन से संगठन उत्तरदायी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जैसा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है, पाक समर्थित आतंकवादी गुट राज्य में और इससे बाहर, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने पर आमादा प्रतीत होते हैं। तथापि, जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हुआ हमला, उन आतंकवादियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है जिन्होंने हमले से पहले क्षेत्र की टोह नहीं ली थी।

(ख) से (घ) लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। अत: केन्द्र सरकार के स्तर पर इस प्रकार के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। 30.3.2002 को रघुनाथ मंदिर, जम्मू पर हुए घातक हमले में तीन पुलिस कार्मिकों सहित 10 व्यक्ति और हमला करने वाले दो आतंकवादी मारे गए और 18 अन्य जख्मी हुए। किसी भी आतंकवादी गुट ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है।

(ङ) केन्द्र सरकार धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सहित शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों में, अनेक प्रकार से सरकारों की मदद करती है, जैसे सूचना का आदान-प्रदान, सतर्कता संदेश भेजना, अनुरोध पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराना और राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देना।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अव्यपगतनीय धनराशि

3501. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश हेतु केन्द्र सरकार की अतिरिक्त दस प्रतिशत अव्यपगतनीय धनराशि में भागीदारी करने और वितरण करने के मापदंड क्या हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में रेल मार्ग और स्वास्थ्य अवसंरचना को प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा स्वयं वास्तविक रूप से कितनी निवल राजस्व सहायता का सृजन किया गया और योजना कार्यक्रम की देखभाल करने के लिए इस क्षेत्र के राज्यों को गैर-योजना के व्यय के अंतर्गत कितनी अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है;

(ङ) क्या प्रधान मंत्री द्वारा घोषित पैकेज का उपयोग कर लिया गया है अथवा यह कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है; और

(च) यदि हां, तो अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) भारत सरकार ने इन राज्यों में विकास परियोजनाओं की सहायतार्थ पूर्वोत्तर (और सिक्किम) हेतु उद्दिष्ट केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों (विशेष रूप से छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर) के बजटों की 10 प्रतिशत अव्ययित धनराशि से एक गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल का गठन किया है। केन्द्रीय पूल से विशिष्ट परियोजना के लिए मदद जारी की जाती है। केन्द्रीय पूल वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान चालू हुआ। अभी तक (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार) पूर्वोत्तर राज्यों (और सिक्किम) में विभिन्न परियोजनाओं हेतु इस पूल से 1346.72 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल उपयुक्त परियोजनाओं, जो पूर्वोत्तर राज्यों (और सिक्किम) में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बी.एम.एस.) और आधारभूत संरचना के बीच अंतर कम करेगी, आरंभ करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। केन्द्रीय पूल के अंतर्गत दोनों, भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना सेक्टरों, जैसे सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, सड़कें और पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता को सहायता देने पर विचार किया जाता है।

(घ) असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की राज्य सरकारों के संबंध में वार्षिक योजना 2001-2002 में इन राज्यों के अपने संसाधनों से योगदान शून्य था।

वार्षिक योजना 2001-2002 परिव्यय और पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम हेतु केन्द्रीय सहायता के आबंटन के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

राज्य	वार्षिक योजना 2001-2002 परिव्यय (करोड़ रु.)	आबंटित केन्द्रीय सहायता (2001-2002) (करोड़ रु.)
अरुणाचल प्रदेश	661.00	617.50
असम	1710.00	1732.29
मणिपुर	520.00	565.86
मेघालय	487.00	422.39
मिजोरम	410.00	436.26
नागालैंड	405.00	471.72
सिक्किम	300.22	283.90
त्रिपुरा	560.00	652.90

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री ने इन राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन में 22 जनवरी, 2000 को पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक कार्यक्रम (एजेंडे) की घोषणा की। इस एजेंडे में 28 मदें शामिल हैं। ये मदें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ब्यौरे वेबसाइट पी एम इंडिया एन.आई.सी.एन. पर देखे जा सकते हैं।

एन.आई.आर.डी. और एस.आई.आर.डी. को सहायता

3502. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ग्रामीण अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए एन.आई.आर.डी. और एस.आई.आर.डी. को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार एन.आई.आर.डी. और एस.आई.आर.डी. की वित्तीय सहायता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) ग्रामीण ढाँचागत सुविधाओं को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) को उनके आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के लिए मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान एन.आई.आर.डी. और एस.आई.आर.डी. की वित्तीय सहायता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे गैर-सरकारी सगंठनों को धनराशि देना

3503. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दबे-कुचले लोगों के उत्थान और विकास के लिए समाज में महिलाओं की भागीदारी के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान महिला संगठनों द्वारा चलाए जा रहे गैर-सरकारी संगठनों को दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार कितने आवेदन अनुमोदनार्थ लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन लंबित आवेदनों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान 1339.81 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गयी है।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) आज की तारीख तक, विभाग में 1550 प्रस्ताव जाँच के विभिन्न चरणों पर लंबित हैं।

(घ) लंबित प्रस्तावों के त्वरित निपटान के लिए परियोजना संस्वीकृति समितियों की नियमित बैठकें की जायेंगी।

जनजातीय विकास निधि का व्यय

3504. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में लोढा समुदाय जैसे पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार और सहायता प्रदान करने हेतु संभावनाओं का पता लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए इन दोनों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(घ) राज्य के इन लोगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजनाओं को कार्यान्वित करने और रोजगार उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं और राज्य सरकार पर इनको प्रशिक्षित करने में कितनी लागत आती है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में लोढा जनजातियों सहित अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने जनजातीय उपयोजना नामक एक युक्ति अपनाई है। इस युक्ति के अंतर्गत केन्द्र/राज्य क्षेत्र के अधीन जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय उपयोजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अपने परिव्ययों के योगज के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। विशेष केन्द्रीय सहायता मुख्यत: परिवारोन्मुखी आयसृजित करने वाली योजनाओं के लिए दी जाती है जो कृषि, बागवानी, रेशम, उद्योग, पशुपालन इत्यादि से संबंधित हैं।

आदिम जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत जिसे 1998-99 में शुरू किया गया था, राज्य सरकारों को तथा गैर-सरकारी संगठनों को निधियां उनके विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं।

पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरणों के जरिए अनुसूचित जनजातियों के लिए स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है।

नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय एकता अभियान

3505. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्रों ने राष्ट्रीय एकता के नाम पर राष्ट्रीय स्तर का कोई अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य दलों के स्वयंसेवकों द्वारा उसका उपयोग करने के कारण नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यकलापों की आलोचना हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) ने राष्ट्रीय जागृति और विकास का एक कार्यक्रम- "हम करेंगे राष्ट्र आराधना (एच.के.आर.ए.)" देश भर में चलाया था। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से संबंधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा आतंकवाद के अभिशाप पर ध्यान केन्द्रित करना था। एच.के.आर.ए. कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नेहरू युवा

केन्द्र संगठन ने छः विशेष अभियान कार्यक्रम जैसे हरियाली अभियान, स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की संरचना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों, ग्राम सभा की अधिकारिता के लिए राष्ट्रीय युवा सहकारी अभियान, योग तथा राष्ट्रीय युवा यात्राओं का आयोजन आदि कार्यक्रम चलाये थे। राष्ट्रीय युवा यात्राओं को कलाड़ी (केरल,) पुरी, द्वारका तथा पोंटा साहिब, सिरमौर (हि.प्र.) में आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मोइरंग (मणिपुर) से एक उप-यात्रा चलाई गई थी जो बाद में रांची में पुरी युवा यात्रा में मिला दी गई थी। इन यात्राओं के माध्यम से 21 राज्यों के कुल 125 जिले कवर किए गए थे। यह यात्रा देश की चारों दिशाओं से आरम्भ हुई थी तथा 12520 किलोमीटर की दूरी तय करके 11.2.2002 को नई दिल्ली में समाप्त हुई थी। इसी के साथ नई दिल्ली में एक समापन समारोह आयोजित किया गया था। समापन समारोह कार्यक्रम के दौरान, नागर विमानन मंत्री और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री द्वारा उन 200 युवा साईकिल चालकों का स्वागत किया था जिन्होंने यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी.आई. को बंद किया जाना

3506. श्री सुनील खांः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी.आई. की उर्वरक इकाईयों को बंद करने हेतु कार्यालय आदेश परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एच.एफ.सी.आई. की दुर्गापुर इकाई के प्रबंधन ने बी.आई.एफ.आर. से ए.आई.एफ.आर. के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी)ः (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने 12.12.2001 को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) को बंद करने के अपने प्रथम-दृष्ट्या विचार की पुष्टि की है। एच.एफ.सी. एवं उर्वरक विभाग ने बी.आई.एफ.आर. के बंद करने के आदेशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की है।

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

3507. श्री प्रहलाद सिंह पटेलः क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान शिक्षा के प्रसार और अन्य कार्यकलापों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों की समीक्षा हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन)ः (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्य

3508. डा. बलिरामः
डा. विजय कुमार मल्होत्राः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न कंपनियों द्वारा विनिर्मित जीवन रक्षक औषधियां कौन सी हैं और सरकार द्वारा इन जीवन रक्षक औषधों की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या मूल निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान बाजार में इन औषधों के मूल्य अधिक वसूलने की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जीवन रक्षक औषधों के विपणन की निगरानी के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों के बीच कोई भेद नहीं करता है। उक्त आदेश के उपबंधों के अनुसार सरकार, इसकी प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों तथा उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करती है। यदि किसी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग के स्वीकृत/अधिसूचित मूल्य का कोई उल्लंघन होता है, तो डी.पी.सी.ओ. 95 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

पारादीप फास्फेट लिमिटेड को बंद किया जाना

3509. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उड़ीसा में पारादीप में स्थित पारादीप फास्फेट लि. को 15 फरवरी, 2002 से संयंत्र बंद करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथानिर्देशित निदेशों के अनुरूप प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे की संयंत्र को पुन: खोला जा सके?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी हां। तथापि पहले से कार्यान्वित एवं कार्यान्वयनाधीन प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई संयंत्र स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने पारादीप फॉस्फेट्स लि. (पी.पी.एल.) को वातावरण को प्रदूषित करने से रोकने वाले अपने अन्तरिम आदेश को रदद् कर दिया है और दिनांक 24.6.2002 को निर्धारित अगली सुनवाई तक कम्पनी को उद्योग चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

कालेजों/विश्वविद्यालयों में खेलों के प्रोत्साहन हेतु अनुदान

3510. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यों से विश्वविद्यालयों/कालेजों से अनुदान हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं को अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ) सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं और अब तक कितने प्रस्ताव इसके द्वारा निरस्त किए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन संस्थाओं के लंबित आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यलायों और कालेजों में खेलों में संवर्धन के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत, विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में विश्वविद्यालयों/कालेजों को खेल मैदानों के विकास, इंडोर स्टेडियम/तरणताल के निर्माण के लिए 75:25 के अनुपात में तथा अन्य सभी राज्यों को कतिपय अधिकतम सीमाओं के अधीन 50:50 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। खेल उपस्करों की खरीद के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों से किसी भी समतुल्य हिस्से के बिना 3.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा तक सहायता भी दी जाती है।

(ग) से (च) पिछले 3 वर्षों के दौरान, विश्वविद्यालयों/कालेजों से 793 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 383 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों/कालेजों से प्राप्त/अनुमोदित प्रस्तावों तथा स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। राज्यवार धनराशि आबंटित नहीं की जाती है तथा व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करते हुए, स्वीकार्य सहायता उपलब्ध करायी जाती है। शेष प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें कमियाँ पाई गई थी। संबंधित विश्वविद्यालयों/कालेजों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत अनुदान (लाख रुपयों में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत अनुदान (लाख रुपयों में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत अनुदान (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	9	72.91	18	10	46.92	26	8	28.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	4	3	24.16	2	–	–	1	–	–
4.	बिहार	2	1	1.00	1	–	–	6	–	–
5.	गोवा	1	–	–	1	1	19.95	–	–	–
6.	गुजरात	7	6	30.75	4	2	5.00	6	2	4.47
7.	हरियाणा	19	5	18.23	17	6	13.99	10	2	5.10
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1	30.00	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	1	1	1.05	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	26	18	1.23	28	21	60.77	48	19	72.14
11.	केरल	7	5	33.49	13	5	10.28	5	1	2.10
12.	मध्य प्रदेश	8	2	7.22	8	3	24.35	12	6	16.50
13.	महाराष्ट्र	58	37	202.93	45	33	125.147	109	31	108.45
14.	मणिपुर	3	1	3.37	9	4	34.625	2	1	2.25
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	1	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	–	3	1	25.725	1	–	–
18.	उड़ीसा	14	9	57.127	18	9	36.71	24	10	29.069
19.	पंजाब	4	3	21.629	21	10	17.152	5	3	9.00
20.	राजस्थान	12	4	8.195	1	–	–	3	2	5.00
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	21	15	74.585	31	18	112.271	33	14	82.655
23.	उत्तर प्रदेश	7	3	9.00	11	9	41.90	25	16	78.98
24.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	6	2	5.579	6	6	17.998	6	4	12.00
26.	त्रिपुरा	2	1	1.378	–	–	–	–	–	–
	कुल	234	126		237	138		322	119	

एच.एफ.सी.आई. बरौनी का पुनः खोला जाना

3511. श्री अरुण कुमार:
श्री मंजय लाल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड की बरौनी इकाई को पुनः खोलने हेतु कराई गई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को सरकार ने सक्षम प्राधिकारी और औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड को सौंप दिया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त इकाई की समग्र उत्पादन कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कुछ विदेशी तकनीकी परामर्शदाताओं और कुछ भारतीय परामर्शदाताओं/विशेषज्ञ समितियों को इस कार्य हेतु लगाया; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों की स्थिति क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा समय पर क्या उचित कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. द्वारा वर्ष 2000 में अद्यतन की गई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता योजना पर आधारित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. की बरौनी इकाई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उर्वरक उपक्रमों की पुनर्स्थापना/पुनर्गठन प्रस्तावों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। मंत्रियों के समूह की सिफारिशों और तत्पश्चात् औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के अपीलीय प्राधिकरण की स्वीकृति के आधार पर आगे की कार्रवाई सरकार के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर है।

[हिन्दी]

संचार उपग्रहों द्वारा भूकम्प के बारे में सूचना देना

3512. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि संचार उपग्रह भूकम्पों के संबंध में और अधिक सूचना दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी भी की है कि हिमालय क्षेत्र से लगे हुए भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में किसी भी समय बड़े स्तर पर भूकम्प आ सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) महोदय कई नई प्रौद्योगिकियाँ, जिनका भूकंप अध्ययनों में अनुप्रयोग होता है, उपग्रहण संचार प्रणालियों पर आधारित हैं।

(ख) क्रस्टल विरूपण के अनुवीक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण यंत्र ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणालियों का पहले ही देश के कई स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही कम आवृत्ति वाले रेडियो अपक्षरण तथा भूकंप आने की स्थिति के बीच संबंध को समझने के लिए प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

(ग) वर्तमान में दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है जो कि स्थान, मात्रा तथा समय की दृष्टि से तर्कसंगत सटीकता के साथ भूकंपों का पूर्वानुमान कर सके। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भूकंप क्षेत्रीकरण मानचित्र के अनुसार हिमालय जोन-V में आता है, जिसे सबसे प्रचण्ड जोन माना जाता है। इस क्षेत्र में प्रचण्ड/महा भूकम्प आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का हिमालयी भूकंपनीयता पर एक पूर्ण रूप से सुसज्जित कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम का प्रयास, भूकंप से हुई क्षति कम करने के मूल लक्ष्य के साथ, भूकंप स्रोत प्रक्रियाओं को समझना है। 2000-2001 में शुरू की गई जय विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। हाल ही में भूकंप संकट मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, यह केन्द्र आई.एम.डी. दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। केन्द्र का मुख्य कार्य विभिन्न डाटा सेटों को मिलाना तथा एकीकृत करना और स्थल विशिष्ट संकट मानचित्र तैयार करना है।

एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड

3513. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा कर्मियों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड उन अध्यापकों पर भी लागू होते हैं जो उन संस्थाओं में पिछले बीस वर्षों से

शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं जिनकी स्थापना एन.सी.टी.ई. की स्थापना से पूर्व की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन शिक्षा कर्मियों के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है जिनके पास एन.सी.टी.ई. के मानदंडों के अनुसार शैक्षणिक अर्हता और व्यावहारिक अनुभव नहीं है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) 17 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना के बाद सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं से यह अपेक्षा होती है कि वे शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता सहित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं मानकों की पुष्टि करें। तथापि, अधिसूचित मानदंडों एवं मानकों के अनुपालन में आने वाली किसी मुश्किल को दूर करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर परिषद् आवश्यक समझी गई शर्तों के अधीन किसी भी वर्ग या श्रेणी की संख्या के संबंध में किसी भी मानदंड या मानक में ढील दे सकती है।

[अनुवाद]

बाल तस्करी

3514. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बाल तस्करी की निगरानी हेतु स्वापक ब्यूरो की तर्ज पर नोडल एजेन्सी की स्थापना करने हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार तस्करीकर्त्ता, दलाल और ग्राहकों को दंड देने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार और व्यावसायिक यौन-शोषण की रोकथाम के लिए वर्ष 1998 में सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय कार्य योजना में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 13(4) के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी के गठन की परिकल्पना की गई है। विभाग ने महसूस किया है कि अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार वाली कोई एजेंसी अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन में अन्तर-राज्यीय क्षेत्राधिकार के कारण होने वाले विलम्ब से निपट सकेगी। नोडल एजेंसी के गठन के मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि इस अधिनियम को और अधिक कारगर बनाया जा सके और इसके उपबंधों को महिलाओं एवं बच्चों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त व्यक्तियों पर और अधिक आपराधिक दायित्व डालने के लिए कड़ा बनाया जा सके। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में इस अधिनियम की धारा 8 और 20 को हटाना शामिल है, जिनके अंतर्गत खरीद-फरोख्त करने वाले व्यक्तियों की बजाय पीड़ित बच्चों व महिलाओं पर दोषसिद्धि के लिए प्रमाण जुटाने का दायित्व होता है। उक्त संशोधनों के पश्चात् ऐसे मामलों को अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के अंतर्गत दर्ज किया जा सकेगा, जिससे खरीद-फरोख्त में संलग्न व्यक्तियों की दोषसिद्धि की उच्च दर संभव हो सकेगी।

जलापूर्ति योजना में मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं/गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना

3515. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विभिन्न जलापूर्ति कार्यक्रम 2010 के कार्यान्वयन में मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्यान्वयन हेतु ऐसी हस्तियों और कार्यक्रमों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा के अनुसार, सभी ग्रामीण बसावटों में वर्ष 2004 तक पेयजल आपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने 26 राज्यों के 64 चिन्हित किए गए जिलों में मांग-जिम्मेदार और विकेन्द्रीकृत प्रणालियों के जरिए सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना में एन.जी.ओ. प्रसिद्ध व्यक्ति और संबंधित जिला परिषदों/जिला जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सुधारों के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए।

नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों का लीक हो जाना

3516. श्री राजैया मल्याला:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें लिप्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) दिनांक 10.2.2002 को हैदराबाद में नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित की गयी परीक्षा में विद्यालयवार कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किये और विद्यालयवार कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले तथा बिहार के लक्खीसराय और बक्सर जिले से नवोदय विद्यालय परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। इन सभी स्थानों पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई।

(ग) उन सत्रह व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन पर वारंगल जिले में अपने कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से प्रश्न पत्र लीक करने में लिप्त होने का संदेह था। मामले की जांच की जा रही है। लक्खीसराय और बक्सर जिले के जिला मजिस्ट्रेटों से भी जांच करने और लिप्त व्यक्तियों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है ताकि आगे कार्रवाई की जा सके।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नवोदय विद्यालय समिति (हैदराबाद)

जे.एन.वी.एस.टी.-2002 परीक्षा ब्यौरा रिपोर्ट (10.2.2002)

क्र.सं.	जे.एन.वी. जिले का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या			
		जिला कोड	पंजीकृत	उपस्थित	ए.बी.एस.टी.
1	2	3	4	5	6
1.	बंगलौर ग्रामीण	1	4039	3922	117
2.	चिकमंगलूर	2	2323	2332	91
3.	कोलार	3	2302	2152	150
4.	मांड्या	4	4159	4016	143
5.	कोप्पल	5	1463	1403	60
6.	शिमोगा	6	2783	2595	188
7.	एन. केनरा	7	2020	1934	86
8.	हसन	8	2956	2831	125
9.	बिदर	9	1512	1443	69
10.	कोडागू	10	1363	1284	79
11.	गुलबर्ग	11	2530	2342	188

1	2	3	4	5	6
12.	धारवाड़	12	1621	1574	47
13.	बेलगांव	13	2841	2743	98
14.	बीजापुर	14	2091	2016	75
15.	बेल्लारी	15	1778	1633	145
16.	चित्रदुर्ग	16	2486	2369	117
17.	कामराज नगर	17	5735	5512	223
18.	टुमकुर	18	2676	2558	118
19.	उडूपी	19	676	656	111
20.	बंगलौर ग्रामीण	20	1061	994	67
21.	गडग	21	1704	1641	63
22.	रायचूर	22	1250	1191	69
23.	हवेरी	23	1803	1757	46
24.	दावनगेरे	24	3152	2995	157
25.	एस. केनरा	25	721	683	38
26.	भागलकोटे	26	1590	1545	35
27.	करायकल	27	747	700	47
28.	पांडीचेरी	28	1560	1464	96
29.	एर्नाकुलम	1	2757	2526	231
30.	ईद्दुकी	2	1577	1431	146
31.	कासरगोड	3	1910	1767	143
32.	पी. थिट्टा	4	2161	1611	550
33.	कन्नौर	5	2503	2357	146
34.	कोट्टायम	6	1898	1750	148
35.	कालीकट	7	1782	1662	120
36.	त्रिचूर	8	1435	1270	165
37.	पालघाट	9	2334	2157	177
38.	मल्लापुरम	10	1802	1637	165

1	2	3	4	5	6
39.	अल्लेप्पी	11	2012	1803	209
40.	कोल्लम	12	1903	1723	180
41.	त्रिवेन्द्रम	13	442	381	61
42.	माहे	14	141	97	44
43.	चित्तूर	1	3748	3422	326
44.	करीमनगर	2	6347	5883	464
45.	नालगोंडा	3	4225	3850	375
46.	निजामाबाद	4	2788	2586	202
47.	पूर्वी गोदावरी	5	2820	2615	205
48.	अदीलाबाद	6	3686	3403	283
49.	अनंतपुर	7	3070	2781	289
50.	मेडक	8	3132	2844	288
51.	प्रकाशम	9	1332	1220	112
52.	विशाखापत्तनम	10	2953	2764	189
53.	कुरनुल	11	2237	2068	169
54.	गुण्टुर	12	1558	1403	155
55.	खमाम	13	3281	2788	430
56.	रंगारेड्डी	14	3018	2763	255
57.	कुड्डपा	15	2617	2389	228
58.	नेल्लोर	16	1501	1349	152
59.	श्रीकाकुलम	17	3134	3020	114
60.	पश्चिम गोदावरी	18	2348	2102	246
61.	विजियानगरम	19	2929	2833	96
62.	कृष्णा	20	1807	1651	156
63.	वारंगल	21	5729	5224	505
64.	महबूबनगर	22	3049	2806	243
65.	यनम	23	389	370	19
	कुल		153325	142491	10834

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) में भ्रष्टाचार

3517. श्री बृजलाल खाबरी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दो माह में भ्रष्टाचार समाप्त करने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को प्रधानमंत्री के निर्देशों का क्या मुख्य प्रभाव पड़ा और प्राधिकारियों द्वारा क्या विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी;

(ख) क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में डी.डी.ए. के उपभोक्ताओं की समस्याओं का पता लगाने के लिए और इसके कार्यकरण में पारदर्शिता हेतु सुचारू दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय स्वतंत्र समूह गठित करने के संबंध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विशेष रूप से डी.डी.ए. में बालकानियों को ग्लेज करने और दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग फ्लैटों में भेदभाव करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसरण में डी.डी.ए. ने अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। डी.डी.ए. ने प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए त्रिआयामी नीति यथा निवारक, निरोधक और दण्डात्मक नीति अपनाई है।

डी.डी.ए. ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, कंप्यूटरीकरण तथा ई-व्यवस्था शुरू करने के साथ-साथ सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता बरतने के लिए अनेक दीर्घकालीन उपाय किए हैं।

संगठन की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न निवारक उपाय किए गए हैं जैसे नागरिक चार्टर के अनुसार डी.डी.ए. में विभिन्न मदों/कार्यों के लिए नियत समय सीमा की मानीटरिंग/कार्यान्वयन करना। पत्रों व कागजातों की पावती भेजने की व्यवस्था शुरू की गई है। केन्द्रीय प्राप्ति और निर्गम अनुभाग का कंप्यूटरीकरण किया गया है और लोगों को उनके पत्रों की पावती कंप्यूटर द्वारा भेजी जाती है। मांग एवं आवंटन-पत्र, धन वापसी आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण पत्र स्पीड पोस्ट से भेजे जा रहे हैं तथा डाक घर से वितरण का प्रमाण लिया जाता है।

डी.डी.ए. कार्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए विकास सदन में मुख्य अतिथि कक्ष में 13 परामर्शदाता सुविधाता (फेसिलिटेटर) स्थायी रूप से बिठाए गए हैं। ये परामर्शदाता मार्गदर्शन के साथ-साथ प्रलेखन में भी मदद करते हैं।

जनसम्पर्क विभागों द्वारा जनता को दी जा रही सेवाओं व सुविधाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करने हेतु समाचारपत्रों व सार्वजनिक स्थानों में विवरणिका, पुस्तिकाएं और सूचनाएं जारी की गई हैं। डी.डी.ए. ने आम जनता को जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट (डी.डी.ए. दिल्ली. कॉम) भी तैयार किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) डी.डी.ए. के उपभोक्ताओं की समस्याओं की जांच करने के लिए तीन सदस्यों वाले समूह के गठन का सुझाव डी.डी.ए. को समुचित कार्रवाई हेतु भेजा गया है। डी.डी.ए. फ्लैटों की बालकनी में शीशे लगाने की छूट है। इसकी अनुमति सहकारी समूह आवास समिति में भी दी गई है बशर्ते कि यह ग्राउंड कवरेज और फर्सी क्षेत्र अनुपात में हो तथा (X) मीटर खुलने वाली खिड़की की दिल्ली अग्निशमन सेवा की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसके लिए नियमितीकरण/परिवर्द्धन/परिवर्तन नक्शे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। इसके लिए संबंधित समूह आवास समिति की आम सभा का अनुमोदन और संरचना स्थायित्व प्रमाणपत्र भी अपेक्षित है।

बच्चों का यौन शोषण

3518. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बाल देह व्यापार से जुड़े यौन शोषण के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद-फरोख्त तथा अल्पवयस्क लड़कियों की अधिप्राप्ति के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान वेश्यावृत्ति हेतु लड़कियों की खरीद-फरोख्त, नाबालिग लड़कियों की अधिप्राप्ति की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999			2000			2001			निम्नलिखित माह तक के लिये आंकड़े
		अधिप्राप्त नाबालिग लड़कियों की संख्या	वेश्यावृत्ति हेतु बेची गई लड़कियों की संख्या	वेश्यावृत्ति हेतु खरीदी गई लड़कियों की संख्या	अधिप्राप्त नाबालिग लड़कियों की संख्या	वेश्यावृत्ति हेतु बेची गई लड़कियों की संख्या	वेश्यावृत्ति हेतु खरीदी गई लड़कियों की संख्या	अधिप्राप्त नाबालिग लड़कियों की संख्या	वेश्यावृत्ति हेतु बेची गई लड़कियों की संख्या	वेश्यावृत्ति हेतु खरीदी गई लड़कियों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	0	0	2	3	0	22	3	0	नवम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	0	0	0	0	जुलाई
3.	असम	29	0	0	21	1	1	6	0	0	नवम्बर
4.	बिहार	42	0	0	27	1	0	21	0	0	नवम्बर
5.	गोवा	0	0	0	1	0	0	2	0	0	दिसम्बर
6.	गुजरात	6	0	0	19	0	43	8	0	0	दिसम्बर
7.	हरियाणा	7	0	0	1	0	0	0	1	0	नवम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
10.	कर्नाटक	12	1	0	7	0	0	4	1	2	दिसम्बर
11.	केरल	5	0	0	9	0	3	11	0	0	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	16	0	0	24	1	0	8	0	0	दिसम्बर
13.	महाराष्ट्र	31	3	2	24	5	1	17	1	0	दिसम्बर (अक्तूबर)
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	सितम्बर
16.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
18.	उड़ीसा	2	0	0	4	0	0	0	0	0	अप्रैल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	पंजाब	2	0	0	0	0	0	2	0	0	दिसम्बर (नवम्बर)
20.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	4	4	0	दिसम्बर
21.	सिक्किम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	अक्तूबर (जून, जुलाई, सितम्बर)
22.	तमिलनाडु	4	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	3	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	6	7	3	4	4	5	3	5	1	दिसम्बर
	कुल (राज्य)	171	12	5	145	15	53	108	15	3	
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
27.	चण्डीगढ़	1	0	0	1	0	0	0	0	0	सितम्बर (जुलाई)
28.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर (अक्तूबर)
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर (अप्रैल, अगस्त, सितम्बर)
30.	दिल्ली	0	1	0	1	0	0	0	0	0	नवम्बर
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर (मार्च, अप्रैल)
32.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1	1	0	2	0	0	0	0	0	
	कुल (अखिल भारत)	172	13	5	147	15	53	108	15	3	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

कोष्ठक में दिये गये महीने का नाम दर्शाता है कि उस माह के संदर्भ में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय उपयोजना

3519. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों में जनजातीय उपयोजना का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के वित्त पोषण का स्रोत क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना में गैर-सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के लिए पृथक निधियां उपलब्ध कराने का प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां; सिवाय उन कुछेक मंत्रालयों के जिन्हें खासतौर से छूट मिली हुई है।

(ख) जनजातीय उपयोजना के लिए निधियां मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी वार्षिक योजना में से प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) जनजातीय उपयोजना, केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारों के समग्र योजना निधियों में से तैयार की जाती है। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत निधियों की धनराशि कम से कम अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात के बराबर होनी ही चाहिए।

[अनुवाद]

उर्वरक घोटाला

3520. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
डा. संजय पासवान:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर बिहार राज्य में उर्वरक उत्पादकों को केन्द्रीय राजसहायता के आवंटन में तथाकथित उर्वरक घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सी.बी.आई. द्वारा कोई जांच कराने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, इस जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी/की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार झूठी बिक्री दिखाकर मुनाफा कमाने वाली उन कंपनियों को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डालने अथवा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन कंपनियों से कोई आधिकारिक खरीद न करने का निर्देश देने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1999 को समाप्त अवधि की रिपोर्ट (सिविल) 2000 में टिप्पणी की है कि बिहार सरकार के कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किये बिना 1994-95 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान विनियंत्रित फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 162.05 करोड़ रुपये की रियायत के भुगतान वाले बिक्री प्रमाण पत्र जारी किए और इससे बेची गई उर्वरकों की गुणवत्ता तथा मात्रा के प्रमाणन के बारे में राज्य सरकार के अनुदेशों की अवज्ञा हुई है। फलस्वरूप, उर्वरकों की बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई और फर्जी आपूर्तियों के आधार पर 22 एजेन्सियों/आपूर्तिकर्त्ताओं के रियायत के संदेहास्पद दावों के प्रमाणन की संभावना को खारिज नहीं किया गया था।

(ग), (घ) और (झ) केन्द्र सरकार ने फरवरी, 2000 में राज्य सरकार से नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के

आधार पर जनवरी, 2000 में प्रकाशित हुये समाचार पर तथ्यात्मक स्थिति भेजने का अनुरोध किया था। बिहार सरकार से बिक्री प्रमाणन की मौजूदा पद्धति की समीक्षा करने का भी अनुरोध किया गया था। बिहार सरकार ने फरवरी, 2001 में सूचित किया कि उन्होंने यह मामला राज्य सतर्कता विभाग को छानबीन हेतु सौंप दिया है। इसी बीच, राज्य विधायी परिषद् की वित्तीय प्रबन्ध और आन्तरिक संसाधन समिति ने भी इन आरोपों की जांच की। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् बिहार राज्य सरकार ने जांच-पड़ताल हेतु यह मामला फरवरी, 2002 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है।

(ङ) से (ज) इस समाचार के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति भेजने के लिये बिहार सरकार को मामला भेजने के साथ ही भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा बिक्री प्रमाणन के प्रति 20 प्रतिशत भुगतान को रोकने का भी निर्णय लिया है। बिहार में उर्वरकों की बिक्री के लिये कपटपूर्ण तरीके से रियायत लेने की दोषी पायी गयी कम्पनियों/आपूतिकर्त्ता एजेन्सियों सहित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में कोई भी निर्णय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्षों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों के रिक्त पद

3521. श्रीमती शीला गौतम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 11.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3375 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न विषय के शिक्षकों की रिक्तियों का क्षेत्रवार विद्यालयवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 को पूछे गए संसदीय प्रश्न संख्या 3375 के उत्तर में दिए गए विवरण में दिर्शाए गए रिक्त पदों के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न हैं। स्कूल-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। इस संबंध में लिखित परीक्षा का पहला चरण पहले ही पूरा कर लिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों में 21.11.2001 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार/पदवार रिक्तियों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक						स्नातकोत्तर शिक्षक											प्रधानाध्यापक	पी आर टी	ड्राइंग	पी ई टी	योग	डब्ल्यू ई टी	संगीत	कुल
		गणित	जीव विज्ञान	अंग्रेजी	हिन्दी	संस्कृत	सामाजिक विज्ञान	जीव विज्ञान	रसायन विज्ञान	भौतिकी	गणित	अंग्रेजी	हिन्दी	इतिहास	भूगोल	वाणिज्य	अर्थशास्त्र	संस्कृत								
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	मुम्बई	3	4	28	2	-	11	-	4	4	5	4	2	1	1	6	2	-	12	12	8	3	5	5	-	122
2.	जम्मू	5	9	17	2	4	3	1	2	2	5	4	1	2	2	-	4	-	14	37	6	2	1	7	3	133
3.	सिल्चर	6	10	-	8	2	6	2	2	2	3	7	2	1	-	1	-	-	6	59	3	10	2	2	1	134
4.	जबलपुर	-	2	3	2	-	2	-	1	1	1	8	1	-	-	-	-	-	8	1	2	7	-	-	1	40
5.	बंगलौर	1	5	13	5	2	7	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	15	12	2	15	1	7	1	92
6.	हैदराबाद	-	2	2	5	1	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	13	3	1	-	2	1	-	37
7.	पटना	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	4	1	-	-	-	1	-	6	2	4	7	-	-	-	30
8.	कलकत्ता	3	5	16	2	2	6	-	1	-	6	8	2	-	-	-	7	-	10	9	2	2	-	5	1	87
9.	जयपुर	5	6	15	8	3	2	4	6	4	3	12	2	-	-	1	5	-	9	22	9	11	-	3	3	133
10.	भुवनेश्वर	5	2	6	5	1	2	-	1	1	3	2	1	1	-	1	-	-	9	4	5	15	-	2	1	67

1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11.	भोपाल	4	3	16	4	1	2	2	6	3	4	11	3	1	-	5	-	-	15	6	2	3	2	2	1	96
12.	चंडीगढ़	6	3	4	7	1	-	2	1	3	2	3	2	-	-	-	2	-	13	11	13	12	2	9	2	98
13.	अहमदाबाद	3	7	12	5	1	4	1	2	-	3	6	5	-	-	1	4	-	11	12	3	3	1	2	-	86
14.	गुवाहाटी	7	15	10	15	4	8	3	1	2	-	6	1	2	1	-	1	-	9	37	3	31	4	9	1	170
15.	देहरादून	2	5	2	3	-	2	1	-	1	-	-	1	3	-	-	2	-	13	1	5	3	-	2	2	48
16.	दिल्ली	5	5	10	3	1	3	3	-	1	1	1	-	2	-	5	4	-	13	5	6	3	-	2	1	74
17.	चेन्नई	4	2	3	5	2	7	-	-	1	-	3	3	-	1	-	1	-	20	16	10	12	10	3	2	105
18.	लखनऊ	4	3	1	1	-	2	3	-	1	1	3	1	1	-	-	4	-	-	-	3	1	1	-	2	32
	कुल	64	88	158	83	25	73	23	28	27	42	83	29	14	5	20	37	0	196	249	87	140	31	61	22	1585

खगड़िया और अररिया जिलों का समेकित विकास

3522. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान खगड़िया और अररिया जिलों के समेकित विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। बिहार सरकार ने खगड़िया, अररिया और फारबिसगंज कस्बों को छोटे तथा मझोले कस्बों की एकीकृत विकास स्कीम के अंतर्गत शामिल करने के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। खगड़िया और अररिया कस्बे वर्ष 2000-2001 के दौरान शामिल किए गए थे, जिनकी अनुमोदित परियोजना लागत क्रमश: 190.42 लाख तथा 199.80 लाख रु. है। इन दोनों कस्बों को फरवरी, 2001 में प्रत्येक को 15.00 लाख रु. की सहायता की पहली किश्त जारी की गई थी।

फारबिसगंज (अररिया जिला) कस्बा वर्ष 1996-97 में आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम में शामिल किया गया था, जिसकी अनुमोदित परियोजना लागत 188.86 लाख रु. थी और 15.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता मार्च, 1997 में जारी की गई थी। शेष 69.99 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता पूर्व में जारी केन्द्रीय सहायता के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र मिलने पर मार्च, 2002 में जारी की गई है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रोस्टर

3523. श्री सुरेश कुरूप: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय विभागों के विभिन्न शिक्षण संकायों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के आरक्षण रोस्टर का पूरा-पूरा पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) अन्य पिछड़ी जातियों के लिए नोडल मंत्रालय-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ परामर्श करके अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अध्यापन संकायों में आरक्षण प्रदान करने के मामले की जांच की गयी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मामले को विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय को उनके परामर्श हेतु भेज दिया गया है।

प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र

3524. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत खोले गये प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, ने अपनी ''ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास (आर्ट्स)'' योजना के अंतर्गत देश में प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों (टी.आर.सी.) को गठित किया है। इस योजना के अंतर्गत कपार्ट ढांचागत विकास के सृजन के लिए एक बारगी अनुदान और उन स्वैच्छिक संगठनों के लिए कुछ आवर्ती खर्च भी मुहैया करा रहा है जिनके पास तकनीकी क्षमता है और जिनका अनुकूल आर एंड डी तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का अच्छा रिकार्ड है। प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों (टी.आर.सी.) की सेवा लेने के लिए पात्रता हेतु बुनियादी मानदंड इस प्रकार है:

- डिजाइन विकास में प्रदर्शन योग्य उपलब्धियां तथा कम से कम 5 वर्षों के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियों का प्रसार।
- प्रौद्योगिकी अभिग्रहण, अनुकूलन तथा विनिमय संबंधी गतिविधियों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एस एंड टी संस्थाओं के बीच संपर्क और परस्पर संबंध का साक्ष्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूल आर एंड डी तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का अच्छा रिकार्ड।
- पर्याप्त ढांचागत सुविधा जैसी कि प्रशिक्षण सुविधाएं, कार्यशालाएं, प्रयोगशालाएं, औजार और उपस्कर आदि।
- प्रस्तुतीकरण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के जरिए प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के लिए व्यवसायिक क्षमता।
- अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क बनाने के लिए खुलेपन की नीति और स्वेच्छा से उनकी जरूरतों के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करने की इच्छा।

अब तक गठित टी.आर.सी. की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कपार्ट ने पहले ही केरल राज्य में मित्रानिकेतन, जिला वेलानड, केरल में प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र गठित किया है जैसा कि अनुबंध में क्र.सं. 6 में उल्लेख है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप कपार्ट द्वारा प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र (टी.आर.सी.) की स्थिति के लिए स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त किसी भी आवेदन की जांच की जाती है।

विवरण

कपार्ट के प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	एजेंसी
1	2
1.	ग्रामीण औद्योगिकीकरण सोसाइटी (एस.आर.आई.) बरिआतु, जिला रांची, झारखंड-834009
2.	नेत्तूर टेक्नीकल ट्रेनिंग फाउंडेशन (एन.टी.टी.एफ.), गन्नावारम, देवाजीगुडम, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521001
3.	दा सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर (एस.डब्ल्यू. आर.सी.) टिलोनिया, मदनगंज, जि. अजमेर, राजस्थान-305816
4.	सेंटर आफ साइंस फार विल्ज मगन संग्रहालय, कुमाराप्पा रोड, वर्धा, महाराष्ट्र-442001
5.	विज्ञान आश्रम, पो. पबल; जिं. पुणे, महाराष्ट्र-412403
6.	मित्रा निकेतन, पो.बा. मित्रा निकेतन, वेलानाड-695543, केरल
7.	हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, विज्ञान पराशता, ग्वारचौकी, गुलटिर, चमोली गढ़वाल, उत्तरांचल-246436
8.	एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, 3 क्रास स्ट्रीट, तारामणि, इंस्टीट्यूशनल एरिया, चेन्नई-600113
9.	विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी, तमिलनाडु-629702
10.	श्री ए.एम.एम. मुरूगप्पा चेतिअर रिसर्च सेंटर, फोटो सेनथीसिस एंड एनर्जी डिवीजन, तारामणि, चेन्नई-60013, तमिलनाडु

1	2
11.	श्री रामकृष्ण आश्रम (विवेकानन्द इंस्टीट्यूट आफ बायो-टेक्नोलाजी) पी.ओ., निमपीठ आश्रम, 24 परगना, प. बंगाल
12.	सोशल एक्शन फार रूरल इनहाबीटेट, पो.बा. गोधर वेस्ट, तालुका-संतरामपुरा, पंचमहल, गुजरात
13.	सेंटर फार सोशल वर्क एंड रिसर्च, एच जी बसक रोड, निलरमठ, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा
14.	सोसाइटी फार टेक्नोलोजी एंड डेवलपमेंट, 26415, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश
15.	रूरल सेंटर फार ह्यूमन इंट्रिस्ट (रूचि) शालाना, राजगढ़, जि. सिरमोर, हिमाचल प्रदेश
16.	विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र (वी.जी.के.के.), बी.आर. हिल्स, यालनदूर तालुक, चमराजनगर, जि. कर्नाटक
17.	मध्य प्रदेश विज्ञान सभा (एम.पी.वी.एस.), 6-ए, सिविल लाइन, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश
18.	गांधी ग्राम ट्रस्ट, गांधी ग्राम, जि. डिंडीगुल, तमिलनाडु

[हिन्दी]

खेलकूद से जुड़े व्यक्तियों को सुविधाएं

3525. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेलकूद से जुड़े व्यक्तियों विशेषकर कराटे की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुके व्यक्तियों को कोई सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैदिक शिक्षकों का वेतन

3526. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वैदिक विद्यार्थियों के शिक्षकों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जा रहा है ताकि उन्हें शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 'वेदों' और उन्हें पढ़ाने को लोकप्रिय बनाने और वैदिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय महर्षि संपीदनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन की वैदिक शिक्षकों के लिए एक योजना है जिसके तहत इस समय पूर्णकालिक वैदिक शिक्षक यदि वह संहितापाठी है, को 5500 रुपए प्रति माह की दर से और यदि उसके पास वेद में उच्चतर पारम्परिक अर्हता जैसे धन पाठ है तो 6500 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। उपर्युक्त दरें 1998-99 के दौरान निर्धारित की गई थी और 1.4.1998 से लागू की गई थी। वेद शिक्षकों को देय मानदेय 1998 के दौरान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी.जी.टी.) अथवा स्नातकोत्तर शिक्षक (पी.जी.टी.) के न्यूनतम वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया गया था और शिक्षण व्यवसाय में उन्हें आकर्षित करने के लिए पर्याप्त माना गया था।

(ख) 1998-99 के दौरान मानदेय निर्धारित करते समय यह निर्णय भी लिया गया था कि तत्संबंधी संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए वैदिक शिक्षकों को देय मानदेय को समय-समय पर संशोधित किया जाए। यह प्रतिष्ठान वेदों के अध्ययन और वेदों के संबंध में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी निष्पादित करता है जिनका ब्यौरा प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट, जो प्रतिवर्ष लोक सभा/राज्य सभा पटल पर रखी जाती है, में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) का नया पाठ्यक्रम

3527. श्री समीक लाहिड़ी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रस्तुत नया पाठ्यक्रम इस्लाम धर्म को छोड़कर शेष सभी 'बड़े धर्मों' की मुख्य विशेषताओं, विस्तार और मौलिक मूल्यों पर प्रकाश डालता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हिन्दू, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई इत्यादि धर्मों को उनके समय के अनुसार प्राचीन काल में शामिल किया गया है। सिख और इस्लाम धर्म को मध्य काल में शामिल किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक भावना को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति

3528. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक भावना को मान्यता और उसे बढ़ावा देने के लिए कतिपय छात्रवृत्तियां आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने 1999-2000 में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का शुभ आरम्भ किया है ताकि बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरी तथा औषध के छात्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसंधान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर इस विभाग की ओर से यह कार्यक्रम समन्वित कर रहा है। इस योजना में चुनिंदा छात्रों को अपनी सम्भाव्यता प्राप्त करने हेतु सहायता देने का प्रयास किया गया है ताकि वे अनुसंधान तथा विकास के लिए सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रतिभा को संबद्ध कर सकें। इस योजना के अंतर्गत पूर्व पी.एचडी. स्तर तक निम्न प्रकार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं:-

क्र.सं.	स्तर	छात्रवृत्ति प्रति मास	वार्षिक आकस्मिक अनुदान
1.	XI तथा X के दौरान	2000/-रु.	4000/-रु.
2.	XII के बाद एम.एससी तक	3000/-रु.	6000/-रु.
3.	XII के बाद एम.ई./एम.टेक/एम.आर्क तक	3000/-रु.	6000/-रु.
4.	XII के बाद एम.बी.बी.एस. तक	3000/-रु.	6000/-रु.

इसके अतिरिक्त छात्रों को पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों आदि की मुख्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश में ख्यातिप्राप्त अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थाओं में ग्रीष्म कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 2000-01 के दौरान 120 छात्रों और 2001-02 के दौरान 100 छात्रों को किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

बेल्लारी में विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि

3529. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेल्लारी नगर में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशियां स्वीकृत की गयी हैं; और

(ख) नगर में सड़कें बनाने, जल प्रवाह और अन्य विकास कार्य आरंभ करने के लिए जापान से 30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) बेल्लारी शहर को 1993-94 के दौरान छोटे तथा मझोले कस्बों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) में शामिल किया गया था। इसकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 578.00 लाख रु. थी। इस कस्बे के लिए 104.04 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

इसके अलावा, हडको ने बेल्लारी शहर के लिए दो शहरी अवस्थापना स्कीमें मंजूर की हैं। इन स्कीमों की परियोजना लागत 113.00 करोड़ रु है जिनके लिए हडको ऋण वचनबद्धता, 89.00 करोड़ रु. की है।

हडको ने बेल्लारी शहर में 60 आवास स्कीमें भी मंजूर की हैं। इन स्कीमों की परियोजना लागत 79.84 करोड़ रु. है, जिसके लिए हडको ऋण वचनबद्धता 39.19 करोड़ रु. की है।

(ख) इस मंत्रालय को बेल्लारी शहर के लिए जे.बी.आई.सी. (जापान) से विभिन्न विकास कार्यों के लिए सम्भावित वित्तीय सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खेलकूद क्षेत्र में सट्टेबाजी रोकना

3530. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खेलकूद से संबंधित सट्टेबाजी की बढ़ती हुई समस्या को नियन्त्रित करने के लिए कोई जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सट्टेबाजी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) खेल, एक विषय के रूप में, राज्य सूची में है। इस समय, खेलों में सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए कोई केन्द्रीय विधान नहीं है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कालेज

3531. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 से पूर्व देश में राज्यवार कितने इंजीनियरिंग कालेज कार्यरत थे;

(ख) कितने इंजीनियरिंग कालेज सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर आदि विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम चला रहे हैं; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान कितने नये इंजीनियरिंग कालेजों को स्वीकृति प्रदान की गयी और उनमें से राज्यवार कितने कालेज सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान आदि पाठ्यक्रम चला रहे हैं और सभी कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश की स्वीकृत संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेजों तथा 2001-02 से पहले सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रम चलाने वाले इंजीनियरी कालेजों का ब्यौरा तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा 2001-02 के दौरान अनुमोदित नये इंजीनियरी कालेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने सभी इंजीनियरी कालेजों को सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पाठ्यक्रम संस्वीकृत किये थे।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-2002 से पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेजों की संख्या	2001-2002 से पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम चला रहे इंजीनियरी कालेजों की संख्या	2001-2002 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कालेजों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	105	102	71
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	00	00	00
अरुणाचल प्रदेश	01	01	00

1	2	3	4
असम	03	03	00
बिहार	06	05	00
चंडीगढ़	02	01	00
छत्तीसगढ़	11	11	01
दादरा और नगर हवेली	00	00	00
दमन और दीव	00	00	00
दिल्ली	10	09	03
गोवा	02	02	01
गुजरात	23	22	00
हरियाणा	27	24	06
हिमाचल प्रदेश	02	02	00
जम्मू और कश्मीर	05	05	00
झारखंड	06	04	01
कर्नाटक	77	76	26
केरल	28	25	16
लक्षद्वीप	00	00	00
मध्य प्रदेश	30	28	04
महाराष्ट्र	133	122	14
मणिपुर	01	01	00
मेघालय	01	01	00
मिजोरम	01	01	00
नागालैंड	00	00	00
उड़ीसा	29	26	07
पांडिचेरी	05	05	00
पंजाब	20	19	02
राजस्थान	21	20	03
सिक्किम	01	01	00
तमिलनाडु	160	157	69
त्रिपुरा	01	01	00
उत्तर प्रदेश	59	50	15
उत्तरांचल	09	08	01
पश्चिम बंगाल	32	27	06
कुल	811	759	246

[हिन्दी]

अमरीकी सूचना केन्द्र पर आतंकवादी हमला

3532. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलिस ने कोलकाता में अमरीकी सूचना केन्द्र पर हमला करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाले फरहान मलिक उर्फ आफताब अन्सारी सहित कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये;

(ख) क्या आफताब अन्सारी को पासपोर्ट जारी करने में कई सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अमरीकी सूचना केन्द्र, कोलकाता पर हमला करने के संबंध में अब तक सात व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ख) से (घ) बिहार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार फरहान मलिक को जारी किए गए पासपोर्ट के संबंध में प्रथम दृष्टया लिप्त पाए गए कुछ सरकारी अधिकारियों सहित पांच व्यक्तियों को पुलिस ने चल रही जांच-पड़ताल के भाग के रूप में गिरफ्तार किया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जनजाति

3533. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा और मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में रहने वाली जनजातियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक जनजाति की स्थान-वार जनसंख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक जनजातीय समूह की नवीनतम साक्षरता दर क्या है; और

(ग) इन राज्यों में प्रत्येक जनजातीय समूह में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जनजातियों और जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातीय विनिर्दिष्ट किया गया है। आदेश के अनुसार उड़ीसा में 62 समुदायों और मध्य प्रदेश में 46 समुदायों को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट किया गया है। इस आदेश में जनजातियों को स्थान-वार विनिर्दिष्ट नहीं किया है। तथापि, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के नाम और उनकी जनसंख्या के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक जनजातीय समूहों की साक्षरता दरें 2001 की जनगणना के अनुसार उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक जनजातीय समूह की साक्षरता दरें तैयार की गई हैं और वे फ्लापियों के रूप में उपलब्ध हैं। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरें क्रमश: 21.54 तथा 22.31 प्रतिशत है।

(ग) योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले प्रत्येक जनजातीय समूह के संबंध में अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में वर्ष 1993-94 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशतांश अनुमान निम्नलिखित हैं।

	ग्रामीण	शहरी
उड़ीसा	71.26	68.85
मध्य प्रदेश	56.69	65.28

विवरण-I

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	अनुसूचित जनजातियों के नाम	1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1	2	3
1.	अगरिया	71721
2.	अंध	2044
3.	बैगा	317549
4.	भैना	47833
5.	भारिया, भुमिया, भुयनिहार आदि	223284
6.	भत्तरा	153258
7.	भिल, भिलाला, बरेला, पटेला	3436743

1	2	3
8.	भिल मिना	7077
9.	भुंजिया	9141
10.	बियार, बियार	10105
11.	बिझंवार	105125
12.	बिरहुल, बिरहोर	2206
13.	दामोर, दमाना	2883
14.	धनवार	37223
15.	गडाबा, गडबा	7134
16.	गोंड, अरख, अराख, अगरिया	6727838
17.	हैबा, बल्ह	374628
18.	कमर	20565
19.	करकु	4328
20.	कवर, कंवर, कौर, चेरवा	667244
21.	खीर	15333
22.	खैनवार	103459
23.	खारिया	34694
24.	कोंध, खोंड, कंध	9790
25.	कोल	781032
26.	कोलाम	4937
27.	कोरकु, बोपची, मौआसी, निहाल	452149
28.	कोरवा, कोडाकु	85585
29.	माझी	86346
30.	मझवार	43910
31.	मवासी	69861
32.	मीना	2005
33.	मुंडा	12639
34.	नागेशिया, नगाशिया	82461
35.	ओरांव, धंका, धंगद	544959
36.	पनिका	64169
37.	पाओ	47416
38.	प्रधन, पथरी, सरोट	101339
39.	परधि	3291
40.	परधि बहेलिया, बहेलिया, चिटा, परधि	9754
41.	प्रजा	2410
42.	सहारिया सेहारिया, सेहरिया, सोसिया, सोर	332748
43.	साओंता	3411
44.	सौर	122914
45.	सावर, सावरा	69949
46.	सोनर	51907
	कुल	15399034

विवरण-II

उड़ीसा

क्र.सं.	अनुसूचित जनजातियों के नाम	1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1	2	3
1.	बागता	4806
2.	बैगा	1556
3.	बंजारा, बंजारी	12843
4.	बथुदी	171074
5.	भोटडा, धोटड़ा	304137
6.	भुइया, भुयान	246573
7.	भूमिया	109538
8.	भूमिज	178214
9.	भूंजिया	11276
10.	बिंझाल	119929
11.	बिंझिया, बिंझोआ	8128

1	2	3
12.	बिरहोर	825
13.	बोंडो पोरजा	7315
14.	चेंचू	275
15.	दाल	19867
16.	देसुआ भूमिज	1880
17.	दरूआ	11512
18.	दिदाई	5471
19.	गडबा	67138
20.	गांडिया	3588
21.	घारा	1553
22.	गोंड, गोंडो	701139
23.	हो	50892
24.	होल्वा	13662
25.	जतपु	9139
26.	जुआंग	35665
27.	कंधा गौडा	19278
28.	कवर	9582
29.	खडिया, खडियन	168407
30.	खरवार	3280
31.	खोंड, कोंड, कंधा, नंगुली, कंधा, सिथा, कंधा	1140374
32.	किसान	266371
33.	कोल	5777
34.	कोलाह लोहारस, कोई लोहारस	12321
35.	कोल्हा	404864
36.	कोली, मल्हार	5093
37.	कोंडाडोरा	19235
38.	कोरा	10313
39.	कोरूवा	1989
40.	कोटिया	28607
41.	कोया	141927
42.	कुलिस	6526
43.	लोढा	7458
44.	मादिया	1439
45.	मनाली	13585
46.	मंकिडी	1150
47.	मंकिरदिया	1491
48.	मत्या	13226
49.	मिरदास	30853
50.	मुंडा, मुंडा लोहरा, मुंडा महालिस	396561
51.	मुंडरी	31147
52.	ओमनत्या	25915
53.	ओरांव	257829
54.	परेंगा	5843
55.	परोजा	353336
56.	पेंटिया	11399
57.	रजुवार	3146
58.	संताल	629782
59.	सावरा, सावर, सौरा, सहरा	403510
60.	शबर, लोढा	373545
61.	सौंती	96251
62.	थरूआ	1595
	कुल (अवर्गीकृत जनसंख्या सहित)	7032214

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास की लंबित परियोजनाएं

3534. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित विशेषकर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कतिपय परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास अब तक स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से राज्यवार और परियोजनावार लंबित पड़ी हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध कराने गये धन का वर्षवार, राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लंबित परियोजनाओं को राज्यवार कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त हुई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उन परियोजनाओं के लिए निधियां नहीं उपलब्ध कराई गई हैं जिन्हें स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम परियोजना संबंधी प्रस्ताव उनकी व्यवहार्यता, बंजरभूमि विकास संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ उनकी अनुरूपता तथा योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। एस.जी.एस.वाई. परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं है जबकि जो योजनाएं टी.एस.टी. के तहत केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित होती हैं उनकी विभिन्न राज्यों को परियोजनाओं के आबंटन के मानदंड के अनुसार जांच की जाती है। आदर्श गांव संबंधी परियोजना प्रस्ताव और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आबंटन आधारित कार्यक्रम को चरणों में समाप्त करना है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	एस जी एस वाई	आई डब्ल्यू डी पी	सी आर एस पी
1.	आंध्र प्रदेश	3	–	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	–
3.	असम	–	–	3
4.	बिहार	–	5	–
5.	छत्तीसगढ़	1	1	–
6.	गोवा	–	–	1
7.	गुजरात	–	1	2
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	2	1	–
11.	झारखण्ड	–	5	2
12.	केरल	1	3	3
13.	कर्नाटक	–	2	–
14.	मध्य प्रदेश	2	–	2
15.	मणिपुर	–	3	–
16.	मेघालय	–	–	2
17.	मिजोरम	2	–	3
18.	महाराष्ट्र	–	5	5
19.	नागालैंड	–	–	1
20.	उड़ीसा	–	–	3
21.	पंजाब	–	1	4
22.	राजस्थान	2	2	4
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	4	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	8	–
27.	उत्तरांचल	1	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	5
29.	दादरा व नगर हवेली	–	–	1

[अनुवाद]

दिल्ली में डेयरी चलाना

3535. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में डेयरी चलाने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में विभिन्न कालोनियों के लोग खुलेआम गाय और भैंस पाल रहे हैं और डेयरी चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में आज भी गायें और भैसें दिन-रात इधर-उधर घूमती रहती हैं और सड़कों को खराब कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1975-76 के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित विनिर्दिष्ट डेयरी कालोनियों को छोड़कर दिल्ली में डेयरी के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को अनधिकृत रूप से भैंसों/गायों को रखने की रिपोर्ट मिली है। इन एजेंसियों द्वारा पशु मालिकों को दंडित करने के अलावा, पशुओं को हटाने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (च) दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने सूचना दी है कि दिल्ली में विभिन्न कालोनियों में गायें तथा भैंसें घूमती पाई गई हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा दिल्ली नगर निगम पशुओं को हटाने के लिए नियमित कार्रवाई कर रहे हैं। 1.4.2001 से 28.2.2002 तक की अवधि के दौरान, नई दिल्ली नगर पालिका ने 859 गायों को बंद किया, जबकि दिल्ली नगर निगम ने 2000-2001 के दौरान 13,300 पशुओं को पकड़ा।

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन योजना

3536. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्र द्वारा फिलहाल प्रदान की जा रही वृद्धावस्था पेंशन का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1995 से इस धनराशि में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इस राशि में वृद्धि करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ङ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.), जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) का हिस्सा था तथा जिसे वित्तीय वर्ष 2001-02 तक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में माना जाता था, को वित्तीय वर्ष 2002-03 से राज्य योजना के हस्तांतरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तविक लक्ष्यों और वर्ष 2001-02 के दौरान हुई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पेंशन की दर वर्ष 1995 में 75 रुपए निर्धारित की गई तथा गत वर्ष तक जारी रही।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिमाह राशि रु. में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	75.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	150.00
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	100.00
5.	छत्तीसगढ़	150.00
6.	गोवा	100.00
7.	गुजरात	200.00
8.	हरियाणा	200.00
9.	हिमाचल प्रदेश	150.00
10.	जम्मू और कश्मीर	150.00
11.	झारखण्ड	100.00
12.	कर्नाटक	100.00
13.	केरल	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	150.00
15.	महाराष्ट्र	250.00
16.	मणिपुर	100.00
17.	मेघालय	शून्य
18.	मिजोरम	100.00
19.	नागालैण्ड	100.00
20.	उड़ीसा	100.00
21.	पंजाब	200.00
22.	राजस्थान	200.00
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	200.00
25.	त्रिपुरा	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	125.00
27.	उत्तरांचल	125.00
28.	पश्चिम बंगाल	100.00
संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	100.00
30.	चण्डीगढ़	शून्य
31.	दादर व नगर हवेली	60.00
32.	दमन व दीव	60.00
33.	दिल्ली	200.00
34.	लक्षद्वीप	100.00
35.	पांडिचेरी	125.00

विवरण-II

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

वर्ष 2001-2002

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य लक्ष्य (सं.)	सूचित* लाभार्थियों की सं.
1	2	3
आंध्र प्रदेश	418550	466000
बिहार	493696	443556
छत्तीसगढ़	119298	131664
गोवा	2682	2480
गुजरात	53891	47110
हरियाणा	51415	50769
हिमाचल प्रदेश	22699	22651
जम्मू और कश्मीर	30444	12025

1	2	3
झारखंड	166238	119589
कर्नाटक	284003	178037
केरल	133988	91790
मध्य प्रदेश	320718	437514
महाराष्ट्र	399046	387568
उड़ीसा	353342	464425
पंजाब	37116	38618
राजस्थान	141496	101030
तमिलनाडु	314362	314362
उत्तर प्रदेश	754406	882986
उत्तरांचल	38678	43627
पश्चिम बंगाल	317864	331343
अ. व नि. द्वी. समूह	1668	0
चण्डीगढ़	1311	2714
दादर व नगर हवेली	1132	0
दमन व दीव	238	241
दिल्ली	23950	0
लक्षद्वीप	178	15
पांडिचेरी	4707	4180
उपयोग	4487118	4574294
पूर्वोत्तर राज्य:		
अरुणाचल प्रदेश	19365	1601
असम	280378	269064
मणिपुर	34942	27175
मेघालय	37678	26753
मिजोरम	10525	9050
नागालैंड	27364	8106
सिक्किम	10104	10104
त्रिपुरा	60413	59213
उप योग	480770	411066
कुल योग	4967887	4985360

* दिसंबर, 2001 तक

संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देना

3537. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 11.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3365 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त जानकारी कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड का निजीकरण

3538. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोचीन शिपयार्ड के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय की समीक्षा कराये जाने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सरकार ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपनी सिफारिशें देने के लिए विनिवेश आयोग को संदर्भित किया है। विनिवेश आयोग की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

अंटार्कटिका में एक और बेस-अड्डे को स्थापित किया जाना

3539. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंटार्कटिका में एक और स्थायी बेस-अड्डे की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अड्डे को स्थापित करने का लक्ष्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, हां। अंटार्कटिका में दूसरा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने के संबंध में अध्ययन

3540. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के और अधिक उपक्रमों का निजीकरण करने के संबंध में कोई अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कतिपय ऐसे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण न करने का पक्का निश्चय किया है जो राष्ट्र के लिए बड़े महत्व के हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) विनिवेश एक निरन्तर चल रही प्रक्रिया है और यह सरकार की नीति, बाजार परिस्थितियों, कंपनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखकर और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श एवं विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। विनिवेश आयोग ने केवल 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर विचार किया था और व्यवहार्य विनिवेश के परिणाम के साथ-साथ विनिवेश के लिए आरंभ किए जाने वाले तौर-तरीकों तथा उपायों की सरकार को सलाह दी थी। विनिवेश आयोग ने (चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में संशोधित सिफारिश सहित) 58 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में 5 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत सिफारिश की थी। नामत: (क) 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुकूल बिक्री द्वारा स्वामित्व/प्रबंधन में परिवर्तन आवश्यक और 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में व्यापार बिक्री। (ख) पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों की बिक्री की पेशकश द्वारा स्वामित्व/प्रबंधन में कोई परितवर्तन नहीं। (ग) 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कोई परिवर्तन नहीं अर्थात् विनिवेश आस्थगित रखना। (घ) 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करना/परिसंपत्तियों की बिक्री। (ङ) दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों द्वारा खरीद/अनुकूल बिक्री। विनिवेश आयोग के पुनर्गठन के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सहायक कंपनियों सहित सभी "गैर-महत्वपूर्ण" सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को (लेकिन आई ओ सी, ओ एन जी सी और गेल को छोड़कर) स्वतंत्र परामर्श के लिए आयोग को संदर्भित किया जाएगा।

(ग) और (घ) 16 मार्च, 1990 को सरकार ने विनिवेश के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामरिक और गैर-सामरिक वर्गों में वर्गीकृत कर दिया। निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामरिक उद्यमों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे:-

- आयुध तथा गोलाबारूद और सुरक्षा उपस्करों से संबद्ध मदें, रक्षा वायुयान तथा युद्धपोत,
- परमाणु ऊर्जा के सृजन से संबंधित क्षेत्रों और कृषि संबंधी औषधियों में विकिरण तथा रेडियो आइसोटोप का अनुप्रयोग और गैर-नीतिगत उद्योगों को छोड़कर,
- रेलवे परिवहन।

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य सभी उद्यम गैर-सामरिक माने गए। सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-सामरिक उद्यमों के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी ईक्विटी 26 प्रतिशत तक स्वत: ही कम नहीं हो जाएगी तथा ऐसा करने का तरीका और गति, मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाएगा। विनिवेश के प्रतिशत से संबंधित निर्णय अर्थात् सरकारी हिस्सा 51 प्रतिशत से कम हो अथवा 26 प्रतिशत तक हो, निम्न आधारों पर लिया जाएगा:

(1) क्या औद्योगिक क्षेत्र को निजी हाथों में सत्ता के केंद्रीकृत होने से रोकने के लिए प्रतिरोधी शक्ति के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आवश्यकता है।

(2) क्या औद्योगिक क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण से पूर्व उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता है।

इस नीति को ध्यान में रखते हुए सामरिक क्षेत्र में विनिवेश करने की कोई प्रत्याशा नहीं की गई।

तमिलनाडु में सागरीय पुरातात्विक अध्ययन हेतु धनराशि

3541. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सागरीय पुरातात्विक अध्ययन हेतु कोई धनराशि आवंटित की; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। महासागर विकास विभाग ने विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में सागरीय पुरातात्विक अध्ययनों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मदरसों में परंपरानुगत पद्धति से शिक्षा

3542. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मदरसों में परंपरानुगत पद्धति से शिक्षा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) वर्ष 1994 से केन्द्र सरकार मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु एक योजना क्रियान्वित करती आ रही है जिसका उद्देश्य आधुनिक विषयों की शुरूआत करने हेतु मदरसों तथा मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को अनुदान जारी किए जाते हैं ताकि वे प्रति मदरसा दो शिक्षकों को आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज शास्त्र) के अध्यापन हेतु वेतन का भुगतान कर सकें और एकमुश्त अनुदान दिया जाता है ताकि वे पुस्तक बैंक, विज्ञान तथा गणित किटें प्रदान कर सकें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना पर हुए व्यय का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	22.37	15.12	12.51
2.	असम	-	-	-
3.	बिहार	47.44	-	-
4.	चण्डीगढ़	0.044	0.106	0.36
5.	दादरा एवं नगर हवेली	0.72	-	0.72
6.	गोवा	-	-	-
7.	हरियाणा	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-
10.	उड़ीसा	81.12	94.08	-
11.	मध्य प्रदेश	-	220.96	147.18
12.	महाराष्ट्र	2.16	-	-
13.	कर्नाटक	42.30	51.12	-
14.	राजस्थान	-	-	-
15.	सिक्किम	-	-	-
16.	त्रिपुरा	-	-	38.53
17.	उत्तर प्रदेश	264.60	264.60	0.37
18.	पश्चिम बंगाल	-	-	1.40
19.	केरल	-	15.12	-
	कुल	460.76	661.11	201.08

[हिन्दी]

मध्यम तथा छोटे शहरों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग

3543. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) इन शहरों में देश की कुल कितने प्रतिशत जनता निवास करती है; और

(ग) इनमें से कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहे रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में छोटे एवं मझोले दर्जे के 4565 कस्बे हैं जिनकी आबादी 5 लाख से कम है। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार छोटे एवं मझोले कस्बों (5 लाख तक की आबादी वाले) की आबादी देश की कुल 846.30 मिलियन आबादी की तुलना में 144.02 मिलियन थी। इस प्रकार इन शहरों में रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत देश की कुल आबादी का 17.02 था।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 30 दिवसीय रिकॉल आधार पर आयोजित उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के 55वें राउंड से पता चलता है कि 1999-2000 में निर्धनता अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 27.09 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में करीब 23.62 प्रतिशत और समग्र देश में करीब 26.10 प्रतिशत था। छोटे एवं मझोले कस्बों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अलग से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार देश में छोटे एवं मझोले कस्बों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कस्बों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	261
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	92
4.	बिहार	152
5.	छत्तीसगढ़	95
6.	गोवा	31
7.	गुजरात	260
8.	हरियाणा	93
9.	हिमाचल प्रदेश	58
10.	जम्मू तथा कश्मीर*	–
11.	झारखंड	117
12.	कर्नाटक	303
13.	केरल	195
14.	मध्य प्रदेश	366
15.	महाराष्ट्र	327
16.	मणिपुर	31
17.	मेघालय	12
18.	मिजोरम	22
19.	नागालैंड	9
20.	उड़ीसा	124
21.	पंजाब	117
22.	राजस्थान	219
23.	सिक्किम	8
24.	तमिलनाडु	466
25.	त्रिपुरा	18
26.	उत्तरांचल	83
27.	उत्तर प्रदेश	662
28.	पश्चिम बंगाल	380
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चण्डीगढ़	4

1	2	3
31.	दादर एवं नगर हवेली	1
32.	दमन एंड दीव	2
33.	दिल्ली	31
34.	लक्षद्वीप	4
35.	पाण्डिचेरी	11
	योग	4565

*1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

दिल्ली में फार्म-हाउस

3544. श्री बीर सिंह महतो:
श्री शिवाजी माने:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फार्म-हाउसों का विनियमन करने हेतु क्या नियम बनाए गये हैं;

(ख) दिल्ली सरकार ने फार्म-हाउस मालिकों को भी वैसी ही सुविधाएं दी हैं जो कृषकों को उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में कृषि-भूमि पर निर्मित कर ली गई ऐसी अन्य परिसंपदा के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली के कृषि योग्य हरित क्षेत्र और ग्रामीण उपयोग क्षेत्र में फार्म हाउसों की अनुमति दी गई है। ये फार्म हाउस कृषि, बागवानी तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए हैं। दिल्ली में फार्म हाउस की अनुमति देने से संबंधित भवन-उपनियमों के प्रासंगिक भाग की एक प्रति विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) फार्म हाउसों में कृषि संबंधी कार्यों की अनुमति दी गयी है अत: ये कृषि योग्य/ग्रामीण उपयोग क्षेत्रों में लागू नियंत्रणों तथा मानदंडों के अध्यधीन है।

(घ) और (ङ) कृषि भूमि पर रिहायशी, सांस्थानिक, वाणिज्यिक परिसरों के विकास की सूचना समय-समय पर मिलती रही है। सरकार ने 16 मई, 1995 की अधिसूचना द्वारा कृषि भूमि पर मोटल बनाने की अनुमति दी है। अनधिकृत निर्माण अथवा भवन नक्शों का उल्लंघन देखे जाने पर संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा ऐसे अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध अपने अधिनियमों तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। कृषि भूमि का कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग करने के विरुद्ध दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

विवरण

फार्म हाउस (135)

क्र.सं.	फार्म का आकार	रिहायशी इकाई का अधिकतम फर्शी क्षेत्र	रिहायशी इकाई की अधिकतम ऊँचाई
क.	1.0 हेक्टेयर और उससे अधिक परन्तु 2.0 हेक्टेयर से कम	100 वर्ग मीटर (मेजनीन फ्लोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊँचाई 6 मी.
ख.	2.0 हेक्टेयर और उससे अधिक	150 वर्ग मी. (मेजनीन फ्लोर सहित)	एक मंजिला अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर

अन्य प्रतिबंध:-

(1) रिहायशी मकान में सेटबैक संपत्ति की किसी भी चाहरदीवारी से 15 मीटर दूर होना चाहिए।

(2) यदि संपत्ति शहर सड़क के पास हो, तो रिहायशी मकान का सेटबैक उस सड़क की मध्य रेखा से 60 मीटर दूर होना चाहिए। यदि संपत्ति ग्रामीण सड़क के पास हो तो भवन का सेटबैक उस सड़क की मध्य रेखा से 30 मीटर दूर होना चाहिए।

(3) किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार के 400 मीटर के अंदर कोई रिहायशी इकाई न बनाई जाए।

जेल में बंद आतंकवादियों द्वारा ई-मेल के जरिये संदेशों का आदान-प्रदान

3545. श्री पदमसेन चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की जेलों, विशेषकर तिहाड़ जेल में बन्द दुर्दान्त आतंकवादी ई-मेल के जरिये पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं जैसाकि 22 फरवरी, 2002 के 'दैनिक जागरण' समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) दिनांक 22 फरवरी, 2002 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित ऐसी कोई भी घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

सुनिश्चित रोजगार योजना

3546. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनिश्चित रोजगार योजना अपने लक्ष्य की पूर्ति करने में प्रभावहीन सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में आशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि, मुहैया नहीं करायी गयी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस योजना को देश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना 31.3.99 तक एक मांग आधारित योजना थी। 1.4.99 से इसे पुनर्गठित किया गया था तथा आबंटन आधारित योजना बनाया गया था और रोजगार अवसरों का सृजन योजना के अंतर्गत उपलब्ध किए गए संसाधनों पर निर्भर करता है। 2000-2001 के दौरान 2594.47 लाख श्रमदिनों के लक्ष्य की तुलना में सृजित रोजगार 2183.92 लाख श्रमदिन (84 प्रतिशत) था। बाद के वर्षों में (2001-2002) 3391.87 लाख श्रमदिनों के लक्ष्य की तुलना में नवम्बर, 2001 तक उपलब्ध अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार 1178.77 लाख श्रमदिन सृजित किए गए।

(ग) और (घ) जी, हां। 1.4.2002 से सुनिश्चित रोजगार योजना का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) में विलय कर दिया गया है। नगद घटक के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर) में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत समान मूल्य के खाद्यान्न दिए जाएंगे तथा इससे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और पोषणाहार स्तर में सुधार होगा। नगद घटक तथा खाद्यान्न गरीबी अनुपात के आधार पर वितरित किए जाएंगे।

(ङ) और (च) योजना के अंतर्गत निधियां गरीबी अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध समग्र संसाधनों को ध्यान में रखकर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से आबंटित की जाती हैं। 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान क्रमश: 1160.27 करोड़ रु. तथा 1896.58 करोड़ रु. रिलीज किए गए थे। 2001-2002 के दौरान नगद घटक के अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1719.37 करोड़ रु. के खाद्यान्न भी दिए गए थे।

(छ) एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन, ढांचागत विकास और खाद्य सुरक्षा पर अधिक बल देने के उद्देश्य से रोजगार के 100 करोड़ श्रमदिनों के सृजन के लिए 10,000 करोड़ रु. के वार्षिक परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

स्व-सहायता समूहों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की आय

3547. श्री एच.जी. रामुलू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यवार और जिलावार ग्रामीण क्षेत्रों के कितने निर्धन व्यक्तियों को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय के अवसर उपलब्ध कराये गए?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): वर्ष 2001-2002 के दौरान स्व-सहायता समूहों के जरिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत आर्थिक गतिविधि के लिए सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीबों की राज्यवार तथा जिलावार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2001-2002 के दौरान स्व-सहायता समूहों के जरिए सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या

आंध्र प्रदेश, फरवरी, 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1		2	3
1.	अदिलाबाद	177	2301
2.	अनंतपुर	99	1295
3.	चितुड	216	2701
4.	कुडप्पा	141	1416
5.	पू. गोदावरी	490	6370
6.	गुंटूर	267	2937
7.	करीमनगर	88	1030
8.	खम्माम	42	480
9.	कृष्णा	140	1938
10.	कूर्नूल	202	2816
11.	मेडक	112	1680
12.	मेहबूबनगर	106	1590
13.	नालगोंडा	301	7830
14.	नेल्लोर	107	1839
15.	निजामाबाद	226	2693
16.	प्रकाशम	272	2995
17.	रंगारेड्डी	72	1071
18.	श्रीकाकुलम	121	1897
19.	विशाखापत्तनम	308	4485
20.	विज़ियांग्राम	71	1057
21.	वारंगल	77	802
22.	प. गोदावरी	141	1811
	कुल	3776	53034

असम, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1		2	3
1.	बरपेटा	–	–
2.	बोंगाईगांव	9	116
3.	कछाड़	–	–
4.	दारंग	–	–
5.	धीमाजी	6	63
6.	धुबरी	–	–
7.	डिब्रुगढ़	1	10
8.	गोलपाड़ा	–	–
9.	गोलाघाट	–	–
10.	हैलाकाण्डी	–	–
11.	जोरहट	2	20
12.	कामरूप	–	–
13.	करबी एंगलांग	15	143
14.	करीमगंज	6	90

1	2	3
15. कोकराझाड़	–	–
16. लखीमपुर	–	–
17. मारीगांव	–	–
18. एन.सी. पहाड़ी	–	–
19. नगांव	25	250
20. नलबाड़ी	–	–
21. सिवसागर	–	–
22. सोनितपुर	–	–
23. तिनसुकिया	–	–
कुल	64	692

अरुणाचल प्रदेश, दिसम्बर 2001

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	चांगलांग	–	–
2.	दिबांग घाटी	2	10
3.	पू. कामेंग	–	–
4.	पू. सियांग	–	–
5.	निम्न सुबनसिरी	–	–
6.	लोहित	–	–
7.	पापमपारा	2	21
8.	तमांग	–	–
9.	तिरप	3	30
10.	ऊपरी सियांग	–	–
11.	ऊपरी सुवनसिरी	–	–
12.	प. कमेंग	3	30
13.	प. सियांग	10	91

बिहार, फरवरी 2002

जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1	2	3
अररिया	1	20
औरंगाबाद	0	0
बांका	167	0
बेगुसराय	112	1028
भभुआ (कैमूर)	84	870
भागलपुर	0	0
भोजपुर	152	1520
बक्सर	0	0
छपरा (सारन)	0	0
दरभंगा	327	3459
पू. चम्पारण	151	1623
गया	44	972
गोपालगंज	388	3197
जहानाबाद	93	664
जगुई	150	1500
कटिहार	9	90
खगड़िया	30	300
किशनगंज	11	90
लखीसराय	12	120
मधेपुरा	230	2094
मधुबनी	29	290
मुंगेर	7	70
मुजफ्फरपुर	244	2611
नालंदा	179	3047
नवादा	0	0

1	2	3
पटना	286	2855
पुर्णियाँ	103	1506
रोहतास	0	0
सहरसा	108	1225
समस्तीपुर	3	30
शेखपुरा	0	0
शिवहर	0	0
सीतामढ़ी	58	6991
सिवान	243	3699
सुपौल	5	55
वैशाली	18	180
प. चम्पारण	0	0
कुल	3244	40106

छत्तीसगढ़, फरवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1		2	3
1.	बस्तर	16	147
2.	बिलासपुर	44	354
3.	दांतेवाडा	0	0
4.	धमतरी	5	55
5.	दुर्ग	31	326
6.	जंजगिर	15	134
7.	जशपुर	0	0
8.	कांकेड़	3	27
9.	कवर्धा	3	33
10.	कोरबा	9	86
11.	कोरिया	0	0
12.	महासमंद	27	300
13.	रायगढ़	10	88
14.	रायपुर	18	182
15.	राजनंदगांव	8	87
16.	सुरगुजा	29	0
	कुल	218	1819

गोवा, जनवरी 2002

जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
पणजी	56	588
कुल	56	588

गुजरात, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1		2	3
1.	अहमदाबाद	4	43
2.	अमरेली	10	100
3.	आनंद*	8	82
4.	बनासकांठा	20	199
5.	भरूच	6	55
6.	भावनगर	10	100
7.	दाहोद*	10	106
8.	दांग्स आहवा	6	55
9.	गांधीनगर	2	17
10.	जामनगर	8	65
11.	जूनागढ़	3	30

	1	2	3
12.	कच्छ	0	0
13.	खेडा	6	60
14.	मेहसाना	4	43
15.	नर्मदा*	7	72
16.	नवसाड़ी*	4	43
17.	पंचमहल	19	170
18.	पाटन	7	76
19.	पोरबन्दर	0	0
20.	राजकोट	3	30
21.	साबरकांठा	219	1117
22.	सूरत	13	130
23.	सुरेन्द्रनगर	1	5
24.	बड़ोदरा	23	235
25.	बालसाड	1	10
	कुल	394	2843

हरियाणा, फरवरी, 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	अम्बाला	3	30
2.	भिवानी	–	–
3.	फरीदाबाद	3	34
4.	फतेहाबाद	–	–
5.	गुड़गांव	7	73
6.	हिसार	–	–
7.	झज्जर	3	30
8.	जिन्द	2	20
9.	कैथल	4	40
10.	करनाल	18	180
11.	कुरुक्षेत्र	20	217
12.	महेन्द्रगढ़	6	75
13.	पंचकुला	3	30
14.	पानीपत	15	154
15.	रेवाड़ी	7	76
16.	रोहतक	6	61
17.	सिरसा	–	–
18.	सोनीपत	35	351
19.	यमुनानगर	29	294
	कुल	161	1665

हिमाचल प्रदेश, फरवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	बिलासपुर	12	124
2.	चम्बा	9	94
3.	हमीरपुर	47	426
4.	कांगड़ा	150	1552
5.	किन्नौर	2	27
6.	कुल्लू	19	166
7.	लाहोल व स्पीति	–	–
8.	मण्डी	83	870
9.	शिमला	48	499
10.	सिरमौर	34	123
11.	सोलन	23	239
12.	उना	17	184
	कुल	444	4304

जम्मू व कश्मीर, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	अनंतनाग	0	–
2.	बडगाम	314	3140
3.	बारामूला	249	1924
4.	डोडा	11	83
5.	जम्मू	0	0
6.	कारगिल	0	0
7.	कठुआ	1	10
8.	कुपवाड़ा	46	338
9.	लद्दाख	0	0
10.	पुलवामा	109	760
11.	पुंछ	0	0
12.	राजौरी	0	0
13.	श्रीनगर	21	210
14.	ऊधमपुर	0	0
	कुल	751	6465

झारखण्ड, अक्तूबर 2001

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	बोकारो	7	71
2.	चतरा	44	447
3.	देवघर	–	–
4.	धनबाद	285	2760
5.	दुमका	134	2005
6.	पूर्वी सिंहभूमि	1	20
7.	गढ़वा	3	30
8.	गिरिडीह	62	482
9.	गोड्डा	1	1
10.	गुमला	31	671
11.	हजारी बाग	63	763
12.	जामनारा	–	–
13.	कोडरमा	184	147
14.	लातेहार	55	833
15.	लोहरदग्गा	1	13
16.	पाकुड़	–	–
17.	पलामू	14	140
18.	रांची	301	4449
19.	साहेबगंज	32	470
20.	सरायकेला	24	356
21.	सिमडेगा	–	–
22.	पश्चिमी सिंहभूमि	14	169
	कुल	1256	13827

कर्नाटक, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	बागलकोट	17	196
2.	बंगलौर (आर)	60	751
3.	बंगलौर (यू)	16	229
4.	बेलगाम	151	2114
5.	बेलारी	34	502
6.	बीदर	35	525
7.	बीजापुर	34	448

	1	2	3
8.	चामराजनगर	58	830
9.	चिकमगलूर	43	648
10.	चित्रदुर्ग	25	379
11.	द. कन्नड	39	419
12.	दावनगेरे	68	867
13.	धारवाड़	18	266
14.	गडग	116	501
15.	गुलबर्ग	42	504
16.	हासन	4	58
17.	हवेरी	43	508
18.	कोडाग (कूर्ग)	0	0
19.	कोलार	130	1778
20.	कोप्पल	15	216
21.	माण्डया	81	810
22.	मैसूर	66	846
23.	रायचूर	23	237
24.	शिमोगा	86	976
25.	तूमकुर	103	1030
26.	उडुपी	22	257
27.	उत्तर कन्नड़	9	100
	कुल	1338	15995

केरल, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	अलेप्पी (अलापुझा)	28	282
2.	अर्नाकुलम	55	605
3.	इडुक्की	26	360
4.	कन्नूर (कन्नानोर)	67	756
5.	कसारगोड़	5	53
6.	कोल्लम	40	425
7.	कोट्टायम	20	241
8.	कोझीकोड	58	640
9.	मालापरम	39	399
10.	पालघाट (पोलक्कड़)	25	294
11.	पथानमथिटा	17	178
12.	निरूवनंतपुरम	48	530
13.	त्रिचूर (थ्रिसूर)	101	1200
14.	वायनाड	12	123
	योग	541	6086

मध्य प्रदेश, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	बालाघाट	26	292
2.	बड़वानी	–	–
3.	बेतूल	4	182
4.	भिण्ड	41	413
5.	भोपाल	20	200
6.	छतरपुर	5	63
7.	छिंदवाड़ा	6	60
8.	दमोह	1	1
9.	दतिया	4	40
10.	देवास	9	11
11.	धार	27	247

	1	2	3
12.	दिन्दोरी	37	406
13.	गुना	23	252
14.	ग्वालियर	83	862
15.	हरदा	3	60
16.	होसंगाबाद	5	52
17.	इन्दौर	16	164
18.	जबलपुर	9	94
19.	झाबुआ	76	656
20.	कटनी	40	233
21.	खंडवा (पू. निमार)	15	148
22.	खरगोन	96	983
23.	माण्डला	46	113
24.	मन्दसौर	58	583
25.	मोरैना	5	45
26.	नरसिन्हपुर	–	–
27.	नीमच	10	108
28.	पन्ना	–	–
29.	राजगढ़	28	265
30.	रायेसन	4	44
31.	रत्लाम	19	–
32.	रीवा	–	145
33.	सागर	3	30
34.	सतना	26	272
35.	सिहौर	3	35
36.	शिवनी	4	47
37.	शिवपुर	–	–
38.	शहडौल	33	355
39.	शाजापुर	–	–
40.	शिवपुरी	–	–
41.	सिधी	–	–
42.	टीकमगढ़	3	36
43.	उज्जैन	10	86
44.	उमरिया	27	345
45.	विदिशा	1	3
	कुल	826	7931

महाराष्ट्र, फरवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	अहमदनगर	66	682
2.	अकोला	19	185
3.	अमरावती	97	1295
4.	औरंगाबाद	26	285
5.	बीड़	5	50
6.	भन्डारा	25	265
7.	बुल्दाना	130	1237
8.	चन्द्रपुर	56	606
9.	धूले	18	198
10.	गडचिरौली	40	400
11.	गोन्डिया	37	397
12.	हिन्गौली	6	63
13.	जलगांव	98	1020
14.	जालना	29	289
15.	कोल्हापुर	44	420
16.	लातूड़	16	161

	1	2	3
17.	नागपुर	9	91
18.	नान्देड़	22	245
19.	नन्दरबार	16	177
20.	नासिक	50	506
21.	ओस्मानाबाद	3	41
22.	परभानी	6	60
23.	पुणे	49	509
24.	रायगढ़	32	353
25.	रत्नागिरी	29	285
26.	सांगली	53	559
27.	सतारा	94	962
28.	सिन्धुदुर्ग	19	196
29.	सोलापुर	122	1220
30.	थाणे	70	684
31.	वर्धा	40	435
32.	वसीम	41	359
33.	यावतमल	118	1184
	कुल	1485	15419

मणिपुर

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	विष्णुपुर	–	–
2.	चन्देल	–	–
3.	चूड़ा-चन्द्रपुर	–	–
4.	इम्फाल पश्चिम	–	–
5.	सेनापति	–	–
6.	तामेंगलोंग	–	–
7.	थोबल	–	–
8.	उखडुल	–	–
9.	इम्फाल पूर्व	–	–
	कुल	0	0

मेघालय, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	पूर्वी गारो पहाड़ी	–	1215
2.	पूर्वी खासी पहाड़ी	–	–
3.	जंयतिया पहाड़ी	–	–
4.	रिभोई जिला	–	–
5.	दक्षिणी गारो जिला	–	–
6.	पश्चिमी गारो पहाड़ी	–	808
7.	पश्चिम खासी पहाड़ी	6	2173
	कुल	6	4196

मिजोरम, जनवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	आइजल	–	1040
2.	चम्फसई	–	–
3.	लुंगलेई	6	64
4.	कोलासिव	15	150
5.	लांगिटिया (छिगतुईपुई प.)	–	–
6.	मामित	–	–

	1	2	3
7.	सैहा (छिमतुईपुई पूर्व)	4	40
8.	सेरछिप	86	999
	कुल	111	2293

नागालैण्ड, दिसम्बर 2001

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	दीमापुर	–	–
2.	कोहिमा	–	–
3.	मोकोकचुंग	24	296
4.	मोन	–	–
5.	फेक	–	–
6.	त्वेनसांग	–	–
7.	वोखा	–	–
8.	झुन्हे बोटो	36	538
	कुल	60	834

उड़ीसा, फरवरी, 2001

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	अंगूल	14	149
2.	बारगढ़	4	41
3.	भदरक	0	–
4.	बोलनगिर	114	1181
5.	बालासोर	28	282
6.	बोध	8	100
7.	कटक	52	621
8.	देवगढ़	7	83
9.	धेंकनाल	26	265
10.	गजपति	26	243
11.	गंजाम	262	3363
12.	जगतसिंहपुर	0	–
13.	जजपुर	0	–
14.	झाड़सुगोड़ा	1	10
15.	कालाहाण्डी	0	–
16.	केन्द्रपारा	0	–
17.	क्योंझर	24	263
18.	खुर्दा	0	–
19.	कोरापुट	0	–
20.	मलकानगिरि	0	–
21.	मयूरभंज	0	–
22.	नवरंगपुर	25	254
23.	नवापाड़ा	9	119
24.	नयागढ़	25	306
25.	फूलबनी	7	72
26.	पूरी	0	–
27.	रायगढ़	34	409
28.	सम्बलपुर	20	226
29.	सोनपुर	10	139
30.	सुन्दरगढ़	13	61
	कुल	709	8287

पंजाब, फरवरी, 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	अमृतसर	9	102
2.	भटिण्डा	3	30
3.	फरीदकोट	–	–
4.	फतेहगढ़ साहिब	3	32
5.	फिरोजपुर	7	78
6.	गुरुदासपुर	17	197
7.	होशियारपुर	9	101
8.	जालंधर	–	–
9.	कपूरथला	–	–
10.	लुधियाना	4	41
11.	मानसा	–	–
12.	मोगा	–	–
13.	मुक्तसर	1	10
14.	नवाशहर	1	10
15.	पटियाला	14	145
16.	रोपड़	4	40
17.	संगरूर	3	27
	कुल	75	813

राजस्थान, फरवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	अजमेर	–	–
2.	अलवर	–	–
3.	बांसवारा	–	–
4.	बारन	–	–
5.	बारमेर	–	–
6.	भरतपुर	–	–
7.	भीलवाड़ा	–	–
8.	बीकानेर	–	–
9.	बूंढ़ी	–	–
10.	चित्तौड़गढ़	–	–
11.	चूरन	–	–
12.	दौसा	5	56
13.	धोलपुर	–	–
14.	डुंगरपुर	8	82
15.	हनुमानगढ़	–	–
16.	जयपुर	–	–
17.	जैसलमेर	–	–
18.	जालोर	–	–
19.	झालावार	–	–
20.	झुनझुनू	–	–
21.	जौधपुर	–	–
22.	करोली	–	–
23.	कोटा	13	135
24.	नागौर	–	–
25.	पाली	42	438
26.	राजसमन्द	–	–
27.	सवाईमाधोपुर	–	–
28.	सिकार	–	–
29.	विरोही	–	–
30.	श्रीगंगानगर	–	–
31.	टोंक	–	–
32.	उदयपुर	8	86
	कुल	76	797

सिक्किम, जनवरी 2002

जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
सिक्किम	5	57
कुल	5	57

तमिलनाडु, फरवरी 2002

जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1	2	3
1. ए.टी.पी. सेल्वम (थिरूवरूर)	33	554
2. वेंकलपट्टू (काँचीपुरम)	103	1550
3. कोयम्बटूर	112	1530
4. धर्मपुरी	97	1639
5. दिन्दीगुल अन्ना	49	826
6. कामराजर (विरुद्धनगर)	92	1562
7. कन्याकुमारी	37	665
8. करूर-धीरन	50	665
9. मदुरई	127	2220
10. एम.जी.आर. (न्यू.) थिरूवल्लूर	111	1665
11. निलिगिरि (उदगमंगलम)	48	750
12. उत्तरी आरकोट (वेल्लोर)	280	4432
13. पेराम्बलूर	7	132
14. पेरियार (इरोड)	46	644
15. पुडुकोट्टई	65	1005
16. कवेड-इ-मिसेथ (नागपट्टनम)	90	1265
17. राजा जी/नामक्कल	206	3257
18. रामनाथपुरम (रामनाड)		
19. सलेम	160	2389
20. सामम्यावरायर (तिरन्नामलाई)	69	1192
21. शिवगंगा (पसुमपोन)	81	1443
22. दक्षिणी आरकोट (कुडालोर/वल्लल)	33	595
23. तंजावूर	88	1353
24. तिरूनेवेल्ली	88	1437
25. त्रिची	120	1521
26. वी.ओ. चिदम्बनार (तूतीकोरन)	100	1349
27. बी.आर. पाडयोचिआर (वल्लूपूरम)	122	2430
28. वेंगाय-वीरन (थेन्नी)	42	573
योग	2513	39521

उत्तर प्रदेश, फरवरी 2002

जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1	2	3
1. आगरा	40	426
2. अलीगढ़	48	805
3. इलाहाबाद	31	466
4. अम्बेडकरनगर	8	81
5. औरईया	32	426
6. आजमगढ़	6	90
7. बदायूं	49	508
8. बागपत	3	32
9. बहराईच	1	12
10. बलिया	1	10
11. बलरामपुर	62	745
12. बांदा	2	25
13. बाराबंकी	8	68
14. बरेली	30	314
15. बस्ती	29	290
16. बिजनौर	10	92

1	2	3
17. बुलंदशहर	16	116
18. चंदौली	0	0
19. देवरिया	2	27
20. ईटा	8	69
21. इटावा	61	737
22. फैजाबाद	5	53
23. फतेहपुर	0	0
24. फिरोजाबाद	15	158
25. फरुखाबाद	50	510
26. गौतमबुद्धनगर	23	230
27. गाजियाबाद	11	114
28. गाजीपुर	50	485
29. गोंडा	33	485
30. गोरखपुर	1	12
31. हमीरपुर	0	0
32. हरदोई	0	0
33. जालौन	2	20
34. जौनपुर	12	56
35. झांसी	2	24
36. ज्योतीबा फूले नगर	9	110
37. कन्नौज	8	80
38. कानपुर देहात	110	986
39. कानपुर नगर	39	603
40. कौशाम्बी	0	0
41. खेरी	0	0
42. कुशीनगर	0	0
43. ललितपुर	4	39
44. लखनऊ	30	360
45. महामायानगर	21	245
46. महाराजगंज	52	554
47. महोबा	5	45
48. मैनपुरी	32	472
49. मथुरा	50	605
50. मऊनाथभंजन	0	0
51. मेरठ	24	256
52. मिर्जापुर	25	261
53. मुरादाबाद	16	173
54. मुजफ्फरनगर	5	48
55. पीलीभीत	22	283
56. प्रतापगढ़	15	150
57. रायबरेली	8	86
58. रामपुर	37	430
59. सहारनपुर	5	55
60. साहजी महराज नगर (चित्रकूट)	6	64
61. संत कबीर नगर	20	214
62. संत रविदास नगर (भदोही)	10	120
63. शाहजहाँपुर	63	711
64. श्रावस्ती	0	0
65. सिद्धार्थ नगर	10	132
66. सीतापुर	55	516
67. सोनभद्र	15	150
68. सुल्तानपुर	27	265
69. उन्नाव	0	0
70. वाराणसी	82	952
कुल	1456	16451

त्रिपुरा, फरवरी 2002

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	धलाई	134	1451
2.	उत्तरी (त्रिपुरा)	8	82
3.	दक्षिणी (त्रिपुरा)	94	1138
4.	पश्चिमी (त्रिपुरा)	0	0
	कुल	236	2671

उत्तरांचल, दिसम्बर 2001

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	अल्मोड़ा	208	3967
2.	बागेश्वर	57	2528
3.	चमोली	108	1518
4.	चम्पावत	47	1099
5.	देहरादून	116	4184
6.	हरिद्वार	109	2627
7.	नैनीताल	71	9963
8.	पौड़ी गढ़वाल	234	1110
9.	पिथौरागढ़	80	4162
10.	रुद्रप्रयोग	46	2101
11.	टेहरी गढ़वाल	201	3101
12.	उधमसिंह नगर	52	3440
13.	उत्तरकाशी	55	7985
	कुल	1384	47785

पश्चिम बंगाल

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
1.	24 परगना (उत्तर)	2	22
2.	24 परगना (दक्षिण)	–	–
3.	वाककरा	4	45
4.	वीरभूम	2	22
5.	वर्दवान	6	52
6.	कूच बिहार	4	46
7.	दार्जीलिंग	–	–
8.	हुगली	3	30
9.	हावड़ा	83	833
10.	जलपाईगुड़ी	2	26
11.	मालदा	–	–
12.	मिदनापुर	–	–
13.	मुर्शिदाबाद	3	41
14.	नादिया	1	10
15.	उत्तर दिनाजपुर	2	20
16.	पुरूलिया	–	–
17.	सिलीगुड़ी	–	–
18.	द. दिनाजपुर	6	68
	कुल	118	1215

अंडमान निकोबार, जुलाई 2001

	जिला	सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या	स्व-सहायता समूहों के जरिए कवर किए गए स्वरोजगारियों की संख्या
	1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	0	0
	कुल	0	0

1	2	3
दमन व दीव—दिसम्बर, 2001		
दमन व दीव	0	0
कुल	0	0
दादरा व नगर हवेली		
दादरा व नगर हवेली	0	0
कुल	0	0
लक्षद्वीप		
लक्षद्वीप	0	0
कुल	0	0
पांडिचेरी—जनवरी, 2002		
पांडिचेरी	18	230
कुल	18	230

इंजीनियरिंग कालेज

3548. श्री सवशीभाई मकवाना:
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या राज्यवार कुल कितनी है;

(ख) इन कालेजों में योग्यता-आधार तथा भुगतान-आधार वाले कितने-कितने स्थान उपलब्ध हैं;

(ग) इन कालेजों में भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों में कुल कितने स्थान हैं; और

(घ) नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में राज्यवार कितने आवेदन मंजूरी हेतु लम्बित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों के दाखिले की अनुमोदित क्षमता सहित देश में इंजीनियरी कालेजों के राज्यवार ब्यौरे संलग्नक विवरण में दिये गये हैं। यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार सरकारी संस्थाओं में सभी सीटें नि:शुल्क सीटें हैं, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त प्रत्ये कालेज द्वारा कुल सीटों का 50 प्रतिशत नि:शुल्क सीटों तथा शेष 50 प्रतिशत सीटों को भुगतान सीट के रूप में निर्धारित किया जाता है।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इसने 2002-2003 के दौरान इंजीनियरी कालेजों की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु 2350 आवेदन पत्र प्राप्त किए; 243 संस्थाओं को आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। शेष आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों से आवेदकों को अवगत कराया जा चुका है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत दाखिला सहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थाओं की संख्या					
	निजी		सरकारी		कुल	
	संस्थाओं की संख्या	दाखिला	संस्थाओं की संख्या	दाखिला	संस्थाओं की संख्या	दाखिला
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	166	44325	10	2425	176	46750
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	00	00	00	00	00	00
अरुणाचल प्रदेश	00	00	01	210	01	210
असम	00	00	03	720	03	720

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	02	600	04	735	06	1335
चण्डीगढ़	00	00	02	460	02	460
छत्तीसगढ़	07	1840	05	1360	12	3200
दादरा व नगर हवेली	00	00	00	00	00	00
दमन एवं दीव	00	00	00	00	00	00
दिल्ली	08	1300	05	1650	13	2950
गोवा	02	390	01	320	03	710
गुजरात	15	6015	08	3361	23	9376
हरियाणा	27	7300	06	845	33	8145
हिमाचल प्रदेश	01	200	01	210	02	410
जम्मू एवं कश्मीर	03	640	02	525	05	1165
झारखंड	03	430	04	1130	07	1560
कर्नाटक	99	35092	04	1533	103	36625
केरल	12	2690	32	7964	44	10654
लक्षद्वीप	00	00	00	00	00	00
मध्य प्रदेश	25	7080	09	2870	34	9950
महाराष्ट्र	129	39450	18	4170	147	43620
मणिपुर	00	00	01	150	01	150
मेघालय	01	180	00	00	01	180
मिजोरम	00	00	01	120	01	120
नागालैंड	00	00	00	00	00	00
उड़ीसा	30	7445	06	1220	36	8665
पांडिचेरी	04	1270	01	420	05	1690
पंजाब	12	3260	10	2060	22	5320
राजस्थान	19	4507	05	1477	24	5984
सिक्किम	00	00	01	340	01	340
तमिलनाडु	213	60535	16	5672	229	66207

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	00	00	01	160	01	160
उत्तर प्रदेश	56	14490	18	3981	74	18471
उत्तरांचल	04	1000	06	1130	10	2130
पश्चिम बंगाल	23	5040	15	3499	38	8539
कुल	861	245079	196	50717	1057	295796

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

3549. श्री आर.एस. पाटिल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अधीन वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं, ये कहां-कहां स्थित हैं एवं इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा कोई क्षेत्रीय कार्यालय है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद और चेन्नई में स्थित हैं।

प्रत्येक कार्यालय का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है:-

कोलकाता : पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह।

चेन्नई : तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी।

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन व दीव।

गुवाहाटी : असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय।

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय :

(1) हिन्दी के संवर्धन हेतु राज्य सरकारों तथा विभिन्न स्वैच्छिक हिंदी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

(2) योजनाओं के क्रियान्वयन में निदेशालय को सहायता प्रदान करता है और

(3) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों में स्थित स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है।

जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन प्रक्रिया

3550. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों तथा अलगाववादी राजनैतिक संगठनों व नेताओं से वहां निर्वाचन-प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान करने पर, भारत के भीतर और बाहर सक्रिय उग्रवादी संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अलगाववादी राजनैतिक नेताओं और उग्रवादियों के साथ कोई बैठक की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) कश्मीर समस्या का समाधान करने तथा वहां सुचारू ढंग से चुनाव करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) प्रधान मंत्री के आह्वान पर पाक समर्थित उग्रवादी ग्रुपों ने इस सीमा तक प्रतिक्रिया की है कि उन्होंने चुनाव में भाग लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की धमकियां दे डाली हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) कूटनीतिक पहलों के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर समस्या को हल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के तीन मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:- (1) जम्मू और कश्मीर के अंदर सीमा पार से आंतकवाद से निपटने के लिए प्रतिकारी कदम उठाना (2) राज्य में आर्थिक विकास में गति लाना (3) राज्य में लोगों के उन सभी ग्रुपों, जो हिंसा का मार्ग छोड़ देंगे, से बातचीत के लिए सदैव तैयार रहना।

चुनाव भली-भांति सम्पन्न कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपेक्षित हर संभव सहायता उपयुक्त समय पर प्रदान की जाती है।

गुजरात में भूकम्प-विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना

3551. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात में भूकम्प-विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के सम्बन्ध में वहां की सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को मंजूरी कब तक दिये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) महोदय, गुजरात सरकार से भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव को मूर्त रूप देने तथा ब्यौरों, जिसमें अनुमानित लागत एवं संभव वित्तीय पैटर्न तथा प्रणालियां शामिल हैं, को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। इस विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

कुआलालम्पुर में आयोजित विश्व कप हाकी में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर भारतीय हाकी परिसंघ की रिपोर्ट

3552. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंहः

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुआलालम्पुर में आयोजित विश्व कप हाकी में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर भारतीय हाकी परिसंघ से रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस तारतम्य में दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय हाकी टीम के दयनीय प्रदर्शन की जवाबदेही तय करने की दिशा में कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में खेलकूद के क्षेत्र में प्रदर्शन सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, हां।

(ख) अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में, भारतीय हाकी परिसंघ (आई.एच.एफ.) ने कुआलालम्पुर में आयोजित विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित कारण दर्शाये हैं:-

(1) एशियाई टीमों के विरुद्ध सही प्रणाली से न खेलने के लिए निपुणता संबंधी त्रुटि। पहले चार मैचों में खिलाड़ियों को सही स्थिति में नहीं खेलने दिया गया।

(2) घटिया गोल कीपरी।

(3) पहुंच में सततता एवं एकता का अभाव।

तथापि, भारतीय हाकी परिसंघ से सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) आगे की कार्रवाई पर, यदि कोई है, भारतीय हाकी परिसंघ से पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

(ङ) किसी भी खेल का संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है जो पंजीकृत सोसायटियां होती हैं और अपने कार्यकरण में स्वायत्तशासी होते हैं। तथापि, सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत, विभिन्न खेल संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों को पूरा करती है।

[हिन्दी]

वीरता पुरस्कार विजेता बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा

3553. श्री रामपाल सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीरता पुरस्कार विजेता बहादुर बच्चों को आजीवन नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने विषयक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेताओं को स्कूलों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रायोजन, सुपात्र पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता और 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क रेल यात्रा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण के कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

3554. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे उन स्वयंसेवी संगठनों का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) इस प्रकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में क्या मानदंड रखे गये हैं;

(ग) ऐसे संगठनों का लेखा-परीक्षण करने वाले अभिकरणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से कतिपय अभिकरणों ने धनराशि का दुरूपयोग किया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) महिलाओं के कल्याणार्थ स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग वर्षों का ब्यौरा अलग-अलग है।

(ख) अलग-अलग स्कीमों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किये गए हैं। तथापि, सभी स्कीमों के लिए समान पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं-संगठन को पंजीकृत होना चाहिए, उसे अपने सदस्यों के लाभार्थ कार्य नहीं करना चाहिए और उसको महिलाओं के विकास के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

(ग) इन अभिकरणों के खातों की सनदी लेखापालों द्वारा लेखा-परीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) जहाँ कहीं भी निधियों के दुरूपयोग के मामले सिद्द हुए हैं, संबंधित संगठन को काली सूची में डाल दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

3555. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री रामशकल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष रोजगार की पात्रता प्राप्त कर लेने वाले युवाओं की संख्या के सम्बन्ध में आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजागारी बढ़ती जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) बेरोजगारी का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा एकत्रित आंकड़ों से पांच वर्षों में एक बार प्राप्त होते हैं।

(ग) 1999-2000 के दौरान एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण (55वां चरण) के अद्यतन चरण के जरिए प्राप्त बेरोजगारी की दर का अनुमान (सामान्य स्थिति एप्रोच) विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एन.एस.एस.ओ द्वारा 1993-94 (50वां चरण) में और 1999-2000 (55वां चरण) में कराए गए सर्वेक्षण के अद्यतन द्वितीय चरण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 1993-94 के 1.13 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 1.43 प्रतिशत हो गई है। 1999-2000 की अवधि के दौरान श्रमबल की वृद्धि दर 1.18 प्रतिशत की अखिल भारतीय स्तर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 0.71 प्रतिशत अनुमानित है।

विवरण

ग्रामीण बेरोजगारी की दर का अनुमान (सामान्य स्थिति दृष्टिकोण एप्रोच)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति (प्रति एक हजार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	57
4.	बिहार	20
5.	गोवा	99
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	13
8.	हिमाचल प्रदेश	26
9.	जम्मू व कश्मीर	30
10.	कर्नाटक	8
11.	केरल	109
12.	मध्य प्रदेश	6
13.	महाराष्ट्र	18
14.	मणिपुर	24
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	15
17.	नागालैंड	32
18.	उड़ीसा	27
19.	पंजाब	26
20.	राजस्थान	6
21.	सिक्किम	31
22.	तमिलनाडु	23
23.	त्रिपुरा	12
24.	उत्तर प्रदेश	12
25.	प. बंगाल	35
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	44
27.	चण्डीगढ़	9
28.	दादर व नगर हवेली	10
29.	दमन व दीव	10
30.	दिल्ली	47
31.	लक्षद्वीप	219
32.	पांडिचेरी	40
	अखिल भारत	19

[अनुवाद]

उड़ीसा में स्थानीय नगर-निकायों के विकास हेतु धनराशि

3556. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2002-2003 के दौरान उड़ीसा में स्थानीय नगर-निकायों के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्य के स्वच्छता कार्यक्रम के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) छोटे व मझौले कस्बों

के समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत राज्यों में छोटे एवं मझौले कस्बों के विकास के लिए धन का आवंटन किसी राज्य के छोटे व मझौले कस्बों में शहरी आबादी के ऐसी अखिल भारतीय आबादी के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत राज्य सरकारों को धन का आवंटन ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. मानदंडों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार उड़ीसा के शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन दिया जाएगा।

(ग) और (घ) मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत सफाई स्कीम (एल.सी.एस.) के तहत राज्य सरकारों को धन का आवंटन एल.सी.एस. मानदंडों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार उड़ीसा के शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन दिया जाएगा।

वाणिज्यिक दुकानों का करयोग्य मूल्य

3557. डा. (श्रीमती) अनिता आर्य: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निविदाएं जारी करके वाणिज्यिक इकाइयों का विस्तारण करने से दिल्ली नगर निगम के लिए एक गंभीर विसंगति उत्पन्न हुई है जो कि वाणिज्यिक दुकानों का करयोग्य मूल्य (आर.वी.) तय करने के सम्बन्ध में है- क्योंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाये गये सूत्र के आधार पर इसे वर्ष 1998 में खोली गई निविदाओ के माध्यम से बेची गई वाणिज्यिक इकाइयों के वास्तविक विक्रय मूल्य के आधार पर तय किया गया था और तत्पश्चात्-जैसा कि कुछ मामलों में हुआ-समान क्षेत्रफल, समान आरक्षित मूल्य तथा समान अवस्थिति की दो अलग-अलग दुकानों को समान ही निविदा पर अलग-अलग मूल्य पर बेच देने से इस व्यवस्था में विसंगति आ गई;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त व्यवस्था में समरूपता लाने के लिए सरकार का दिल्ली नगर निगम के सूत्र में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस आशय के मार्गनिदेश जारी करने का विचार है कि वह इन वाणिज्यिक इकाइयों की निर्माण-लागत को दर्शाये ताकि दिल्ली नगर निगम निष्पक्ष तथा न्यायोचित ढंग से इन दुकानों का करयोग्य मूल्य निश्चित कर सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम (कर योग्य मूल्य निर्धारण) उपनियम, 1994 के अनुसार खरीद के समय सम्पत्ति का मूल्य निर्धारण दिये गये खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है और उसके सामने कोई विसंगति नहीं आयी है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास योजनाओं पर व्यय धनराशि

3558. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल): क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास पर सरकार द्वारा राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय असुंतलन की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002) के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 21218.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस मंत्रालय द्वारा इन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित राज्यों को जारी की गई कुल निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वर्ष के लिए निधियां अभी जारी की जानी हैं।

(ख) मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां अनुमोदित मानदंडों के अनुसार आबंटित की जाती हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण गरीबी अनुपात पर विचार किया जाता है।

विवरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान जारी की गई कुल राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66266.30	91711.45	92058.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	4298.32	8729.58	8783.30
3.	असम	30712.90	31752.69	55699.34
4.	बिहार	109086.35	67956.22	68628.37
5.	छत्तीसगढ़	-	37354.42	33753.99
6.	गोवा	411.61	1689.05	1539.92
7.	गुजरात	29203.29	59221.31	32856.00
8.	हरियाणा	12757.97	13381.61	16444.01
9.	हिमाचल प्रदेश	9017.23	16202.44	17842.85
10.	जम्मू व कश्मीर	9912.27	11231.08	22995.38
11.	झारखण्ड	-	38256.71	48543.35
12.	कर्नाटक	42123.91	44511.78	54234.79
13.	केरल	18595.04	17799.23	21779.79
14.	मध्य प्रदेश	81171.34	81032.65	88951.41
15.	महाराष्ट्र	73781.06	75519.25	83816.95
16.	मणिपुर	1067.69	6396.10	6774.95
17.	मेघालय	2125.72	7847.18	8353.40
18.	मिजोरम	1872.94	4991.37	5713.54
19.	नागालैण्ड	2540.28	6205.03	7223.59
20.	उड़ीसा	65932.49	92585.13	86104.95
21.	पंजाब	6272.03	8508.73	11351.15
22.	राजस्थान	39953.93	75558.12	65455.13
23.	सिक्किम	2581.81	2989.10	3879.55

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	53707.14	53518.14	54230.65
25.	त्रिपुरा	5896.36	10489.94	11229.61
26.	उत्तर प्रदेश	135372.99	135361.25	155602.13
27.	उत्तरांचल	–	14650.31	17920.23
28.	पश्चिम बंगाल	44028.86	61195.06	64409.90
29.	अण्ड. निकोबार द्वीपसमूह	80.38	1294.09	252.18
30.	चण्डीगढ़	17.85	14.64	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	122.73	115.39	664.68
32.	दमन व द्वीव	33.57	538.07	40.58
33.	दिल्ली	140.52	53.87	573.83
34.	लक्षद्वीप	59.10	52.55	516.51
35.	पांडिचेरी	224.49	729.37	257.12
	अखिल भारत	849368.65	1079442.91	1148481.98

* वर्ष 1999-2000 में विद्यमान नहीं।

[हिन्दी]

विनिवेश नीति

3559. श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री सुरेश पासी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान क्या-क्या उपाय किये; और

(ख) वर्ष 1991-92 की तुलना में सरकार की विनिवेश नीति, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितनी सफल रही है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) विनिवेश प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई उपाय आरंभ किए गए हैं। इनमें सलाहकारों तथा अन्य मध्यस्थों (विधिक सलाहकार, मूल्य निर्धारक आदि) के चयन में प्रक्रियाओं को कारगर बनाना/उनका मानकीकरण करना, जहां व्यवहार्य हो साथ-साथ क्रियाकलाप आरंभ करना, व्यापारिक यूनियनों के प्रतिनिधियों (जहां कहीं आवश्यक हो) सहित विभिन्न भागीदारों के साथ परामर्श करना, विनिवेश आयोग का पुनर्गठन, सभी "गैर-सामरिक" सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओ.एन.जी.सी., गेल तथा आई.ओ.सी. को छोड़कर) को स्वतंत्र तथा व्यावसायिक सलाह के लिए आयोग को संदर्भित करने के लिए निर्णय लेना शामिल है ताकि उनकी सलाह पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों की एक बड़ी संख्या तैयार की जा सके। जब कभी आवश्यकता पड़ती है, किसी सौदे को बंद/पूरा करने के लिए अपेक्षित समय को कम करने के लिए, प्रत्येक सौदे के अनुभव के आधार पर विनिवेश प्रक्रियाओं को और परिष्कृत किया जाता है।

(ख) यद्यपि लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों में अल्पांश भागीदारी की बिक्री के साथ विनिवेश 1991-92 से आरम्भ किया गया था, तथापि, प्रक्रिया पर जोर देने में प्रमुख परिवर्तन 1998-99 में तब हुआ जब सरकार न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता को साधारण मामलों में (इस प्रकार स्वामित्व परिवर्तनों को सुसाध्य बनाते हुए, जैसा कि विनिवेश आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी) 26 प्रतिशत के स्तर तक नीचे लाने का निर्णय लिया और 2000-2001 में जब सरकार ने सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रमों की अनुकूल बिक्री पर जोर दिया। लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में अल्पांश भागीदारी की बिक्री के बजाय अनुकूल बिक्री पर जोर देने के परिवर्तन ने अर्जन अनुपात के मूल्य के संदर्भ में परिमापी के बहुत अच्छे परिणाम दिखाने आरंभ किए हैं जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है:-

मूल्य लाभार्जन अनुपात
शेयर का मूल्य : प्रति शेयर अर्जन

शेयरों की बिक्री बनाम अनुकूल विनिवेश

शेयरों की बिक्री 1991-99	अनुकूल विनिवेश 2000-2002
1. आई ओ सी - 4.9	1. बाल्को - 19
2. बी पी सी एल - 5.7	2. सी एम सी - 12
3. एच पी सी एल - 5.9	3. एच टी एल - 37
4. गैल - 4.4	4. एम एफ आई एल - बहुत अधिक क्योंकि प्रतिशेयर लाभार्जन नकारात्मक था।
5. बी एस एन एल - 6.0 (एकाधिकार के दिनों में)	5. एल जे एम सी - वही
	6. पी पी एल - वही
	7. जैसप - वही
	8. आई बी पी - 63
	9. वी एस एन एल - 11 एकाधिकार के समाप्त हो जाने के बाद (लाभांश आदि की आमदनी सहित)
	10. एच जैड एल - 26

इसके अलावा अनुकूल बिक्री से सरकार को बेहतर लाभ प्राप्त हुआ है। पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में (31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कुल इक्विटी लगभग 78,000 करोड़ रुपए है) केन्द्र सरकार तथा होल्डिंग कंपनियों को इक्विटी के एक प्रतिशत की बिक्री मात्र (लगभग 744 करोड़ रुपए) से ही सरकार/होल्डिंग कंपनियां लगभग 10 गुणा लाभार्जन करेंगी। इस वसूली से वार्षिक लाभ की धनराशि लगभग 825 करोड़ रुपए होगी (721.96 + 102.83) जैसा कि निम्नलिखित तालिका से पता चलेगा।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण

भागीदार : कर दाता

क्र.सं.	नाम	बेची गई इक्विटी	जुटाई गई धनराशि	10 प्रतिशत जमा पर वार्षिक ब्याज	बेची गई इक्विटी पर सरकार द्वारा प्राप्त लाभांश वर्ष 2000 तक पिछले 8 वर्षों का औसत
1	2	3	4	5	6
1.	एम एफ आई एल	13.01	149	14.9	0.65
2.	बाल्को	112.52	826.5	82.65	5.69

1	2	3	4	5	6
3.	सी एम सी	7.73	152	15.2	0.8
4.	एच टी एल	11.1	55	5.5	0.8
5.	एल जे एम सी	0.77	2.53	0.25	शून्य
6.	आई टी डी सी-9 होटल	7.71	179.55**	21.80	शून्य@
7.	एच सी आई-3 होटल	14.67	242.51**	25.91*	शून्य
8.	आई बी पी	7.44	1153.68	115.36	1.84
9.	वी एस एन एल	71.25	3689†	368.9	10.4
10.	एस टी सी	–	40	4	–
11.	एम एम टी सी	–	60	6	–
12.	पी पी एल	320.16	151.70	15.17	(–)71#
13.	जैसप	68.13	18.18**	1.82	(–)55#
14.	एच जैड एल	109.85	445	44.5	3.5
	सकल योग	744.34	7164.65	721.96	(–)102.83

* न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान और पट्टा किराया सहित
@ अंतिम वर्षों के लिए
† लाभांश और लाभांश कर सहित
** संभावित
# पुनर्संरचना/ऋण को इक्विटी में बदलना तथा ब्याज का हटाया जाना-अत: हानि। क्रम संख्या 5, 7, 13 पर सहायक कंपनियां हैं। क्रम सं. 13 पर, बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन बिक्री।

संसद सदस्यों और पत्रकारों के पत्रों का उत्तर

3560. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत एक वर्ष के दौरान संसद सदस्यों और पत्रकारों की ओर से प्रतिमास कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने पत्रों का उत्तर उसी मास दे दिया गया;

(ग) पत्रों का उत्तर नहीं देने अथवा इसमें विलम्ब होने के क्या कारण रहे; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों हेतु विदेशी सहायता

3561. श्री बी.वी.एन. रेड्डी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने आंध्र प्रदेश की 16 नगरपालिकाओं में विकास कार्यों को संचालित करने के लिए 90.79 करोड़ रु. मूल्य की सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो इन नगरों में किये जाने वाले कार्यों का नगर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नगरों के विकास कार्यों में इतालवी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का भी उपयोग किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इतालवी सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आन्ध्र प्रदेश में 32 श्रेणी-1 कस्बों में गरीबों के लिए आन्ध्र प्रदेश शहरी सेवा (ए.पी.यू.एस.पी.) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ब्रिटिश सरकार डी.एफ.आई.डी. 745.00 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया करा रही है। इसमें से 16 परियोजना कस्बों द्वारा तैयार गरीबी न्यूनीकरण कार्य योजनाओं को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 90.80 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है ताकि विकास कार्य नगर पालिका सुधार पहल प्रयास/सुधार किये जा सकें।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने छः चुने हुए कस्बों में गरीबी उपशमन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इटेलियन अनुदान सहायता के अंतर्गत एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस मंत्रालय ने प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से सिफारिश करके आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया है। इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अभी अनुमोदन दिया जाना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

32 कस्बों में से 16 के संबंध में ए.पी.यू.एस.पी. परियोजना के सी I तथा सी II के तहत कार्यों की संख्या तथा निदर्शी राशि का विवरण

क्र.सं.	कस्बा	बेसिक एम.ए.पी.पी. के लिए नियतन (करोड़ रु. में)	घटकवार नियतन (लाख रु. में)				
			सी I के तहत कार्यों की संख्या	निदर्शी राशि	सी II के तहत कार्यों की संख्या	निदर्शी राशि	कुल राशि
1.	राजामुन्दरी	5.00	12	52.00	21	585.32	637.32
2.	चित्तूर	3.09	12	47.10	25	373.11	420.21
3.	कुतुबुल्लापुर	3.00	8	68.50	18	397.00	465.50
4.	वारांगल	6.00	10	226.65	19	599.25	825.90
5.	तिरूपति	4.40	12	155.50	13	440.00	595.50
6.	रामुगुंडम	4.24	13	153.50	17	424.00	577.50
7.	गूंटूर	6.00	20	282.68	14	600.00	882.68
8.	कुकातपल्ली	4.40	11	139.50	19	440.00	579.50
9.	मलकाजगिरि	3.30	11	147.25	19	330.00	477.25
10.	एल बी नगर	4.40	8	159.40	16	418.45	577.85
11.	नान्दियाल	3.09	15	176.00	19	309.00	485.00
12.	गुन्टुकल	3.09	12	120.00	15	309.00	429.00
13.	हिन्दूपुर	3.30	13	122.00	19	329.95	451.95
14.	इल्लूरू	4.12	13	181.60	20	411.97	593.57
15.	विजयनगरम	4.24	14	184.00	26	424.00	608.00
16.	तेनाली	3.18	12	155.71	15	318.00	473.71
	कुल	–	196	2371.39	295	6709.05	9080.44

जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल होना

3562. श्री विक्रम केशरी देव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति की पुनर्बहाली के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार जम्मू और कश्मीर से उग्रवाद को समाप्त करने और राज्य में यथाशीघ्र शांति और सामान्य हालत बहाल करने के लिए कृतसंकल्प है। विभिन्न स्तरों के अंदरूनी प्रदेश में आतंकवादियों के ऊपर दबाव बनाए रखने के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है ताकि पाक आई.एस.आई. द्वारा जम्मू कश्मीर में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इस रणनीति में अन्य के साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल है, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर संस्थागत ढांचे के माध्यम से यू.एच.क्यू. के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के कार्य को बड़े पैमाने पर संगठित करना, उन्नत तकनोलोजी, हथियारों और उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।

आतंकवादियों का सामना करने के लिए रणनीति, दांव-पेंच और सुरक्षा बलों की सक्रिय तैनाती की राज्य में "यूनिफाइड हेडक्वार्टस" तथा आपरेशन ग्रुपों और आसूचना ग्रुपों में विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है।

भारतीय पर्यावास केन्द्रों की स्थापना

3563. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न शहरों में भारतीय पर्यावास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। आवास तथा शहरी विकास निगम लि. (हडको) के निदेशक मण्डल ने केन्द्र नई दिल्ली के अनुरूप विभिन्न राज्यों की राजधानियों में पर्यावास केन्द्रों को बनाने के कार्य को मंजूरी दी, है। हडको को अब तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों से सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उत्तरांचल, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और गोवा राज्य सरकारों से भी कुछ आरंभिक उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(ग) चूंकि प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है अत: कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

मिलावटी शराब

3564. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में मिलावटी शराब का उत्पादन रोकने/बन्द करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को मिलावटी शराब की बिक्री और उत्पादन रोकने हेतु पर्याप्त उपाय करने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश/निदेश जारी किये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टि-8 के अनुसार, शराब का उत्पादन, उसे रखना, लाना-ले-जाना, खरीद और बिक्री राज्य सूची में है।

कामन काज की श्रीमती मीरा भाटिया और अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सी.डब्ल्यू.सं. 1810/2002 दायर की गई है। प्रतिवादी अर्थात् भारत संघ और अन्य को नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई की अगली तारीख 18.05.2002 तक की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि इस बीच, उन्हें उम्मीद है कि प्रतिवादी (भारत संघ और अन्य) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाएंगे कि जहरीली शराब किसी भी रूप में वितरित नहीं की जाएगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जागरूकता पैदा करके और नशे के आदि हो गए व्यक्तियों का पुनर्वास करके शराब निषेध के कार्यान्वयन के अनुकूल सामाजिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। शराब और पदार्थ (नशीली दवा) का दुरूपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत, लगभग 350 गैर-सरकारी संगठनों को रोकथाम, शिक्षा, जागरूकता, परामर्श, पहचान, उपचार, पुनर्वास, नशे के आदि व्यक्तियों की बाद में देखभाल और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए हर वर्ष लगभग 20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

भारत के संविधान के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों पर अपराधों के संबंध में निवारात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वासात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क

3565. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के लिए किसी पृथक जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से महिलाओं के लिए ऐसे पार्क आरक्षित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसे पार्कों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में महिलाओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी पार्कों के विकास हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार के बायोटेक्नोलाजी विभाग और तमिलनाडु सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सिरूसेरी, चेन्नई में एक जैवप्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। इस संयुक्त उद्यम के लिए तमिलनाडु सरकार ने 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है और बायोटेक्नोलाजी विभाग ने अवसंरचना तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुदान दिए हैं। 20 औद्योगिक माड्यूल और 20 भूमि माड्यूल प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र जैसी आम सुविधाओं और प्रदर्शनी के लिए मुख्य केन्द्र का निर्माण पार्क के अंश के रूप में किया गया है। अभी तक 16 औद्योगिक माड्यूल महिला उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं जिनमें से तीन में उन्होंने पहले से ही हर्बल प्रसाधन सामग्री, जैव उर्वरक और जैवकीटनाशकों के लिए उत्पादन एककों की स्थापना कर ली है। यह पार्क एक पंजीकृत सोसायटी है और इसके सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

(ग) इस पार्क का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल जैवप्रौद्योगिकी उद्यमों की स्थापना के माध्यम से लाभाकारी स्वरोजगार के कैरियर को अपनाने के लिए व्यावसायिक अर्हताप्राप्त महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को प्रौद्यागिकीय दृष्टि से सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है।

(घ) और (ङ) इस समय, महिलाओं के लिए पृथक जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महिलाओं के लिए एक प्रौद्योगिकी पार्क देहरादून में भी कार्यशील है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तरांचल, केरल, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड आदि विभिन्न राज्यों में जैवप्रौद्योगिकी आधारित क्रियाकलापों के जरिए महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं।

[अनुवाद]

आवासीय परियोजनाओं के लिये बगैर जोड़ वाली प्रौद्योगिकी

3566. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुकदेव पासवान:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामूहिक आवासीय परियोजनाएं शुरू करने हेतु बगैर जोड़ वाली कास्ट-इन-साइट प्रबलित ठोस निर्माण (रीइन्फोर्सड कंकरीट कंस्ट्रेक्शन) शुरू करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बगैर जोड़ वाली प्रौद्योगिकी के लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह किफायती है और परम्परागत प्रौद्योगिकी जैसी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जोड़ रहित प्रौद्योगिकी के आधार पर सेक्टर 18 (बी), द्वारका फेज-2 में 504 एम.आई.जी. तथा 360 एल.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण किया गया है।

(ग) जोड़ रहित प्रौद्योगिकी में दीवारें और छत एक साथ बनाए जाते हैं। अत: ढांचे बिना जोड़ के अखंड रूप होते हैं। इस प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित लाभ हैं:-

(1) ये ढांचे अधिक भूकंपरोधी होते हैं।

(2) परियोजना की निर्माण अवधि करीब 30 प्रतिशत कम हो जाती है।

(3) कारपेट क्षेत्र भी 5 प्रतिशत बढ़ जाता है।

(4) बेहतर सरफेस फिनिश सपाट लाइन और सतत स्तर सुलभ होता है।

(5) एल्यूमिनियम चौखटें जड़ने व खड़ा करने में आसानी होती है।

(6) ये चौखट ढांचे मजबूत होते हैं और बढ़िया सरफेस सज्जा तथा समान व सही नाप तौल के होते हैं।

(7) चौखट ढांचे हल्के होते हैं।

(8) इससे धरन (बीम) ढांचे तथा दूले (सेन्टरिंग) की जरूरत नहीं पड़ती।

(9) दीवारों और स्लैब से एक मजबूत ढांचा तैयार होता है।

(10) यह ढांचा बिना क्रेनों की मदद से अकुशल श्रमिकों, द्वारा केवल हथौड़े से खड़ा किया जा सकता है और हटाया जा सकता है।

(11) ये ढांचा स्थापना पर्यावरण-अनुकूल तथा बदलाव योग्य भी होती है।

(घ) जी हां।

(ङ) इस प्रौद्योगिकी से निर्माण लागत पारम्परिक शिल्प की लागत के तुलनीय होती है।

जैव संवर्धित फसलों की खेती

3567. श्री सईदुज्जमा:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न किस्मों की जैव संवर्धित फसलों की खेती को अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में पहली बार खेती के लिए किन नये बी टी पित्रयगुणों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या गुजरात में बी टी कपास की खेती का विवाद अब सुलझ गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सोयाबीन, मकई, तम्बाकू, मक्का, कपास, सरसों/कैनोला, टमाटर, आलू और इन्हीं जैसी अन्य फसलों के वर्तमान अनुमानित ट्रांसजेनिक विश्वव्यापी क्षेत्र कौन-कौन से हैं और भारत में इन फसलों के लिए कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने मार्च, 2002 में पहली बार बी.टी. कपास के तीन संकरों की व्यापारिक खेती के लिए अनुमति दी है। इन संकरों का नाम बी.टी. मेक-12, बी.टी. मेंक-162 और बी.टी. मेक-184 है।

(ग) और (घ) यह जानने एवं पुष्टि कर लेने के बाद कि मेसर्ज नवभारत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद ने कुछ जीन संशोधित बी.टी. कपास संकर बीजों (नवभारत-151) को बिना अनुमति के बेचा है, भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से कम्पनी के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम 1986 और नियमावली-1989 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अहमदाबाद के मेट्रोपोलीटन न्यायालय में मामला दायर किया है। यह मामला निर्णयाधीन है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग द्वारा कम्पनी को दी गई इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास की मान्यता को

वापस ले लिया गया है। गुजरात सरकार ने नवभारत-151 बीजों की बिक्री संबंधी अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दी है।

(ङ) वर्ष 2001 में 52.6 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 130 मिलियन एकड़) के अनुमानित विश्वव्यापी क्षेत्रफल में पराजीनी फसलों की खेती की गई है। पराजीनी फसलों में सोयाबीन, मकई, कपास, सरसों/कैनोला, टमाटर, आलू, रक्वैश, पपीता और कई अन्य फसलें शामिल हैं। अभी तक भारत में किसी भी पराजीनी फसल की व्यापारिक खेती नहीं की गई है।

वन रोपण के लिए पंचायतों को धनराशि

3568. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अवक्रमित वन भूमि पर वन रोपण योजनाएं शुरू करने हेतु पंचायतों को धनराशि देने की कोई योजनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कृषि भूमि का वितरण

3569. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कृषि भूमि की खरीद हेतु राज्य सरकारों को अनुमति देने की कोई योजना है ताकि उसे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के बीच वितरित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, केरल

3570. श्री जार्ज ईडन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर और केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, उद्योग मंडल का धनी संयंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है और पेरियार नदीं को प्रदूषित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) फर्टिलाइजर और केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, उद्योग मंडल का बहि:प्रवाही संयंत्र वर्ष 1981 में इसके प्रारंभण की तारीख से ठीक से और लगातार काम कर रहा है। फर्टिलाइजर और केमिकल्स त्रावणकोर लि. ने सूचित किया है कि इसके उद्योग मंडल संयंत्र से बहि:प्रवाही केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है अत: यह पेरियार नदी को प्रदूषित नहीं कर रहा है।

राजस्थान में योजनाओं का क्रियान्वयन

3571. श्री कैलाश मेघवाल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 1998 से राजस्थान में सीधे या गैर-सरकारी एजेंसियों और राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि का उपयोग हुआ; और

(ग) इससे वर्षवार और योजनावार कितने लोग लाभान्वित हुये?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राजस्थान को 1.4.1998 से जारी धनराशि, सूचित किया गया व्यय तथा दायरे (कवरेज) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्कीम का नाम	वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	सूचित व्यय (लाख रु. में)	लाभार्थियों/शामिल कस्बों की सं.
1	2	3	4	5
छोटे तथा मझौले कस्बों का				शामिल कस्बे
एकीकृत विकास	1998-1999	187.31	419.90	9
(आई.डी.एस.एम.टी.)	1999-2000	92.00	210.42	3
	2000-2001	192.00	145.78	5
	2001-2002	387.50	69.78	9
त्वरित शहरी जल आपूर्ति				शामिल कस्बे
कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.)	1998-1999	324.81	168.26	6
	1999-2000	शून्य	17.87	–
	2000-2001	306.74	162.08	9
	2001-2002	539.73	शून्य	6
मैला ढोने वालों की युक्ति के	31.3.2002			शामिल कस्बे
लिए कम लागत की सफाई	जारी कुल	2458.89	1518.92	158
स्कीम (हडको के मार्फत	सब्सिडी			
सब्सिडी जारी)				
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार				लाभार्थियों की सं.
योजना	1998-1999	620.52	469.68	(शहरी स्वरोजगार
	1999-2000	330.23	833.33*	कार्यक्रम के अंतर्गत
	2000-2001	376.08	523.50	4946
	2001-2002	32.64	255.11	3503
				8173
				5303
राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम	1998-1999	ऋण 939.98		शामिल कस्बे 183
		मंजूर 409.14	5385.60	
	1999-2000	ऋण 1035.30		लाभार्थियों की सं.
		मंजूर 443.70		551017
	2000-2001	ऋण 263.55		
		मंजूर 112.95		
	2001-2002	ऋण 1035.30		
		मंजूर 443.70		
रैन बसेरा स्कीम (भुगतान				युनिटों की सं.
करो उपयोग करो शौचालयों	1998-1999	24.36	–	1372
सहित) (हडको के मार्फत	1999-2000	शून्य	–	शून्य
सब्सिडी जारी)	2000-2001	शून्य	–	(मंजूर) 507
	2001-2002	41.41	–	शून्य

1	2	3	4	5
निर्मिती केन्द्र स्कीम (हडको के मार्फत सब्सिडी जारी)				स्कीम की सं.
	1998-1999	शून्य	–	–
	1999-2000	शून्य	–	–
	2000-2001	6.00	–	1
	2001-2002	6.00	–	–

[अनुवाद]

दिल्ली में इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसें शुरू करना

3572. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली में कुछ मार्गों पर इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और डीजल से चलने वाली बसों, आटो रिक्शा, टैक्सी आदि जैसे परिवहन के अन्य माध्यमों के मुकाबले इसके किस सीमा तक सस्ती और अधिक लाभकारी होने का संभावना है;

(ग) क्या योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है, किन मार्गों पर यह ट्राली चलाई जायेगी, इसके क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे और इन प्रणाली को चलाने और इसके प्रबंधन का दायित्व किस एजेंसी को सौंपा जायेगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) स्कीम की व्यापक विशेषताएं दिल्ली सरकार के विचाराधीन हैं। दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत ट्राली बसों सहित स्थायी जन परिवहन के लिए विभिन्न विकल्पों का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव दिल्ली की अध्यक्षता में सर्वोत्तम विकल्प सुझाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

समुचित रख-रखाव और सड़क निर्माण हेतु व्यय की गई धनराशि

3573. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सड़कों के निर्माण और उनके समुचित रख-रखाव हेतु एम.सी.डी., पी.डब्ल्यू.डी., सी.पी.डब्ल्यू.डी. और डी.डी.ए. द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि मरम्मत और सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री काफी घटिया होती है और सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में उन सड़कों का ब्यौरा क्या है, जो प्रयोग योग्य नहीं है और इनके कब तक प्रयोग लायक बनाये जाने की संभावना है;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान कितनी सड़कों की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया और उनमें से कितनों को प्रयोग लायक स्थिति में नहीं पाया गया; और

(च) सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और राज्य के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) विभिन्न सड़क धारक एजेंसियों जैसे एम.सी.डी., डी.डी.ए., पी.डब्ल्यू.डी. दिल्ली कैंटूनमैंट बोर्ड, सी.पी.डब्ल्यू.डी. इत्यादि ने सूचित किया है कि सभी सड़कें इस्तेमाल की जाने लायक हैं और इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त फील्ड स्टाफ द्वारा समय-समय पर आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं और यदि कोई कमी हो तो, और जहां कहीं भी सड़कों की मरम्मत की जरूरत होती है, उस पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों ने सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव पर निम्नलिखित खर्च किया है:-

दिल्ली नगर निगम	(राशि लाखों में)
1999-2000	105.01 रुपए
2000-2001	117.36 रुपए
2001-2002 (जनवरी, 2002 तक)	36.55 रुपए
दिल्ली छावनी बोर्ड (दिल्ली केंटोनमेन्ट बोर्ड)	
1998-99	71.18 रुपए
1999-00	127.77 रुपए
2000-01	130.95 रुपए
लोक निर्माण विभाग	
1998-99	886.00 रुपए
1999-00	986.00 रुपए
2000-01	1039.00 रुपए
के.लो.नि. विभाग	
1999-2000	69.00 रुपए
2000-2001	154.34 रुपए
2001-2002	42.80 रुपए
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)	
1999-2000	233.54 रुपए
1999-2001	187.51 रुपए
1999-2002	254.16 रुपए

मैच फिक्सिंग

3574. श्री अमर राय प्रधान: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उन भारतीय और अन्य देशों के खिलाड़ियों के नाम क्या हैं जो कथित तौर पर मैच फिक्सिंग में संलिप्त रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय खिलाड़ियों के पास अपनी विधिक आय की तुलना में बेहिसाब किताब की परिसम्पत्ति है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच खुफिया विभाग या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग तथा संबंधित कदाचारों पर अपनी रिपोर्ट में 5 भारतीय खिलाड़ियों नामत: मो. अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर तथा नयन मोंगिया और कुछ विदेशी खिलाड़ियों जैसे अरविंद डी सिल्वा तथा अर्जुन रणतुंगा (श्रीलंका), मार्टिन क्रो (न्यूजीलैण्ड) डीन जोन्स तथा मार्क वॉ (ऑस्ट्रेलिया), एलेक स्वीवर्ट (इंग्लैण्ड), हैंसी क्रोनिए (दक्षिण अफ्रीका), ब्रायन लारा (वेस्ट इंडीज) तथा सलीम मलिक (पाकिस्तान) को दोषी ठहराया था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, कर अपवंचन के पेशे-वार ब्यौरे सी.बी.डी.टी. द्वारा नहीं रखे जाते हैं तथा वे क्षेत्र संगठनों से एकत्र करने पड़ेंगे। सी.बी.डी.टी. ने इसके अतिरिक्त सूचित किया है कि आयकर विभाग उन साधनों का पता नहीं लगाता जिनसे आय सृजित की गई हैं अर्थात् कि आय कानूनी अथवा गैर कानूनी साधनों से अर्जित की गई है। भारतीय खिलाड़ियों के मामलों में केवल उनके द्वारा अपनी आय की विवरणिका में प्रकट की गई आय की तुलना में प्रकट न की गई आय/अलेखीकृत परिसम्पत्तियों के मामलों में सूचना एकत्र की जा सकती है।

(घ) और (ङ) क्रिकेट में मैच फिक्सिंग और संबंधित कदाचारों का मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। कतिपय पहलुओं पर, सी.बी.आई. की जांच अभी भी चल रही है।

अंशकालिक बी. एड पाठ्यक्रम

3575. श्री किरीट सोमैया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.टी.ई. ने वर्ष 1999-2000 से अंशकालिक बी. एड पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुक्त विश्वविद्यालयों को अंशकालिक पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एन.सी.टी.ई. अंशकालिक पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भेद नहीं करती है;

(च) क्या एन.सी.टी.ई. का विचार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने न तो किसी बी.एड. (अंशकालीन) पाठ्यक्रम को मान्यता दी है और न ही ऐसे पाठ्यक्रम के लिए मानदंड और मानक निर्धारित किए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने माध्यमिक शिक्षकों के लिए ''दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से बी.एड. कार्यक्रम'' के लिए मानदंड और मानक निर्धारित किए हैं। यह पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधि का है और कम से कम 2 वर्ष की सेवा के अनुभव वाले शिक्षकों के लिए है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने बी.एड. (अंशकालीन) या बी.एड. (अवकाशकालीन) के लिए कोई भी मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, बी.एड. (अंशकालीन)/ बी.एड. (अवकाशकालीन) पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समीक्षा समिति ने विचार किया जो शैक्षिक/व्यावसायिक कारणों से ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने के पक्ष में नहीं थी। परिषद ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

महाराष्ट्र को मास्टर प्लान के अंतर्गत पेयजल हेतु धनराशि

3576. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य में पेयजल समस्या से निपटने हेतु राज्य द्वारा लागू की गई 12269 करोड़ रुपये की मास्टर प्लान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में उक्त मास्टर प्लान के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए रिहायशी इलाकों/शामिल न किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मास्टर प्लान पूरा करने हेतु कुछ अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बसावटों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 1996-97 में 12269 करोड़ रुपये की लागत वाला मास्टर प्लान तैयार किया था। मास्टर प्लान के अनुसार 53462 बसावटें कवर की जानी थी। इनमें से आज की तारीख तक 27724 बसावटों को कवर किया गया है तथा शेष 25738 बसावटों को अभी कवर किया जाना है।

मास्टर प्लान में महंगी तथा अस्थायी योजनाएं होने की वजह से राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाकर उन योजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है जो इस समय प्रगति पर हैं।

राज्य सरकार ने 1656.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 16 जिलों को कवर करने वाली दूसरी महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के लिए विश्व बैंक को सिफारिश करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। यह परियोजना भारत सरकार के क्षेत्र सुधार सिद्धांतों के आधार पर कार्यान्वित की जानी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा विश्व बैंक के जरिए 420000 अमरीकी डालर तक की लागत से पी.एच.आर.डी. अनुदान (जापानी सहायता) से परियोजना तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना शुरू होने के 6 वर्षों की अवधि में पूरी हो जाएगी।

परियोजना के अंतर्गत राज्य के 16 जिलों अर्थात् नागपुर, बीड, कोलापुर, लातूर, बुल्धाना, सतारा, सिंधदुर्ग, उस्मानाबाद, सोलापुर, वासिम, अकोला, नासिक, वर्धा, परभनी, हिंगोली, तथा ठाणे की कवर न की गई 848 तथा आंशिक रूप से कवर की गई 12913 बसावटों को कवर करने का प्रस्ताव है। लगभग एक करोड़ की जनसंख्या के लाभान्वित होने का अनुमान है।

16 जिलों के कवर करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं पर आने वाली लागत 1274.75 करोड़ रुपये है। इसी

प्रकार से स्वच्छता घटक पर आने वाली लागत 381.45 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस तरह परियोजना की कुल लागत 1656.2 करोड़ रुपये बैठती है। राज्य सरकार दसवीं योजना के दौरान राज्य बजट मे पर्याप्त योजना प्रावधान करने के प्रति वचनबद्ध है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बुके पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

3577. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में स्नातक स्तर पर बुके पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो उन विषयों का ब्यौरा क्या है जिनमें ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किये जाने का निर्णय किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा व्यवहार्यता, आवश्यक आधार संरचना पाठ्यक्रम दिशा-निर्देश, प्रवेश स्तर और प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषय समुच्चय के बारे में विचार के लिये किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे पाठ्यक्रमों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए पहले व्यवहार्यता, अपेक्षित अवसंरचना और पाठ्यक्रम दिशा-निर्देशों आदि पर विचार-विमर्श करने के लिए विषय-वार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है।

विवरण

विश्वविद्यालयों और कालेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय से हाल ही में शुरू किए जाने वाले डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रमों के ब्यौरे

1. पर्यावरण विज्ञान में एम.एस.सी.
2. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एम.एस.सी.
3. इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सूचना विज्ञान में एम.एस.सी.
4. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में बी.एस.सी.
5. बी.ए./एम.ए., ज्योतिर्विज्ञान
6. एम.एस.सी. (जैव प्रौद्योगिकी)
7. एम.ए./एल.एल.बी. (मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य शिक्षा)
8. बी.एड./एम.एड. (पर्यावरणीय संघटक)
9. एम. टेक (ऊर्जा प्रबन्धन)
10. बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी)
11. एम. टेक (ऊर्जा प्रबन्धन)
12. चाय प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी.
13. व्याख्या और अनुवाद में एम.ए.
14. जल प्रबन्धन/जल संग्रहण में एम.एस.सी.
15. खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य संरक्षण में बी.एस.सी.
16. चिकित्सा/सामुदायिक पोषण एवं आहार विज्ञान में बी.एस.सी.

नोट : उपर्युक्त क्रम सं. 1 से 11 पर दिए गए पाठ्यक्रमों को पहले ही शुरू किया जा चुका है।

खेल सुविधा सृजन हेतु सहायता

3578. श्री के. येरननायडू: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को खेल सुविधाओं से वंचित स्थानों पर उनके सृजन हेतु और अद्यतन खेल उपस्करों के आयात हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय खेलों के लिए अगले स्थान हैदराबाद को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हैदराबाद में 2002 के दौरान होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल अवस्थापना के सृजन हेतु 50.00 करोड़ रुपये का एक बारगी अनुदान जारी करने का अनुरोध किया था। सरकार को खेल उपकरणों के आयात के लिए आज की तारीख तक कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि खेल अवस्थापना के सृजन के लिए तदर्थ अथवा एक बारगी अनुदान प्रदान करने का कोई

प्रावधान नहीं है, अत: मुख्य मंत्री से "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करवाने के संबंध में 27.11.2001 को अनुरोध किया गया था।

दिल्ली पुलिस

3579. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुरक्षा ड्यूटी और कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए दिल्ली पुलिस के कुल कितने कार्मिकों की तैनाती की गई है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली पुलिस में कितने पद खाली पड़े हुए हैं; और

(ग) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) इस समय संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा से जुड़ी ड्यूटियों पर 4636 पुलिस कार्मिक तैनात हैं तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में 28426 कार्मिक तैनात हैं।

(ख) आज की तारीख तक, दिल्ली पुलिस में विभिन्न रैंकों में 2084 पद रिक्त पड़े हैं।

(ग) इनमें से अधिकांश रिक्तियों को भरने की कार्रवाई चल रही है।

महिला सशक्तीकरण विषय पर फिल्म निर्माण

3580. श्री चुन्नी लाल भाई ठाकुर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को गत एक वर्ष के दौरान जनवरी, 2002 तक महिला सशक्तीकरण विषय पर फिल्म निर्माण के कुल कितने प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) योग्यता आधार पर वित्तीय सहायता हेतु राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अग्रेषित की गई फिल्मों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) फीचर-फिल्मों/वृत्तचित्रों, टी.वी. धारावाहिकों/कार्यक्रमों, आदि के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए लगभग 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इनमें से किसी भी प्रस्ताव को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अग्रेषित नहीं किया गया।

महिलाओं से संबंधित कानून

3581. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला कल्याण संबंधी कानूनों में संशोधन की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के आलोक में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों की समीक्षा कर रही है। ये कानून विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इन कानूनों पर अंतिम राय बनाने के बाद ही विशिष्ट कानूनी उपबंधों को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।

अनुसूचित जनजातियों की सूची

3582. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अक्तूबर, 2001 की तिथि के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची क्या है;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के पहचान संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(ग) सूची से किसी जाति को हटाने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची, विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित निर्वाचन कानून संबंधी मैनुअल में दी गई है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए मानदंड हैं : आदिम जनजातीय विशेषताओं के संकेत; अलग तरह की संस्कृति;

भौगोलिक अलगाव, आम समुदायों से संपर्क करने में हिचकिचाहट; तथा पिछड़ापन।

(ग) जब संबंधित राज्य सरकार, भारत के महारजिस्ट्रार तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि समुदाय विशेष निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (2) में निर्धारित किए अनुसार उस जनजाति का नाम, संसद के अधिनियम द्वारा जनजाति सूची से हटाया जा सकता है।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज

3583. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुमति देने और उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों/ कर्नाटक सरकार से कितने अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(ख) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार क्षेत्रीय कालेज का दर्जा बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी सहायता राशि दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रयोगशालाओं का व्यावसायिक जैव-प्रौद्योगिकी कार्यनिष्पादन

3584. श्री सुबोध मोहिते: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान होने के बावजूद प्रयोगशालाओं का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन बहुत कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों हेतु प्रयोगशालाओं से प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) से (ग) व्यापारीकरण के उद्देश्य से उत्पादों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों के रूप में परिवर्तित के लिए अनुसंधान संकेतों की पहचान करने के संबंध में बायोटेक्नोलाजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सतत प्रयास किये हैं। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान लम्बे समय से चल रहा है। व्यापारीकरण से पहले मूल्यांकन, वैधीकरण, प्रौद्योगिकियों का स्तरोन्नयन और बाजार सर्वेक्षण जैसे कई कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित 46 से भी अधिक प्रौद्योगिकियों को विभिन्न उद्योगों को अन्तरित किया गया है। कुछ नैदानिकियों, टीकों और जैवउर्वरक संरूपणों को बाजार में लाया गया है।

प्रयोगशाला से यह प्रौद्योगिकियां मेसर्ज बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के माध्यम से विभिन्न तंत्रों द्वारा उद्योगों को अंतरित की जाती हैं। उद्योग और वैज्ञानिक के बीच परस्पर अन्योन्यक्रिया या सामूहिक चर्चा आयोजित की गई है। प्रौद्योगिकी अर्जित करने के बाद उद्योग को उत्पाद को बाजार में लाने से पहले उसके परिष्करण, पैकिंग और अनिवार्य विनियामक अनुमोदन लेने के लिए समय लगता है। प्रौद्योगिकी अंतरण में तेजी लाने के लिए डी.बी.टी. द्वारा सुविधा तंत्र, पेटेंट कक्ष और ई. कामर्स वेबसाइट सृजित किए गए। यह प्रक्रिया एक सतत कार्य है।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में 'कपार्ट' द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

3585. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान "कापार्ट" के जरिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई सहायता का गैर-सरकारी संगठन-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों में "कापार्ट" के लक्ष्यों को अब तक किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(ग) इन राज्यों में उक्त अवधि के दौरान "कापार्ट" के अंतर्गत कितने महिला संगठन लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में

स्वैच्छिक संगठनों को कपार्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता और गैर सरकारी संगठन-वार और परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिनके लिए वर्ष के दौरान दी गई स्वीकृति के तहत राशि जारी की गई है, अभी भी कार्यान्वयनाधीन हैं और इसलिए इस स्तर पर कपार्ट द्वारा प्राप्त उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।

(ग) इन राज्यों में उपर्युक्त अवधि के दौरान लाभान्वित महिला संगठनों की संख्या पांच है।

विवरण

वर्ष: 2001-2002

राज्य: महाराष्ट्र

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम व पता	परियोजना का शीर्षक	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	रुरल कम्यून, बम्बई	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	74,84,000	17,71,000
2.	सिद्धेश्वर कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्था, पैरागांव जिला-कोल्हापुर	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	1,00,00,000	23,00,000
3.	गुरुमुख इनवायरमेंटल ट्रस्ट फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	71,08,000	14,77,000
4.	ज्ञान प्रबोधिनी शिव प्रदेश सदाशिव पेठ, पुणे	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	86,60,000	20,65,000
5.	ग्राम प्रबोधिनी निगडी प्राधिकरण, पुणे	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	57,84,000	13,46,000
6.	शेटी एवं ग्रामीण विकास संशोधन मंडल, जगताप, ओस्मानाबाद	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	55,34,373	2,00,000
7.	अश्वमेघ ग्रामीण विकास ट्रस्ट, फगाने, धुले	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	99,95,200	2,00,000
8.	अश्वमेघ ग्रामीण पनलोट क्षेत्र विकास वैशेषणिक संस्था, फतेहपुर, अमरावती	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	92,41,880	2,00,000
9.	ग्राम विकास मंडल, नन्दगांव, रायगढ़	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	97,32,000	2,00,000
10.	कैंसर हिंद रिफर्टनाकर हनुमानी गायकवाड मेमोरियल फाउन्डेशन, अहमदनगर	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	1,00,00,000	2,00,000
11.	कुलस्वामिनी बहुदेशीय ग्रामीण विकास संस्था देवपुर, धुले	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	83,33,880	2,00,000

1	2	3	4	5
12.	मारकण्डेश्वर जल कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल, नान्देड	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	91,54,920	2,00,000
13.	नवजीवन नव भारत ग्रामीण विकास संस्था, ओस्मानाबाद	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	81,00,000	2,00,000
14.	रस्तोत्कर्ष मानव विकास प्रतिष्ठान वैजापुर, औरंगाबाद	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	1,00,00,000	2,00,000
15.	वभाई कला कृदा बहुदेशीय संस्था, बुलढ़ाना	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	74,05,160	2,00,000
16.	श्रीमती नरसावाई महिला मंडल वाडगांव, नान्देड	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	2,00,000	2,00,000
17.	विनोबाभावे ग्राम विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	2,00,000	2,00,000
18.	नवनिर्मिति ग्राम विकास समिति, बीड	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	2,00,000	2,00,000
19.	लोक पंचायत जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	वाटरशेड विकास एवं कन्सरवेशन प्रोग्राम	1,00,000	रिलीज की जानी शेष है
20.	एप्रोप्रिएट रूरल टेक्नॉलॉजी इन्स्टीट्यूट, 6 कोयना अपार्टमंट कोथ्रूड, पुणे	ब्रिकेटिंग आफ पाइरोलाइज्ड सुगरक्रेन ट्रेश (आटर्स के तहत)	3,74,000	1,70,000
21.	करमवीर भाऊराव पाटिल विकास प्रतिष्ठान पपार्डे, जिला सतारा	टेक्नालोजी ट्रांसफर आन लोकास्ट नर्सरी	5,63,910	2,61,600
22.	नरायण आश्रम, साई निकेतन मेडोना कालोनी, बोरीवाली (प.) मुम्बई	ग्रामीण प्रौद्योगिकी में किसानों का प्रशिक्षण	3,40,360	1,86,900
23.	रूगाना सेवा प्रकल्प, 2141, बृहमिन पुरी, मिराज, सांगली	औषिध की परम्परागत प्रणाली के जरिए आयुर्वेद का सम्बर्धन	4,93,790	2,69,040
24.	मगन संग्रहालय समिति, मगनवाड़ी, वारधा	जनसहयोग के अंतर्गत समेकित एवं अभिनव परियोजना पर क्षेत्रीय कार्यशाला	1,75,000	1,75,000
25.	दि ब्राइट रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी श्री नव राघने बिल्डिंग, मेन रोड, रामटेक जिला-नागपुर	जन सहयोग के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3,45,396	1,72,685

1	2	3	4	5
26.	वैभव कला कृदा एंड बहुदेशीय संस्था, शेन्दुर्जन तालुका, शिन्दखेड राजा, जिला-बुलडाना	जन सहयोग के अन्तर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5,74,376	2,82,702
27.	मारकण्डेश्वर जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल किनवाट विवेकनगर, नान्देड	जन सहयोग के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,76,148	अब तक रिलीज नहीं की गई
28.	मदर इंडि. लेडीज किन लावा-लावी महबूब नगर, जिला-लातूर	जन सहयोग के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,92,200	2,29,200
29.	श्री सन्त यादव बाबा तरूण मंडल, स्थान व पोस्ट रालेगन सिद्धि, जिला-अहमदनगर	जन सहयोग के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12,55,358	अब तक रिलीज नहीं की गई
30.	तपोरतन दायान विद्यान प्रसारक एवं ग्रामीण विकास मंडल, पतराकर रोड, शिव नगर, जिला-लातूर	जन सहयोग के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6,03,480	अब तक रिलीज नहीं की गई
31.	प्रकृति फाउन्डेशन रालेगांव सिद्धि, जिला-अहमदनगर	रेनवाटर हारवेस्टिंग फार-प्रोटेक्टिसव इर्गीगेशन एंड ड्राट फूफिंग	11,73,221	5,86,610
32.	आदर्श महिला मंडल रालेगन सिद्धि, जिला-अहमदनगर	नर्सरी लगाना	8,79,580	अब तक रिलीज नहीं की गई
33.	श्रीमती नरसावाई महिला मंडल वाडागांव, जिला-नान्देड	जनसहयोग के अंतर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,38,820	अब तक रिलीज नहीं की गई
34.	कै यशवन्त राव चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट स्थान चिन्खाली, जिला-सांगली	ए.आर.टी.एस. के अंतर्गत शवदाहग्रह का निर्माण	3,79,850	अब तक रिलीज नहीं की गई
35.	ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्था मनकापुर, जिला-नागपुर	वही	13,73,220	4,57,740

1	2	3	4	5
36.	रुग्ण सेवा प्रकल्प बृहमण पुरी, जिला-सांगली	ओ.बी. के अंतर्गत महिला समूहों का संगठन	90,000	25,000

वर्ष : 2001-2002

राज्य : कर्नाटक

1.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति, भारतीय विज्ञान कैम्पल संस्थान, बैंगलोर	जल विकास और संरक्षण कार्यक्रम	100000	100000
2.	ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख संगठन, संजय गांधी नगर, जि. बेल्लारी	–वही–	200000	अब तक रिलीज नहीं की गयी
3.	विवेकानंद गिरिजाना, पी. ओ. बी.आर. पहाड़ी, मैसूर	प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र की स्थापना	5121800	1500000
4.	समूहा डिफेंस कालोनी, बैंगलोर	विकलांग लोगों का पुनर्वास	1334542	अब तक रिलीज नहीं की गयी
5.	बेथेस्डा ग्रामीण विकास, कुम्बर स्ट्रीट, ह्युकोपेट, बेल्लारी	ओ.बी. के तहत विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	70000	65000
6.	ग्रामीण के लिए डूडी संगठन, महादेव प्रसाद नगर, कामराजनगर	–वही–	65000	65000
7.	ग्रामंधरा विद्या भीवरूधी संघ, सांठेमैदान, जि. चित्रादुर्गा	गरीबी उपशमन कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों का संगठन	50000	45000
8.	लोक विद्या विकास विद्यालय, दरजीत कालोनी, गोपालपुर रोड़, जि. चित्रादुर्गा	लाभार्थियों का संगठन	50000	45000
9.	प्रगति, जे.पी. नगर, जि. मैसूर	अनु. जाति महिला लाभार्थियों का संगठन	80000	80000
10.	दी डरसूलाईन फ्रांसिज शैक्षणिक सोसायटी सोमारपान्न देरालाकोटटे, जि. द. कनाडा	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	85000	80000

1	2	3	4	5
11.	कृषि विकास के लिए भारतीय ग्रामीण संगठन चालाकेरे टी क्यू जि. चित्रादुर्गा	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	65000	65000
12.	चेतना सेवा संस्था, मरियम्मानाहाली पो. जि. बेल्लारी	–वही–	33000	20000
13.	बीजापुर समेकित ग्रामीण विकास सोसाइटी, हुगुंड, जि. बीजापुर	सशक्तीकरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए ग्रामीण गरीबों को संगठित करना	72000	50000
14.	कूपैड ट्रस्ट, सुंदेरा मूर्ति रोड, काक्स टाऊन, जि. बैंगलोर	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	100000	100000
15.	ग्रामीण विकास के लिए कूर्ग संगठन, कुशालनगर, उत्तर कोडागू	कोडागू गांव में ग्राम सभा को सशक्त बनाना	100000	90000
16.	दीनबंधु पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, कामराजनगर	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	50000	50000
17.	डिस्ट्रीक्ट लम्बानी डेव. जलागेरी, पो. जलागेरी, जि. बीजापुर	ओ.बी. के तहत लाभार्थियों का संगठन	75000	5000
18.	गौरीशंकर मानव कल्याण संगठन गजेन्द्रगढ़ रोड, जि. कोप्पल	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	25000	25000
19.	स्वास्थ्य पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक साक्षरता परियोजना, वेदवतीनगर, जि. चित्रादुर्गा	–वही–	45000	24000
20.	कारूण्य डेव. इनीसीएटीव्स कारूण्य कैम्पस जगलपुर, जि. देवांगरे	–वही–	55000	55000
21.	एल.एम. सामाजिक और महिला कल्याण न्यास, चर्च एक्सटेंशन जि. चित्रादुर्गा	–वही–	50000	50000
22.	निसर्ग फाउंडेशन, शिवाजी रोड, एच.डी. कोटे, मैसूर	ओ.बी. के तहत जागरूकता सृजन	100000	100000
23.	ग्रामीण शिक्षा और जागरूकता विकास सगठन, पहरेन्स स्ट्रीट पंतजली नगर, पावड़ा, तमुकुर, जिला	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	35000	35000

1	2	3	4	5
24.	सहकार शिक्षा और सामाजिक कल्याण सोसाइटी एक्जम्बा जि. बेलगांव	विशिष्ट महिला समूह कार्यक्रम	75000	5000
25.	समस्ति ट्रस्ट होसाहलाऊ रोड, के.आर. पेट, जि. मण्डया	–वही–	100000	5000
26.	समतालोक शिक्षण समिति, के एच.वी. कालोनी, शांति नगर, जि. गुलबर्ग	लाभार्थी (ओ.बी.) योजना का संगठन	30000	5000
27.	समृद्धि एस.एल.एन. रोड, कनकपुरा टाउन, बैंगलोर	ओ.बी. योजना के तहत जनजातियों का संगठन	100000	100000
28.	शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए सोसाइटी कुरूकुंटा, गुलबर्ग जिला	महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम	50000	50000
29.	स्पूर्ति ग्रामीण विकास और प्रशिक्षण सोसाइटी स्पूर्ति, कोटेश्वर जि. उडूपी	ओ.बी. के तहत जागरूकता सृजन कार्यक्रम	100000	100000
30.	श्री चंद्रिका वूमने एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी, दत्ता मंदिरा जिल. गुलबर्ग	–वही–	25000	5000
31.	श्रीकांत विद्या समस्ती विद्यानगर जि. हसन	महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम	75000	75000
32.	सुजाता संदर राज एजुकेशन सोसाइटी, बुढेरा जि. बिदार	ओ.बी. के तहत जागरूकता सृजन कार्यक्रम	58000	53000
33.	सुमना, 65 यारागनाहाली, जि. मैसूर	महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम	50000	50000
34.	उज्वला रूरल डेव. सर्विस सोसाइटी, बीजापुर	महिलाओं के लिए संगठन और सशक्तीकरण कार्यक्रम	75000	5000
35.	विकास रूरल डेव. संगठन जे जी नगर, पूर्व बैंगलोर	महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम	100000	100000
36.	संपर्क, कथली पलाया, कोरमंगाला, बैंगलोर	–वही–	50000	5000
37.	अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विकास आईवान ए शाही रोड, गुलबर्ग	–वही–	20000	5000
38.	ग्नान ज्योति शिक्षण समिति, नरूपथुंगा एक्सटेंशन, चित्रदुर्गा	–वही–	30000	16000

1	2	3	4	5
39.	लिंक एंटी एडिक्शन सिटीजन्स कमेटी वाय.एम. सी.ए. दक्षिण कनाडा	लाभार्थी कार्यक्रम का संगठन	113000	25000
40.	इंस्टीट्यूट फार स्टडीज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेव. बेलगाम रोड, धारवाड	कम्पोस्ट तैयारी के वैज्ञानिक पद्धति को बड़े पैमाने पर अपनाना	521000	94956
41.	रामलिंगेश्वर ग्राम अभिरूचि, एंटी एंड पी.ओ. उडीकेरी, बेलगाम जिला	100 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों का स्थापना	351000	183000
42.	श्री शिवरात्रिइवरा रूरल डेव. फाउंडेशन, रामानुज रोड, मैसूर	किसानों के लिए वर्गीगकल्चर तकनीकी	216000	108000
43.	एग्रीकल्चरल साइंस फाउंडेशन हुलकोटी, गड़ग	–वही–	614000	307000
44.	दी एसोसिएट प्रोफेसर आफ एंटोलाजी यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, कर्नाटक	वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां	4370०0	437000
45.	गौतम शिक्षा समिति चांदपुर पोटस् जि. गुलबर्ग	जन सहायता के अंतर्गत सहकार ग्रामीण विकास कार्यक्रम	389000	195000
46.	भारतीय ग्रामीण सहकार विकास समिति, मेनरोड, विनोधानगर, तुमकुर	–वही–	784400	392200
47.	भारतीय युवा संगठन सवेइवर नगर, बैंगलोर	डिसेलिटंग आफ टैंक्स अण्डर ड्राट प्रोन एरिया	580665	261180
48.	शामला विद्यावर्धक संघ, नगवारा अरेबिड कालेज, बैंगलोर	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	463642	238790
49.	सिद्धेश्वर ग्रामीण अभिवृद्धि संघ पी.ओ. याडवाड, धारवाड	पी.सी. के अंतर्गत सिंचाई के माध्यम से कृषि में सुधार	602139	500490
50.	शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए समिति वंजाविलास, ख्युरूकुंटा, जि. गुलबर्ग	जन सहयोग के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1010000	514000
51.	श्री नीलकंठेश्वर ग्रामीण, विकास समिति, एल.बी. नगर, मोलकालमुरू, जि. चित्रादुर्गा, जिला	जन सहयोग के तहत सूखा प्रबंधन योजना	989700	476000
52.	द कंसर्नड फार वर्किंग चिल्ड्रन एल बी शास्त्रीनगर, बैंगलोर	निर्माण प्रौद्योगिकी में कुशलता को बढ़ाने	565550	275000
53.	प्रचोदना, डुडडा आर एस हसन	क्षमता निर्माण और आय सृजन गतिविधि	215600	96500

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाएं

3586. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाओं का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों/विश्वविद्यालयों के लिए निधियों के आवंटन को बढ़ाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चुनिंदा आधार पर कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए अनुदान देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2002-2003 के लिए निधियों के आबंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

गंगा कार्य योजना

3587. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा कार्य योजना पश्चिमी बंगाल के महत्वपूर्ण शहरों में विद्युत शवदाह गृहों की स्थापना हेतु धनराशि प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) गंगा कार्य योजना पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण शहरों हेतु अन्य क्या सहायता प्रदान कर सकती है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावों पर विचार ऐसी सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता एवं धारणीयता के आधार पर किया जाता है।

(ग) गंगा कार्य योजना (फेज-1) के तहत पश्चिम बंगाल के 15 कस्बों के लिए प्रदूषण कम करने के कार्य के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। गंगा कार्य योजना के फेज-2 के तहत पश्चिम बंगाल के 27 कस्बों के लिए ऐसी सहायता दी जा रही है।

तमिलनाडु के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

3588. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में चल रहे सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में विनिवेश करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में सरकार द्वारा पहले से विनिवेश किये गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से कितनी धनराशि अर्जित की है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार ने तमिलनाडु स्थित मद्रास फर्टिलाइजर लि. में इस द्वारा धारित 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल साझीदार के पक्ष में करने का निर्णय लिया है।

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि. में 55 करोड़ रुपए के मूल्य पर 74 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल साझीदार के पक्ष में किया गया है। इसके अलावा, मामल्लापुरम और मदुरई स्थित भारत पर्यटन विकास निगम की दो होटल परिसम्पत्तियों का विनिवेश क्रमश: 6.80 करोड़ और 5.48 करोड़ रुपए के मूल्य पर किया गया है।

दिल्ली में निवासियों पर हमला

3589. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में विशेषकर वसंत विहार, आर.के. पुरम और दक्षिण पश्चिम पुलिस जिले के कुछ अन्य हिस्सों में निवासियों पर हमलों की घटनाएं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन क्षेत्रों में ऐसे हमलों को निष्फल करने हेतु चौकसी बढ़ाने और संदेहास्पद परिस्थितियों में घूम रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पिछले वर्ष के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए शारीरिक हमलों के मामलों की संख्या 97 थी, जिसमें 11 मामले दक्षिण-पश्चिम जिले से थे। इन मामलों के संबंध में 215 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें दक्षिण-पश्चिम जिले में सूचित मामलों के संबंध में गिरफ्तार 27 व्यक्ति शामिल हैं।

(ग) मुख्य अपराध बहुल पाकेटों और उस अवधि जिस दौरान अत्याधिक अपराध होते हैं, का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने इस प्रकार के अपराधों का सुव्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया है और तदनुसार ही गश्त के समय को व्यवस्थित किया है। इसके अलावा, इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ निवारात्मक कार्रवाई की गई है।

'डाइट' के अंतर्गत अनुदान की बकाया किस्त का जारी किया जाना

3590. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के अंतर्गत अनुदान की बकाया किस्त जारी करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदान को स्वीकृत/जारी करने में विलंब के राज्यवार कारण क्या हैं; और

(ग) अनुदान राशि के कब तक स्वीकृत/जारी किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) अध्यापक शिक्षा की पुनर्संरचना तथा पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत अनुदान राशियों के जारी किये जाने हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त सभी अनुरोधों पर, जिन्हें योजना के प्रावधान के अनुसार सही पाया गया है, विचार किया गया है और तदनुसार वर्ष के दौरान राशि जारी कर दी गई है। आवर्ती अनुदान राशि जारी किये जाने हेतु तमिलनाडु सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था और वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी की गई अनुदान राशि में से राज्य के पास पड़ी व्यय न की गई राशि का समायोजन करने के बाद वर्ष 2001-2002 में 919.40 लाख रु. जारी किए गए हैं।

फार्म हाउस

3591. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** दिनांक 26 फरवरी, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे 179 फार्म हाउसों का ग्राम-वार ब्यौरा क्या है जिनमें दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल में किये गये सर्वेक्षण के दौरान भवन निर्माण संबंधी उपनियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया/देखा गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जे.एन.यू. के आनुवंशिकी अध्ययन विभाग के लिए धनराशि का आबंटन

3592. श्री वाई.वी. राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा आनुवंशिकी अध्ययन विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि किस प्रकार खर्च की जा रही है/ की जाएगी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 30.00 लाख रु. के आबंटन को अनुमोदन दिया है जो कि "आनुवंशिकी अध्ययन, जीनोमिक और जैव प्रौद्योगिकी" में विशिष्टता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में वार्षिक समीक्षा तथा मानिटरिंग और निष्पादन के आधार पर होगा। यह आबंटन, उपस्कर एवं सुविधाएं, आवर्ती अनुसंधान अनुदान, समेकित शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालय और पत्रिकाएं, छात्रों तथा विजिटिंग अनुसंधानकर्त्ताओं को फैलोशिप, कम्प्यूटर सुविधाएं/नेटवर्किंग/हाई स्पीड एक्सस टू इनफारमेशन हाईवे, एनीमल हाऊस, इमरजेंसी इलेक्ट्रिक पावर जैसे व्यापक शीर्षों के अंतर्गत किया गया है।

[हिन्दी]

मुकदमों में फंसी अतिरिक्त भूमि

3593. श्री मानसिंह पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 28 फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार भूमि परिसीमन अधिनियम के अधीन कितने क्षेत्रफल भूमि को मुकदमों में फंसी अतिरिक्त भूमि के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कोई निदेश जारी किए गए हैं ताकि अतिरिक्त भूमि को लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भूमि परिसीमन कानूनों के अतंर्गत फालतू घोषित 9.09 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं। भूमि परिसीमन कानूनों के कार्यान्वयन सहित भूमि सुधारों से संबंधित मामलों की राज्यों के राजस्व मंत्रियों/राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन सम्मेलनों के दौरान न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया है। इन सम्मेलनों में न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु संबंधित उच्च न्यायालयों में विशेष पीठ स्थापित करने और संविधान के अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की गई है। राज्यों को भी अपने प्रशासनिक तंत्र को चुस्त बनाने तथा राजस्व न्यायालयों के समक्ष अनिर्णीत पड़े मुकदमों के निपटान हेतु आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। 14 अक्तूबर, 2000 को हुए राजस्व सचिवों के पिछले सम्मेलन में उपर्युक्त सिफारिशों को दोहराया गया था। तत्पश्चात् इन सिफारिशों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया था। भूमि सुधार संबंधी विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

भूकम्प पूर्वानुमान संबंधी भारत-चीन समझौता

3594. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष कच्छ में हुए विनाश को प्रादर्श (रोल माडल) मानकर भारत और चीन यह जानने के लिए भूकम्पनीय आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में भूकम्पों का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई तकनीक विकसित की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन की भूवैज्ञानिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए भारत का दौरा किया था क्योंकि भूकम्प का विस्तार चीन के क्षेत्र तक था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) चीन की भूवैज्ञानिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में 21-23 जनवरी, 2002 के दौरान प्राकृतिक आपदा उपशमन पर आयोजित एक संयुक्त भारत-चीन कार्यशाला में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। भूकंप आपदा उपशमन की पहचान दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग के मौजूदा द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित सहभागिता वाले क्षेत्र के रूप में की गई है। कार्यशाला की सिफारिशों के आधार पर विशिष्ट परियोजनाओं का निरूपण करने का कार्य आरंभ किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा आवेदन संबंधी कार्रवाई

3595. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना के पहले मान्यता प्रदान करने हेतु मौजूदा संगठनों से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने हेतु कोई नए नियम तैयार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद ने 27.9.2001 को प्रकाशित भारत के राजपत्र की अधिसूचना में राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना के पूर्व विद्यमान संस्थाओं से प्राप्त मान्यता हेतु आवेदनों संबंधी कार्रवाई में अनुपालनार्थ प्रक्रिया) विनियमावली, 2001 अधिसूचित की है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाना

3596. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूचित किया है कि इसकी स्थापना संविधान और अन्य विधियों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने तथा मानीटरिंग करने और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए अधिकारों और सुरक्षोपायों के उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करते समय आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए सिफारिशें करता है तथा सुझाव भी देता है। आयोग ने आगे यह भी सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

3597. श्री एन.एस. कृष्णदास:
श्री ए.सी. जोस:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से वर्ष 2002-03 के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) वर्ष 2002-2003 के लिए योजना के तहत आबंटनों को बढ़ाने के लिए केरल और हरियाणा राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केरल सरकार ने 600 करोड़ रुपये और हरियाणा सरकार ने 137 करोड़ रुपये की मांग की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 2500 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन का बंटवारा सड़क संपर्क की आवश्यकता के साथ-साथ मौजूदा कवरेज पर आधारित होता है। अतिरिक्त निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियों को अन्य बातों के साथ-साथ समय पर परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, तैयारी का स्तर, हाथ में उपलब्ध परियोजनाओं के निष्पादन की गति और प्रभावी ढंग से खर्च कर पाने की क्षमता के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जा सकता है।

बच्चों की तस्करी

3598. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बच्चों की तस्करी बेरोकटोक जारी है और देश के विभिन्न राज्यों से इस प्रकार ले जाए गए बच्चों को छुड़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बच्चों की ऐसी तस्करी और उन्हें छुड़ाए जाने के मामले में एक विशेष पैटर्न नजर आता है, जिसमें ऐसे मामले आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान प्रत्येक राज्य से कितने बच्चे छुड़ाए गए; और

(ङ) सरकार ने बच्चों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बच्चों का अवैध व्यापार एक अपराध है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी, 2001 से लेकर 17 सितम्बर, 2001 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में की गई कार्रवाई के दौरान 143 लड़कियों को वेश्यावृत्ति के चंगुल से छुड़ाया गया। इनमें से, 31 लड़कियां आन्ध्र प्रदेश, की, 12-12 कर्नाटक और महाराष्ट्र की तथा 1 तमिलनाडु की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पीड़ित लोगों के पुनर्वास हेतु कदम उठाए गए हैं।

(ङ) बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) अवैध व्यापार को रोकने, अवैध व्यापार तथा व्यावसायिक यौन शोषण के शिकार बच्चों को बचाने और उनका पुनर्वास करने तथा अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए कानूनी तथा विधि प्रवर्तन प्रणालियों को सक्रिय बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना (1998) तैयार की है तथा एक केन्द्रीय सलाहकार का गठन किया है।

(2) इस प्रयोजनार्थ राज्य सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं, राज्यों को अधिकार दिये गए हैं तथा अवैध व्यापार के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों द्वारा अधिक संसाधन मुहैया कराने की मांग की गई है।

(3) महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि राज्य कार्य योजना का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये तथा विभाग इस संबंध में राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

(4) महिला एवं बाल विकास विभाग इन दिनों अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम सहित मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रहा है।

(5) महिला एवं बाल विकास विभाग ने अवैध व्यापार के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा सरकारी विभागों, पुलिस और न्यायपालिका तथा पूरे नागरिक समाज में इस समस्या से ग्रस्त लोगों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास शुरू किये हैं।

(6) राष्ट्रीय महिला आयोग गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से अवैध व्यापार के विरुद्ध सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है। आयोग ने पूरे देश में 20 कार्यशालाएं आयोजित की हैं और इस संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार की है।

(7) संबंधित राज्य सरकारों ने यौन शोषण को रोकने के लिए 'देवदासी' तथा 'जोगिन' प्रथाओं के निषेध हेतु कानून बनाये हैं।

(8) अवैध व्यापार की समस्या को रोकने तथा इससे ग्रस्त बच्चों के पुनर्वास के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संगठनों का अभिनिर्धारण।

(9) महिला एवं बाल विकास विभाग ने कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाली महिलाओं के लिए 'स्वाधार' नामक एक नई स्कीम शुरू की है, जो अवैध व्यापार की शिकार महिलाओं पर भी लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत अवैध व्यापार से छुड़ायी गई महिलाओं को आश्रय, परामर्श, डाक्टरी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(10) महिला एवं बाल विकास विभाग ने रोकथाम, बचाव और पुनर्वास की कार्यविधि के माध्यम के स्रोत क्षेत्रों, परम्परागत क्षेत्रों तथा गंतव्य क्षेत्रों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के सहायतार्थ एक माडल सहायता अनुदान स्कीम बनायी है। इसमें परामर्श, अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है।

(11) महिला एवं बाल विकास विभाग ने अन्तर-राज्य अवैध व्यापार के मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में निरीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को अधिसूचित किया है, जो अवैध व्यापार निवारण पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(12) महिला एवं बाल विकास विभाग ने गृह मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा है कि अवैध व्यापार को रोकने और उसकी मानीटरिंग के लिए एक नोडल एजेंसी बनायी जाय।

(13) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने देश के भीतर अवैध व्यापार के संबंध में एक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस अध्ययन में अवैध व्यापार के सभी अभिकर्त्ताओं के व्यवहार और कारण संबंधी पहलुओं की भी जांच की जायेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस समस्या की व्यापकता, इसमें संलग्न व्यक्तियों की संख्या तथा अवैध व्यापार के मार्गों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण भी शुरू कराया है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा ठेकेदारों को फर्जी भुगतान

3599. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रघुनाथ झा:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ठेकेदारों को सड़क मरम्मत कार्य के नाम पर फर्जी भुगतान करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सड़क मरम्मत, टूटी सड़कों को ठीक करने और पुन: सड़क बिछाने आदि के लिए किए गए भुगतान की जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के साथ बेईमानी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और कार्य का पर्यवेक्षण करने और उसके पूरा-पूरा हो जाने पर निरीक्षण करने में विफल रहने वाले प्राधिकारियों पर उत्तरदायित्व और जवाबदेही निर्धारित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एक समान सम्पत्ति कर ढांचा

3600. श्री अरुण कुमार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने वित्त वर्ष 2002-2003 से अपने क्षेत्र में रिहायशी और गैर-रिहायशी सम्पत्तियों के लिए एक समान सम्पत्ति कर ढांचा बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम को भी इसी प्रकार रिहायशी और गैर-रिहायशी सम्पत्तियों पर एक समान कर लगाने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और सम्पदा निदेशालय दुकानदारों को स्वामित्व के अधिकार दे रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसी तरह सरकारी कर्मचारियों को आबंटित मकानों के स्वामित्व अधिकार उन्हें नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सम्पत्ति कर ढांचा दिल्ली नगर निगम द्वारा तय किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सामान्य पूल रिहायशी आवास केवल सेवारत केन्द्र सरकारी कर्मचारियों को आवंटन के लिए है। यदि मौजूदा आवंटियों को स्वामित्व अधिकार दिये जाते हैं, तो सरकारी आवास के लिए प्रतीक्षा सूची वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास मुहैया करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

गांवों में अनाज बैंकों की स्थापना

3601. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के गांवों में अनाज बैंकों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे ग्रामीणों, विशेषकर गरीब ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में किस-किस प्रकार सहायता मिलेगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) अनुसूचित जाति गांवों में ग्राम खाद्यान्न बैंकों की स्थापना हेतु केन्द्रीय योजना समिति (सी.पी.सी.) द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों में से चयन किए गए क्षेत्रों में भूख से होने वाली मृत्यु के सुधारात्मक उपाय के रूप में वर्ष 1996-97 में केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई। इस योजना में प्रावधान है कि चयन किए गए क्षेत्रों में गांव के लोग गांव में एक समिति बना सकते हैं तथा खाद्यान्न बैंकों की स्थापना कर सकते हैं। प्रति परिवार स्थानीय रूप से खपत होने वाले 100 कि. ग्रा. खाद्यान्न की दर से खाद्यान्न बैंक की स्थापना हेतु जनजातीय मामले मंत्रालय को एक मुश्त अनुदान प्रदान करना है। सदस्य आवश्यकता पड़ने पर इस बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं और समिति द्वारा निर्धारित शर्तों पर वापस कर सकते हैं।

एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए डी.डी.सी.ए. द्वारा पार्किंग पासों का जारी किया जाना

3602. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 31 जनवरी, 2002 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली डिस्ट्रीक्ट क्रिकेट एसोशिएशन (डी.डी.सी.ए.) ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए यातायात

पुलिस की ओर से उनकी अनुमति प्राप्त किए बिना पास जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली डिस्ट्रीक्ट क्रिकेट एसोशिएशन (डी.डी.सी.ए.) के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) डी.डी.सी.ए. से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसने 31 जनवरी, 2002 को आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए यातायात पुलिस की ओर से कोई पास जारी नहीं किया है जैसाकि दिनांक 31 जनवरी, 2002 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है। डी.डी.सी.ए. ने आगे सूचित किया है कि डी.डी.सी.ए. द्वारा सरकारी प्राधिकारियों से किराए पर लिए गए पार्किंग स्थल के लिए डी.डी.सी.ए. ने अपनी ओर से पास जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) पुलिस आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह डी.डी.सी.ए. का विशेषाधिकार है कि वह टिकट, पास आदि जारी करे। तथापि, डी.डी.सी.ए. ने दिल्ली यातायात पुलिस की विशिष्ट लिखित अनुमति लिए बिना दिल्ली यातायात पुलिस के प्रतीक चिह्न का प्रयोग करते हुए कार पार्किंग लेबल जारी किए थे। जब यह दिल्ली यातायात पुलिस की जानकारी में आया, तो डी.डी.सी.ए. को एक विरोध पत्र लिखा गया था। अपने उत्तर में, डी.डी.सी.ए. ने सफाई देते हुए कहा कि विगत में इसी तरह से पार्किंग लेबल जारी किए गए थे। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने सूचित किया था, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कोई विशिष्ट कानूनी कार्रवाई नहीं की है जैसाकि डी.डी.सी.ए. प्राधिकारियों के साथ बाद की बैठकों में, उन्होंने कार पार्किंग लेबलों की संख्या के बारे में जो क्रिकेट मैच के लिए जारी किए गए थे, स्पष्ट किया था और विश्वास दिलाया था कि वे भविष्य में क्रिकेट मैच हेतु कार पास जारी करने के लिए मानदण्डों एवं पद्धतियों का पालन करेंगे।

[अनुवाद]

एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के लिए निधियों का आबंटन

3603. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) हेतु निधियां जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो शेष सभी बकाया धनराशि के कब जारी किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य को वर्ष 2001-02 तक के लिए यथा-अनुमेय निधियां निर्मुक्त की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) द्वारा ब्याज धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया जाना

3604. श्री राजो सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अर्जित ब्याज के उपयोग से संबंधित मंत्रालय के क्या दिशा-निर्देश है;

(ख) क्या सरकार को बिहार में विशेषकर राज्य के बेगूसराय, लक्खीसराय, शेखपुरा और जमुई जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए.) द्वारा ब्याज धनराशि के अन्यत्र उपयोग से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छानबीन कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(च) सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है जिन्होंने इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है/पालन नहीं कर रहे हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार भविष्य में निधियों और उन पर अर्जित ब्याज राशि के दुरूपयोग को रोकने हेतु कोई कठोर कदम उठाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार योजनाओं की जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज को संबंधित कार्यक्रम की निधियों का भाग माना जाएगा तथा इसे संबंधित योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

(ख) से (च) ऐसी कोई शिकायतें प्रकाश में नहीं आई हैं।

(छ) और (ज) मंत्रालय की योजनाओं की निगरानी तंत्रों जैसे आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों तथा राज्य प्राधिकारियों के साथ चर्चा सहित नियमित समीक्षा के लिए निगरानी रखी जा रही है। राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर सतर्कता तथा निगरानी समितियां मौजूद हैं तथा एक चार सूत्री कार्यनीति अर्थात् जागरूकता सृजन, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी तथा ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि निधियों के दुरूपयोग के मामलों पर रोक लग सके।

[अनुवाद]

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वी.एम.वी.ए.वाई.) के अधीन आवासों की मंजूरी

3505. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत आवासों को मंजूरी हेतु मानदंडों को संशोधित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक इकाइयों का विनिवेश

3606. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री वी.के. पार्थसारथी:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों विशेषकर फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से प्रत्येक की वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) क्या एफ.ए.सी.टी. और आर.सी.एफ. के मामले में विनिवेश का निर्णय अस्थगित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश आयोग द्वारा विनिवेश के लिए अभिज्ञात केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, (1) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (2) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (3) पारादीप फास्फेटस लि. (4) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, लि. और (5) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रदत्त पूंजी, कारोबार और निवल लाभ/हानि से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	कारोबार	निवल लाभ (+)/हानि(-)
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	490.58	2841.31	27.31 (+)
2.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	162.14	1410.61	29.76 (-)
3.	पारादीप फास्फेटस लि.	347.65	710.88	141.03 (-)
4.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	551.69	2141.52	64.97 (+)
5.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	354.77	1784.57	151.95 (-)

(ग) से (च) पारादीप फास्फेटस लि. में विनिवेश वर्ष 2001-2002 के दौरान पूरा कर लिया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. और मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. की विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है जबकि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. तथा राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में प्रक्रिया अभी आरम्भ की जानी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खाली पड़े सरकारी क्वार्टर

3607. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खाली पड़े केन्द्र सरकार के सरकारी क्वार्टरों का स्थानवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके खाली पड़े रहने का क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सामान्य पूल में केन्द्र सरकार के खाली पड़े सरकारी क्वार्टरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) उनके खाली पड़े रहने के कारण संलग्न विवरण (कॉलम-4) में उल्लिखित हैं।

इसके अतिरिक्त जब कभी सामान्य पूल के कोई आवास खाली होता है तथा सम्पदा निदेशालय को इसकी सूचना मिलती है, उस आवास को प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवंटित किया जाता है। आवंटन को स्वीकार करने के लिए आठ दिनों का समय दिया जाता है। यदि आठ दिनों के भीतर आवंटन स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह आवास बाद वाले वरिष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ मकान वास्तविक रूप से स्वीकार होने की अवधि तक खाली रहते हैं।

विवरण

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में केन्द्र सरकार के खाली क्वार्टर

क्र.सं.	स्थान	क्वार्टरों की संख्या					खाली पड़े रहने के कारण
		टाइप ए	टाइप बी	टाइप सी	टाइप डी	टाइप ई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सरोजिनी नगर			3	1		व्यापक मरम्मत किये जा रहे हैं
2.	किदवई नगर (प.)					3	इन फ्लैटों के पास. सफदरजंग फ्लाय ओवर के निर्माण के कारण इन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
3.	डी.आई.जेड. एरिया से.-4	9	64				व्यापक मरम्मत किये जा रहे हैं
4.	कस्तुरबा नगर	3					-वही-
5.	एंड्रयूज गंज	12					-वही-
6.	आराम बाग	9					-वही-
7.	श्रीनिवास पुरी	1					-वही-
8.	लोदी रोड काम्पलेक्स		140	1			के.लो.नि.वि. द्वारा खतरनाक घोषित/ व्यापक मरम्मत किये जा रहे हैं।
9.	देव नगर			3			-वही-
10.	बी.के.एस. मार्ग			1			व्यापक मरम्मत किये जा रहे हैं

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	प्रोबिन रोड			1			व्यापक मरम्मत किये जा रहे हैं
12.	लोदी कालोनी				1		–वही–
13.	सादिक नगर		1				–वही–
14.	नौरोजी नगर		1				खतरनाक घोषित
15.	जैसलमेर हाउस	9					–वही–
16.	पी.आर. लेन	1					–वही–

[अनुवाद]

उड़ीसा में शौरा और संथाली का उत्थान

3608. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में शौरा और संथाली के उत्थान के लिए कार्यक्रम और नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी नहीं। इस मंत्रालय की योजनाएं किसी जनजाति अथवा उनकी भाषा विशेष के लिए नहीं हैं। वे संपूर्ण अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के लिए होती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में बंद की गई फैक्ट्रियों को पुन: खोला जाना

3609. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बंद की गई फैक्ट्रियों को फिर से खुलवाने के लिए केन्द्र सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार सील हुई फैक्ट्रियों को फिर से खोलने के लिए कठोर कार्रवाई करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सील की गई फैक्ट्रियों को पुन: खोलने के लिए वर्ष 2001 के दौरान कुल 3637 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सामानों, तैयार माल अथवा कच्चे माल और मशीनरी को हटाने के लिए सीलबंद परिसरों को इस शर्त पर पुन: खोला जा रहा है, आवेदक द्वारा समीक्षा समिति (रिव्यू कमेटी) को इस आशय का एक शपथपत्र दिया जाएगा कि परिसरों का उपयोग मंजूरशुदा ढंग से किया जाएगा। परिसरों की सील खोलने के अनुरोधों की जांच करने के लिए दो समीक्षा/विशेष समितियां गठित की गई हैं।

[अनुवाद]

बीच में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियाँ

3610. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर देश में लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) समुदाय द्वारा उपस्थिति की मानीटरिंग जहां लड़कियों की शिक्षा के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं।

(2) स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या तथा कारणों का पता लगाने के लिए राज्यों द्वारा शुरू की जाने वाली व्यापक नियमित योजना प्रक्रिया। सूक्ष्म योजना प्रक्रिया में समुदाय को शामिल किया जाना। इससे अपने बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता को सहायता मिलेगी।

(3) शिविरों अथवा सेतु पाठ्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों को पुन: स्कूल में वापस लाने के लिए स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों का पता लगाना।

(4) लड़कियों को स्कूलों में बनाए रखने के लिए अभिभावकों तथा स्कूल पद्धति को प्रेरित करने के लिए नियमित अंतराल में बच्चों को स्कूल में बनाए रखने संबंधी अभियान आयोजित करना।

(5) सघन कार्यकलापों के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति को मानीटर किया जाना।

(6) मध्याह्न भोजन योजना, जो बच्चों की उपस्थिति तथा उन्हें स्कूल में बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्कूल स्तर का एक अन्य कार्यक्रम है, के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता।

(7) माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाओं हेतु निधियां प्रदान की जा रही हैं।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों का विकास

3611. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े जिलों के विकास के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (घ) योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास और इस उद्देश्य हेतु निधियों का आबंटन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र का पता नहीं लगाया है। तथापि, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मूले में वेटेज के जरिए पिछड़े क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

इसके अलावा, चिन्हित किए गए क्षेत्रों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए कई कार्यक्रम अर्थात् जनजातीय उप-योजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि बनाए गए हैं। ये कार्यक्रम क्षेत्रों का पता लगाने तथा आबंटन के स्तरों का निर्धारण करने के लिए विकास समस्या की विशेष विशिष्टताओं का उपयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-स्तर को सुधारने के लिए तथा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की सहायता करने के लिए, गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन ढांचा विकास वाटरशेड विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा भूमि सुधार हेतु कई कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों में निधियों के आबंटन हेतु गरीबी/गरीबी से संबंधित सूचकांकों का उपयोग किया जाता है।

औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग धंधों का विस्तार करने के लिए, आयकर अधिनियम के 80-आई.ए. के अंतर्गत आयकर में छूट के उद्देश्य से श्रेणी ''क'' और श्रेणी ''ख'' जिलों का पता लगाया गया है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए ग्रोथ सेंटर्स स्कीम, स्कीम फॉर इन्टीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर्स इत्यादि जैसी कई योजनाएं है।

इसके अलावा, बाद के वित्त आयोगों ने केन्द्रीय कर आयों के अन्तर्राज्यीय हिस्सों का निर्धारण करने के लिए फार्मूले में पिछड़ेपन पर जोर दिया है। विशेष तौर पर, प्रति व्यक्ति राज्य आय मानदंडों के विपरीतात्मक वेट पर पिछड़ेपन का निर्धारण किया जाता है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी निर्धारित अवधि, 2000-05 के लिए 62.5 प्रतिशत का वेट सौंपा था, जो पिछले आयोग द्वारा सौंपे गए वेट से अधिक है। इसके अलावा, क्षेत्र और ढांचों की सूची का मानदंड भी पिछड़े राज्यों की सहायता करता है। सामान्यत: बड़ा क्षेत्र और ढांचों का निम्नतम विकास पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है, और इसे मानते हुए ग्यारहवें वित्त आयोग ने प्रत्येक को 7.5 प्रतिशत का वेट सौंपा है जो 10वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से 5 प्रतिशत अधिक है। राजस्व अंतराल अनुदानों का मूल्यांकन करना भी एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार पिछड़े

राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वैसे राज्य जो कि अपेक्षाकृत और अधिक पिछड़े हैं अपने स्वयं के राजस्वों से ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। राजस्व अंतराल अनुदानों के मूल्यांकन में इस पर ध्यान दिया जाता है। वित्त आयोग अपने दौरों के दौरान प्रत्येक राज्य की विशेष आवश्यकताओं पर खास ध्यान भी देते हैं। ऐसी जरूरतें विशेष समस्याओं और उन्नयन के अनुदानों के जरिए पूरी की जाती है तथा इस प्रकार पिछड़े राज्यों को अपना दावा पेश करने के अवसर मिलते हैं।

[अनुवाद]

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतनमान का संशोधन

3612. श्री जी. गंगा रेड्डी:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को पारादीप फासफेट्स लि. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए की गई सिफारिशों पर तीन माह के अंतर्गत विचार करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में पारादीप फासफेट्स लि. बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतन के आधार पर 1.1.1997 से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके विनिवेश किए जाने से पूर्व लगभग 14 करोड़ के देयों को निपटाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारत सरकार ने पारादीप फास्फेट्स लि. में प्रबंधन और नियंत्रण सहित अपनी धारित साम्य का 74 प्रतिशत विनिवेश कर दिया है। नये प्रबंधन के अंतर्गत कंपनी ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित मजदूरी संरचना को कार्यान्वित कर दिया है।

[हिन्दी]

यूथ हॉस्टलों का निर्माण

3613. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यूथ हॉस्टलों के निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसी भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को मुआवजा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास होता है। अत: राज्य सरकार युवा छात्रावास की उपयुक्तता का निर्धारण करने वाले विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इसे बनाने के लिए केन्द्र सरकार को पूरी तरह से विकसित 1.5 से 2 एकड़ जमीन नि:शुल्क उपलब्ध कराती है। यह जमीन राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को 99 वर्षों की अवधि के लिए 1 रुपये प्रति मास के नाममात्र किराए पर, पट्टे पर दी जाती है। भारत सरकार युवा छात्रावास का निर्माण करती है तथा निर्मित भवन राज्य सरकार को 99 वर्षों की अवधि के लिए एक रुपये प्रतिमास के नाम मात्र किराए पर पट्टे पर दिया जाता है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों का विकास

3614. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष बल दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की योजनावार मुख्य विशेषताएं क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अंगीकृत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र (अप्रोच पेपर) का उद्देश्य खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोज्य वस्तुओं की

पर्याप्त खपत में बढ़ोत्तरी मूल सामाजिक सेवाओं विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी स्वच्छता सुविधाऐं प्रदान करना, सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसरों का विस्तार करना, असमानताओं को कम करना, नीति निर्धारण में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। दृष्टिकोण पत्र (अप्रोच पेपर) में निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों ने अपनी 10वीं योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित रणनीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ दक्षता में बढ़ोत्तरी, निजी भागीदारी के लिए वातावरण बनाना, ऐसी नीतियां अपनाना जिनसे अनेक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और रोजगार उत्पन्न हो।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में केन्द्र सरकार की अहम भूमिका है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक पहल के रूप में सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग (उन्हें छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई हैं) अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत भाग, राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारण कर रहे हैं। इस बात पर बल दिया जाएगा कि क्षेत्र में मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था और संरचना के विकास के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित धन का पूरा इस्तेमाल हो।

इस क्षेत्र के सन्तुलित विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है, पूर्वोत्तर परिषद की 10वीं योजना में अन्य बातों के साथ-साथ चल रहे प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरा करने, बड़ी संख्या में छोटी परियोजनाएं आरम्भ करने के बजाय कुछेक प्रमुख परियोजनाएं शुरू करने ताकि बाधा पैदा करने वाले क्षेत्रों पर बेहतर प्रभाव पड़े, परियोजनाओं के निष्पादन में बढ़ोत्तर प्रबोधन और सुधार, क्षेत्र के भीतर हवाई यात्रा सम्पर्कों में सुधार लाने पर ध्यान दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सड़क, संचार सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, जल-आपूर्ति , शिक्षा सुविधाओं इत्यादि द्वारा पर्वतीय की रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस क्षेत्र के पूर्वनिर्दिष्ट पर्वतीय जिलों के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को बेहतर कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन पर और भौतिक और सामाजिक ढांचे में नाजुक अन्तराल को दूर करने के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने पर भी बल दिया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सचिवालयों का निर्माण

3615. श्री नरेश पुगलिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सचिवालयों के निर्माण के लिए निधियां स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने महाराष्ट्र राज्य के लिए राज्य के गड़चिरोली और चन्द्रपुर जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सचिवालयों के निर्माण के लिए कुछ राशि स्वीकृत करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ राशि को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय को ग्राम सचिवालयों के निर्माण के लिए निधियां स्वीकृत करने के लिए कोई आवेदन/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है।

महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायनों के मूल्यों में वृद्धि

3616. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक विदेश व्यापार ने पश्चिम भारत में पेट्रो-रसायन परिसरों की क्षमता उपयोगिता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन पर डी.ई.पी.बी. दर में 2-3 प्रतिशत तक की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या पी.टी.ए. को अब पहले के दो प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत डी.ई.पी.बी. प्राप्त होगा;

(घ) यदि हां, तो पेट्रो-रसायनों के लिए नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (च) ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक स्कीम (डी.ई.पी.बी.) का उद्देश्य निर्यात उत्पाद के मानित आयात अवयव पर सीमाशुल्क को अप्रभावी करना है। डी.ई.पी.बी. दर, क्षमता उपयोग में सुधार लाने के लिए तैयार नहीं की गई है।

चूंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नार्म में शामिल इनपुट पर लागू सीमाशुल्क का प्रभाव डी.ई.पी.बी. दर की गणना पर है, अत: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में दर में उस समय संशोधन किया जाता है जब आम बजट में सीमाशुल्क में परिवर्तन किया जाता है। आवश्यकता होने पर, संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/संघ के सहयोग से उद्योग के विशिष्ट अभ्यावेदनों के आधार पर मध्यावधि संशोधन भी किया जाता है। अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कुछ पेट्रो-रसायन उत्पादों, नामत: थैलिक एसिड (पी.डी.ए.), लीनियर एल्काएल बैंजीन (एल.ए.बी.), पालिएस्टर स्टेपल फाइबर (पी.एस.एफ.) के संबंध में 2001-02 के दौरान डी.ई.पी.बी. दरों में संशोधन किया गया था। 1.4.2002 से प्रभावी डी.ई.पी.बी. अनुसूची में, पी.टी.ए. के प्रमुख इनपुट पैराजायलीन पर सीमाशुल्क में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि के कारण पी.टी.ए. पर डी.ई.पी.बी. दर में 3 प्रतिशत और वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध के मामले

3617. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा इनमें से वर्षवार कितने मामलों का निपटान किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा वर्षवार कितने मामलों में अपराधियों को दोषी पाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या			उन मामलों की संख्या जिनमें अपराधियों को दोष सिद्ध करार दिया गया		
			1998-99	1999-2000	2000-2001	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	1998-99	37018	7047	3853	2994	1296	2025	1476
2.	1999-00	38573	-	6074	3785	-	4622	2170
3.	2000-01	35955	-	-	7542	-	-	6014

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

3618. **श्री पवन कुमार बंसल:**
डा. बलिराम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 जनवरी, 2002 तक देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाईयों में कितने अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिक और नागरिक मारे गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों की कितनी विधवाओं/आश्रितों को रोजगार या अन्य राहत दी गई है;

(ग) अब तक अनुकंपा के आधार पर कितने मृतकों के आश्रितों को रोजगार नहीं दिया गया है; और

(घ) उन्हें अनुकंपा के आधार पर रोजगार कब तक दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच विद्यासागर राव): (क) वर्ष 1999, 2000, 2001 और 2002 के दौरान आतंकवादी

कार्रवाईयों में मारे गए सुरक्षा बलों (अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों सहित) और सिविलियनों की संख्या निम्न प्रकार है:-

जम्मू और कश्मीर (15.3.2002 तक)

वर्ष	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए सिविलियन
1999	355	821
2000	397	762
2001	536	919
2002	53	169

पूर्वोत्तर राज्य (15.3.2002 तक)

1999	208	599
2000	165	907
2001	176	600
2002	23	112

(ख) से (घ) राज्य सरकारें अनुग्रह अदायगी के रूप में जीवित बचे व्यक्तियों और आतंकवाद के पीड़ितों को राहत प्रदान कर रही हैं। केन्द्र सरकार इस संबंध में ब्यौरे नहीं रखती है।

हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सहायतानुदान

3619. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वार्षिक सहायतानुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यवार विशेषकर कर्नाटक और असम को कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकृत राशि को जारी कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो निर्गत आदेश की तिथि क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस राशि के वांछित उद्देश्य हेतु सफल उपयोग से इस पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 'हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता' नामक योजना के तहत विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को अनुदान प्रदान करता है।

(ख) इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। समय-समय पर विभिन्न तारीखों को 220 से अधिक संगठनों को प्रक्रिया विधि के अनुसार रसीदी टिकट लगी हुई रसीद प्राप्त होने के बाद अनुदान प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2001-2002 की सभी संस्वीकृतियों के लिए राशि प्रदान की गयी है।

विवरण

राज्यवार स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को दिए गए अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	असम	37.67	56.97	60.38
2.	मणिपुर	8.77	1.89	12.29
3.	मेघालय	1.42	2.23	2.09
4.	मिजोरम	1.39	3.54	2.51
5.	नागालैंड	0.45	0.31	2.37
6.	आंध्र प्रदेश	24.21	37.35	36.30
7.	कर्नाटक	71.28	100.99	99.23
8.	केरल	23.00	36.33	35.67
9.	तमिलनाडु	62.48	66.98	67.91
10.	पश्चिम बंगाल	59.60	78.75	8.04
11.	उड़ीसा	3.55	4.73	5.67
12.	महाराष्ट्र	21.61	38.16	32.42
13.	गोवा	2.31	3.18	2.64
14.	गुजरात	2.98	4.19	4.08
15.	पंजाब	0.30	0.30	0.35

1	2	3	4	5
16.	दिल्ली	12.11	16.38	13.48
17.	उत्तर प्रदेश	3.45	5.36	3.19
18.	राजस्थान	0.31	–	0.31
19.	बिहार	3.67	5.06	3.66
20.	मध्य प्रदेश	–	–	0.41
21.	त्रिपुरा	–	–	0.40
	कुल	340.57	462.70	393.40

सर्वशिक्षा अभियान

3620. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 2002 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "इन्फारमल एजुकेशन इज मिसमैनेजड सेज सी.ए.जी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित समीक्षा में ऐसे अनेक मुद्दों को उठाया है जो उनकी जानकारी में आए थे तथा उन्होंने लेखा परीक्षा में प्रेक्षण पर मंत्रालय का जवाब मांगा था।

(ग) जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए मुद्दे मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित थे इसलिए राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे अपनी टिप्पणियां भेजें। अनौपचारिक शिक्षा के तहत राज्य सरकारों/स्वयंसेवी एजेंसियों को वित्तीय सहायता देने की योजना 1.4.2001 से बंद कर दी गई है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

3621. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20.3.2002 के "द हिन्दू" में "फाइल ऑन एडवाइजरी बोर्ड गेदरिंग डस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सरकार का एक मात्र सलाहकार निकाय है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या इसका कार्यकाल मार्च, 1994 में समाप्त हो गया था; और

(च) यदि हां, तो इसके कार्यकाल को किस कारण से नहीं बढ़ाया गया था और आज की तिथि तक इसका गठन क्यों नहीं किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (च) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का अंतिम पुनर्गठन 19 अक्टूबर, 1990 को किया गया था, जिसका कार्यकाल 18 अक्टूबर, 1993 को समाप्त हो गया था। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित बढ़ाया गया कार्यकाल भी 31 मार्च, 1994 को समाप्त हो गया था। उसके बाद, यद्यपि इसके पुनर्गठन पर परवर्ती सरकारों द्वारा विचार किया गया है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन

3622. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं। पंचायती राज अधिनियम राज्यों द्वारा बनाये जाते हैं इसलिए वे अपने राज्य पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए जिम्मेदार हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विस्थापित व्यक्तियों को अन्तरिम राहत

3623. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र सरकार को जून, 2000 में छम्ब क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों को अन्तरिम राहत के रूप में 25,000 रुपये जारी करने का आदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को अन्तरिम राहत दी गई है; और

(ग) उक्त आदेश के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कर्नाटक शिक्षा बोर्ड के लिए नया राष्ट्रीय विद्यालय पाठ्यक्रम

3624. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कर्नाटक राज्य शिक्षा बोर्ड को नया राष्ट्रीय विद्यालय पाठ्यक्रम भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि को भेजा गया था;

(ग) क्या इस पर कर्नाटक सरकार ने अपनी राय दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिनांक 18.1.2002 को नई पाठ्यचर्या भेजी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा

3625. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा देने और उन्हें अनिवार्य व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण देने और महिला उद्यमियों को इसे सुलभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) सरकार महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। सर्व-शिक्षा अभियान का शुभारम्भ किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना तथा वर्ष 2007 तक महिलाओं और पुरुषों के साक्षरता अन्तराल को कम-से-कम 50 प्रतिशत तक घटाना है। महिलाओं, विशेषकर महिला उद्यमियों को कौशल एवं जानकारी सुलभ कराने के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

राज्य व्यापार निगम का विनिवेश

3626. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। भारत राज्य व्यापार निगम लि.

(एस.टी.सी.) में सरकार द्वारा धारित इक्विटी को मौजूदा 91 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक नीचे लाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय, सामान्य मामलों में गैर-सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा इसके निचले स्तर तक नीचे लाने की सरकार की घोषित नीति के अनुसार है।

(ग) प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है और एक अनुमानित समय-सीमा की रूप-रेखा तैयार की गई है। तथापि, इस चरण पर उस निश्चित समय-सीमा का ठीक-ठीक संकेत नहीं दिया जा सकता जिस तक राज्य व्यापार निगम में विनिवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नौकरियां

3627. डा. बलिराम: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय/विभागों में सेवा के दौरान कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई है;

(ख) अनुकंपा के आधार पर कितने पात्र आश्रितों को उपयुक्त नौकरियां दी गई हैं;

(ग) अनुकंपा के आधार पर कितने पात्र आश्रितों को अभी तक नौकरियां नहीं दी गई हैं; और

(घ) मृतक कर्मचारियों के ऐसे पात्र आश्रितों को अनुकंपा आधार पर कब तक नौकरियां दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पनधारा विकास परियोजनाएं

3628. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नए पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देश की 62 लाख हैक्टेयर परती भूमि/अवक्रमित भूमि का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के किस प्रकार लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (घ) देश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत की जाती हैं। इन तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 के दौरान 30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार नई वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है:-

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	लक्षित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	10
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	12
3.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	8
	योग	30

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती है और निधियां सात किस्तों में जारी की जाती हैं। परिणामत: निधियां परियोजना दर परियोजना आधार पर जारी की जाती हैं और कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि नई परियोजनाएं राज्यों में विकसित की जाने वाली बंजरभूमि की उपलब्धता, गरीबी के प्रभाव, बेरोजगारी, जल की कमी तथा चल रही परियोजनाओं के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती हैं।

यथा स्थान मृदा और नमी संरक्षण उपाय इन परियोजनाओं में मूल कार्य हैं जिसके परिणामस्वरूप भू-तल और भू-जल की उपलब्धता में वृद्धि होती है। इन परियोजनाओं से अवक्रमित भूमि/बंजरभूमि की उत्पादकता बढ़ाने तथा अतिरिक्त बायोमास, विशेषरूप से ईंधन लकड़ी और चारे का उत्पादन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् रूप से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने में भी सहायता

मिलती है और इससे समग्र रूप में गरीबी में कमी आना सुनिश्चित होता है।

[हिन्दी]

युवा और खेल विकास

3629. **श्री रामदास रुपला गावीत:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से युवक और खेल विकास हेतु लागू किए गए/किए जा रहे योजनाओं तथा कार्यक्रमों का राज्य-वार विशेषकर राजस्थान का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और उपयोग की गई तथा उससे राज्य-वार कितने लोगों को लाभ हुआ; और

(ग) युवक तथा खेलों के समग्र विकास हेतु प्रस्तावित नई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों का पुनरुद्धार

3630. **श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों के पुनरुद्धार की योजना के अंतर्गत विकसित/विकास किए जाने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने योजना के अंतर्गत कुछ शहरों का विकास करने का कोई प्रस्ताव अग्रेषित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) "सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में पुनरुद्धार" हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम तैयार की जा रही है। स्कीम योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जानी है। योजना आयोग के साथ परामर्श में स्कीम को अंतिम रूप देने के बाद ही स्कीम के ब्यौरे उपलब्ध हो सकते हैं। शहरों के चयन और विभिन्न राज्यों से प्रत्येक शहर को आवंटित राशि के संबंध में निर्णय, स्कीम के अंतिम रूप से तैयार होने के पश्चात् राज्य सरकारों से परामर्श करके किया जायेगा। इस बारे में कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित वस्तुओं का संरक्षण

3631. **श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित कई वस्तुएं फैजाबाद जिले में जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय पुरातन वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या नेताजी से संबंधित वस्तुओं को सार्वजनिक दर्शन हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय में हस्तांतरित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच योजना, जिसका गठन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया था, ने 26.11.2001 से 29.11.2001 तक फैजाबाद में अपनी बैठक के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के आदेशों के अनुसरण में कुछेक वस्तुओं और दस्तावेजों की जांच की थी।

ये दस्तावेज और वस्तुएं तथाकथित एक गुमनानी बाबा की हैं, जो अंतिम समय में राम भवन फैजाबाद में ठहरे थे। कुछ व्यक्तियों का दावा है कि तथाकथित गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। जांच के बाद, आयोग ने कुछेक वस्तुओं और दस्तावेजों, जिन्हें आयोग ने अपने विचारार्थ विषय से संबंधित समझा, चयन किया और इन्हें एक पृथक सीलबंद ट्रंग में फैजाबाद की जिला ट्रेजरी में रख दिया।

आयोग द्वारा दायर एक याचिका में, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने आयोग द्वारा चुने हुए दस्तावेजों और वस्तुओं के सील बन्द बक्से को कोलकाता के आयोग के मुख्यालय में लाने की अनुमति दे दी है।

प्राइमरी तथा मिडल वर्ग में नामांकन

3632. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001 के लिए प्राइमरी (एक से पांच) तथा मिडल वर्ग (छ: से आठ तक) के नामांकन हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य रखा था तथा इसकी तुलना में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान नामक योजना आरम्भ की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2003 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों, शिक्षा गारण्टी केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूलों, 'स्कूल शिविरों में वापसी के माध्यम से मिशन रूप में सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। तथापि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकन के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। ये लक्ष्य जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं पर निर्भर करेंगे।

जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोचिंग सेंटर

3633. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनजातीय छात्रों को अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कोई कोचिंग सेंटर स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कोचिंग सेंटरों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिवर्ष कितने जनजातीय क्षेत्रों को शिक्षित अथवा प्रशिक्षित किया जा रहा है; और

(घ) ऐसे सेंटर जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने में किस सीमा तक लाभप्रद हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) संघ सरकार ने किसी कोचिंग सेंटर की स्थापना नहीं की है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के नाम से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ विश्वविद्यालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों को अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए कोचिंग देने हेतु सहायता अनुदान दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह देखा गया है कि काफी संख्या में जनजातीय छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि योजना लाभभोगियों के लिए उपयोगी है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, केरल का विकास

3634. श्री जार्ज ईडन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि. (एफ.ए.सी.टी.) केरल के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमोनियम संयंत्र से "एफ.ए.सी.टी." को भारी घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने फैक्ट के लिए 19.00 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रावधान किया है ताकि यह अपने संयंत्र एवं उनके संपूर्ण कार्य निष्पादन की स्थिति में सुधार करने की दिशा में आवश्यक नवीकरण और प्रतिस्थापन्न तथा उन्नयन योजनाओं का कार्यान्वयन कर सके।

(ग) और (घ) फैक्ट ने नये अमोनिया संयंत्र की उच्च पूंजी संबद्ध लागतों के कारण कुछ कठिनाईयों का सामना किया है। अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए सरकार से वित्तीय सहायता के लिए फैक्ट के एक प्रस्ताव का अनुमोदन सरकार द्वारा मार्च, 2002 में किया गया है और अनुमोदन कम्पनी को संप्रेषित कर दिया गया है।

अपव्यय

3635. श्री अमर राय प्रधान: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को न्यूनतम करने हेतु कदम उठाए हैं तथा विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ क्षेत्रों की पहले ही पहचान कर ली है जिनमें अपव्यय अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ उनके मंत्रालयों/विभागों के पहचान किए गए ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा 31.12.2002 की स्थिति तक इनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने/रोकने के लिए अभी तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा नियुक्त व्यय सुधार आयोग जिसने अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के वित्त प्रबंधन से संबंधित संगत मामलों पर विचार करके उपयुक्त सिफारिशें दी हैं, ने अपनी 25.9.2001 की दसवीं रिपोर्ट में जनजातीय कार्य मंत्रालय पर चर्चा की थी। हालांकि आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यों और क्रियाकलापों यौक्तिकीकरण से संबंधित कुछेक सुझाव दिए हैं, तथापि, इस मंत्रालय के ऐसे किसी क्षेत्र की शिनाख्त नहीं की है जहां पर अपव्यय होता हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

3636. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन को संपूर्ण देश में फ्रैंचाइज व्यवस्था के माध्यम से और विद्यालयों की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ मुम्बई (मिडल वैतर्णा) जलापूर्ति परियोजना

3637. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से चतुर्थ मुम्बई (मिडल वैतर्णा) जलापूर्ति परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने परियोजना को तकनीकी मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार का विश्व बैंक की सहायता से 570 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की IV मुम्बई (मिडल वैतरण) जल आपूर्ति परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव था। परियोजना में मुम्बई शहर के लिए जल आपूर्ति में 455 मिलियन लीटर प्रति दिन की वृद्धि की परिकल्पना है। परियोजना घटकों में मिडल वैतरण में मुख्य जल शोधन संयंत्र, कच्चा पानी ले जाने की प्रणाली, शोधन संयंत्र तथा भंडूप परिसर में पम्पिंग संयंत्र तथा अन्य विधि कार्य शामिल हैं। परियोजना की मौजूदा अनुमानित लागत 900 करोड़ रु. है।

(ग) से (ङ) परियोजना प्रस्ताव पर केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) तकनीकी दृष्टि से सिद्धान्ततः सहमत हो गया था। केन्द्र सरकार द्वारा विश्व बैंक को 1997 में ऋण सहायता की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सिफारिश की गई थी। विश्व बैंक की टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से संस्थायी सुधारों तथा स्थायी वित्त व्यवस्था पर अधिक बल देकर परियोजना को पुनः तैयार करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से इस बारे में उत्तर की प्रतीक्षा है। ब्रिहान मुंबई नगर निगम ने सूचित किया है कि वे केन्द्रीय जल आयोग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति ले रहे हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजना

3638. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाएं लागू की गई हैं और उन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं उन उद्देश्यों को पूरा कर पाई हैं जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया था;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं खराब स्थिति में हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर उन क्षेत्रों जहां पर पेयजल की अत्यंत कमी है और जहां पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/छोटे और सीमांत किसानों/भूमिहीन श्रमिकों/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या काफी अधिक है और जहां पर वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि, आदि की अधिकता है, सहित देश में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए 1.4.1995 से वाटरशेड पद्धति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य भूमि के अवक्रमण को रोकना, ऐसी भूमि को उत्पादनकारी उपयोग में लाना तथा बायोमास, विशेष रूप से ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में 1868.58 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 37.22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत चार सौ तेईस परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्था में हैं। इन परियोजनाओं के लिए 459.40 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है। विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार पूरी की गई परियोजनाएं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं जिनके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत की गई आई.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और उनके कार्यान्वयन के लिए जारी की गई कुल निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए निगरानी के लिए एक अन्तर्निहित प्रणाली पहले ही मौजूद है। निधियां उपयोग प्रमाण पत्रों, लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरणों आदि के आधार पर सोपानबद्ध रूप से जारी की जाती हैं। परियोजनाओं का स्वतंत्र एजेंसियों/मूल्यांकनकर्त्ताओं के माध्यम से मध्यावधिक मूल्यांकन करवाने की भी प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा भूमि संसाधन विभाग के अधिकारी भी स्थल पर निरीक्षण/जायजा लेने के लिए परियोजना क्षेत्रों का दौरा करते हैं। विभाग के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें किसी भी परियोजना के बारे में खराब स्थिति को दिखाया गया हो। तथापि, यदि किसी विशेष परियोजना का कार्यान्वयन अपेक्षित स्तर का नहीं पाया जाता है तो उसे समय से पूर्व बंद कर दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1995-96 से 2001-2002 तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या तथा जारी कई गई निधियां

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1995-96 से 2001-2002 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	1995-96 से 2001-2002 तक जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	36	52.81
2.	बिहार	02	0.72
3.	छत्तीसगढ़	11	6.67
4.	गुजरात	26	27.88
5.	हिमाचल प्रदेश	24	26.95
6.	हरियाणा	06	4.79
7.	जम्मू और कश्मीर	07	9.05
8.	झारखण्ड	04	1.89
9.	कर्नाटक	22	27.41
10.	केरल	03	4.20
11.	महाराष्ट्र	20	17.40
12.	मध्य प्रदेश	38	42.30
13.	उड़ीसा	30	24.48
14.	पंजाब	04	1.39
15.	राजस्थान	29	24.79
16.	तमिलनाडु	24	19.20
17.	उत्तर प्रदेश	41	67.49
18.	उत्तरांचल	11	7.05

1	2	3	4
19.	पश्चिम बंगाल	01	0.45
20.	अरुणाचल प्रदेश	02	0.95
21.	असम	25	23.99
22.	मेघालय	07	2.61
23.	मणिपुर	08	12.46
24.	मिजोरम	12	9.33
25.	नागालैंड	17	31.01
26.	त्रिपुरा	04	1.60
27.	सिक्किम	09	10.53
	कुल योग	423	459.40

सीमा प्रबंधन

3639. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व गृह सचिव की अध्यक्षता में सीमा प्रबंधन संबंधी गठित कृतिक बल ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) करगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के संदर्भ में समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए अप्रैल 2000 में गठित मंत्रियों के ग्रुप ने भूतपूर्व गृह सचिव, डॉ. माधव गोडबोले की अध्यक्षता में सीमा प्रबंधन पर एक टास्क फोर्स सहित चार टास्क फोर्स गठित किए थे। इस टास्क फोर्स ने अंतरिक्ष सहित भू और तटीय सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन सीमा की चौकसी करने वाले बलों की तैनाती और पुनर्गठन, सीमा क्षेत्रों का विकास, प्रबोधन और निगरानी आदि जैसे अनेक प्रकार के मामलों पर कई सिफारिशें की हैं।

सीमा प्रबंधन पर टास्क फोर्स सहित सभी द्वारा दी गई जानकारियों पर मंत्रियों के ग्रुप द्वारा विचार किया गया। मंत्रियों के ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार ने इसकी लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

पंचायत प्रमुखों की संगोष्ठी

3640. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामों के विकास के मामले पर विचार-विमर्श करने हेतु पंचायत प्रमुखों की कोई संगोष्ठी आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और संगोष्ठी का परिणाम क्या निकला;

(ग) क्या सरकार ने पंचायतों की निधियों तथा शक्तियों का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) देश में पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन 5 अप्रैल, और 6 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन में एक राष्ट्रीय घोषणा को अंगीकार किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख था कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र नियमित और समय पर पंचायती चुनाव सुनिश्चित करने, निधियां, कार्य और कर्मचारी समयबद्ध तरीके से हस्तांतरित करने, जिला योजना समितियों का गठन करने और उन्हें कार्यकारी बनाने तथा ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को सबल बनाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

संविधान का अनुच्छेद-243-छ राज्य विधान मंडलों को, पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां हस्तांतरित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अब तक राज्यों में पंचायतों को विभिन्न प्रकार की

शक्तियां हस्तांतरित की हैं केन्द्र सरकार इस मामले में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करती रही हैं जिसमें उच्च स्तरीय विचार-विमर्श भी शामिल है। राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में, जुलाई, 2001 को हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प किया गया था कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित की जाएंगी और प्रत्येक स्तर की पंचायतों को विशिष्ट कार्यकारी शक्तियां हस्तांतरित करने हेतु निर्देश जारी किए गए।

कार्यबल (जुलाई, 2001 में गठित) की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली गतिविधियों/कार्यों में 29 विषयों में से प्रत्येक को सम्मिलित करने, पंचायतों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना, स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप उपयोग करने हेतु पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनटायड अनुदानों के प्रावधान, ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य बनाना, पंचायती राज संस्थाओं को दिन-प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करने के लिए विभिन्न स्तरों पर योग्य/प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता शामिल हैं।

तमिलनाडु में नेहरू युवा केन्द्र

3641. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों के अंतर्गत स्थान-वार किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर केन्द्र-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार की राज्य में और नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) तमिलनाडु में 29 नेहरू युवा केन्द्र कार्यरत हैं। उनकी अवस्थिति और शामिल किए गए क्षेत्रों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों पर व्यय की गई केन्द्र-वार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	केन्द्र का स्थान	शामिल क्षेत्र
1	2	3
1.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र संख्या-2, नल्लीकुप्पम, मेन रोड पटनी बैंक के पास, घावड़ी, कुड्डालूर (दक्षिण आरकोट तमिलनाडु)	कुड्डालूर (दक्षिण आरकोट)
2.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 4, मीनाक्षी नगर, कवुन्दामपालायम कोलोन पोस्ट, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	कोयम्बतूर
3.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र 5/188 बी दुराईसामी गोंडर स्ट्रीट, धर्मपुरी, तमिलनाडु	धर्मपुरी
4.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 30, आजाद स्ट्रीट, गांधीनगर मदुरै, तमिलनाडु	मदुरै
5.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र टी.एस. सं. 4016, साउथ थर्ड स्ट्रीट, पुड्डुकोट्टाई, तमिलनाडु	पुड्डुकोट्टाई
6.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र 26-ए, राजीव गांधी रोड, कल्पना थिएटर के सामने, शंकर नगर, सलेम	सलेम
7.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र 59 बी, मजीद रोड, शिवगंगा	शिवगंगा

1	2	3
8.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र प्लाट सं. 28, श्रीराम नगर कारूमण्डपम, डिण्डीगुल रोड, तिरूचिरापल्ली	तिरूचिरापल्ली
9.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 120, 8वीं स्ट्रीट, नटराजपुरम, साउथ कालोनी, मेडिकल कालेज रोड, तंजावूर, तमिलनाडु	तंजावूर
10.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 6, पांचवीं स्ट्रीट, शिवान्तीपति रोड, महाराजा नगर, तिरूनेलवेली, तमिलनाडु	तिरूनेलवेली
11.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र न्यू डेरी काम्पलैक्स रोड नीलगिरि (उदगमंगलम) डोटी, तमिलनाडु	नीलगिरि (उदगमंगलम) ऊटी
12.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र प्लाट सं. 1, जी.वी. प्लाट, साथुवाचारी के सामने, वैल्लोर तमिलनाडु	वैल्लोर
13.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र 49-3/3ए1, भारती नगर, सेकंड स्ट्रीट, पुल्लाल कोटाई रोड, कामराजार विरूदूनगर, तमिलनाडु	कामराजार विरुदूनगर
14.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 27/8-08-1, सारालून, ललिता महल के पास, कन्याकुमारी (नागरकोईल)	कन्याकुमारी (नागरकोईल)
15.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र राजीव गांधी केन्द्र चेंगलपेट (एम जी आर)	चेंगलपेट (पेरियार)
16.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 182, टी.वी.के. नगर, कलेक्टोरेट पोस्ट, इरोड (पेरियार)	इरोड (पेरियार)
17.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 1 एन.जी.ओ. कालोनी, डिंडीगुल (अन्ना)	डिंडीगुल (अन्ना)
18.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 1/228, आर.टी.आर. बिल्डिंग, भारती नगर, मण्डपम, मैन रोड, रामानाथपुरम	रामानाथपुरम
19.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र 97-0/75, सातवीं स्ट्रीट, टीचर कालोनी, चिदम्बरनार, (तूतीकोरिन)	चिदम्बरनार
20.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र एम-55, 28वाँ मैन क्रास स्ट्रीट, बसन्त नगर, मद्रास (ग्रामीण)	मद्रास (ग्रामीण)
21.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 16, टिटुमेनी चेट्टी स्ट्रीट, ओल्ड बस स्टैंड के पास नागपटनम	नागपटनम
22.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 22/2, रोलूर मैन रोड, तिरूवन्नामाली	तिरूवन्नामाली

1	2	3
23.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र सं. 4/288, रामय्यानगर, के.के. नगर, विल्लुपुरम	विल्लुपुरम
24.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र त्रिवेल्लूर	त्रिवेल्लूर
25.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र थेणी	थेणी
26.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र तिरूवरूर	तिरूवरूर
27.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र नामक्कल	नामक्कल
28.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र करूर	करूर
29.	युवा समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र पेरम्बलूर	पेरम्बलूर

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के लिए तमिलनाडु का केन्द्रवार व्यय (रुपयों में)

क्र.सं.	केन्द्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6
1.	कोयम्बटूर	426125	488405	514410	इन केन्द्रों पर अभी तक कोई भी व्यय नहीं किया गया।
2.	कुड्डालूर	560571	624090	514410	
3.	धर्मपुरी	594857	759047	544410	
4.	मदुरै	752901	578642	514410	
5.	पुड्डुकोट्टाई	494858	636090	514410	
6.	सलेम	577990	769613	514410	
7.	शिवगंगा	453124	583032	514410	
8.	तिरूचिरापल्ली	561538	702113	1499410	
9.	तंजावूर	506868	680336	514410	
10.	तिरूनेलवेली	640215	771912	514410	
11.	नीलगिरि	470788	651337	514410	
12.	वैल्लोर	604739	597124	514410	
13.	विरूधूनगर	453313	582757	524410	
14.	कन्याकुमारी	642932	728845	1499410	

1	2	3	4	5	6
15.	मद्रास ग्रामीण	527259	630400	1499410	
16.	इरोड	537124	650769	514410	
17.	डिंडीगुल	546595	625202	814410	
18.	रामानाथपुरम	296930	516047	1499410	
19.	तूतीकोरिन	288241	492162	514410	
20.	मद्रास शहरी	776209	593879	514410	
21.	नागपट्टिनम	440824	543361	514410	
22.	तिरूवेनमलाई	453000	696839	574410	
23.	विल्लूपुरम	448085	774984	514410	
24.	तिरूवेल्लूर	410062	461818	514410	
25.	थेणी	543550	510339	514410	
26.	करूर	468752	727154	514410	
27.	तिरूवरूर	168217	338024	514410	
28.	पेरम्बलूर	463469	755865	514410	
29.	नामाक्कल	291157	431010	514410	
	कुल	14400293	17901196	19257890	

दिल्ली में मोटल चलाने के लिए अनुमति/लाइसेंस

3642. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 5 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 712 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में आज तक स्वीकृत सभी 10 मोटलों का ब्यौरा क्या है और इन मोटलों को अनुमति/लाइसेंस प्रदान करने की तिथि क्या है;

(ख) इन 10 मोटलों को ग्राम-वार किन स्थानों के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं; और

(ग) ये मोटल किस भूमि पर स्थित हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में स्वीकृत की गई भवैन योजनाओं वाले 10 मोटलों के स्थान सहित गांव-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार मोटलों को एक अनुमत्य सुविधा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर "सड़क द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के ठहरने, खाने पीने, विश्राम और मनोरंजन एवं इससे संबंधित कार्यकलापों को विशेष रूप से पूरा करने के लिए बनाए गए एवं चलाए जा रहे परिसरों" के रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रामीण जोन/हरित क्षेत्र के साथ-साथ राष्ट्रीय राजपथ पर वाणिज्यिक जोन एवं अंतर्राज्यीय सड़कों पर मोटलों की अनुमति दी गई है।

वे 10 मोटल, जिनकी भवन योजनाएं दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत की गई हैं, ग्रामीण जोन एवं हरित क्षेत्र में स्थित हैं तथा जो "मनोरंजन एवं आराम स्थल" के अनुमत्य उपयोग में आते हैं तथा बनाये गये मानदंडों एवं भवन मानकों के अधीन होंगे।

विवरण

दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृत मोटलों की सूची

क्र.सं.	फाइल सं.	आवेदक का नाम	गांव का नाम	स्थिति
1.	82/बी/एचक्यू/99 2.2.99	मैं. पैंग्विन फार्म प्रा.लि. मोटल, गांव-घिटोरनी, तहसील-महरौली, न.दि.	गांव घिटोरनी में खसरा सं. 417/1 मिन, 421 मिन, 423 मिन 422 तथा 424 मिन	20.5.99 को स्वीकृत
2.	51/ए/एचक्यू/2000 9.5.2000	दिनेशक मै. जिंगल वेल एम्युजमेंट पार्क प्रा.लि. मोटल, गांव-अलीपुर दिल्ली	गांव अलीपुर में खसरा सं. 42/20, 42/21, 50/1, 41/24, 41/25, 51/4	30.5.2000 को स्वीकृत
3.	418/बी/एचक्यू/99 25.5.99	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री बिहारी लाल मोटल, गांव सुल्तानपुर, दिल्ली	गांव सुलतानपुर में खसरा सं. 220 मिन, 221, 222/1, 223/2, 225 मिन	14.9.99 को स्वीकृति
4.	444/बी/एचक्यू/99 4.6.99	मै. डिप्लोमेट इंक्लेव इस्टेट प्रा.लि. मोटल, गांव घिटोरनी, न.दि.	गांव घिटोरनी में खसरा सं. 696/1/2 696/2/1, 696/2/2, 700 मिन, 701/1, 701/2 701/3, 701/4, 702/1	23.7.99 को स्वीकृत
5.	225/बी/एचक्यू/2000 13.4.2000	श्री पुनीत गुप्ता एवं श्री रोहित गुप्ता मोटल, गांव-छतरपुर तहसील-महरौली, नई दिल्ली	गांव में छतरपुर में खसरा सं. 646, 647, 648, 649 650, 651, 652/1, 642/2, 652/3 तथा 653	8.6.2000 को स्वीकृत
6.	360/बी/एचक्यू/2001 4.3.2001	मै. मार्निंग मैडन्स प्रा.लि. मोटल, गांव-खामपुर दिल्ली	गांव खामपुर दिल्ली में खसरा सं. 14/5/2 मिन, 14/6/2 मिन, 13/1 मिन, 13/2 मिन, 13/3 मिन, 13/10 मिन	2.5.2001 को स्वीकृत
7.	176/ए/एचक्यू/98 30.12.98	निदेशक, मै. उप्पल प्रोपर्टीज प्रा.लि., मोटल गांव-समलखा, न.दि.	गांव समलखा में 5, 6 मिन, 13 मिन, 14/1 मिन, 14/2 मिन, 15 मिन, 16, 17/1, 17/2, 18 मिन, 23 मिन, 43 मिन	26.2.99 को स्वीकृत
8.	481/बी/एचक्यू/2000 1.8.2000	मै. सरीन मोटर्स	गांव कापसहेड़ा, दिल्ली में बी/10/2, 13/27	18.10.2000 को स्वीकृत
9.	350/बी/एचक्यू/2000 30.5.2000	मै. लिब्रा हास्पिटलिटी प्रा. लि. मोटल, गांव-बकोली	गांव बकोली में खसरा सं. 51/11, 51/12, 51/13 मिन, 51/15 मिन	4.5.2001 को स्वीकृत
10.	101/ए/एचक्यू/2000 4.8.2000	श्री अश्विनी कुमार मेहरा	महरौली-गुड़गांव रोड पर गांव सुलतानपुर नई दिल्ली में खसरा सं. 218/3/2, 218/3/3, 219/1, 219/2 222/2, 220 मिन, 22/3	11.7.2001 को स्वीकृत

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उचित क्रियान्वयन

3643. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वाकांक्षी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ होने के एक वर्ष के पश्चात् केन्द्र सरकार योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य नहीं कर पाई है जैसा कि 21 दिसम्बर, 2001 के ''दि टाइम्स आफ इंडिया'' में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना के अंतर्गत सभी पहलुओं को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 2000 में शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके ध्यानपूर्वक बनाई गई तथा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के दिशा निर्देश दिसम्बर, 2000 में जारी किए गए थे तथा जिला ग्रामीण सड़क योजनाओं की तैयारी हेतु मैनुअल भी जून, 2001 में जारी कर दिया गया है।

कार्यक्रम को दिशा निर्देशों तथा मैनुअल के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक लगभग 7178 करोड़ रु. के परियोजना प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं तथा वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4935.00 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। वर्ष 2000-01 के लिए मंजूर किए गए सड़क कार्यों के मई-जून, 2002 में पूरा हो जाने की संभावना है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आन्ध्र प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

3644. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सात विशेष परियोजनाओं को स्वीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कितनी निधियां जारी की गई हैं अथवा जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत राज्य के 22 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आवर्ती निधि सहायता मुहैया कराने के लिए सात परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। तथापि, परियोजना अनुमोदन समिति ने, पूर्वी गोदावरी तथा प. गोदावरी जिलों के लिए परियोजना प्रस्ताव पर विचार करते समय यह महसूस किया कि राज्य सरकार को इस परियोजना तथा ऐसी ही अन्य छः परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पास जाने की सलाह दी जा सकती है। तदनुसार राज्य सरकार को सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् का कार्यकरण

3645. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीटीई) के कार्यकरण का आकलन करने हेतु एक समिति अथवा कृतिक बल का नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों का अध्ययन करने के लिए 11.2.2002 को चार सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। श्री पी.के. कॉल, भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव, श्री पी.एल. चुतर्वेदी, अजमेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, श्री के. गोपालन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पूर्व निदेशक तथा सुश्री प्रेरणा गुलाटी, सदस्य सचिव जो फिलहाल प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के उप सचिव हैं, इसके सदस्य हैं। समिति द्वारा रिपोर्ट अभी दी जाने वाली है।

[अनुवाद]

राम मनोहर लोहिया अस्पताल को भूमि का आवंटन

3646 श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 31 दिसम्बर, 2001 को संघात केन्द्र की आधारशिला रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में संघात केन्द्र के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई है और न ही केन्द्र के लिए ड्राइंग बोर्ड पर कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ समय पूर्व ऐसे ही संघात केन्द्र की आधारशिला ''एम्स'' में रखी गई थी परन्तु अभी तक यह केन्द्र नहीं बना है; और

(च) ''एम्स'' और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ऐसे केन्द्रों को कब तक बनाये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर (संघात या मानसिक आघात केन्द्र) की आधारशिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डा. सी.पी. ठाकुर द्वारा 31.12.2001 को रखी गई।

(ग) और (घ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को अपनी सुविधाओं के विस्तार हेतु पहले ही 12.3.97 को 1982.75 वर्ग गज भूमि आबंटित की जा चुकी है। तकरीबन 553.32 वर्ग गज की अतिरिक्त भूपट्टी (12.3.97 को आबंटित भूमि से संलग्न) 18.7.2000 को आबंटित की गई थी। इस प्रस्तावित केन्द्र के नक्शे/हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लि. द्वारा अनुमोदन हेतु 18.1.2002 को दिल्ली नगर कला आयोग को भेजे गए हैं।

(ङ) अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजनगर में ''एम्स'' को आबंटित भूमि पर जय प्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला 3 दिसम्बर, 2001 को रखी गई है और प्रारंभिक कार्य जनवरी, 2002 में शुरू हो गया है।

(च) आर.एम.एल. अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य नगर प्राधिकरणों द्वारा डिजाइन के अनुमोदन से पुरा हो जाने की आशा है तथा एम्स का ट्रामा सेंटर निर्माण शुरू होने के 22-24 महीनों के भीतर बन कर चालू हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

ग्राम सभा को और शक्तियां प्रदान करना

3647. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ग्राम सभा को और शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 243-क के अनुसार राज्य का विधान मंडल कानून द्वारा ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य प्रदान कर सकता है। हालांकि ग्राम सभा को वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है तथापि केन्द्र सरकार राज्य के मुख्य मंत्रियों और पंचायती राज मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठकें करके और पत्राचार करके ग्राम सभाओं को शक्तियों का हस्तांतरण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के साथ इस मामले को उठाती रही है। जुलाई, 2001 को नई दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में संकल्प पारित किया गया कि ग्राम सभा की बैठकें पूर्व निर्धारित तारीख पर वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जानी चाहिए ताकि इनमें संबंधित अधिकारी उपस्थित हो सकें।

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्राम सभाओं को अनेक प्रकार की शक्तियां हस्तांतरित की हैं।

[अनुवाद]

नई औषध नीति में मूल्य नियंत्रण से छूट

3648. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 करोड़ का वार्षिक कारोबार करने वाले सभी भेषजीय संपाकों को नई औषध नीति में मूल्य नियंत्रण से पूर्णत: छूट मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या 10 करोड़ की छूट की यह सीमा घरेलू बाजार में औषधीय निर्माताओं के बाजार शेयर से अतिरिक्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में "भेषज नीति-2002" की घोषणा की है, जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

"(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यक औषधों की अकारादि क्रम से बनी आवश्यक औषध सूची (1966) में प्रकाशित 279 मदों और 173 मदों, जिन्हें विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपातकालीन देखभाल इत्यादि में प्रयोग की दृष्टि से मंत्रालय ने महत्वपूर्ण माना है, में प्रयुक्त हाने वाली कुल दवाओं में से सेरा और वेक्सीन, रक्त उत्पादों, सम्मिश्रणों, आदि को निकालकर प्रपुंज औषधों का मूल्य विनियमन के लिए चयन किया जाए।

(2) मूल्य नियंत्रण का दायरा निश्चित करने के लिए मार्च, 2001 के ओआरजी-एमएआरजी का डेटा आधार होगा।

(3) किसी प्रपुंज औषध के संबंध में किसी सूत्रयोगकर्त्ता के लिए मूविंग एनुअल टोटल (एमएटी) का निर्णय ओआरजी-एमएआरजी (मार्च, 2001) के सभी समूहों/श्रेणियों में उस सूत्रयोगकर्त्ता के सामने सूचीकृत सभी प्रबलताओं, खुराक रूपों और पैक-आकारों को शामिल करते हुए उस प्रपुंज औषध के सभी एकल संघटक सूत्रयोगों इसके लवणों, इस्टरों, स्टिरियों-आइसोमर्स और व्युत्पादों के एमएटी मूल्य को जोड़कर किया जाएगा।

(4) जैसा कि उपर्युक्त उप-पैरा (3) में निष्कर्ष निकाला गया है, किसी विशेष प्रपुंज औषध के संबंध में सभी सूत्रयोगकर्त्ताओं के लिए एमएटी मूल्य को खुदरा कारोबार में कुल एमएटी मूल्य का निर्णय करने के लिए जोड़ा जाएगा।

(5) जैसा कि उपर्युक्त उप पैरा (3) में निष्कर्ष निकाला गया है, किसी प्रपुंज औषध के संबंध में किसी एक सूत्रयोगकर्त्ता के लिए एमएटी कीमत को उस प्रपुंज औषध के संबंध में उपर्युक्त उप-पैरा (4) में निष्कर्षित कुल एमएटी कीमत में उस सूत्रयोगकर्त्ता के प्रतिशत हिस्से की गणना करने के लिए आधार बनाया जाएगा।

(6) प्रपुंज औषधों को मूल्य नियंत्रण के तहत रखा जाएगा, यदि:-

(क) किसी विशेष प्रपुंज औषध के संबंध में उपर्युक्त पैरा (4) में निष्कर्षित कुल एमएटी मूल्य 2500 लाख रुपए (25 करोड़ रुपए) से अधिक हो और किसी भी सूत्रयोगकर्त्ता का प्रतिशत हिस्सा जैसा कि उपर्युक्त उप-पैरा (5) में स्पष्ट किया गया है, 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

(ख) किसी विशेष प्रपुंज औषध के संबंध में उपर्युक्त उप-पैरा (4) में निष्कर्षित कुल एमएटी कीमत 2500 लाख रु. (25 करोड़ रुपए) से कम, किन्तु, 100 लाख रुपये (10 करोड़ रुपए) से अधिक हो, और जैसा कि उपर्युक्त उप पैरा (5) में स्पष्ट किया गया है, किसी भी सूत्रयोगकर्त्ता का प्रतिशत हिस्सा 90 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

(7) प्रपुंज औषध के रूप में जिन्हें मूल्य नियंत्रण के लिए नहीं पहचाना गया है, उन समेत या तो अलग-अलग या अन्य प्रपुंज औषधों के साथ सम्मिश्रण में ऊपर पहचाने गए किसी प्रपुंज औषध वाले सभी सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन होंगे।"

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

3649. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार किन राज्यों ने उक्त संस्थान स्थापित किए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इन आई.आई.आई.टी. के लिए आरम्भिक सहायता स्वीकृत तथा जारी करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर गठित कार्यबल द्वारा इस बात पर विचार किया गया था कि देश के प्रत्येक प्रमुख राज्य में नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाए। इसने सिफारिश की थी कि सभी प्रमुख राज्यों को राज्य तथा केन्द्रीय वित्त पोषण और औद्योगिकी सहयोग के

जरिए एक विशेष सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को बढ़ावा देने संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। हालांकि, अभी तक केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है जिसके तहत इस उद्देश्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, केरल, गुजरात, हरियाणा तथा महाराष्ट्र में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना की गई है जो अधिकतर सार्वजनिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. का विनिवेश

3650. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की कुछ इकाइयों के विनिवेश पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में सरकारी इक्विटी के विनिवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के वित्तीय और कारोबार पुनर्संरचना पैकेज में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की निम्नलिखित गैर-महत्वपूर्ण इकाइयों का विनिवेश शामिल है:-

(क) बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला स्थित विद्युत संयंत्र और भिलाई स्थित कैप्टिव विद्युत संयंत्र-II (सी.सी.पी.-II)

(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र-2

(ग) सलेम इस्पात संयंत्र (एस.एस.पी.), सलेम

(घ) एलॉय इस्पात संयंत्र (ए.एस.पी.), दुर्गापुर

(ङ) विश्वेश्वरया आयरन और इस्पात संयंत्र (वी.आई.एस.पी.), भद्रावती

(च) राउरकेला स्थित उर्वरक संयंत्र

विद्युत संयंत्रों का विनिवेश पूरा कर लिया गया है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को भारतीय आयरन और इस्पात कंपनी (आई.आई.एस.सी.ओ.) के पुनरुद्धार के लिए विचारित किसी संयुक्त उद्यम में अल्पांश शेयर धारिता रखने की भी अनुमति दी गई है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु जनजातीय पैनल गठित करना

3651. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय पैनल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यों में पैनल गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश पर भारत पर्यटन विकास निगम की रिपोर्ट

3652. श्री वाई.वी. राव: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश को आकर्षक बनाने हेतु भारत पर्यटन विकास निगम ने एक रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पर्यटन विभाग ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के माध्यम से भारत पर्यटन विकास निगम की होटल इकाइयों में श्रम शक्ति को तर्कसंगत बनाना।

(2) होटल कनिष्का तथा होटल इन्द्रप्रस्थ की अलग इकाइयों के रूप में बिक्री आरंभ करना।

जलशोधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3653. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस सरकार ठोस कचरा निपटान प्रबंधन और जल शोधन संयंत्र का आधुनिकीकरण करने में भारत को सहायता और अपनी विशेषज्ञता देने के लिए उत्सुक है; और

(ख) यदि हां, तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु इस प्रकार की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां। फ्रांस सरकार ने भारत में जल एवं कचरा प्रबंधन सहित शहरी अवस्थापना के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता, सहायता एवं सहयोग देने में उत्सुकता दिखायी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत एवं सरकार द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं एवं व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए मौजूदा भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकॉल के तहत समय-समय पर फ्रांसीसी विशेषज्ञता का लाभ पहले से ही उठाया जा रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता के प्रचार-प्रसार तथा सहयोग के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने के लिए भारत-फ्रांसीसी कार्यशालाएं, सेमिनार भी आयोजित किए गए हैं।

राज्य स्तर के परियोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजना प्रस्ताव बनाना एवं पर्यावरण के संरक्षण प्रतिरक्षण एवं सुरक्षा के लिए बनाये गए विधायी एवं विनियामक उपायों का यथा ध्यान रखते हुए संबंधित एजेंसियों से पर्यावरणीय प्रभाव क्लीयरेंस लेना अपेक्षित होता है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गांवों को सड़क से जोड़ना

3654. श्री नरेश पुगलिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांवों को सड़क से जोड़ने के जनसंख्या संबंधी मानदण्डों को जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में 1000/500 से 200 करने के संबंध में जनप्रतिनिधियों से अब तक कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि जनजातीय लोग एक गांव में नहीं रहते और वे बिखरे हुए रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2007 के अन्त तक 500 से ज्यादा आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को बढ़िया बारहमासी सड़कों के जरिए सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का प्रावधान करती है। पहाड़ी राज्यों, मरूस्थलीय क्षेत्रों तथा जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों के मामले में यह कार्यक्रम 250 या अधिक की आबादी वाली बसावटों को कवर करता है। आबादी के आकार का निर्धारण करने के लिए 500 मीटर की परिधि के भीतर की बसावट की आबादी पर विचार किया जाता है।

कामकाजी महिलाओं के लिए बने हॉस्टल

3655. श्री हरिभाई चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में जिलावार कामकाजी महिलाओं के लिए बने हॉस्टलों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों को दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कितनी राशि दी गयी;

(ग) क्या राज्य में नए हॉस्टल स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकार को सीधे राशि निर्मुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, पिछले वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2001-2002 में गुजरात राज्य को गुजरात में आये भूकम्प के मद्देनजर राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 2.52 करोड़ रुपये का अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार को प्रथम किस्त के रूप में 57.60 लाख रुपये निर्मुक्त किये गए।

(ग) और (घ) राज्य में नए होस्टल बनाये जाने की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार के माध्यम से कितने पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। गुजरात का कोई भी प्रस्ताव विभाग में लम्बित नहीं है।

विवरण

गुजरात में संस्वीकृत कामकाजी महिला हॉस्टलों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम व पता	संस्वीकृति वर्ष	हॉस्टल का स्थान	संस्वीकृत क्षमता		वर्तमान स्थिति
				कामकाजी महिलाएं	दिवस देखभाल हेतु बच्चे	
1	2	3	4	5	6	7
जिला : अहमदाबाद						
1.	लोक सेवक समिति, अहमदाबाद शाखा, 1225 देवनिशेरी, मंदविनी गली, अहमदाबाद-380001	1978-79	अहमदाबाद	100	0	पूर्ण
2.	गुजरात स्त्री प्रगति मंडल, द्वारा श्रीमती मनोरमा मेटा, अक्शी बंगला, विद्यापीठ के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद	1978-79	अहमदाबाद	26	0	पूर्ण
3.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, गुजरात शाखा, 13, मेघदूत आश्रम रोड, नवरंगपूरा, अहमदाबाद	1978-79	अहमदाबाद	60	0	पूर्ण
4.	भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, गुजरात राज्य शाखा, जिला पंचायत परिसर, भद्रा, अहमदाबाद	1980-81	अहमदाबाद	50	0	पूर्ण
5.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1981-82	अहमदाबाद	57	20	पूर्ण
जिला : बड़ौदा						
6.	श्री महारानी चिमनबाई स्त्री समाज, 12, समस्त वसाहत, प्रताप रोड, बड़ौदा	1976-77	बड़ौदा	20	0	पूर्ण
7.	विकास ज्योत ट्रस्ट, नाथ वनाथ केन्द्र, भूतदी जंपा, बड़ौदा-390006	1984-85	बड़ौदा	50	30	पूर्ण
8.	कामकाजी महिला हॉस्टल संघ, बड़ौदा	1985-86	बड़ौदा	85	20	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
जिला : भावनगर						
9.	श्री तापीबाई रणछोड़ दास गाँधी विकास गृह, न्यू फिल्टर, भावनगर	1975-76	भावनगर	25	0	पूर्ण
10.	श्री तापीबाई रणछोड़ दास गाँधी विकास गृह, न्यू फिल्टर, भावनगर	1985-86	भावनगर	36	0	पूर्ण
11.	श्री तापीबाई रणछोड़ दास गाँधी विकास गृह, न्यू फिल्टर, भावनगर	1994-95	भावनगर	36	0	पूर्ण
जिला : गांधीनगर						
12.	भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, जिला गांधीनगर शाखा, प्लॉट सं. जी.बी. 17, सेक्टर 9, गांधीनगर-382009	1994-95	सेक्टर-12 गांधीनगर, टाउनशिप	54	0	निर्माणाधीन
जिला : जामनगर						
13.	कस्तूरबा स्त्री विकास गृह, पंडित नेहरू मार्ग, जामनगर	1974-75	जामनगर	50	0	पूर्ण
14.	एम.डी. मेहता, एजुकेशन ट्रस्ट, जिला जामनगर	1996-97	सर्वेक्षण सं. 1338 ध्रोल नगर, पंचायत जिला	41	0	निर्माणाधीन
जिला : खेड़ा						
15.	जिला खेड़ा बाल कल्याण संघ नीलगिरि हॉस्टल, बल्लभ विद्यानगर-388120, जिला खेड़ा	1995-96	सर्वेक्षण सं. 1854 बल्लभ विद्यानगर खेड़ा	98	30	निर्माणाधीन
जिला : कच्छ						
16.	कच्छ जिला समाज कल्याण मंडल, आदिपुर, कच्छ	1988-89	गांधीधाम	78	30	पूर्ण
जिला : मेहसाना						
17.	महिला मंडल मेहसाना	1988-89	महेसाना	36	0	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
जिला : राजकोट						
18.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, मोटी टंकी के निकट, राजकोट	1977-78	राजकोट	50	0	पूर्ण
19.	श्री कांता विकास गृह, बक्ति नगर, राजकोट-360002	1977-78	राजकोट	50	0	पूर्ण
20.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, मोटी टंकी के निकट, राजकोट	1980-81	राजकोट	44	0	पूर्ण
21.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, मोटी टंकी के निकट, राजकोट	1989-90	राजकोट	0	0	पूर्ण
22.	श्री पुतलीबा उद्योग मंदिर, गीता मंदिर के सामने, भाकुनगर, राजकोट	1993-94	राजकोट	48	0	पूर्ण
जिला : सूरत						
23.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, सूरत	1974-75	सूरत	25	0	पूर्ण
24.	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, बैंसट रोड, सूरत	1982-83	सूरत	26	0	पूर्ण
जिला : सुरेन्द्रनगर						
25.	विकास विद्यालय वधावन नगर-363030	1979-80	वधावन नगर	38	0	पूर्ण
26.	विकास विद्यालय वधावन नगर-363030	1983-84	वधावन नगर	35	0	पूर्ण
जिला : अज्ञात						
27 से 36.	गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम, उद्योग भवन, गांधीनगर, गुजरात	2000-2001	अज्ञात	600	0	ये हॉस्टल गुजरात के भूकंप पीड़ित क्षेत्रों में राहत पैकेज के रूप में स्थापित किए जाने थे।

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आबंटन

3656. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के लिए बिहार सरकार को कितनी राशि का आबंटन किया गया;

(ख) क्या अप्रयुक्त राशि अभी भी राज्य सरकार के पास है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की किस प्रकार संवीक्षा करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग बिहार सरकार को समेकित बाल विकास सेवा स्कीम, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजना, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम (उदिशा), बालिका समृद्धि योजना, स्व-शक्ति परियोजना और स्वयंसिद्धा स्कीम के अंतर्गत निधियां आबंटित कर रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत राज्य को आबंटित निधियों और उनके उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विभाग राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों, दौरों और निरीक्षणों के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से अनुवीक्षण कर रहा है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिए बिहार राज्य को आबंटित निधियों और बिहार सरकार के पास उपलब्ध शेष निधियों के सम्बन्ध में वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष-वार आबंटित निधियां (रुपए लाखों में)			बिहार सरकार से प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1.	समेकित बाल विकास सेवा	4918.64	3756.00	2154.11	वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च) में बची अव्ययित राशि को अगले वर्ष में समायोजित किया जाता है। अंतिम व्यय विवरण प्रतीक्षित है।
2.	विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजना	3936.00	–	1000.00	15.15 करोड़ रुपए
3.	विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम-उदिशा	150.00	–	–	कुछ नहीं
4.	बालिका समृद्धि योजना	712.46	212.00	–	पूरी राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र बिहार सरकार से अभी भी प्रतीक्षित है।
5.	स्वयंसिद्धा	–	16.95	–	11.00 लाख रुपये
6.	स्व-शक्ति	40.00	–	34.00	31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष का अंतिम व्यय विवरण प्रतीक्षित है।

विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण

3657. श्री के. येरननायडू:
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति, 2001 के पैरा 6.3 में कहा गया है कि विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जायेगा। तथापि, कानूनी स्थिति इस प्रकार है:

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत किये गए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार की राय में राज्य में अथवा राज्य के किसी भी भाग में हिन्दू विवाह पंजिका में हिंदू विवाहों का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करना आवश्यक अथवा उचित हो, तो राज्य सरकार द्वारा सभी मामलों में अथवा कुछ विनिर्दिष्ट मामलों में इसकी व्यवस्था की जा सकती है। कुछ राज्य सरकारों, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के अपने अधिनियम हैं, जिनके अनुसार इन राज्यों में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत किये गए विवाहों को छोड़कर अन्य विवाहों का पंजीकरण इस अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत अनुमेय है बशर्ते इन विवाहों में इस अधिनियम के अध्याय-III के अतंर्गत निर्धारित कुछ शर्तें पूरी होती हों। हिन्दू विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों द्वारा भी वहाँ मौजूद स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

एमसीडी के पास सड़क निर्माण की अप्रयुक्त राशि

3658. श्री अरुण कुमार: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मार्च, 2002 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' में सड़कों के निर्माण संबंधित एमसीडी के पास अप्रयुक्त राशि के विषय में छपे समाचार की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) दिल्ली की सड़कों की स्थिति के सुधारने के लिए राशि खर्च नहीं करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि यह कहना सही नहीं है कि सड़कों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत 100 करोड़ रु. में से कोई राशि खर्च नहीं की गई है। 51 सड़कों का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है तथा 2001-2002 के दौरान इन सड़कों के सुधार पर 852.84 लाख रु. की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है।

मछुआरों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

3659. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मछुआरों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़कों की स्थिति

3660. श्री रामजी मांझी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मार्च, 2002 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में ''वाइल्ड वेस्ट मीट्स फार्मूला ओवर ट्रैक्स आन डेल्टी रोड्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हाल में बने फ्लाई ओवरों के किनारे की सड़कों में बड़े गड्डे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समाचार में किसी खराब सड़क का जिक्र नहीं है। तथापि, सड़क कार्य देखने वाली एजेंसियों लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि फ्लाई ओवर और सड़कें (ढ़लान सड़कों सहित) अच्छी हालत में हैं और उनमें कोई न तो कोई गड्ढ़े पाए गए हैं और न उनकी कोई रिपोर्ट है, साथ ही, जरूरत होने पर तत्परता से सुधार कार्य किया जाता है।

विकलांग और दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षण

3661. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 मार्च, 2002 को उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और यू.जी.सी. को निर्देश दिया कि विकलांग और दृष्टिहीन व्यक्तियों को कुछ चुनिंदा शैक्षिक पदों पर 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) उच्चतम न्यायालय शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिहीन व्यक्तियों को शिक्षण पदों में उपलब्ध आरक्षण प्रावधानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दृष्टिकोण से संतुष्ट था इसलिए उसने कोई निदेश नहीं दिया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अमरनाथ यात्रा त्रासदी की जांच

3662. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमरनाथ यात्रा त्रासदी से संबंधित जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) क्या अमरनाथ त्रासदी में मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को अनुग्रह राशियां दे दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस तीर्थयात्रा को सुरक्षित, आरामदेह बनाने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। 1996 में अमरनाथ यात्रा त्रासदी के बाद भारत सरकार ने त्रासदी के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित ओर पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए डा. नितिश सेनगुप्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। डा. सेन गुप्ता ने 2.12.96 को सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भविष्य में निर्विघ्न यात्रा सुनिश्चित करने हेतु अनेक सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की एक प्रति 18.12.1996 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई थी।

भारत सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी तथा उसकी एक प्रति आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु जम्मू और कश्मीर सरकार को भेजी थी। चूंकि, श्री अमरनाथ यात्रा का आयोजन जम्मू और कश्मीर सरकार करती है अत: जम्मू और कश्मीर सरकार ने जांच समिति की सिफारिशों/सुझावों के आधार पर आधारभूत संरचना में सुधार करने, लोगों को आश्रय देने, यात्रियों की संख्या सीमित रखने आदि के लिए समुचित उपचारी कदम उठाए हैं ताकि त्रासदी की पुनरावृत्ति न हो।

(घ) और (ङ) 1996 में अमरनाथ यात्रा त्रासदी के दौरान 243 यात्रियों ने अपने प्राण गंवाए थे जिनमें से केवल 227 शवों की ही शिनाख्त हो पाई थी तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को 2 लाख रुपए प्रति मृत तीर्थ यात्री की दर से उसके निकटम संबंधी को अनुग्रह अनुदान देने के लिए 454 लाख रु. की राशि रिलीज की।

(च) और (छ) अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित की जाती है जिसने अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार से इस वर्ष सुरक्षित तथा निर्विघ्न यात्रा संपन्न कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा गया है।

[अनुवाद]

सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के द्वारा ब्याज दर में कमी

3663. श्री सुरेश रामराम जाधव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्याज दरों में आमतौर पर कमी को देखते हुए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने सहायता प्रदत्त परियोजनाओं की ब्याज दर को कम करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ब्याज दरों में कमी लाई जाएगी और ब्याज दरों के कब तक कम किए जाने संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों के संशोधन पर विचार करने का निर्णय लिया है।

अपराध विश्लेषण संस्थानों के नेटवर्क की स्थापना

3664. श्री सुबोध मोहिते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुलिस और न्यायिक व्यवस्था के साथ मिलकर देश में एक अपराध विश्लेषण संस्थान का राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस नेटवर्क (पोलनेट) स्थापित करने का कार्य पूरा किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, भारत सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) पी.ओ.एल.एन.ई.टी. (पोलनेट) परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। संविदाओं को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। आदेश देने के बाद, परियोजना के लिए एक वर्ष के भीतर पूरा होने जाने की आशा है।

उच्च शिक्षा हेतु धनराशि

3665. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में किस हद तक उच्च शिक्षा में सुधार होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-2002 में उच्चतर शिक्षा के लिए 575.00 करोड़ रुपए के योजनागत आबंटन की तुलना में वर्ष 2002-03 में 615.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

(ग) यह परिकल्पना की गई है कि दसवीं योजना अवधि के दौरान उच्चतर शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु समूह के छात्रों के नामांकन में 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में साम्या, गुणवत्ता और उपयुक्तता में भी सुधार होगा।

[हिन्दी]

वाहनों पर लालबत्ती

3666. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाहनों पर लालबत्तियों के प्रयोग के संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वाहनों पर लालबत्ती और फ्लैशयुक्त लाल बत्ती के प्रयोग के लिए अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) वाहनों पर लालबत्तियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान। सरकार ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 के उप नियम (iii) के अंतर्गत वाहनों पर लाल बत्तियों के प्रयोग के संबंध में राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ. 52(ई) दिनांक 11.1.2002 जारी की है। राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों को भी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लाल बत्तियों के प्रयोग पर इसी प्रकार की अधिसूचनाएं जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा तथा अपनाए गए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वाहनों पर लाल बत्तियों के दुरूपयोग के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी होती है।

विवरण

(क) देश में कहीं भी ड्यूटी पर होने के दौरान फ्लैशर सहित लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्ति:

(1) राष्ट्रपति;

(2) उपराष्ट्रपति;

(3) प्रधान मंत्री;

(4) भूतपूर्व राष्ट्रपति;

(5) उप प्रधानमंत्री;

(6) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(7) लोक सभा का अध्यक्ष;

(8) संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य;

(9) उपाध्यक्ष, योजना आयोग;

(10) भूतपूर्व प्रधान मंत्री;

(11) राज्य सभा और लोक सभा में विरोधी पक्ष के नेता;

(12) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।

(ख) देश में कहीं भी ड्यूटी पर होने के दौरान बिना फ्लैशर के लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्ति:

(1) मुख्य निर्वाचन आयुक्त;

(2) भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक;

(3) उप सभापति, राज्य सभा;

(4) उपाध्यक्ष लोक सभा;

(5) संघ के राज्य मंत्री;

(6) योजना आयोग के सदस्य;

(7) भारत का महान्यायवादी;

(8) मंत्रिमंडल सचिव;

(9) तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो पूर्ण जनरल के रैंक या समतुल्य रैंक के हों;

(10) संघ के उपमंत्री;

(11) तीनों सेनाओं के स्थानापन्न अध्यक्ष जो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक या समतुल्य रैंक के हों;

(12) अध्यक्ष केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण;

(13) अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग;

(14) अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग;

(15) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग।

(ग) कोई यान जो ऐसे उच्चपदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो, जो रैंक, प्रास्थिति और प्रसुविधाओं में ऊपर मद ''क'' और ''ख'' में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित हो, तत्संबंधी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का उपयोग करने के लिए हकदार होगा। ऐसा यान जो उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहा हो जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा उनकी निजी हैसियत में रैंक समनुदेशित की गई है, उन उच्च पदस्थ व्यक्तियों को जो ऊपर मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, समनुर्देशित तत्स्थानी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का प्रयोग करने का हकदार होगा।

(घ) यदि कोई यान जिस पर के शीर्ष अग्र भाग पर लाल बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढक दिया जाएगा।

(ङ) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यथास्थिति अपनी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों, जैसे कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य मंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीश, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडलों के सभापति, अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्यों आदि के संबंध में लाल बत्ती के उपयोग पर ऐसी ही अधिसूचनाएं जारी करेंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन

3667. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अन्य हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक हितों की 'विशेष सावधानी' से अभिवृद्धि करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले केन्द्रीय और राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों जैसे प्रशासन के उच्च पदों पर सेवारत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के योग्य व्यक्तियों को अवसर प्रदान कर शैक्षिक रूप से उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए कानून बनाने हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, प्रवेश, शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों पर भर्ती, अध्येतावृत्तियों, छात्रावास में आवास/स्टाफ क्वार्टरों, आदि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने निम्नलिखित का गठन किया है।

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मानीटरी समिति, और

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थाई समिति का भी गठन किया है ताकि वे विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकें।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद के लिये आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तथा चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

एन.जी.ओ. के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन

3668. श्री रामदास रुपला गावीत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित और केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य-वार विशेषत: महाराष्ट्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान इन योजनाओं के कार्य-निष्पादन की कोई समीक्षा की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विजयपुर (गुना) में एन.एफ.एल. का आधुनिकीकरण

3669. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयपुर (गुना) में एन.एफ.एल. के उत्पादन को बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण और उत्पादन बढ़ाने के कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायतों के लिए धनराशि का आबंटन

3670. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से जिला पंचायतों को धनराशि का केन्द्रीय हिस्सा जारी करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्र द्वारा राज्य-वार विशेषत: कर्नाटक राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गयी; और

(घ) उक्त राज्य के लिए वर्ष 2002-2003 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्यक्रम के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों, जो राज्य सरकारें, जिला परिषदें तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां हैं, को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय अंश रिलीज करता है। विशेष रूप से जिला पंचायतों को निधियां रिलीज करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों में अंतर्गत, कर्नाटक सहित, राज्यों को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों के लिए बजटीय आबंटनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष : 2001-2002

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	92058.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	8783.30
3.	असम	55699.34
4.	बिहार	68628.37
5.	छत्तीसगढ़	33753.99
6.	गोवा	1539.92
7.	गुजरात	32856.00
8.	हरियाणा	16444.01
9.	हिमाचल प्रदेश	17842.85
10.	जम्मू व कश्मीर	22995.38
11.	झारखण्ड	48543.35
12.	कर्नाटक	54234.77
13.	केरल	21779.79
14.	मध्य प्रदेश	88951.41
15.	महाराष्ट्र	83816.95
16.	मणिपुर	6774.95
17.	मेघालय	8353.40
18.	मिजोरम	5713.54
19.	नागालैंड	7223.59
20.	उड़ीसा	86104.95
21.	पंजाब	11351.15
22.	राजस्थान	65455.13
23.	सिक्किम	3879.55
24.	तमिलनाडु	54230.65

1	2	3
25.	त्रिपुरा	11229.61
26.	उत्तर प्रदेश	155602.13
27.	उत्तरांचल	17920.23
28.	पश्चिम बंगाल	64409.90
29.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	252.18
30.	चण्डीगढ़	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	664.68
32.	दमन व द्वीव	40.58
33.	दिल्ली	573.83
34.	लक्षद्वीप	516.51
35.	पांडिचेरी	257.12
	अखिल भारत	1148481.98

रिक्त पद

3671. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.12.2001 और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों के श्रेणी-वार नाम क्या हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को रिक्त रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) 31.12.2001 और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, कारण सहित, रिक्त पदों की स्थिति का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। तथापि, इन रिक्त पदों को भरे जाने में लगने वाले सही समय-सीमा का आंकलन करना संभव नहीं है।

विवरण

31.12.2001 और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, कारण सहित, रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम	31.12.2001 की स्थिति के अनुसार रिक्त पद	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार रिक्त पद	कारण
1	2	3	4	5
विनिवेश आयोग में श्रेणी-वार रिक्त पद				
1.	अवर सचिव	–	1	1.3.02 से। प्रतिस्थापित व्यक्ति ने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है।
2.	निजी सचिव	2	2	2.8.2000 से। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से नामांकन प्राप्त हो गए हैं। अभ्यर्थियों को अभी पदभार ग्रहण करना है।
3.	सहायक	1	2	1 पद 2.8.2000 से रिक्त पड़ा है। इस पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए परिचालित किया गया है। दूसरे पद 6.2.2000 से रिक्त है।

1	2	3	4	5
4.	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	1	1	कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।
5.	चपरासी	5	5	2 पद आर्थिक कार्य विभाग, 1 पद भारी उद्योग विभाग से अभी हस्तांतरित किए जाने हैं, 2 पद रिक्त पड़े हैं। इन दोनों पदों को भरने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।
(विनिवेश तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास) मंत्री के वैयक्तिक कर्मचारी-वृन्द में श्रेणी-वार रिक्त पद				
1.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1	यह पद मंत्री के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाने वाला पद है। यह तब भरा जाएगा जब मंत्री जी चाहेंगे।
2.	सहायक निजी सचिव	2	2	तदैव
3.	चपरासी	3	3	तदैव
विनिवेश आयोग में श्रेणी-वार रिक्त पद				
1.	प्रधान निजी सचिव	1	1	इस पद को भरने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है, अप्रैल, 2002 के मध्य तक इसके भरे जाने की संभावना है।

सीखने में अक्षम स्कूली बच्चे

3672. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक (विद्यालय) शिक्षा बोर्ड ने सीखने में अक्षम स्कूली बच्चों को सहायता देने के लिए कोई विशेष प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.बी.एस.ई. द्वारा इस विषय पर कोई हैंडबुक अपनाया गया है और परिचालित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीखने में अक्षम स्कूली विद्यार्थियों के सामने आ रही समस्याओं और उनके लिए सुविधाजनक पद्धतियों के सम्बन्ध में विद्यालयों/शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए "पूअर स्कूल परफारमेंस" शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है। यह प्रकाशन सभी विद्यालयों को बहुत ही कम मूल्य पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है ताकि सीखने में अक्षम स्कूली विद्यार्थियों की सहायता के लिए कक्षा-कक्षों में कारगर तालमेल के वास्ते उनका उपयोग किया जा सके। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीखने में अक्षम स्कूली विद्यार्थियों से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में शिक्षकों के लिए दो प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित किए है। पहला कार्यक्रम दिल्ली में और दूसरा कार्यक्रम कोचीन में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले सीखने में अक्षम विद्यार्थियों को बोर्ड एक अतिरिक्त घंटे का समय भी देता है।

ई.ए.एस. के अंतर्गत संसाधनों का वितरण

3673. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार सुनिश्चित योजना के अंतर्गत राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण हेतु एक नया फार्मूला अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस नए फार्मूले की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों का नाम क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना का 1.4.2002 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ विलय कर दिया गया है। नकद घटक के अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए समान मूल्य के खाद्यान्न मुहैया कराए जाएंगे और इससे खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होगी और पोषण स्तर में सुधार होगा। गरीबी अनुपात के आधार पर नकद घटक और खाद्यान्नों का वितरण किया जाना जारी रहेगा।

चक्रवात का पूर्वानुमान

3674. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में चक्रवात के पूर्वानुमान की व्यवस्था काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो क्या चक्रवात का पूर्वानुमान और किसानों को बेहतर सूचना देने के लिए सुधार की कोई आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस संबंध में अमरीका के वैज्ञानिकों के साथ कोई सहयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, नहीं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) की चक्रवात चेतावनी व्यवस्था को विश्व की सर्वोत्तम चक्रवात चेतावनी व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है।

(ख) और (ग) आई.एम.डी. की चक्रवात संबंधी चेतावनियां सामयिक एवं सटीक होती हैं। तथापि, आई.एम.डी. की मौजूदा चक्रवात का पता लगाने वाले राडारों के स्थान पर चरणबद्ध रूप से डाप्लर वीदर राडार लगाए जाने की योजना है। इस प्रकार का एक राडार चेन्नई में 21 फरवरी, 2002 को अधिष्ठापित किया गया। कोलकाता में दूसरे डाप्लर राडार को अधिष्ठापित करने का कार्य प्रगति पर है। तीसरे डाप्लर वीदर राडार द्वारा श्री हरिकोटा में मई, 2002 तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना है।

डाप्लर वीदर राडार द्वारा चक्रवाती तूफानों के वेग विन्यास (वेलोसिटी स्ट्रक्चर) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा इससे उनकी विनाशकारी क्षमता के बारे में और अधिक सुस्पष्ट पूर्वानुमान में सहायता मिलेगी।

(घ) और (ङ) वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग के लिए दिसम्बर, 1998 में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग/विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त राज्य के एन.ए.एस.ए./एन.ओ.ए.ए. के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एम.ओ.यू. के तहत मात्रात्मक उत्पादों के निष्कर्षण से संबंधित विषयों पर सात में से तीन संयुक्त परियोजनाओं, नामत: मात्रात्मक अवक्षेपण, क्लाउड मोशन वेक्टर्स और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता एवं गति का पूर्वानुमान करने हेतु प्रचालनात्मक तकनीकों के विकास को त्वरित कार्रवाई हेतु शुरू किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए प्रधान अन्वेषक एक-दूसरे के निकट संयोजन में कार्य कर रहे हैं।

लाजपत नगर में अतिक्रमण

3675. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार लाजपत नगर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर/भवनों के उपनियमों का उल्लंघन कर बनाए निर्माण को ढ़हा रही है और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण सरकारी भूमि पर स्थित अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेष कार्य दल ने गत तीन वर्षों के दौरान लाजपत नगर के विषय में 37 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं लेकिन भूमि एवं विकास कार्यालय (एल.एंड.डी.ओ.) ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है;

(च) यदि हां, तो क्या विशेष कार्य दल के प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई न करने संबंधी मामले की जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एन.सी.टी.ई. द्वारा निरीक्षण समिति का गठन

3676. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.टी.ई. ने देश में आई.आई.टी. के उचित कार्यकरण की निगरानी और प्रवेश के दौरान सीटों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु किसी निरीक्षण समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान आई.आई.टी. या डी.आई.ई.टी. को कारगर बनाने और उन संस्थानों के निरीक्षण के लिए जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र और एन.सी.टी.ई. के संबंधता के लिए आवेदन किया है, को कारगर बनाने हेतु विभिन्न राज्यों को निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो 31.12.2002 तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 की धारा 13 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 के नियम 8 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए परिषद के एक सदस्य को शामिल करते हुए निरीक्षण समितियां गठित की हैं। निरीक्षण समितियों के अन्य दो सदस्य या तो अध्यापक शिक्षा अथवा शैक्षिक प्रशासन के विशेषज्ञ हैं।

(ग) अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करने को सुकर बनाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए 12 फरवरी, 1996 को राज्य सरकारों को दिशानिर्देश परिचालित किए हैं।

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों ने वर्ष 2001 के दौरान मान्यता प्रदान करने के लिए 31.12.2001 तक 1477 प्रस्ताव प्राप्त किए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम/नियमों/विनियमों के अनुसरण में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी

3677. श्री नरेश पुगलिया:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ग्रामीण सड़क निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी देने की जिम्मेदारी सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों के प्रोफेसरों को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस उद्देश्य के लिए किन कालेजों को चयनित किया गया है और उन कालेजों के चयन के मापदण्ड क्या है; और

(घ) इन कालेजों द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों का और उनके पूरा होने के लिए निर्धारित समय का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा मंजूर किया जाता है। मंत्रालय ने अलग-अलग सड़क कार्यों के डिजाइन तथा आकलनों की उपयुक्तता की जांच करने के लिए कुछेक प्रतिष्ठित संस्थाओं का चयन किया है जिससे कि डिजाइन और लागत का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। तकनीकी क्षमता के मद्देनजर अब तक इस तरह की ऐसी 37 संस्थाओं की पहचान की गई है, जिसकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

राज्य तकनीकी एजेंसियों की सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम और पता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, बारंगल-506004
		जे.एन.टी. विश्व विद्यालय, महावीर मार्ग, हैदराबाद-500028
2.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकीय संस्थान, इटानगर-791110
3.	असम	भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान, गुवाहाटी
4.	बिहार	बिहार कालेज आफ इंजीनियरिंग, पटना-800005
		मुजफ्फरपुर, इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	इंजीनियरिंग कालेज, जी.ई. रोड, रायपुर-492010

1	2	3
6.	गोवा	कालेज आफ इंजीनियरिंग फार्मागुड्डी-403401
7.	गुजरात (डी.एन.एच.एंड डी.)	एस वी क्षेत्रीय कालेज आफ इंजीनियरिंग तथा टेक्नालोजी, सूरत-395007
8.	हरियाणा	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र-136119
9.	हिमाचल प्रदेश	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर-177005
10.	जम्मू और कश्मीर	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर, गवर्नमेंट कालेज आफ इंजीनियरिंग और टेक्नालोजी, जम्मू
11.	झारखंड	बिरला इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, मेसरा, रांची-845215
12.	कर्नाटक	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर-560056
		कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरतखल, श्रीनिवासनगर-474157
13.	केरल	कालेज आफ इंजीनियरिंग, तिरूअनंतपुरम-695016
14.	मध्य प्रदेश	मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालाजी, भोपाल-462007
		इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर
15.	महाराष्ट्र	वी. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दक्षिण अंबाजरिवाड नागपुर-440011
		इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी पोवई, मुंबई-400076
16.	मणिपुर	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर-788000
17.	मेघालय	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, गुवाहाटी
18.	मिजोरम	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़कपुर
19.	नागालैंड	जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज, जोरहाट-785007
20.	उड़ीसा	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला-769008
		कालेज आफ इंजीनियरिंग कालेज एंड टेक्नालाजी, भुवनेश्वर
21.	पंजाब	पंजाब इंजीनियरिंग कालेज सैक्टर-12, चण्डीगढ़-160012
22.	राजस्थान	एम.आर. इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर
		एम बी एम इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर
23.	सिक्किम	गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, जलपाईगुडी
24.	तमिलनाडु	अन्ना विश्वविद्यालय, गुइंडी, चेन्नई-600025/आई.आई.टी. चेन्नई
		क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली-620015
25.	त्रिपुरा	त्रिपुरा इंजीनियरिंग कालेज, अगरतला-799055
26.	उत्तर प्रदेश	एम.एन.आर. इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद-211004
		इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, रूड़की-247667
27.	उत्तरांचल	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, रूड़की-247667
28.	प. बंगाल	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी, खड़गपुर-721302

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

3678. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण जूनियर हाकी और जूनियर क्रिकेट के प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के पास पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षक हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हाकी और क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने खिलाड़ी तैयार किए गए?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) अपनी खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए प्रशिक्षणार्थियों के लिए अन्य खेल विधाओं सहित हाकी में स्थानीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अंतर्गत क्रिकेट अपनाई गई खेल विधा नहीं है। अत: इस खेल विधा में कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनकारी योजनाओं के अतंर्गत 42 हाकी प्रशिक्षणार्थियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

3679. श्री वाई.वी. राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने से संबंधित बहुत अधिक मामले अभी भी निर्धारण के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार कितने मामले प्राप्त हुए और गत एक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक कितने मामले अनुमोदित किए गए; और

(घ) इन लंबित मामलों को कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार 92 मामले, जिनमें राज्य-रिपोर्टें हाल ही में प्राप्त हुई है, निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं। राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

राज्य	राज्य रिपोर्टों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	63
बिहार	5
जम्मू और कश्मीर	1
गुजरात	2
कर्नाटक	7
केरल	1
महाराष्ट्र	2
पंजाब	1
उत्तर प्रदेश	5
पश्चिम बंगाल	5

(ग) पिछले एक वर्ष अर्थात् 1.4.2001 से 31.3.2002 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त मामलों की संख्या, स्वीकृत मामलों की संख्या और आज तक अर्थात् 1.4.2002 से 10.4.2002 तक राज्य सरकारों से प्राप्त मामलों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। शेष लगभग-1400 मामलों को पात्रता की शर्तें पूरी न करने के कारण रद्द करके या सत्यापन रिपोर्टों में विसंगतियों के बारे में स्पष्टीकरण मांग कर निपटा दिया गया है।

(घ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैंशन योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सैनानी पेंशन के दावों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत मामलों को, इनके प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर निपटाने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	1.4.2001 से 31.3.2002 के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	1.4.2001 से 31.3.2002 के दौरान पैंशन के लिए स्वीकृत मामलों की संख्या	1.4.2002 से 10.4.2002 के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	153	1	77
2.	असम	14	–	1

1	2	3	4	5
3.	बिहार	301	12	7
4.	गोवा	16	–	1
5.	गुजरात	37	1	–
6.	हरियाणा	18	3	1
7.	हिमाचल प्रदेश	11	1	2
8.	जम्मू और कश्मीर	13	–	–
9.	कर्नाटक	43	4	5
10.	केरल	189	9	10
11.	मध्य प्रदेश	68	2	4
12.	महाराष्ट्र	18	3	7
13.	उड़ीसा	33	2	4
14.	पंजाब	67	–	2
15.	राजस्थान	10	–	–
16.	तमिलनाडु	106	1	7
17.	त्रिपुरा	1	1	–
18.	उत्तर प्रदेश	105	2	–
19.	पश्चिम बंगाल	330	3	14
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13	–	–
21.	पांडिचेरी	2	–	–
22.	आई.एन.ए.	–	3	–
	कुल	1548	48	142

अनु.जा./अनु.ज.जा. के व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र

3680. श्री रामदास आठवले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों विशेषकर गुजरात में अनु.जा./अनु.ज.जा. के व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) हालांकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अलग से प्रशिक्षण केन्द्र गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, प्रशिक्षण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) का एक अभिन्न अंग है और यह योजना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों

सहित देश के ग्रामीण गरीबों के लिए एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम है। शुरू की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों तथा स्वरोजगारी की क्षमता जरूरतों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित चुने गए स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इंजीनियरिंग कालेजों, पालिटेक्नीक्स, विश्वविद्यालयों, ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्डों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों तथा क्षेत्र में मौजूदा अन्य विभागीय सुविधाओं जैसी संस्थाओं के जरिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (दीप)

3681. श्री सुरेश रामराम जाधव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अधीन देश के 233 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (दीप) को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के, विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र के किन जिलों को 'दीप' में सम्मिलित किया गया है और 'दीप' के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) मराठवाड़ा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) सर्व शिक्षा अभियान के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के 512 जिलों के लिए जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं/वार्षिक योजनाएं अनुमोदित की हैं।

(ख) महाराष्ट्र में जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं/वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्मिलित किए गए जिलों के नाम और उन्हें संस्वीकृत की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वित करने के लिए महाराष्ट्र के सभी 35 जिलों मराठवाड़ा क्षेत्र के जिलों सहित) में 428.47 लाख रु. की कुल लागत के परियोजना-पूर्व कार्यकलाप संस्वीकृत किए हैं। परियोजना पूर्व-कार्यकलापों के परिणामों के आधार पर, राज्य सरकार ने जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाएं तैयार की हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित बस्ती और ग्राम स्तर की योजनाएं बनाई जाती हैं:-

* वर्ष 2003 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल/शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक स्कूल, 'स्कूल वापसी' शिविर में शामिल करना;
* वर्ष 2007 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना; तथा
* वर्ष 2010 तक 6-14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों को आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करवाना।

विवरण

(रु. लाख में)

	जिला	परियोजना पूर्व क्रियाकलाप हेतु जारी की गई निधियां	'दीप'' (वार्षिक योजना) अनुमोदित परिव्यय	'दीप' (वार्षिक योजना) जारी की गई राशि	जारी की गई कुल राशि (2+4)
	1	2	3	4	5
1.	अहमदनगर	15.55	347.00	145.36	16.091
2.	अकोला	9.74	326.00	136.43	146.17
3.	अमरावती	13.62	548.00	230.78	244.40
4.	औरंगाबाद	14.17	41.19	17.51	31.68
5.	बीड़	11.32	41.36	17.58	28.90

1	2	3	4	5
6. भांद्रा	8.12	262.00	109.23	117.35
7. बुलढाना	12.86	202.00	83.73	96.59
8. चन्द्रपुर	12.71	264.00	110.08	122.79
9. धुले	9.98	40.91	17.39	27.37
10. गोंडिया	8.70	295.00	123.26	131.96
11. गढ़चिरोली	12.16	40.00	17.00	29.16
12. हिंगोली	8.48	41.02	17.43	25.91
13. जलगांव	14.82	293.00	122.41	137.23
14. जलना	11.74	40.92	17.39	29.13
15. कोल्हापुर	13.91	552.00	232.48	246.39
16. लातूर	11.84	40.21	17.09	28.93
17. मुम्बई शहर	13.29	772.00	325.98	339.27
18. मुम्बई अर्ध शहरी	24.41	479.00	201.46	225.87
19. नागपुर	0.00	463.00	194.66	194.66
20. नांदेड	15.50	40.81	17.34	32.84
21. नांदूरबार	11.17	40.45	17.19	28.36
22. नासिक	16.12	396.00	166.18	182.30
23. उस्मानाबाद	9.86	40.18	17.08	26.94
24. परभनी	14.27	39.87	16.94	31.21
25. पुणे	13.80	953.00	402.91	416.71
26. रायगढ़	13.62	456.00	191.68	205.30
27. रत्नागिरी	12.70	507.00	213.36	226.06
28. सांगली	10.81	215.00	89.26	100.07
29. सतारा	13.19	505.00	212.51	225.70
30. सिंधुदुर्ग	9.92	283.00	118.16	128.08
31. सोलापुर	14.30	342.00	143.23	157.53
32. थाने	16.12	537.00	226.11	242.23
33. वासिम	8.32	274.00	114.33	122.65
34. वर्धा	8.71	241.00	100.31	109.02
35. यवतमाल	12.58	490.00	206.13	218.71
कुल	428.47	10448.92	4389.94	4818.41

देश जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एस.डब्ल्यू.ए.पी.सी. की स्थापना

3682. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव-प्रौद्योगिकी विभाग का विचार किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक की अध्यक्षता में सिंगल विंडो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सेल (एस.डब्ल्यू.ए.पी.सी.) की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह देश जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक नयी नियामक पद्धति का हिस्सा होगी;

(ग) क्या यह पहल भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा हाल ही में जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए की गई उन सिफारिशों का अंग है जिनमें सभी संबंधित अभिकरणों से एक साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और देश में जैवीय खोज के लिए वित्तपोषण हेतु सतत निवेश की आवश्यकता बताई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) जी हां। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की नियमावली, 1989 के अतंर्गत मौजूदा विनियामक प्रणाली के तहत बायोटेक्नोलाजी विभाग (डी.बी.टी.) ने एकल खिड़की आवेदन निपटान कक्ष (एस.डब्ल्यू.ए.पी.सी.) की स्थापना की है, जिसका प्रमुख एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है जो पुनर्योगज डी.एन.ए. उत्पादों और तत्वों से संबंधित आवेदनों का निपटान करता है। यह कक्ष विनियामक प्रक्रियाओं के अनुपालन को सरल बनाने के लिए जन हित में सृजित किया गया है। डी.बी.टी. की आनुवंशिक परिचालन समीक्षा समिति (आर.सी.जी.एम.) को प्रस्तुत करने वाले आवेदन का प्रोफार्मा वेबसाइट पर डाला गया है (wwwdbtindia.org.)।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन प्राप्त धनराशि का उपयोग

3683. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक जिला ग्रामीण विकास अभिकरणें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग करने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन राज्यवार कितने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने अपने संबंधित राज्यों में इन परियोजनाओं के लिए दी गई राशि की प्रथम किस्त को भी नहीं प्राप्त किया है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) जी, हां। डी.आर.डी.ए. को प्रथम किस्त जारी न किये जाने के कारण हैं- प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जाना, उपलब्ध निधियों का कम उपयोग, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना और लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों को पूर्ण न किया जाना। वर्ष 2001-2002 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के तहत जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां प्रथम किस्त नहीं ले सकी, उनकी संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

उन डी.आर.डी.ए. की संख्या जो वर्ष 2001-02 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत प्रथम किश्त का दावा नहीं कर सके

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डी.आर.डी.ए. की संख्या	प्रथम किश्त प्राप्त न कर पाने वाले डी.आर.डी.ए. की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	1
3.	असम	23	0
4.	बिहार	37	4
5.	छत्तीसगढ़	16	0
6.	गोवा	1	0
7.	गुजरात	25	0
8.	हरियाणा	19	0
9.	हिमाचल प्रदेश	12	1
10.	जम्मू एवं कश्मीर	14	0
11.	झारखंड	18	2
12.	कर्नाटक	27	0

1	2	3	4
13.	केरल	14	0
14.	मध्य प्रदेश	45	0
15.	महाराष्ट्र	33	0
16.	मणिपुर	9	7
17.	मेघालय	7	3
18.	मिजोरम	8	0
19.	नागालैंड	8	2
20.	उड़ीसा	30	0
21.	पंजाब	17	0
22.	राजस्थान	32	0
23.	सिक्किम	1	0
24.	तमिलनाडु	28	0
25.	त्रिपुरा	4	0
26.	उत्तर प्रदेश	70	5
27.	उत्तरांचल	13	0
28.	प. बंगाल	18	17
29.	अ. व नि. द्वीप समूह	2	1
30.	दा. न. हवेली	1	1
31.	दमन व द्वीव	1	1
32.	लक्षद्वीप	1	1
33.	पांडिचेरी	1	0
	कुल	570	46

पोटाश का विनियंत्रण

3684. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोटाश के विनियंत्रण से उसकी किसानों के लिए उपलब्धता पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या देश में पोटाश उर्वरकों की कमी आयी है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पोटाश की खपत में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) देश में पोटाश की आवश्यकता को मुख्यत: म्यूरेट आफ पोटाश (एम.ओ.पी.) द्वारा पूरा किया जाता है। एम.ओ.पी. के नियंत्रणमुक्त एवं असरणीबद्ध होने के नाते इसकी उपलब्धता मांग एवं पूर्ति बाजार शक्तियों पर निर्भर है। चूंकि देश में पोटाश का कोई ज्ञात वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य स्रोत नहीं है अत: खपत के लिए आवश्यक एम.ओ.पी. की सम्पूर्ण मात्रा का आयात किया जाता है। फिर भी, विगत तीन वर्षों के दौरान देश में एम.ओ.पी. की उपलब्धता संतोषप्रद और बिक्री के लिए पर्याप्त थी।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में हुई पोटाश (के) की खपत नीचे तालिका में दी गई है:

(लाख. मी. टन)

वर्ष	पोटाश (के) की खपत
1999-2000	16.78
2000-01	15.67
2001-02 (अनुमानित)	17.07

वर्ष 2000-01 के दौरान पोटाश की खपत में कमी उस वर्ष देश के कुछ भागों में सूखा जैसी स्थिति हो जाने के कारण हुई। वर्ष 2000-01 में नाइट्रोजन (एन) एवं फास्फेट (पी) की खपत में भी कमी आयी।

मध्याह्न भोजन योजना

3685. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार याचिका संख्या 196/2001 के संबंध में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से अवगत है जिसमें राज्य सरकारों को प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 3 किग्रा. सूखा राशन के बजाए पका भोजन देने की शुरूआत करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अतिरिक्त खर्च को पूरा करने हेतु राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देकर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम को पुनरीक्षित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रारंभिक शिक्षा पर गठित कार्यदल ने 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा 1 रु. की परिवर्तन लागत पर केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच 50:50 आधार पर लागत भागीदारी की सिफारिश की थी। परंतु विद्यमान केन्द्रीय सहायता अर्थात् नि:शुल्क अनाज की आपूर्ति तथा अनुमत्य ढुलाई प्रभार के अतिरिक्त राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता इस प्रयोजनार्थ निधियों के समुचित आबंटन पर निर्भर करेगी।

रिक्त पद

3686. श्री अमर राय प्रधान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-वार दिनांक 31.12.2001/31.3.2002 को कितने पद रिक्त पड़े थे और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर

3687. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है जो कि शिक्षा का स्तर बनाए रखने में पिछड़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षण का स्तर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्कृष्टता तथा कोटि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के प्रत्यायन पर बल देना, कालेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना, विश्वविद्यालयों को निष्पादन के अनुसार निधियां प्रदान करना तथा कुछ चुनिन्दा विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की सम्भाव्यता सहित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना शामिल है।

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

3688. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय हैं;

(ख) उनमें कैडर-वार कितने अध्यापक कार्यरत हैं;

(ग) वर्ष 2001-2002 में केन्द्रीय विद्यालयों में, राज्य-वार अनु.जा./अनु.ज.जा. के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो आगामी दो वर्षों में स्थापित किए जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों के स्थानों की सूची का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में 468 जवाहर नवोदय विद्यालय और 843 केन्द्रीय विद्यालय हैं। सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) जवाहर नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संवर्ग-वार संख्या निम्नलिखित है:-

जवाहर नवोदय विद्यालय

पी जी टी	टी जी टी	अन्य श्रेणी (शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कला अध्यापक, संगीत अध्यापक, एस यू पी डब्ल्यू अध्यापक आदि)
2251	3277	1986

केन्द्रीय विद्यालय

पी जी टी	टी जी टी	प्राथमिक विद्यालय	अन्य श्रेणी (शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कला अध्यापक, संगीत अध्यापक, एस यू पी डब्ल्यू अध्यापक आदि)
5346	9304	10849	4324

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना जिलेवार नहीं की जाती है तथा अभी हाल में देश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना जिलावार की जाती है तथा जिन जिलों में इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है उनकी सूची विवरण-II में संलग्न है। संबंधित जिला/राज्य प्राधिकरण से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही इन जिलों पर जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए जा सकते हैं। नए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना संबंधित राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क 10 एकड़ भूमि तथा बिना किराए वाला अस्थायी आवास प्रदान करने के प्रावधान के साथ संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर की जाती है।

विवरण-I

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जवाहर नवोदय विद्यालय	केन्द्रीय विद्यालय
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	02	–
2.	आंध्र प्रदेश	22	41
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	10
4.	असम	20	42
5.	बिहार	36	26
6.	चंडीगढ़	01	05
7.	छत्तीसगढ़	10	19
8.	दादर व नगर हवेली	01	01
9.	दमन व दीव	02	–
10.	दिल्ली	02	36
11.	गोवा	02	05
12.	गुजरात	17	39
13.	हरियाणा	17	25
14.	हिमाचल प्रदेश	12	19
15.	जम्मू व कश्मीर	14	25
16.	झारखण्ड	17	25
17.	कर्नाटक	26	32

1	2	3	4
18.	केरल	13	27
19.	लक्षद्वीप	01	–
20.	मध्य प्रदेश	42	69
21.	महाराष्ट्र	29	51
22.	मणिपुर	09	05
23.	मेघालय	06	07
24.	मिजोरम	03	01
25.	नागालैंड	06	06
26.	उड़ीसा	21	29
27.	पांडिचेरी	04	02
28.	पंजाब	17	40
29.	राजस्थान	31	51
30.	सिक्किम	03	02
31.	त्रिपुरा	03	05
32.	तमिलनाडु	–	29
33.	उत्तरांचल	08	32
34.	उत्तर प्रदेश	60	86
35.	पश्चिम बंगाल	01 (डी.जी.एच.सी.)	48
	कुल	468	843

विवरण-II

31 मार्च 2002 (*) की स्थिति के अनुसार उन जिलों की सूची जहां जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत नहीं किए गए हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	04
3.	असम	3
4.	बिहार	01
5.	छत्तीसगढ़	06
6.	दिल्ली	07
7.	गुजरात	08
8.	हरियाणा	03
9.	कर्नाटक	01
10.	केरल	01
11.	मध्य प्रदेश	03
12.	झारखंड	05
13.	मिजोरम	08
14.	मेघालय	01
15.	मिजोरम	05
16.	नागालैंड	01
17.	उड़ीसा	09
18.	राजस्थान	01
19.	सिक्किम	01
20.	त्रिपुरा	01
21.	उत्तरांचल	05
22.	उत्तर प्रदेश	10
	कुल	85

(*) पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने योजना नहीं अपनाई है।

साक्षरता अभियान के अधीन धनराशियों का आबंटन

3689. श्री नरेश पुगलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार, संघ राज्य क्षेत्र-वार, साक्षरता अभियान के अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को साक्षरता अभियान के लिए मंजूर धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) मंजूर धनराशि का शेष भाग प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संस्वीकृत तथा जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति तथा पहले संस्वीकृत एवं जारी की गई निधियों के संबंध में लेखाओं के निपटान के आधार पर चरणबद्ध ढंग से निधियां संस्वीकृत और जारी की जाती हैं।

विवरण

योजनाएं : साक्षरता अभियान एवं आपरेशन रिस्टोरेशन तथा सतत शिक्षा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि	2000-2001 संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि	2001-2002 संस्वीकृत एवं जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	629.65	405.00	527.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	227.85	104.63	32.69
4.	बिहार	147.28	223.78	1047.83
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	60.15
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	733.11	879.04	230.94
8.	हरियाणा	59.1	27.56	33.30
9.	हिमाचल प्रदेश	30.52	34.35	107.50
10.	जम्मू और कश्मीर	15.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	35.00	119.43
12.	कर्नाटक	477.76	2367.23	628.82
13.	केरल	324.05	606.25	623.75
14.	मध्य प्रदेश	136.59	111.15	87.87
15.	महाराष्ट्र	412.66	103.30	1818.85
16.	मणिपुर	0.00	0.00	7.50
17.	मेघालय	0.00	7.50	7.50
18.	मिजोरम	0.00	59.40	118.80

1	2	3	4	5
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	258.17	57.50	741.81
21.	पंजाब	45.83	20.83	10.00
22.	राजस्थान	1039.76	258.90	453.13
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	84.77	48.50	1929.38
25.	त्रिपुरा	0.00	7.50	383.05
26.	उत्तर प्रदेश	588.32	502.00	1488.99
27.	उत्तरांचल	0.00	18.31	281.58
28.	पश्चिम बंगाल	313.15	598.15	768.94
29.	चंडीगढ़	2.30	0.00	21.99
30.	दिल्ली	70.00	20.00	0.00
31.	पांडिचेरी	0.00	31.92	31.92
32.	दमन और दीव	0.80	0.00	0.00
33.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
	कुल	5596.67	6527.80	11563.00

खिलाड़ियों को पुरस्कार देने हेतु मानदण्ड

3690. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ खिलाड़ियों को उनके योगदान/उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार/अन्य पुरस्कार दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों/अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। "अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार" की योजना के अंतर्गत (1) ओलंपिक खेल तथा सरकारी विश्व चैंपियनशिपों (2) एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेल, तथा (3) सरकारी एशियाई तथा राष्ट्रमंडल चैंपियनशिपों में विजेताओं को प्रतिवर्ष विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए विशेष पुरस्कार निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या
1999	176
2000	249
2001	212

वर्ष 2002 के लिए विशेष पुरस्कार चालू वर्ष अर्थात् 2002 की समाप्ति के बाद प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों को नकद पुरस्कार नहीं दिए जाते।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले खेल पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मानदण्ड निम्नलिखित हैं:-

1. अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार का पात्र होने के लिए, खिलाड़ी के पास न केवल राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले तीन वर्षों का सतत अच्छा प्रदर्शन और उस वर्ष, जिसके लिए पुरस्कार की सिफारिश की गई है, का उत्कृष्ट प्रदर्शन होना चाहिए बल्कि उसमें नेतृत्व के गुण, क्रीड़ा-कौशल तथा अनुशासन की भावना भी होनी चाहिए। भारत सरकार ऐसे खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी जिन्होंने खेलों तथा खेलों के संवर्धन के लिए जीवन-पर्यंत योगदान दिया है।

2. अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

विशेष पुरस्कार निम्नलिखित खेल विधाओं में केवल विख्यात अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक और सम्मान जीतने पर ही उपलब्ध होंगे जहां प्रतिस्पर्धा बहुत होती है और खिलाड़ी उत्कृष्टता पाने की इच्छा से ही मैदान में कूदता है और इस प्रकार पदक पाना काफी कठिन है। खेल और प्रतियोगिताओं की अन्य विधाएं इसलिए शामिल नहीं की गई हैं ताकि योग्य उपलब्धियों के लिए ही पुरस्कार दिए जाएं:-

(1) ओलंपिक्स, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल विधाएं

(2) बिलियर्डस और स्नूकर

(3) शतरंज

3. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

खिलाड़ियों द्वारा वर्ष में खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व और अत्यधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष में केवल एक पुरस्कार या तो व्यक्तिगत खिलाड़ी को या टीम प्रतियोगिताओं के मामले में एक से अधिक व्यक्तियों को दिया जाएगा। यदि किसी टीम को पुरस्कार के लिए चुना जाता है तो टीम के सभी सदस्य टीम प्रतियोगिताओं के लिए यथापरिकल्पित पुरस्कार प्राप्त करेंगे अर्थात् टीम का कोई भी सदस्य निर्धारित पुरस्कार राशि के 50 प्रतिशत से कम प्राप्त नहीं करेगा।

4. मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी

मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी:- यह ट्राफी प्रतिवर्ष उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जिसने वर्ष के दौरान हर प्रकार के प्रदर्शन में श्रेष्ठता प्रदर्शित की है।

5. द्रोणाचार्य पुरस्कार

पुरस्कार उन प्रशिक्षकों के लिए उपलब्ध होंगे, चाहे वे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से कार्य करते हैं, प्राथमिक एवं आधारभूत महत्व ऐसे प्रशिक्षकों को सम्मानित करना होगा जो पुरस्कार प्राप्त वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और जो पुरस्कार देने से पूर्व के तीन वर्षों में लगातार अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार ऐसे प्रशिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी जिन्होंने खेलों तथा खेलों के संवर्धन के लिए जीवन-पर्यंत योगदान दिया है।

पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए प्रशिक्षकों की उपलब्धि इस प्रकार आंकी जाएगी:

2. (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता

ऐसा प्रशिक्षक पात्र होगा जो एक ऐसा खिलाड़ी तैयार करता है:-

(1) जो ओलंपिक खेलों, विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक खेल विधाओं हेतु विश्व कप टूर्नामेंटों में स्वर्ण/रजत/कांस्य जैसा कोई पदक जीतता है, अथवा

(2) जो गैर ओलंपिक खेल विधाओं में विश्व कप अथवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण/रजत/कांस्य जैसा कोई पदक जीतता है, अथवा

(3) जो ऐसा विश्व रिकार्ड बनाता है जिसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ अभिपुष्टि करता है, अथवा

(4) जो एशियाई खेलों अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतता है, अथवा

(5) जो एशियाई चैंपियनशिप अथवा राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक जीतता है।

ऐसा राष्ट्रीय प्रशिक्षक जो खिलाड़ियों का एक समूह तैयार करता है: जो व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में ओलंपिक खेलों, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, एशियाई खेलों अथवा एशियाई चैंपियनशिप में जीते पदक (स्वर्ण और कुल) के आधार पर आंके गए पूर्व उत्कृष्ट की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

2. (ख) टीम प्रतियोगिताएं

ऐसा प्रशिक्षक पात्र होगा यदि वह ऐसी टीम को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी है, जो:-

(1) ओलंपिक खेलों, ओलंपिक अथवा गैर-ओलंपिक खेल विधाओं में विश्व कप अथवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य जैसा कोई पदक जीतती है, बशर्ते कि पहले प्राप्त उत्कृष्ट प्रदर्शन के समान है अथवा श्रेष्ठ है अथवा

(2) 2 स्वर्ण पदक जीतती है-एक एशियाई खेलों में और दूसरा पहले अथवा बाद में आयोजित एशियाई चैंपियनशिपों में

(3) 2 स्वर्ण पदक जीतती है-एक एशियाई खेलों में और दूसरा पहले अथवा बाद में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में।

2. (ग) स्वदेशी खेल

ऐसा प्रशिक्षक, जो व्यक्तिगत अथवा टीम के प्रदर्शन में पिछले तीन वर्षों के प्रदर्शन की तुलना में उत्कृष्ट सुधार करने के लिए उत्तरदायी है और जिसके प्रशिक्षण से कोई टीम विजयी स्थान प्राप्त करती है, भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

लिट्टे को पाकिस्तान की सहायता

3691. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरपोल और श्रीलंका को बता दिया है कि पाकिस्तान लिट्टे के लिए स्वापकों, हथियारों की तस्करी के लिए दाऊद इब्राहिम की गैंग के साथ सक्रिय सांठ-गांठ के लिए एक प्रमुख केन्द्र रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दिशानिर्देशों में परिवर्तन

3692. श्री बृजलाल खाबरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में अनेक अनियमितताएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार योजना को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कुछ दिशानिर्देशों को बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत रूपरेखा दी गई है। दिशा निर्देशों के उल्लंघन का कोई विशिष्ट उदाहरण अब तक प्रकाश में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. के दिशा निर्देशों के मामले में समय-समय पर उपयुक्त निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/ गैर-सरकारी संगठनों को दी गयी सहायता

3693. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/गैर सरकारी संगठनों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रों को चलाने हेतु सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु गैर सरकारी संगठनों/राज्य सरकारों को वर्ष-वार कितनी सहायता दी गयी;

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त राशि का पूर्ण उपयोग हुआ;

(घ) उन राज्यों में कितने केन्द्र खोले गए;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ गैर सरकारी संगठन बिना कोई केन्द्र खोले शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार राशि का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(छ) यदि हां, तो क्या कोई जिम्मेदारी तय की गयी है; और

(ज) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) अनौपचारिक शिक्षा की योजना 1.4.2001 से बंद कर दी गई है।

(ख) 1997-98 से 2000-2001 के दौरान राज्यों/गैर सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है:-

(रु. लाख में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
राज्य	14766.00	11957.32	11338.10	11728.72
गैर सरकारी संगठन	3528.75	3992.05	3999.98	3944.00

(ग) 31.3.2000 की रिपोर्ट के अनुसार खर्च की गई राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद ग्राह्य अनुदान जारी कर दिया गया। योजना का कार्यान्वयन करने वाले 15 राज्यों में से 12 राज्यों ने 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई राशि की सूचना दी है।

(घ) 1997-98 से 2000-2001 के दौरान क्रियाशील अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:-

(केन्द्रों की संख्या लाख में)

1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
2.91	2.97	2.93	2.93

(ङ) से (ज) जब भी किसी गैर सरकारी संगठन के विरुद्ध शिकायत मिली तो उसकी जांच राज्य के प्राधिकारियों तथा संयुक्त मूल्यांकन दलों जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी. आदि के अधिकारी शामिल होते हैं, से कराई गई तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर जरूरी होने पर चूककर्त्ता गैर सरकारी संगठन के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई जिसमें उनकी परियोजनाओं का निरस्तीकरण शामिल है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के बीच समझौता ज्ञापन

3694. श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के बीच समझौता ज्ञापन के बारे में 31 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 2310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ऐसी विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों ने किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिन्होंने अपने सदस्यों के लिए प्राधिकरण के गठन से पहले ही जमीन खरीद ली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्राधिकरण ने बहुत से सदस्यों को इस तथ्य के बावजूद विकास प्रभार लौटा दिए थे कि प्राधिकरण ने प्रत्येक सदस्य को लिखित रूप में यह दिया था कि यदि सोसाइटियां जमीन को प्राधिकरण के नाम हस्तांतरित करने में विफल रही तो प्राधिकरण उनसे जमीन की कीमत लेकर सदस्यों को विकसित भूखंड प्रदान करेगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन सोसाइटियों के सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। तथापि, राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रेटर नोएडा और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने विभिन्न सहकारी समूह आवास सोसायटियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं जिन्होंने प्राधिकरण के गठन से पहले ही ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीद ली थी इसका विस्तृत ब्यौरा विवरण के रूप में है।

(ग) से (ङ) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन सोसायटियों के सदस्यों को इन सोसायटियों के मामलों की जांच करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर प्राधिकरण के बोर्ड के निदेशों के अनुसार विकास शुल्क वापिस कर दिया गया है जिन्होंने प्राधिकरण के गठन अर्थात् 28.1.1991 के बाद जमीन खरीदी थी।

विवरण

दिनांक 28.01.91 से पहले जमीन खरीदने वाली सोसायटियों के नाम

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	समझौता ज्ञापन की तारीख	28.01.01 से पूर्व खरीदी गई जमीन (बीघा)			
1	2	3	4			
1.	शिव एस ए एस लि.	21.08.83	383	9.	15.	14
			386	4.	18.	6
			387	5.	6.	0
			योग	20.	0.	0
2.	उत्तरांचल एस ए एस लि.	27.07.84	389	4.	14.	6
			371	4.	12.	7
			375	5.	0.	13
			374	4.	15.	7
			योग	19.	3.	3
3.	विष्णु गार्डेन एस ए एस लि.	31.03.84	302	2.	10.	0
			341	1.	10.	0
			359	0.	15.	0
			384	3.	4.	0
			386	0.	9.	0
			358	11.	2.	0
			1/2-	17.	0.	0
			388	0.	17.	0
			401	5.	12.	13
			योग	17.	09.	13

1	2	3	4			
4.	गोमुखी एस ए एस लि.	31.03.84	298	17.	13.	0
			209	2.	15.	0
			308	9.	7.	0
			309	2.	7	.0
			योग	32.	2.	0
			11/24			
			476	5.	5.	11
			योग	19.	19.	18
5.	देवालय एस ए एस लि.	04.07.84	650	10.	8.	15
			662	7.	18	10
			682	1.	9.	4
			योग	19.	13.	8
6.	अलकनन्दा एस ए एस लि.	23.12.83	892/2	5.	0	.0
			693	1.	9.	0
			895	2.	3.	0
			696मी.	0.	10.	0
			698	0.	13.	0
			689	4.	8.	0
			698 मी.	2.	12.	0
			697	3.	14.	0
			796	6.	6.	0
			2/5	28.	15.	0
			1/3	13.	6.	13.
				2.	0.	0
				3.	8.	6 2/3
				18.	15.	0

1	2	3	4			
7.	जय सन्तोषी एस ए एस लि.	17.07.83	160	0.	13.	0
			169	0.	9.	0
			170	1.	6.	0
			186	0.	4.	9
			188 2/3	2.	14.	0
				2	0.	10
			181	1.	6.	0
			182	1.	5.	0
			183	1.	5.	0
			5/6	3.	16.	0
				3.	3.	5 2/3
				13.	16.	4 2/3
8.	शिवानी एस ए एस लि.	19.4.84	183	0.	10.	13
			158	1.	4.	18
			156	3.	3.	12
				6.	6.	3
				3.	28	एकड़
9.	सचिदानन्द एस ए एस लि.	22.03.84	463	4.	18.	1
			303 एकड़			
10.	आदित्य एस ए एस लि.	11.04.84	20	5.	1.	2
			21	9.	10.	10
			25	5.	1.	4
				19.	13.	8
11.	सन्दिप एस ए एस लि.	11.04.84	490	2.	13.	15
			505	1.	15.	11
			487	4.	8.	12.5
				8.	17.	18 1/2
12.	पुष्प इन्क्लेव एस ए एस लि.	22.04.83	316	4.	9.	13

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 12.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.17 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

...(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5408/2002]

(2) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5409/2002]

(3) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5410/2002]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नालाजी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5411/2002]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 8 मार्च, 2002 को जारी उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अंतर्गत 24 दिसम्बर, 2001 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का संख्यांक 24) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5412/2002]

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5413/2002]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिंदरी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिंदरी का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5414/2002]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5415/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संघ सरकार-(2002 का संख्यांक 6)-(डाक और दूरसंचार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5416/2002]

(2) वर्ष 2000-2001 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5417/2002]

(3) वर्ष 2000-2001 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखाओं (दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5418/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, मैं संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास को तीव्र करने और इसके प्रगामी प्रयोग के लिए कार्यक्रम और वर्ष 1999-2000 के दौरान इसके कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5419/2002]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): उपाध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5420/2002]

(3) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5421/2002]

(5) (एक) महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5422/2002]

(7) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5423/2002]

अपराह्न 12.18 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही से संबंधित समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.18$^{1}/_{2}$ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, मैं ''सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के अपने दावे के विशेष संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका'' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी छठे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही से संबंधित एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.19 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां और छत्तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) डाक विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में तैंतीसवां प्रतिवेदन।

(2) दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में चौंतीसवां प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।

(4) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में छत्तीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.19½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

छियासीवां, सत्तासीवां और अठासीवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): उपाध्यक्ष जी, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 86वां प्रतिवेदन;

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 87वां प्रतिवेदन; और

(3) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 88वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.20 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 15 अप्रैल, 2002 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 15 अप्रैल, 2002 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.21 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गुजरात में साबरमती आश्रम में हिंसा की घटना

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं हिंसा की घटना पर सभा के दु:ख और व्यथा में शामिल हूं।.....

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यदि आप अपना वक्तव्य पढ़ सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं, गुजरात में साबरमती आश्रम, जो राष्ट्रपिता गांधी जी का मुख्यालय था, के पवित्र परिसर में 7 अप्रैल, 2002 को हिंसा की घटना पर सभा के दु:ख और व्यथा में शरीक हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने हिन्दी में पढ़ा है इसलिए अब मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं।

[अनुवाद]

''मैं गुजरात में साबरमती आश्रम, जो राष्ट्रपिता गांधी जी का मुख्यालय था, के पवित्र परिसर में 7 अप्रैल, 2002 को हुई हिंसा की घटना पर सभा के दु:ख और व्यथा में शरीक हूं।''...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, पूरे देश में आज अनेक औद्योगिक श्रमिक हड़ताल पर हैं। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। क्या आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, एक करोड़ से अधिक श्रमिक आज हड़ताल पर हैं। हड़ताल इस सरकार द्वारा बनाई जा रही दुर्भाग्यपूर्ण आर्थिक नीति के विरुद्ध है...*(व्यवधान)* हड़ताल इस सरकार द्वारा लाभप्रद सरकारी उपक्रमों का भी निजीकरण करने के रवैये के विरुद्ध है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.24 बजे

(इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री बसुदेव आचार्य: हड़ताल सरकार द्वारा श्रमिक कानून को बदलने की कार्यवाही के विरुद्ध है...*(व्यवधान)* हमारे देश के श्रमिक वर्ग ने अपने संघर्ष के द्वारा जो भी अधिकार प्राप्त किए हैं, वे अधिकार इस सरकार द्वारा छीने जा रहे हैं...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं मांग करता हूं सरकार अपनी जनता विरोधी, श्रमिक वर्ग विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी नीतियों को वापस ले...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल बुधवार, 17 अप्रैल, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 अप्रैल, 2002/27 चैत्र, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.23.19/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।